SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हरित भारत मिशन पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2026 की प्रतिवेदन संख्या 4
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

हरित भारत मिशन पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2026 की प्रतिवेदन संख्या 4
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय वस्तु

	विषय वस्तु	पृष्ठ
	प्रस्तावना	iii
	कार्यकारी सार	v
अध्याय I	परिचय	1
अध्याय II	हरित भारत मिशन के अंतर्गत योजना	11
अध्याय III	वित्तीय प्रबंधन	43
अध्याय IV	हरित भारत मिशन का कार्यान्वयन	72
अध्याय V	निगरानी एवं मूल्यांकन	125
	अनुलग्नक	163-214

प्रस्तावना

मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की इस प्रतिवेदन में वर्ष 2015-2023 के लिए हरित भारत मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के अवलोकन शामिल हैं। इन अवलोकनों को 31 मार्च 2025 तक अद्यतन कर दिया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2015-23 की अवधि के लिए परीक्षण लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए तथा वे भी जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आए थे किंतु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे; आवश्यकता अनुसार 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

भारत सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर कार्ययोजना के तहत आठ प्रमुख मिशनों में से एक के रूप में राष्ट्रीय हरित भारत मिशन प्रारंभ किया। हरित भारत मिशन (जी.आई.एम.) जो राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के तहत एक उप-योजना थी, जिसे बाद में 2011 में प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। भारत की जलवायु रणनीति के एक प्रमुख घटक के रूप में, जी.आई.एम. का उद्देश्य वन एवं वृक्ष आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना एवं वृद्धि, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना एवं देश के जलवायु शमन एवं अनुकूलन प्रयासों में सार्थक योगदान देना है। 2011 के मिशन दस्तावेज़ के अनुसार, जी.आई.एम. का उद्देश्य 10 वर्षों (2011-2020) की अवधि में ₹46,000 करोड़ की कुल लागत से 10 मिलियन हेक्टेयर (एम.एच.ए.) भूमि में वन क्षेत्र में वृद्धि एवं सुधार करना तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना था। अपनी वैश्विक जलवायु दायित्वों के अनुरूप भारत ने पेरिस समझौते के तहत, 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन अवशोषण सृजत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है, जिसमें जी.आई.एम. की महत्वपूर्ण भूमिका परिकल्पित की गई थी।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान 16 नमूना राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित जी.आई.एम. के कार्यान्वयन की जांच करती है।

जी.आई.एम. को फरवरी 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसके अंतर्गत चार वर्षों (2014-15 से 2017-18) की अवधि के अंदर 2.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण गतिविधियाँ करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत ₹13,000 करोड़ थी। ये लक्ष्य 2011 के जी.आई.एम. मिशन दस्तावेज़ में परिकल्पित लक्ष्यों का एक उप समूह था।

₹13000 करोड़ में से 10,600 करोड़ की राशि प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (₹6,000 करोड़), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹4,000 करोड़) और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (₹600 करोड़) जैसी योजनाओं के साथ समन्वय के माध्यम से प्राप्त की जानी थी। हालाँकि, यह देखा गया कि जी.आई.एम. की गतिविधियों का अन्य वनीकरण योजनाओं के साथ ₹10,600 करोड़ की परिकल्पित समन्वय प्राप्त नहीं किया जा सका और प्रस्तावित वित्तीय सहयोग हासिल नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप, जी.आई.एम. की सभी गतिविधियों का वित्तपोषण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सीमित वार्षिक बजटीय सहायता के माध्यम से किया गया था। कार्यान्वयन के 10 वर्षों (2015-16 से 2024-25) के दौरान केवल ₹1,149.14 करोड़ (47.88 प्रतिशत) उपलब्ध कराए गए, जिससे मिशन अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुमानित वित्तपोषण की तुलना में काफी पीछे रह गया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चलता है कि यद्यपि देश के समग्र वन और वृक्ष आवरण में 24.62 प्रतिशत (आई.एस.एफ.आर. 2021) से बढ़कर 25.17 प्रतिशत (आई.एस.एफ.आर. 2023) तक मामूली वृद्धि हुई, फिर भी जी.आई.एम., पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रमुख वनीकरण योजना होने के बावजूद, अनुरूप परिणाम देने में विफल रहा। मार्च 2025 तक, जी.आई.एम. के तहत 2018 तक प्राप्त किए जाने वाले 2.8 मिलियन हेक्टेयर के अनुमोदित लक्ष्य के मुकाबले, 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान केवल 0.14793 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण गतिविधि की गई थी।

भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंतर्गत वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन कार्बन समतुल्य के अतिरिक्त कार्बन सिंक के सृजन करने के लक्ष्य से हरित भारत मिशन को पुन: संरेखित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने 2021 में 25 मिलियन हेक्टेयर के नए वनीकरण लक्ष्य को अपनाया जिसे 2030 तक प्राप्त किया जाना है। इसके

अलावा, 2021 में निर्धारित 25 मिलियन हेक्टेयर के नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश सितंबर 2025 तक मंत्रालय द्वारा तैयार नहीं किए गए थे।

कार्यान्वयन के एक दशक बाद भी, मिशन की प्रगति नगण्य बनी हुई है। निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह पता चलता है कि खामियाँ, योजना एवं रूपरेखा में मौलिक कमजोरियों के साथ-साथ क्रियान्वयन एवं निगरानी में कमियों के कारण उत्पन्न हुई हैं।

जी.आई.एम. मुख्य रूप से कई केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों एवं गतिविधियों के समन्वय की अवधारणा पर आधारित था। हालांकि, योजना चरण में ही, समन्वय प्रयास के लिए हितधारकों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया। जिन महत्वपूर्ण स्रोतों की पहचान की गई थी, जैसे कि कैंपा निधि, मनरेगा एवं एन.ए.पी., वे उपलब्ध नहीं हो सके, बल्कि गतिविधि स्तर पर भी समन्वय साकार नहीं हो पाया। अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद समन्वय में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों का समाधान करने में सफल नहीं हो सकी। इन समस्याओं को और बढ़ाने वाला कारक यह रहा कि, राज्यों एवं जिला स्तर पर परिकल्पित कई संस्थागत निकायों का गठन नहीं किया गया अथवा वे क्रियाशील नहीं थे, जबकि मिशन को उसके उद्देश्यों की ओर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

चूंकि समन्वय अमल में नहीं आ सका, इसलिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की परिप्रेक्ष्य योजनाओं को क्रमश: कम कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप जी.आई.एम. लगभग पूरी तरह से मंत्रालय से सीमित बजटीय समर्थन पर निर्भर हो गया। इस गंभीर संसाधन कमी का श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़ा, जिससे योजना के तहत कार्यान्वयन धीमा हो गया, गतिविधियाँ सीमित हो गई तथा अपेक्षित परिणामों में कमी आ गई।

सैद्धांतिक रूप से, जी.आई.एम. एक दूरदर्शी पहल है जिसने परिदृश्य स्तर के दृष्टिकोण को अपनाया एवं झाड़ीदार भूमि, खड्डों, आर्द्रभूमि एवं परित्यक्त खदानों जैसे पारिस्थितिक रूप से

संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों के हरितीकरण पर जोर दिया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तविक स्तर पर वृक्षारोपण गतिविधियों को काफी हद तक कम-संवेदनशील स्थलों तक ही सीमित रखा गया था, जबकि कई अध्ययनों में चिन्हित एवं कई राज्यों में मौजूद होने के बावजूद पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण परिदृश्यों को काफी हद तक अनदेखा कर दिया गया था। मिशन की मूल अवधारणा से यह विचलन इसकी पारिस्थितिक प्रासंगिकता एवं संभावित प्रभाव को काफी हद तक कमजोर करता है।

जी.आई.एम. गतिविधियों का बड़ा हिस्सा उप मिशन 1 के अंतर्गत केंद्रित था, जिसका उदेश्य वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना था। इसके विपरीत, उप मिशन 2, 3 एवं 4 (पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली एवं वन आवरण में वृद्धि, शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों एवं कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी में वृक्ष आवरण में वृद्धि) जिनमें नए वृक्षारोपण और वन एवं वृक्ष आवरण के विस्तार के लिए पर्याप्त संभावनाएँ थी, उन्हें केंद्रीय एवं राज्य दोनों के निकायों से सीमित ध्यान एवं कमजोर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिससे मिशन की समग्र प्रभावशीलता बाधित हुई।

विशेष रूप से, योजना की निगरानी के लिए एक समर्पित जी.आई.एस. सेल के अस्तित्व के बावजूद, मंत्रालय ने परिणामों का आकलन करने या मध्य-अवधि सुधार शुरू करने के लिए अपने डेटा एवं तकनीकी क्षमता का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास उपलब्ध आँकड़ों के प्रभावी विश्लेषण के एक उदाहरण के रूप में, लेखापरीक्षा ने उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जी.आई.एम. के अंतर्गत प्रस्तुत निष्पादन प्रतिवेदनों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं मूल्यांकन करने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत, जी.आई.एम. गतिविधियों किए गए क्षेत्रों का आकलन जी.पी.एस. उपकरण के माध्यम से किया गया, वृक्षारोपण स्थलों के के.एम.एल. को गूगल अर्थ प्रो पर देखा गया तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु की सेवाओं का उपयोग कर समय आधारित विश्लेषण कराया गया। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि आकलित लगभग 70 प्रतिशत स्थलों पर बहुत

कम अथवा कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं पाया गया। क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर निगरानी तथा राज्यों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के सत्यापन के अभाव ने मंत्रालय की निष्पादन मूल्यांकन की क्षमता को सीमित कर दिया, तथा उभरती हुई कमियों की समय पर समाधान करने की क्षमता और भी सीमित हो गई।

संक्षेप में, हरित भारत मिशन के एक दशक लंबे कार्यान्वयन से यह परिलक्षित होता है कि एक सशक्त दृष्टि होने के बावजूद अपर्याप्त योजना, विखंडित संस्थागत समन्वय, लगातार अपर्याप्त वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी के अपर्याप्त उपयोग तथा कमजोर निगरानी तंत्र के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। जी.आई.एम. का अनुभव इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भविष्य की पर्यावरणीय पहलों की सफलता सुनिश्चित करने हेतु यथार्थवादी योजना, सुनिश्चित वित्तपोषण, सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था तथा परिणामोन्मुख निगरानी तंत्र अनिवार्य हैं, ताकि घोषित उद्देश्यों को ठोस एवं मापनीय प्रभाव में रूपांतरित किया जा सके।

लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए प्रमुख निष्कर्षों तथा उनसे उत्पन्न अनुशंसाओं को आगामी भागों में प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

अध्याय II: हरित भारत मिशन के अंतर्गत नियोजन

समन्वय का अभाव, जो जी.आई.एम. की कार्यान्वयन रणनीति के लिए केंद्रीय तत्व था, मिशन के अंतर्गत स्थापित संस्थागत ढाँचे के सभी स्तरों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। जी.आई.एम. गतिविधियां कैंपा, मनरेगा एवं अन्य केंद्रीय/राज्य वनीकरण पहलों के साथ प्रभावी ढंग से संरेखित नहीं हो पाई। कोलेटिव वार्षिक कार्य योजनाओं (ए.पी.ओ.) की गैर-प्राप्ति एवं नगर वन योजना एवं स्कूल नर्सरी योजना जैसी वनीकरण योजनाओं के अलग-अलग संचालन ने समन्वय के माध्यम से सहक्रियात्मक परिणामों की संभावना को कम कर दिया।

अनुशंसा:

मंत्रालय, जी.आई.एम. कैम्पा, मनरेगा और अन्य केंद्रीय एवं राज्यों की वनीकरण योजनाओं के साथ विशेष रूप से इसके लगातार गैर-उपलब्धि के कारणों का पता लगाने के लिए एवं मिशन के कार्यान्वयन के लिए इसकी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए समन्वय पहलू का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।

(पैरा 2.1)

शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय शासी परिषद एवं राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठकें निर्धारित आवृत्ति की तुलना में कम आयोजित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप परिप्रेक्ष्य योजनाओं, ए.पी.ओ. के अनुमोदन में देरी हुई एवं जी.आई.एम. के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान नहीं हुआ। राज्य एवं जिला स्तर पर पुनर्गठित निकायों के गैर-गठन एवं पुनर्गठित निकायों के अपर्याप्त रूप से काम करना न केवल जी.आई.एम. के तहत परिकल्पित कार्यक्रम गत समन्वय में बाधा बना, बल्कि स्थलों के गलत चयन का भी कारण बना।

अनुशंसा:

मंत्रालय को योजना के तहत कार्यान्वयन मुद्दों के समय पर नियोजन, प्रभावी मार्गदर्शन और त्वरित समाधान को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय शासी परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठकों की निर्धारित आवृत्ति का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, जी.आई.एम. कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तरों पर कई निकायों की आवश्यकता की समीक्षा भी करनी चाहिए ताकि एक प्रभावी और जवाबदेह विकेंद्रीकृत शासन ढांचा स्थापित किया जा सके।

(पैरा 2.2.1, 2.2.2 एवं 2.2.3)

ऐसे मामले देखे गए जहां जी.आई.एम. गतिविधियों की योजना बनाने में 'बॉटम-अप दृष्टिकोण का पालन क्षेत्रों की पहचान एवं भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण दोनों के संदर्भ में नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

अनुशंसा:

मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि मिशन के अंतर्गत परिकल्पित 'बॉटम-अप योजना का सभी राज्यों द्वारा अनुपालन किया जाए ताकि गतिविधियों के लिए क्षेत्रों के वास्तविक लक्ष्यों के साथ-साथ उपयुक्तता को (नीचे) ग्राम स्तर से (शीर्ष) राज्य स्तर तक सूचित किया जा सके।

(पैरा 2.3)

यद्यपि संवेदनशीलता जी.आई.एम. परिदृश्यों की पहचान करने के लिए एक प्रमुख मानदंड था, फिर भी लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों का अवलोकन किया जहां अधिक संवेदनशील परिदृश्यों की अपेक्षा, कम या मध्यम संवेदनशीलता वाले परिदृश्यों को वृक्षापरोपण गतिविधि के लिए चुना गया था, जो मंत्रालय द्वारा परिप्रेक्ष्य योजनाओं की जांच के अभाव को दर्शाता है एवं जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर क्षेत्रों में शमन प्रयासों को प्रभावित करता है।

अनुशंसा:

मंत्रालय को उपलब्ध बजटीय संसाधनों के अंतर्गत वनीकरण गतिविधियों के लिए अधिक संवेदनशील परिदृश्यों के चयन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने में मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप वृक्षारोपण के प्रभाव को अनुकूलित किया जा सके।

(पैरा 2.5.1)

अध्याय III: वित्तीय प्रबंधन

अन्य वनीकरण योजनाओं के साथ जी.आई.एम. की गतिविधियों का समन्वय ना होने के कारण ₹10,600 करोड़ की प्रस्तावित वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। इसके अलावा, योजना के प्रारंभिक चार सालों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधान से आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा स्वीकृत ₹2000 करोड़ तथा राज्यों के अंश के रूप में 13वे वित्तीय आयोग के अनुदानों से ₹400 करोड़ के मुकाबले, 10 साल के कार्यान्वयन (2015-16 से 2024-25) के दौरान बजटीय सहायता से सिर्फ़ ₹1,149.14 करोड़ (47.88 *प्रतिशत*) ही प्राप्त हो सके।

अनुशंसा:

मंत्रालय इस योजना के लिए अपनी वित्तीय योजना विशेष रूप से समन्वय पहलू की बार-बार विफल होने के संबंध में समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा, भारत सरकार अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी.आई.एम. को पर्याप्त वित्तपोषण भी प्रदान कर सकती है।

(पैरा 3.1)

वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 16 नमूना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के कुल 68 ए.पी.ओ. में से केवल छ: ए.पी.ओ. ही मंत्रालय को ए.पी.ओ. अवधि/वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले प्राप्त हुए थे। इन छः में से किसी भी ए.पी.ओ. को ए.पी.ओ. अवधि/वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले अनुमोदित नहीं किया जा सका।

अनुशंसाएं:

- ***पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ए.पी.ओ. जमा करने के लिए एक समयसीमा तय करनी चाहिए ताकि ए.पी.ओ. को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले ही मंजूरी दी जा सके और समय पर निधियां जारी की जा सके।***

- ***क्षेत्रों/राज्यों की विभिन्न भौगोलिक/जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पौधों के अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अग्रिम कार्य और वृक्षारोपण/रोपण गतिविधियों के लिए स्पष्ट कार्यक्रम को परिभाषित करते हुए एक वृक्षारोपण कैलेंडर तैयार करना चाहिए और नियोजित गतिविधियों के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची में प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार निधियों के वितरण को संरेखित किया जाना चाहिए।***

(पैरा 3.3)

लेखापरीक्षा में प्रत्येक संस्थागत स्तर पर निधि जारी करने में देरी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप ए.पी.ओ. अवधि के दौरान निधियों का उपयोग नहीं हो सका, लागत में वृद्धि हुई, लक्ष्यों में कमी देखी गई, जिससे लक्ष्यों की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अनुशंसा:

राज्य सरकारों, एस.एफ.डी.ए. और एफ.डी.ए. को निधियां जारी करने के लिए समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में सचेत रूप से काम करना चाहिए, ताकि प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निधियां समय पर जे.एफ.एम.सी. तक पहुंच सके।

(पैरा 3.4)

16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से आठ में, एस.ए.फ.डी.ए./एफ.डी.ए. ने अपने वार्षिक लेखे का संधारण नहीं किया। इसके अलावा, तीन राज्यों में जहां वार्षिक खाते तैयार किए गए थे, उनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। छः राज्यों में, एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. द्वारा उपयोग की गई एवं उनके उपयोगिता प्रमाणपत्रों में दिखाई गई धनराशि उनके द्वारा बनाए गए सहायक अभिलेखों के साथ मेल नहीं खाती थी।

अनुशंसा:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. हर साल अपने वार्षिक लेखा तैयार करें और उनका नियमित रूप से लेखापरीक्षा करवाएं। इसके अलावा, अंतर्निहित खातों के साथ मिलान करने के पश्चात ही एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. द्वारा यू.सी. तैयार की जानी चाहिए और मंत्रालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(पैरा 3.10 एवं 3.11)

अध्याय IV: हरित भारत मिशन का कार्यान्वयन

मिशन का कार्यान्वयन समन्वय की कमी और सीमित बजटीय समर्थन के कारण वृक्षारोपण लक्ष्यों में कमी से प्रभावित हुआ। जी.आई.एम. के तहत वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1.4 मिलियन हेक्टेयर (2014 में जी.आई.एम. के लिए कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार) के लक्ष्य के मुकाबले, उपलब्धि केवल 0.11384 मिलियन हेक्टेयर में ही हो सकी, जिससे 91.87 प्रतिशत की कमी आई। इसके अलावा, जी.आई.एम. के तहत वन आवरण बढ़ाने के लिए 1.4 मिलियन हेक्टेयर (2014 में जी.आई.एम. के लिए कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार) के लक्ष्य के मुकाबले, केवल 0.03409 मिलियन हेक्टेयर में ही उपलब्धि हो सकी, जिससे 97.57 प्रतिशत की कमी रही।

अनुशंसा:

मंत्रालय अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है तथा उन बाधाओं जैसे समन्वय का अभाव, सीमित बजट के कारण वृक्षारोपण लक्ष्यों में कमी तथा विशिष्ट परिदृश्यों को शामिल न किया जाना को पहचान कर उनका निराकरण करना चाहिए, जिन्होने जी.आई.एम. के अंतर्गत उपलब्धियों में उल्लेखनीय कमी में योगदान दिया है।

(पैरा 4.1.1 एवं 4.1.2)

उप मिशन 2 के अंतर्गत लक्ष्यों के आवंटन में कमी मुख्यत: जी.आई.एम. गतिविधियों के लिए झाड़ीदार भूमि, सीबकथॉर्न, खड्डे, परित्यक्त खनन क्षेत्रों जैसे अद्वितीय परिदृश्यों की पहचान ना होने के कारण थी, जबकि ये क्षेत्र राज्यों में विद्यमान थे।

अनुशंसा:

मंत्रालय को वित्तीय सीमाओं के तहत, वन क्षेत्र में वृद्धि के अलावा संरक्षण और बहाली दोनों को शामिल करने के लिए विविध विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों का कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए।

(पैरा 4.4.1)

राज्यों द्वारा रोपण के लिए देशी प्रजातियों के स्थान पर गैर-देशी प्रजातियों को प्राथमिकता दी गई, जिससे परिदृश्य स्तर पर देशी प्रजातियों के मिश्रण को पुनर्स्थापित करने के जी.आई.एम. के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अनुशंसा:

मंत्रालय स्वदेशी किस्मों पर विदेशी प्रजातियों के लिए वरीयता को सत्यापित करने और रोकने के लिए यादृच्छिक रूप से वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण करने पर विचार कर सकता है।

(पैरा 4.5)

16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में 1,47,925.63 हेक्टेयर में वनीकरण हासिल किए जाने के बावजूद, केवल मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को छोड़कर किसी भी राज्य ने 2015-2025 के दौरान कार्बन पृथक्करण का कोई आकलन नहीं किया।

अनुशंसा:

मंत्रालय को जी.आई.एम. के तहत उपचारित वनों द्वारा संग्रहित कार्बन की निगरानी के लिए कड़े प्रयास करने चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों में सहायता के अलावा राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान प्राप्त करने की दिशा में इसके योगदान को जाना जा सके।

(पैरा 4.8.2)

सभी उप मिशनों के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य के सभी तीन घटकों, अर्थात् अग्रिम, रोपण एवं रख-रखाव कार्यों के लिए लक्ष्यों के निर्धारण में मंत्रालय द्वारा असमान दृष्टिकोण अपनाने के मामले पाए गए।

अनुशंसा:

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी स्थल के लिए अनुमोदित अग्रिम, रोपण और रखरखाव कार्यों सहित संपूर्ण वृक्षारोपण प्रक्रिया बाद के वर्षों के वार्षिक कार्य योजना से मिलान करके पूरा किया जाए। यह विभिन्न उप मिशनों के लिए सभी तीन घटकों की आवश्यकता की भी समीक्षा कर सकता है।

(पैरा 4.9)

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में स्थापित फ्लक्स टावरों के रखरखाव एवं देखभाल के संबंध में आई.सी.एफ.आर.ई. की ओर से त्रुटिपूर्ण योजना के कारण ₹3.50 करोड़ के व्यय के बावजूद कार्बन पृथक्करण के परिमाणीकरण के लिए निर्मित अवसंरचना निष्क्रिय पड़ी रही।

अनुशंसा:

फ्लक्स टावरों को जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास किए जा सकते हैं ताकि वनों द्वारा पृथक्क कार्बन की मात्रा को मापा जा सके एवं इन बुनियादी ढांचागत परिसंपत्तियों को और निष्क्रिय होने से रोका जा सके।

(पैरा 4.10.2)

अध्याय V: निगरानी और मूल्यांकन

मिशन दस्तावेज़ में निर्धारित निगरानी के चार स्तरों में से तीन पर मिशन गतिविधियों की निगरानी में कमी पाई गई, क्योंकि राज्य वन विभागों एवं मिशन निदेशालय दोनों ही इसे करने में विफल रहे।

अनुशंसा:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मिशन के प्रदर्शन के निरंतर मूल्यांकन के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित निगरानी नियमित आधार पर की जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई समय पर की जा सके।

(पैरा 5.1.1, 5.1.3 एवं 5.1.4)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जी.आई.एम. के अंतर्गत की गई गतिविधियों का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए एक वेब-लिंक बनाने/खोलने के निर्देशों के बावजूद, कार्यान्वयन करने वाले 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से 14 ने इसका पालन नहीं किया।

अनुशंसा:

मंत्रालय को वेब-लिंक के निर्माण के लिए जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग राज्यों में जी.आई.एम. की प्रगति की निगरानी के साथ-साथ हितधारकों को सूचना के प्रसार में पारदर्शिता बनाए रखने के अलावा दोषपूर्ण रिपोर्टिंग की जांच के लिए किया जा सकता है।

(पैरा 5.3)

14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में, ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई, जबकि मिजोरम एवं उत्तराखंड में सामाजिक लेखापरीक्षा अनियमित रूप से की गई।

अनुशंसा:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा द्वारा की जाए ताकि जी.आई.एम. के कार्यान्वयन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(पैरा 5.4)

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन के प्रयास में यह संकेत मिला कि उपलब्धि के संबंध में आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट किया गया था, वृक्षारोपण स्थलों के रिपोर्ट किए गये निर्देशांकों में ओवेरलेप पाया गया तथा वृक्षारोपण की उपलब्धियों की रिपोर्टिंग में अशुद्धियाँ थी। राज्यों से प्राप्त के.एम.एल. फाईलों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गैर-सत्यापन के परिणामस्वरूप उपलब्धि को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। नौ राज्यों में वृक्षारोपण स्थलों के जी.आई.एस. विश्लेषण से पता चला कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान 70 प्रतिशत क्षेत्रों में जी.आई.एम. गतिविधियों के कारण कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा कि 2024 तक आंका गया था। स्थलीय सत्यापन से सीमित वृक्षारोपण गतिविधि की पुष्टि हुई, जो अनुचित स्थल चयन, रोपण गड्ढों की असंगत दूरी एवं वन विभाग द्वारा छोटे आकार के पौधों के उपयोग के कारण और अधिक बाधित रही।

अनुशंसा:

विश्वसनीय मूल्यांकन और प्रभावी योजना सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय को स्थलों की स्थलीय सत्यापन के साथ-साथ वृक्षारोपण स्थलों की के.एम.एल. फाइलों के सत्यापन के लिए जी.आई.एस. तकनीक को अपनाने या लाभ उठाने पर विचार करना चाहिए और स्थलों के दोहराव से बचने के लिए सभी साइटों का एक केंद्रीय भू-स्थानिक डेटाबेस बनाए रखना चाहिए।

(पैरा 5.7)

अध्याय I

परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

मानव की उपभोग्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, जलवायु परिवर्तन को कम करने, प्राकृतिक जैव विविधता के संरक्षण और क्षेत्र के जल वैज्ञानिक संतुलन को बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार ने 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य हमारे देश के वनों की रक्षा करना था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)[1] ने 1988 में पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश के वनों के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय वन नीति जारी की थी। इस नीति में देश के 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन आच्छादन के अंतर्गत लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2004 में (2014 में संशोधित) वन संसाधनों के स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग एवं देशभर में वन प्रबंधन योजना में एकरूपता लाने के लिए एक समान संहिता, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता को अपनाया था।

पिछले कुछ वर्षों में, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभरा है जिसके लिए एक एकीकृत वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के एक पक्ष[2] के रूप में, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस (जी.एच.जी.) सांद्रता को स्थिर करना है, सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय

---

[1] *दिनांक 31.07.2014 के आदेश द्वारा पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया था।*

[2] *भारत 1993 से यू.एन.एफ.सी.सी. का एक पक्ष है।*

कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) के अंतर्गत आठ मिशनों[3] में से एक के रूप में राष्ट्रीय हरित भारत मिशन की घोषणा की, जिसे 2011 में जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद (पी.एम.सी.सी.सी.) द्वारा समर्थन दिया गया था। 2016-17 तक, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन में केवल एक योजना शामिल थी अर्थात हरित भारत मिशन (जी.आई.एम.)। 2017-18 में, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को जी.आई.एम. के साथ मिला दिया गया था, जबकि वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना (एफ.एफ.पी.एम.) को 2021 में इसके अंतर्गत समाहित कर लिया गया था, जिससे राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को दो उप-योजनाओं, अर्थात एफ.एफ.पी.एम. और जी.आई.एम. वाली एक समग्र योजना बना दिया गया था। यह निष्पादन लेखापरीक्षा उप-योजना जी.आई.एम. के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

1.2 हरित भारत मिशन

हरित भारत मिशन का उद्देश्य 2011 के अपने मिशन दस्तावेज के अनुसार ₹46,000 करोड़ की कुल लागत से 10 वर्षों की अवधि में 10 मिलियन हेक्टेयर (एम.एच.ए.) भूमि में उन्नत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के साथ-साथ वन आवरण को बढ़ाना और सुधारना है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने फरवरी 2014 में केंद्र प्रायोजित योजना[4] के रूप में 12वीं पंचवर्षीय योजना में ₹13,000 करोड़[5] की कुल लागत पर जी.आई.एम. को मंजूरी दी थी, ताकि चार वर्षों (2014-15 से 2017-2018 तक) में 2.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण

---

[3] राष्ट्रीय सौर मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन और संवधत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

[4] केंद्र प्रायोजित योजना उत्तर-पूर्वी/विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और शेष राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में केंद्रीय और राज्य का अंश प्रदान करती है। अक्टूबर 2015 में शेष राज्यों के लिए अनुपात को संशोधित कर 60:40 कर दिया गया था।

[5] इसमें 12वीं योजना परिव्यय से ₹2,000 करोड़, 13वें वित्त आयोग के अनुदान से ₹400 करोड़, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के साथ समन्वय से ₹6,000 करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ समन्वय से ₹4,000 करोड़ और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) के साथ समन्वय से ₹600 करोड़ शामिल हैं।

गतिविधियां की जा सकें। यह जी.आई.एम. के 2011 मिशन दस्तावेज के तहत परिकल्पित लक्ष्यों का एक उपसमूह था।

इसके अलावा, 2021-2030 के बीच वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन कार्बन समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन अवशोषण सृजित करने के भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान[6] के साथ हरित भारत मिशन को फिर से संरेखित करने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2021 में 2011 के जी.आई.एम. के मिशन दस्तावेज को संशोधित किया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 2021-2030 की अवधि के लिए संशोधित मिशन दस्तावेज में अकेले जी.आई.एम. के माध्यम से ₹12,190 करोड़[7] की अनुमानित लागत पर 1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने और 24 मिलियन हेक्टेयर[8] के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु चल रही केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ समन्वय[9] द्वारा करने की परिकल्पना की गई है।

मार्च 2025 तक, जी.आई.एम. गतिविधियों (2015-16 से 2024-25 तक) के कार्यान्वयन के लिए ₹1,224.31 करोड़ प्रदान किए गए हैं, जिसके अनुरूप 0.14793 मिलियन हेक्टेयर (एम.एच.ए.) भूमि को जी.आई.एम. के तहत उपचारित किया गया है।

1.3 हरित भारत मिशन के उद्देश्य

अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने की दृष्टि से, मिशन का उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण की रक्षा करना और उसे पुनर्स्थापित करना है, जिससे कार्बन अवशोषण को बढ़ाया जा सके और संवेदनशील प्रजातियों/पारिस्थितिक तंत्रों और वन पर निर्भर समुदायों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता बढ़ा सके।

---

[6] *राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पेरिस समझौते के तहत एक राष्ट्र की जलवायु कार्य योजना है।*

[7] *मिशन की लागत आंशिक रूप से चल रहे हरित भारत मिशन (₹5,000 करोड़) के तहत बजट से और शेष राशि कैम्पा की राष्ट्रीय निधि (₹7,190 करोड़) के तहत उपलब्ध निधियों से पूरी की जाएगी।*

[8] *2021-25 के दौरान 12 मिलियन हेक्टेयर और 2025-30 के दौरान 12 मिलियन हेक्टेयर है।*

[9] *राष्ट्रीय स्तर पर गठित राष्ट्रीय कैम्पा., जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, मनरेगा, नमामि गंगे आदि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।*

जी.आई.एम. के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले व्यापक उद्देश्य (मूल मिशन दस्तावेज 2011 के अनुसार) इस प्रकार थे:

- 5 मिलियन हेक्टेयर (एम.एच.ए.) भूमि में वन/वृक्षावरण बढ़ाना और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर वन/गैर-वन भूमि के वन/वृक्षावरण की गुणवत्ता में सुधार करना।
- 10 एम.एच.ए. वन भूमि/गैर-वन भूमि के उपचार के परिणामस्वरूप जैव विविधता, जल वैज्ञानिक सेवाओं और कार्बन पृथक्करण सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना।
- वनों में और उसके आसपास रहने वाले लगभग 3 मिलियन परिवारों की वन-आधारित आजीविका आय में वृद्धि।
- वर्ष 2020 तक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण को 50 से 60 मिलियन टन तक बढ़ाना।

जबकि जी.आई.एम. के व्यापक उद्देश्य सुसंगत रहे, उप मिशनों, लक्ष्यों और समय सीमाओं को संशोधित किया गया। समय के साथ संशोधित लक्ष्यों और अनुमानित लागतों के साथ उप मिशनों का विकास नीचे दी गई ***तालिका 1*** में दिखाया गया है:

तालिका 1: पिछले कुछ वर्षों में संशोधित जी.आई.एम. का विवरण

वर्षों का समग्र लक्ष्य	**2011 10 एम.एच.ए.**	**2014 2.8 एम.एच.ए. (2011 के लक्ष्यों का उप समूह)**	**2021 25 एम.एच.ए.**
कुल अनुमानित लागत	**₹46,000 करोड़**	**₹13,000 करोड़**	**₹12,190 करोड़**[10]
कार्यान्वयन की अवधि	10 वर्ष (2011-2021)	4 वर्ष (2014-2018)	10 वर्ष (2021-2030)
उप मिशन 1	वन आवरण की गुणवत्ता बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना (4.9 एम.एच.ए.)	वन आवरण की गुणवत्ता बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना (1.37 एम.एच.ए.)	वन आवरण की गुणवत्ता बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना (0.30 एम.एच.ए.)

[10] *यह फंड जी.आई.एम. के अंतर्गत एक एम.एच.ए. पर वनीकरण के लिए निर्धारित किया गया था। 24 एम.एच.ए. पर वनीकरण समन्वय के माध्यम से किया जाना था।*

वर्षों का समग्र लक्ष्य	**2011 10 एम.एच.ए.**	**2014 2.8 एम.एच.ए. (2011 के लक्ष्यों का उप समूह)**	**2021 25 एम.एच.ए.**
उप मिशन 2	पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना और वन क्षेत्र में वृद्धि (1.8 एम.एच.ए.)	पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना और वन क्षेत्र में वृद्धि (0.50 एम.एच.ए.)	पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना और वन क्षेत्र में वृद्धि (0.70 एम.एच.ए.) (इसमें पिछले संस्करणों के उप मिशन 3, 4 और 5 शामिल हैं)
उप मिशन 3	शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों (संस्थागत भूमि सहित) में वृक्षों का आवरण बढ़ाना (0.20 एम.एच.ए.)	शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों (संस्थागत भूमि सहित) में वृक्षों का आवरण बढ़ाना) (0.06 एम.एच.ए.)	वन पर निर्भर समुदायों के लिए घरेलू आय में वृद्धि और आजीविका का विविधीकरण (आजीविका सुधार प्रशिक्षण केन्द्र/नर्सरी अनुसंधान केन्द्र/गैर-लकड़ी वन उपज प्रोसेसिंग केन्द्र) (कुल 200)
उप मिशन 4	कृषि-वानिकी और सामाजिक वानिकी (बायोमास बढ़ाना और कार्बन अवशोषण बनाना) (3 एम.एच.ए.)	कृषि-वानिकी और सामाजिक वानिकी (बायोमास बढ़ाना और कार्बन अवशोषण बनाना) (0.84 एम.एच.ए.)	-
उप मिशन 5	आर्द्रभूमि का पुनर्स्थापना (0.10 एम.एच.ए.)	आर्द्रभूमि का पुनर्स्थापना (0.03 एम.एच.ए.)	-
कार्बन पृथक्करण लक्ष्य	2020 तक 50 से 60 मिलियन टन के बराबर कार्बन।	2018 तक 14 से 17 मिलियन टन के बराबर कार्बन।	2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन के बराबर कार्बन।

नोट: 2021 से, उप मिशन 3, 4 और 5 को उप मिशन 2 'पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना और वन आवरण में वृद्धि' में मिला दिया गया था, जबकि 'सामुदायिक आजीविका वृद्धि' को एक अलग उप मिशन 3 बनाया गया था।

जी.आई.एम. में वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने, सामुदायिक आजीविका में वृद्धि, पौधों और पशुओं की प्रजातियों के प्रभावी प्रसार और स्थापना के लिए गलियारे, सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों और देव उपवनों की सुरक्षा जैसे अंतर विषयक गतिविधियां भी शामिल हैं।

1.4 जी.आई.एम. के तहत योजना प्रक्रिया

जी.आई.एम. के तहत योजना प्रक्रिया एक 'परिदृश्य दृष्टिकोण' को बढ़ावा देती है जहां विभिन्न उप मिशनों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों (एल1,एल2 और एल3) पर परिदृश्य की पहचान की जाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रति वनों की अनुमानित संवेदनशीलता, वन आवरण की स्थिति, जैव विविधता और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यों, महत्वपूर्ण आवासों, गलियारों और कार्बन अवशोषण के लिए क्षेत्र की क्षमता जैसे मानदंडों के संयोजन का उपयोग करके सभी परिदृश्यों की पहचान की जाती है। एक बार मानदंड सूचीबद्ध हो जाने के बाद, विभिन्न स्रोतों जैसे भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ.एस.आई.), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्रों, राज्य विभागों आदि से विभिन्न मानचित्र, स्थानिक और विशेषता आधारित डेटा सेट एकत्र किए जाते हैं।

एल1 स्तर पर, आधार परत के रूप में भू-आकृतियों या जलग्रहण क्षेत्रों का उपयोग करते हुए व्यापक रूप से रुचि/महत्वपूर्ण परिदृश्यों की पहचान की जाती है। इसके बाद, रुचि के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इस आधार परत पर वन आवरण और स्क्रब परत को आरोपित किया जाता है। एक बार एल1 पर परिदृश्य की पहचान हो जाने के बाद, एल2 और एल3 स्तर के परिदृश्यों का चयन एल1 परिदृश्य के चयन में उपयोग किए गए मानदंडों के आधार पर ही किया जाता है।

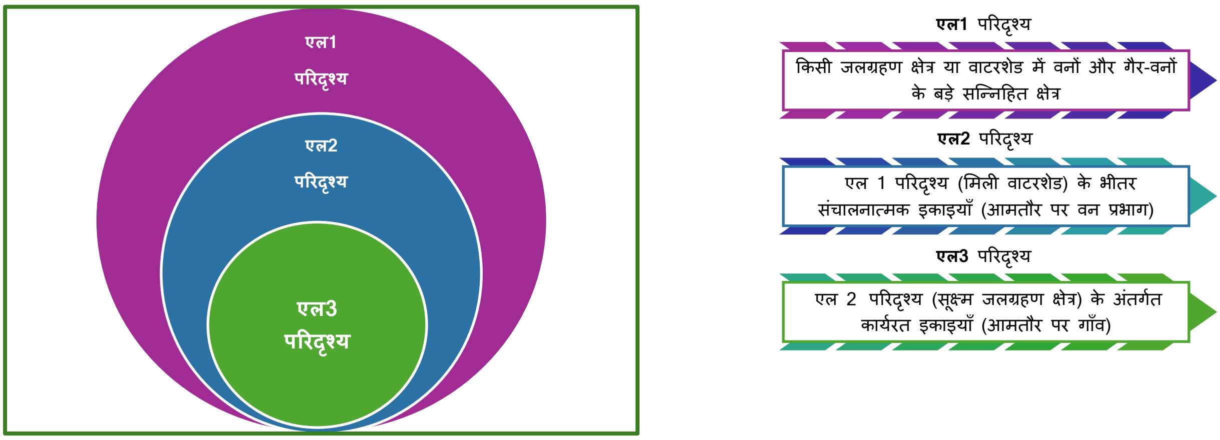

चित्र 1: जी.आई.एम. के अंतर्गत शामिल विभिन्न परिदृश्यों का दृश्यात्मक प्रस्तुतीकरण

भू-दृश्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए जी.आई.एम. के विभिन्न उप-मिशनों के तहत गतिविधियों की योजना बनाई जाती है।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आयोजित की गई थी:

(i) क्या जी.आई.एम. की योजना और कार्यान्वयन के लिए केन्द्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर पर्याप्त संस्थागत और अभिसरण तंत्र मौजूद हैं?

(ii) क्या मिशन के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था?

(iii) क्या मिशन के कार्यान्वयन के लिए निधियां समय पर जारी की गई थीं और अभीष्ट प्रयोजन के लिए उनका समुचित उपयोग किया गया था?

(iv) क्या मौजूदा समीक्षा और निगरानी तंत्र प्रत्येक उप-मिशन के अंतर्गत मापन योग्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त और प्रभावी है?

1.6 लेखापरीक्षा का दायरा

बहु स्तरीय शासन ढ़ाचे अर्थात संघ, राज्य, जिला और गांव को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य वन विभागों और अन्य कार्यान्वयन संस्थाओं को शामिल किया है। लेखापरीक्षा में मणिपुर[11] को छोड़कर लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जी.आई.एम. का हिस्सा रहे सभी 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) शामिल थे।

[11] *राज्य में व्याप्त कानून व्यवस्था की परिस्थितियों के कारण बाहर रखा गया था।*

1.6.1 लेखापरीक्षा की अवधि

लेखापरीक्षा वर्ष 2015-16 से 2022-23 की अवधि के लिए की गई थी और निष्कर्षों को मार्च 2025 तक अध्यतन किया गया था, जिसमें मूल के साथ-साथ संशोधित मिशन दस्तावेजों के तहत जी.आई.एम. का संचालन शामिल था, ताकि लेखापरीक्षा जी.आई.एम. के कार्यान्वयन की नवीनतम स्थिति को उजागर कर सके ताकि मंत्रालय भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 की समय सीमा से पहले, यदि आवश्यक हो तो उपचारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम हो सके।

1.6.2 लेखापरीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 16 नमूना लिए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में कुल 2,505 एल3 परिदृश्यों में जी.आई.एम. गतिविधियां की गई थी। बड़ी संख्या में एल3 परिदृश्यों और उप मिशनों के कार्यान्वयन की प्रतिनिधि नमूना सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए, एल3 परिदृश्य को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था।

- ✓ श्रेणी ए: एल3 परिदृश्य जहां केवल एक उप मिशन कार्यान्वित किया गया था। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एल3 परिदृश्यों का 10 प्रतिशत, अधिकतम 10 परिदृश्य तक चुना गया।
- ✓ श्रेणी बी: एल3 परिदृश्य जहां एक से अधिक उप मिशन किए गए थे। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एल3 परिदृश्यों का 100 प्रतिशत, अधिकतम 20 एल3 परिदृश्य चुने गए।

- 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में कुल 385 एल3 परिदृश्य (श्रेणी ए और बी के तहत) को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया।
- संस्थागत ढांचे की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के आकलन के लिए, परिदृश्यों की पहचान, वित्तीय प्रबंधन और अंतर-विषयक गतिविधियों के लिए, चयनित एल3 परिदृश्यों

के अनुरूप 186 एल2 परिदृश्यों को लेखापरीक्षा के लिए 68 एल1 परिदृश्यों में लिया गया था ***(अनुलग्नक I)***।

- इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चयनित एल3 परिदृश्य से दो वृक्षारोपण स्थलों को उनके अस्तित्व, पौधों की ऊंचाई, लगाई गई प्रजातियों के प्रकार आदि के संबंध में वृक्षारोपण का आकलन करने के लिए संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए चुना गया था। वृक्षारोपण की सफलता का आकलन करने के लिए उन वृक्षारोपण स्थलों को प्राथमिकता दी गई थी जहां 2020-21 में/उससे पहले रोपण[12] कार्य किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए 14,785.4 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले कुल 675 वृक्षारोपण स्थलों का चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा में दो राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जी.आई.एम. के चयनित परिदृश्यों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना (ई.एस.आई.पी.[13]) के कार्यान्वयन को भी शामिल किया गया है।

1.7 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड में शामिल हैं:

- राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के लिए मिशन दस्तावेज-2011 और 2021
- राष्ट्रीय हरित भारत मिशन 2014 के कार्यान्वयन दिशानिर्देश
- मिशन के तहत एकीकृत हरियाली गतिविधियों के लिए समन्वय दिशानिर्देश
- कैम्पा और मनरेगा के साथ मिशन के समन्वय दिशानिर्देश
- राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2014

---

[12] *वृक्षारोपण अभ्यास के घटकों में से एक जिसमें पौधों का रोपण तथा क्षतिग्रस्त पौधों का प्रतिस्थापन शामिल है।*

[13] *परियोजना का उद्देश्य वन की गुणवत्ता में सुधार करना था; वन पर निर्भर समुदायों के लिए भूमि प्रबंधन और गैर-टिंबर वन उपज के लाभ।*

1.8 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा ने 5 मार्च 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली को साझा किया गया। राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ प्रवेश सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे। क्षेत्र स्तरीय लेखापरीक्षा में अभिलेखों, फाइलों, वृक्षारोपण पत्रिकाओं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य ए.फडी.ए., एफ.डी.ए., जे.एफ.एम.सी. में परिदृश्य योजनाओं की जांच और साइटों का संयुक्त भौतिक सत्यापन शामिल था। लेखापरीक्षा ने उपग्रह इमेजरी का उपयोग कर कुल 1,397 हेक्टेयर क्षेत्र के 170 वृक्षारोपण स्थलों में जी.आई.एम. के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यकलाप के निष्पादन का आकलन करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर की सेवाएं भी ली *हैं* ***(अनुलग्नक II)***। इसके अलावा, इन 170 वृक्षारोपण स्थलों में से 46 स्थलों का स्थलीय सत्यापन किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा 13 मई 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जारी किया गया था, जिसमें मंत्रालय से उत्तर मांगा गया था। जुलाई 2025 में मंत्रालय द्वारा प्राप्त उत्तर पर विचार किया गया है और 10 सितंबर 2025 को आयोजित समापन सम्मेलन के दौरान मंत्रालय के साथ चर्चा की गई। मंत्रालय ने 16 सितंबर 2025 को निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर संशोधित उत्तर प्रस्तुत किया। मंत्रालय के उत्तरों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.9 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा ने अपने निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जी.आई.एम. निदेशालय और चयनित राज्य एफ.डी.ए, एफ.डी.ए. और जे.एफ.एम.सी. द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करता है।

अध्याय II

हरित भारत मिशन के तहत योजना

योजना के दिशा-निर्देशों में मिशन के लक्ष्य के परिणामों में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। एक बॉटम-अप योजना प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया जो ग्राम स्तर पर हितधारकों को मिशन के तहत प्राथमिकताओं और कार्यों को परिभाषित करने और व्यवस्थित करने में सक्षम बनाएगा। योजना प्रक्रिया में समान उद्देश्यों वाले कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ समन्वय से उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाना भी था।

विभिन्न स्तरों पर जी.आई.एम. के तहत संस्थागत संरचना को तीन मुख्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया था:

- विकेंद्रीकृत वन शासन के लिए संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
- नए संस्थान बनाने के बजाय मौजूदा संस्थागत स्थानों का उपयोग
- अन्य मौजूदा योजनाओं, कार्यक्रमों और मिशनों के साथ मिशन गतिविधियों का समन्वय

चित्र 2: जी.आई.एम. की संस्थागत रूपरेखा का चित्रात्मक वर्णन

जैसा कि ऊपर चित्र 2 में उल्लेख किया गया है, कई निकायों को मिशन को अधिकतम समन्वय अवसर और रणनीतिक दिशा प्रदान करने का काम सौंपा गया था। हालांकि, इन निकायों के

कामकाज में कमियां, जैसे कि उनका गैर-गठन, गैर-कार्यशील या अपर्याप्त कार्यकरण, जैसा कि बाद के पैराग्राफ में बताया गया है, ने अन्य योजनाओं के साथ जी.आई.एम. के समन्वय की उपलब्धि को सीमित कर दिया था। इस प्रकार, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने और समन्वय पहलू की निगरानी करने में असमर्थ थे, बल्कि राज्य और जिला स्तर के संस्थानों को भी ऐसे उपाय शुरू करने में असमर्थ पाया गया जिससे समन्वय हो सकता था और बॉटम-अप योजना प्रक्रिया में सहायता मिल सकती थी।

2.1 अन्य वनीकरण योजनाओं के साथ जी.आई.एम. का समन्वय न होना

जी.आई.एम. का समन्वय मंत्रालयों/विभागों (विशेष रूप से कैम्पा और मनरेगा) की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ जी.आई.एम. के कार्यान्वयन के लिए केंद्रित था, जिसमें वन आवरण को बढ़ाने और सुधारने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समान योजनाओं के साथ उपलब्ध निधि जुटाने के लिए अन्य चल रहे भूमि-आधारित हरियाली/पुनरुद्धार कार्यक्रमों और विभिन्न अभिकरणों[14] की योजनाओं के साथ लिंकेज का गठन किया जाना था ताकि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, वन आवरण में संवर्धन एवं सुधार किया जा सके और कार्बन अवशोषण बनाया जा सके। समन्वय से इन योजनाओं के बीच तालमेल भी मिलेगा और काम के दोहराव से बचने में मदद मिलेगी। तकनीकी समिति की बैठक[15] (मार्च 2013) की चर्चाओं के अनुसार, समन्वय का अर्थ संबंधित अभिकरण द्वारा जी.आई.एम. के लिए राजकोषीय संसाधनों का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करना नहीं है। बल्कि इसका मतलब गांव की सूक्ष्म योजना के अनुसार संबंधित समन्वय द्वारा किसी दिए गए परिदृश्य के लिए एक पहचानी गई गतिविधि का कार्यान्वयन था। इसलिए, जी.आई.एम. के लिए ऐसी गतिविधियों की पहचान की जानी थी जो आसानी से समन्वय कर सकती थीं और अन्य योजनाओं के साथ जुड़ सकती थीं।

---

[14] *एकीकृत बंजर भूमि प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन निधि और योजना प्राधिकरण के अंतर्गत योजनाएं, पशुपालन विभाग की योजनायें, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम आदि।*

[15] *अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण) की अध्यक्षता में जी.आई.एम. के कार्यान्वयन के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन और योगदान प्रदान करना।*

2.1.1 कैम्पा के साथ समन्वय न होना

फरवरी 2011 में आयोजित प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद की बैठक में कैम्पा निधियों को उपलब्ध करके जी.आई.एम. के लिए संसाधनों का पता लगाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने फरवरी 2014 में 12वीं योजना अवधि के लिए जी.आई.एम. को मंजूरी दी थी और 13वीं योजना में एक वर्ष का विस्तार ₹13,000 करोड़ की कुल लागत से कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें ₹10,600 करोड़ कैम्पा (₹6,000 करोड़), मनरेगा (₹4,000 करोड़) और एन.ए.पी. (₹600 करोड़) जैसी योजनाओं के साथ समन्वय के माध्यम से शामिल थे। इस योजना को 2030 तक प्राप्त करने के लिए 25 मिलियन हेक्टेयर (समन्वय के माध्यम से 24 मिलियन हेक्टेयर और जी.आई.एम. के माध्यम से 1 एम.एच.ए.) के नए लक्ष्य के साथ 2021 में संशोधित किया गया था। नए लक्ष्य के दोनों हिस्सों के लिए निधियां प्राप्त करने हेतु कैम्पा को एक बार फिर प्राथमिक योगदानकर्ता बनाया गया था। 1 एम.एच.ए. के लक्ष्य की कुल अनुमानित लागत ₹12,190 करोड़[16] में से 59 प्रतिशत निधियां (₹7,190 करोड़) राष्ट्रीय कैम्पा से आने वाली थीं।

इस प्रकार, योजना की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक, जी.आई.एम. के सफल कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में कैम्पा निधियों की परिकल्पना की गई है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कैम्पा निधियों को प्राप्त करना कठिनाइयों से भरा था और जैसा कि परिकल्पना की गई थी, समन्वय प्राप्त नहीं किया जा सका, जैसा कि बाद के पैराग्राफ में बताया गया है।

- जी.आई.एम. के कार्यान्वयन की समग्र योजना, समन्वय और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जनवरी 2012 में गठित एक संचालन समिति ने अपनी पहली बैठक (जून 2012) में निर्णय लिया कि समन्वय तंत्र/दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए मंत्रालय

---

[16] *जी.आई.एम. के बजट से ₹5,000 करोड़।*

और राज्यों के सदस्यों के साथ एक कार्यदल का गठन किया जाए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि कार्य समूह में मंत्रालय के अधिकारी, कुछ राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.), भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, फिर भी एक प्रमुख हितधारक तदर्थ कैम्पा[17] का प्रतिनिधित्व अनुपस्थित था।

- इस मुद्दे पर वन संरक्षण प्रभाग द्वारा मार्च 2013 में तदर्थ कैम्पा के साथ भी चर्चा की गई थी, जहां यह पाया गया था कि सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन, जो कि कैम्पा में मुख्य गतिविधियों में से एक है, को नेट वर्तमान मूल्य से संबंधित निधियों के माध्यम से किया जा सकता है। जी.आई.एम. के वित्तपोषण के लिए मौजूदा गतिरोध को तोड़ने के लिए लगातार बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस समन्वय के माध्यम से जी.आई.एम. के वित्तपोषण के लिए उपर्युक्त बिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
- फरवरी 2014 में कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित कुल निधियां (₹13,000 करोड़) का 46 प्रतिशत कैम्पा से जुटाया जाना था। मंत्रालय अपनी ओर से कैम्पा के साथ समन्वय करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं कर सका।
- उपरोक्त के बावजूद, मंत्रालय ने 2021 के अपने संशोधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, कैम्पा निधि से ₹7,190 करोड़ की राशि को फिर से शामिल किया।

[17] अक्टूबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, प्रतिपूरक वनीकरण निधि का सृजन किया गया था और प्रतिपूरक वनीकरण और अपवतत वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य के लिए प्रयोक्ता अभिकरणों से एकत्र की गई सभी राशियों को निधि में जमा किया जाना था। वर्ष 2004 में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि के प्रबंधन के लिए कैम्पा प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया था। तथापि, चूंकि कैम्पा प्रचालन में नहीं आ सका, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता में तदर्थ कैम्पा का गठन किया। कैम्पा की ओर से प्राप्त और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के पास पड़ी हुई सभी धनराशि को तदर्थ कैम्पा में अंतरित करने का निर्देश दिया गया था।

यह भी पाया गया कि भले ही मंत्रालय ने जी.आई.एम. की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एन.ई.सी.)[18] की बैठकों में कैम्पा निधियों के उपयोग की संभावना तलाशने पर बार-बार जोर दिया, लेकिन राष्ट्रीय कैम्पा ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आयोजित 10 एन.ई.सी. बैठकों में से केवल दो[19] में भाग लिया।

इस प्रकार, मिशन के अनुमोदन के 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी मंत्रालय कैम्पा निधियों से मिशन के वित्तपोषण में उत्पन्न गतिरोध को समाप्त नहीं कर पाया है। इसलिए, वित्तीय योजना जो योजना और समन्वय दोनों पहलू के लिए कैम्पा निधि पर निर्भर करती है, को प्राप्त करना मुश्किल लगता है, क्योंकि कैम्पा निधिकरण गतिरोध को दूर करने में सफल नहीं हुई, जो उपलब्धि को प्रभावित करता है।

मंत्रालय द्वारा की गई एकमात्र पहल 2015 में राज्यों को कैम्पा के साथ जी.आई.एम. के समन्वय दिशानिर्देश जारी करना था, जिसमें वित्त पोषण तंत्र के साथ जी.आई.एम. के साथ समन्वय में कैम्पा के तहत की जाने वाली गतिविधियों की पहचान की गई थी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2025) कि जी.आई.एम. परिदृश्य विशिष्ट प्रस्तावों[20] को विकसित करेगा, जिसके लिए ₹7,190 करोड़ का अनुमान है, लेकिन अंतिम परिणाम प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 और प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम 2018 के तहत निर्धारित प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन होगा।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम और नियमों के प्रावधान किसी अन्य योजना को शामिल करने की अनुमति नहीं देते हैं और इस प्रकार कैम्पा निधियों का उपयोग मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं के पूर्ण या आंशिक

---

[18] राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति जो अंतर-विभागीय समन्वय और अभिसरण सुनिश्चित करते हुए राज्यों की परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करती है।

[19] बैठक अगस्त 2021 और जनवरी 2025 में आयोजित की गई।

[20] वनीकरण और सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन के आधार पर देशी प्रजातियों के रोपण और अवनत (खड्ड/मैंग्रोव/अरावली) क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनर्जनन की सुरक्षा, मिट्टी और नमी संरक्षण के उपाय और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की पुनर्स्थापना में वृद्धि जिसमें जैव विविधता को बढ़ाना, भूजल पुनर्भरण, कार्बन पृथक्करण और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सहायता शामिल है।

वित्तपोषण के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, 2021-2030 की अवधि में केवल पांच साल शेष हैं, इस पहलू में उपरोक्त अनुमानों और उपलब्धियों को पूरा करने के लिए केंद्रित और गहन गतिविधियों की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.2 मनरेगा के साथ समन्वय न होना

24 अप्रैल 2012 को संबंधित विभागों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए जी.आई.एम. के व्यय वित्त समिति के ज्ञापन के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जुलाई 2012 में जोर देकर बताया था कि समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निधियों का प्रतिशत मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित करना मान्य नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी समन्वय प्राप्त किया जा सकता है। उन्होनें सुझाव दिया कि जी.आई.एम. के कार्यान्वयन तंत्र और दृष्टिकोण को निर्धारित उद्देश्यों (अर्थात, विकेंद्रीकृत वन शासन और जन केंद्रितता) के अनुरूप होना चाहिए और इसे ध्यान में रखते हुए, बेहतर उत्तरदेही, कार्यान्वयन और समन्वय के लिए ग्राम पंचायतों (जैसा कि मनरेगा के तहत) को निधि जारी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

जी.आई.एम. के लिए निधियाँ निर्धारित करने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के नकारात्मक उत्तर के बावजूद, मनरेगा से प्रदान किए जाने वाले ₹4,000 करोड़ (30.77 प्रतिशत) की राशि के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खराब समन्वय योजना का संकेत है जैसा कि मुख्य रूप से निधि की कमी के कारण जी.आई.एम. के उद्देश्यों की प्राप्ति न होने में स्पष्ट है ***(पैरा 3.1)***।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 2015 में समन्वय दिशानिर्देश जारी करने और राज्यों से समन्वय के लिए एल3 सूक्ष्म योजना तैयार करने का अनुरोध करने के अलावा, मंत्रालय ने यह निगरानी करने का कोई प्रयास नहीं किया कि यह हासिल हो गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने (जुलाई 2025) बताया कि हरित भारत मिशन के तहत कार्यों की मौसमी प्रकृति को देखते हुए, मनरेगा के साथ समन्वय व्यावहारिक रूप से

संभव नहीं है। हालांकि, तथ्य यह है कि 2015 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी जी.आई.एम.-मनरेगा समन्वय दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जी.आई.एम. के तहत योजना और कार्यान्वयन को मनरेगा के साथ समन्वय में कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा, इन दिशा-निर्देशों के तहत मनरेगा के साथ जी.आई.एम. के समन्वय के लिए एक समय-सीमा भी दी गई है। इसलिए लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो दिशानिर्देशों और योजना पर फिर से काम करने की आवश्यकता है।

2.1.3 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) के साथ समन्वय न होना

जी.आई.एम. के वित्तपोषण पर हुई एक बैठक (मार्च 2013) में, यह बताया गया था कि दोनों वनीकरण कार्यक्रमों, नामत जी.आई.एम. और एन.ए.पी., का दृष्टिकोण अलग था और एन.ए.पी. से अधिक निधियों को एकत्रित करना मुश्किल होगा। जबकि एन.ए.पी. केवल अवनत वन भूमि के वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जी.आई.एम. एक व्यापक योजना थी जिसका उद्देश्य वन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ परिदृश्य के आधार पर क्रॉस सेक्टोरल गतिविधियों के माध्यम से वन आवरण को बढ़ाना था। इस अंतर के बावजूद, फरवरी 2014 में जी.आई.एम. के लिए एन.ए.पी. से ₹600 करोड़ की निधियां स्वीकृत की गई थी।

उपरोक्त के विपरीत, मंत्रालय ने जुलाई 2015 में एन.ए.पी. और जी.आई.एम. दोनों को एक साथ लाने की आवश्यकता महसूस की क्योंकि दोनों योजनाओं ने भारत के घटते वृक्षों के आवरण को बढ़ाने की दिशा में काम किया। लेकिन विभिन्न संस्थागत संरचनाओं और जी.आई.एम. के व्यापक परिदृश्य परिप्रेक्ष्य (जिसमें वन और गैर-वन भूमि दोनों के सन्निहित क्षेत्रों को ठीक किया जाता है) के कारण, एन.ए.पी. और जी.आई.एम. के लिए एकीकृत संस्थागत संरचना को व्यवहार्य नहीं पाया गया (अगस्त 2015) और मंत्रालय ने 2021 में उनके वास्तविक[21] विलय तक दो समान योजनाओं को चलाना जारी रखा। इसलिए, समन्वय की

[21] *मंत्रालय ने जनवरी 2018 में जी.आई.एम. और एन.ए.पी. के विलय का आदेश दिया।*

मांग में शामिल पेचीदगियों, जिन्हें योजना के समय पहले से ही देखा जाना चाहिए था, को नजरअंदाज कर दिया गया।

इस प्रकार, समन्वय के माध्यम से योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वन संसाधनों के सतत प्रबंधन को संबोधित करने के लिए जी.आई.एम., कैम्पा, मनरेगा और एन.ए.पी. के बीच तालमेल को शीर्ष स्तर पर अनलॉक नहीं किया जा सका।

समन्वय को बॉटम-अप योजना प्रक्रिया में भी शामिल किया गया था, जिसमें राज्यों को समन्वय के माध्यम से लागू की जाने वाली सभी गतिविधियों को विधिवत ध्यान में रखते हुए एल3 सूक्ष्म योजना तैयार करना और प्रस्तुत करना था। इन वित्तीय सूक्ष्म योजनाओं में जी.आई.एम., कैम्पा, मनरेगा, एन.ए.पी. आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों का विस्तृत विवरण शामिल होना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जी.आई.एम. के तहत शामिल सभी 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश से इन अनिवार्य दस्तावेजों की प्राप्ति के बिना वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी दे दी थी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने (जुलाई 2025) बताया कि राज्य में अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ अंतर-विभागीय और अंतर-योजनाबद्ध समन्वय 16 राज्यों में से 11 में प्रचलन में है। तथापि, इन राज्यों में की गई क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में समन्वय का अभाव पाया गया। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यह पाया गया कि राज्यों ने वित्तीय सूक्ष्म योजनाओं से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की, जिसमें मंत्रालय को समन्वय के लिए विभिन्न स्रोतों/योजनाओं से प्राप्त निधियों का विभाजन शामिल था। इसके अलावा, 11 राज्यों द्वारा समन्वय की उपलब्धि के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी की जांच से निम्नलिखित पता चला:

- चार राज्यों, अर्थात् उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा द्वारा दिए गए समन्वय संबंधी विवरण में वास्तविक उपलब्धि के बजाय समन्वय की उपलब्धि के लिए केवल रणनीतियों का ही उल्लेख किया गया था।
- जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल ने बताया कि उनके राज्यों में समन्वय के माध्यम से वनीकरण गतिविधियां चल रही थी। तथापि, लेखापरीक्षा के समक्ष कोई सहायक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
- जहां तक सिक्किम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों का संबंध है, मनरेगा, कैम्पा, राज्य औषधीय पादप बोर्ड जैसी अन्य योजनाओं की निधियों के माध्यम से किए गए कार्यों के कुछ ब्यौरे लेखापरीक्षा के साथ साझा किए गए थे। लेकिन तथ्य यह है कि जी.आई.एम. के तहत हासिल की गई उपलब्धि का खुलासा नहीं किया गया था, क्योंकि प्रगति रिपोर्ट ऐसी जानकारी से रहित थी।
- मिजोरम राज्य ने समन्वय की अनुपलब्धि की सूचना दी।

2.1.4 समान प्रकृति की वनीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन पृथक्करण

जून 2011 में व्यय विभाग ने बताया था कि जी.आई.एम. के समान उद्देश्यों वाली सभी योजनाओं की पहचान की जाए और उन्हें मिशन में शामिल किया जाए। अक्टूबर 2016 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजनाओं की समीक्षा के लिए गठित एक मूल्यांकन समिति ने सुझाव दिया कि जी.आई.एम. के मिशन निदेशालय को राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस के साथ योजनाओं/मंत्रालयों में सभी वनीकरण गतिविधियों के लिए एक राष्ट्रीय निदेशालय बनाया जाना चाहिए। वनीकरण से संबंधित सभी अभिकरणों के लिए जी.आई.एम. के मिशन निदेशालय को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।

मंत्रालय ने जनवरी 2017 में सतत वन प्रबंधन की चुनौती को पूरा करने के लिए मंत्रालय की सभी वनीकरण योजनाओं के साथ जी.आई.एम. का विलय करने का निर्णय लिया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी वनीकरण कार्यक्रमों को विलय करने के निर्णय के बावजूद, नगर वन योजना (जिसका उद्देश्य जंगलों के बाहर वृक्षों की संख्या बढ़ाना और शहरों में हरित आवरण को बढ़ाकर शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों को जैव विविधता और पारिस्थिक लाभ पहुंचाना है।) और स्कूल नर्सरी योजना (जिसका उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अनुरक्षण और रखरखाव में पौधों के महत्व को समझने और उनकी सराहना करने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है) जैसी योजनाओं का आयोजन राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण-विकास बोर्ड द्वारा अभी भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में जी.आई.एम. के समानांतर किया जा रहा था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि नगर वन योजना और स्कूल नर्सरी योजना में उप मिशन 3 'शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वृक्ष आवरण बढ़ाना' के समान घटक थे और इन्हें कैम्पा निधियों द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने (जुलाई 2025) बताया कि नगर वन योजना और स्कूल नर्सरी योजना राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा समग्र रूप से वित्तपोषित विशेष योजनाएं हैं, जिसमें मंत्रालय का राष्ट्रीय वनीकरण पर्यावरण-विकास बोर्ड कार्यक्रम प्रभाग के रूप में कार्य करता है। ये पहल अपने कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के तौर-तरीकों में जी.आई.एम. से स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके परिदृश्यों के लिए जी.आई.एम. के तहत अपनाए गए परिदृश्य दृष्टिकोण के पूरक और योगदान करती हैं। ये दोनों योजनाएं 2011 के जी.आई.एम. मिशन दस्तावेज़ के उप मिशन 3 और संशोधित मिशन दस्तावेज़ 2021 के उप मिशन 2 के तहत मिशन की गतिविधियों के पूरक हैं। तथापि, तथ्य यह है कि इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धि जी.आई.एम. की प्रगति रिपोर्टों में परिलक्षित नहीं हुई थी, जैसा कि मंत्रालय और राज्यों द्वारा अनुरक्षित किया गया है।

2.1.5 कोलेटिव वार्षिक कार्य योजनाओं (ए.पी.ओ.) की प्राप्ति न होना

चूंकि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा अलग-अलग कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र के साथ पूरे देश में वृक्षारोपण/वनीकरण गतिविधियां की जाती हैं, इसलिए मंत्रालय ने 2022 में वन संसाधनों के सतत प्रबंधन को संबोधित करने के लिए सभी वनीकरण योजनाओं को एक साथ लाने के लिए एकीकृत समन्वय दिशानिर्देश जारी किए।

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों को राज्य में कार्यान्वित की जा रही सभी वनीकरण योजनाओं के लक्ष्यों और उपलब्धियों को शामिल करते हुए एक कोलेटिव ए.पी.ओ. प्रस्तुत करना होता है। दोहराव से बचने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को समान रूप से कवर करने के लिए अन्य संबंधित विभागों से के.एम.एल. फाइलों[22] के साथ योजना-वार लक्ष्यों के साथ एकल कोलेटिव ए.पी.ओ. तैयार किया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से किसी ने भी मार्च 2025 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कोलेटिव ए.पी.ओ. प्रस्तुत नहीं किया। राज्यों से मिलान संबंधी ए.पी.ओ. के अभाव में, अन्य योजनाओं से संसाधन जुटाने का निर्धारण नहीं किया जा सका। इसके अलावा, अन्य योजनाओं के साथ जी.आई.एम. के वनीकरण गतिविधियों के दोहराव से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2025) कि कोलेटिव ए.पी.ओ. बनाना जून 2025 में शुरू की गई राष्ट्रीय वनीकरण प्रबंधन प्रणाली (एन.ए.एम.एस.) का एक प्रमुख घटक है और इसे हरित भारत मिशन के संशोधित कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद लागू किया जाएगा। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि

---

[22] *कीहोल मार्कअप लैंग्वेज फ़ाइल एक एक्स.एम.एल. आधारित फ़ाइल स्वरूप है जिसका उपयोग गूगल अर्थ जैसे अर्थ ब्राउज़र में भौगोलिक डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।*

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण प्रबंधन प्रणाली को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि राज्यों में इसी तरह की वनीकरण योजनाओं/गतिविधियों का या तो समन्वय नहीं किया गया था या जी.आई.एम. के तहत रिपोर्ट नहीं किया गया था, जिससे उनका तालमेल नहीं हो पाया था जिन्हें समन्वय के माध्यम से प्राप्त किया जाना था।

अनुशंसा संख्या 1:

मंत्रालय, जी.आई.एम., कैम्पा, मनरेगा और अन्य केंद्रीय एवं राज्यों की वनीकरण योजनाओं के साथ विशेष रूप से इसके लगातार गैर-उपलब्धि के कारणों का पता लगाने के लिए एवं मिशन के कार्यान्वयन के लिए इसकी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए समन्वय पहलू का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।

2.2 जी.आई.एम. के तहत संस्थागत तंत्र

जी.आई.एम. में चार स्तरीय संस्थागत संरचना की परिकल्पना की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सुविधा प्रदान करता है, राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ए.), जिला स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ.डी.ए.) और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के अधीन अनिवार्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जे.एफ.एम.सी.)/वन संरक्षण समितियां/ग्राम वन समितियां[23] सहायक भूमिका निभाती है।

2.2.1 राष्ट्रीय स्तर पर पाई गई कमियां

राष्ट्रीय स्तर पर, मिशन में एक शासी परिषद है, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं, जो समग्र मार्गदर्शन और कार्रवाई में तालमेल प्रदान करती है और

---

[23] *अब से इस रिपोर्ट में वन संरक्षण समितियों/ग्राम वन समितियों को संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे.एफ.एम.सी.) के रूप में संदर्भित किया गया है।*

मिशन की समग्र जिम्मेदारी के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद होती है। मिशन निदेशक की अध्यक्षता में और विशेषज्ञों और सचिवीय कर्मचारियों की एक टीम द्वारा समर्थित मिशन निदेशालय, राष्ट्रीय स्तर पर मिशन के परिणामों के लिए समग्र उत्तरदेही है।

राष्ट्रीय शासी परिषद (एन.जी.सी.)	• अन्य कार्यक्रमों के साथ जी.आई.एम. के लिए समग्र मार्गदर्शन और कार्रवाई का तालमेल प्रदान करता है। • जी.आई.एम. की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी देता है।
राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एन.ई.सी.)	• प्रत्येक राज्य के लिए परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ.) को मंजूरी देता है। • राज्य जी.आई.एम. द्वारा जारी निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी करता है। • अंतर-विभागीय समन्वय और अभिसरण सुनिश्चित करता है।
मिशन निदेशालय	• राष्ट्रीय स्तर पर मिशन के परिणामों के लिए समग्र उत्तरदेही। • निगरानी और मूल्यांकन के साथ-साथ परियोजनाओं की जांच और स्वीकृति।

चित्र 3: राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत संरचना

कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार, एन.जी.सी. की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार और एन.ई.सी. की बैठक वर्ष में दो बार होगी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015 से 2025 की अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली एन.जी.सी. की अनिवार्य 10 बैठकों के प्रति, मार्च 2025 तक केवल दो बैठकें आयोजित की गईं, जिससे मिशन को अन्य कार्यक्रमों के साथ समग्र मार्गदर्शन और तालमेल से वंचित कर दिया गया था। एन.ई.सी., जो राज्यों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की जांच और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार था, ने इस अवधि के दौरान 20 अनिवार्य बैठकों में से केवल 10 बैठकें आयोजित कीं, जिससे राज्यों द्वारा भेजे गए परिप्रेक्ष्य योजनाओं और ए.पी.ओ. के अनुमोदन में देरी हुई और अंतर्निहित मुद्दों का समाधान नहीं हुआ (जैसा कि ***पैरा 2.1, 2.4, 3.3*** और ***4.4.1.4*** में चर्चा की गई है), जिससे जी.आई.एम. गतिविधियों के कार्यान्वयन में देरी हुई। मंत्रालय ने टिप्पणी को नोट करते हुए बताया कि भविष्य में इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

2.2.2 राज्य स्तर पर पाई गई कमियां

जी.आई.एम. मौजूदा संस्थानों (राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के) के पुनरुद्धार का समर्थन करने के लिए था, जिसका अर्थ था अधिक सशक्तिकरण के लिए अतिरिक्त उच्च पद के अधिकारियों को शामिल किया जाए, जिन पर कार्यान्वयन स्तर पर अधिकतम समन्वय अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी हो। समितियों की संरचना का विवरण ***अनुलग्नक-III*** में दिया गया है।

एक पुनर्गठित राज्य वन विकास अभिकरण[24] (एस.एफ.डी.ए.) को अंतर-क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्राप्त करने और मिशन गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए राज्य मिशन निदेशालय के रूप में कार्य करना था। इसके अतिरिक्त, राज्य में मिशन के समग्र प्रबंधन के लिए एक राज्य संचालन समिति को निहित किया गया था। दोनों निकायों के विस्तृत कार्य नीचे दिए गए चित्र में दिए गए हैं:

राज्य वन विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ए.)

- **सामान्य निकाय (जी.बी.):** मिशन के उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है और उसकी देखरेख करता है।
- **राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस.एल.ई.सी.):** जिलों की वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ.) को तकनीकी अनुमोदन प्रदान करती है और राज्य संचालन समिति को अंतिम रूप देने हेतु प्रस्तुत करने के लिए राज्य ए.पी.ओ. तैयार करती है।

राज्य संचालन समिति (एस.एस.सी.)

- राज्य ए.पी.ओ. को अंतिम रूप देता है और उसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अग्रेषित करता है।
- प्रत्येक एल1 स्तर के परिदृश्य के लिए परिप्रेक्ष्य योजना को अंतिम रूप देता है और उसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अग्रेषित करता है।
- राज्य जी.आई.एम. द्वारा जारी धनराशि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करता है।
- राज्य स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियाँ और अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति के रूप में कार्य करता है।
- समन्वय सुनिश्चित करते हुए अन्य कार्यक्रमों के साथ मार्गदर्शन और तालमेल प्रदान करता है।

चित्र 4: राज्य स्तर पर संस्थागत संरचना

---

[24] *पुनर्गठित एस.एफ.डी.ए. की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जानी थी और इसमें मौजूदा एस.एफ.डी.ए. की तुलना में अधिक सदस्य थे, जिसमें न केवल कम सदस्य थे, बल्कि इसकी अध्यक्षता प्रधान मुख्य वन संरक्षक भी करते थे (आगे का विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है)।*

16 चयनित किए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से, लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ राज्यों में पुनर्गठित एस.एफ.डी.ए. का गठन नहीं किया गया है और एक राज्य में एस.एफ.डी.ए. काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा, एक राज्य में राज्य संचालन समिति का गठन नहीं पाया गया। विवरण नीचे ***तालिका 2*** में दिया गया है:

तालिका 2: राज्य स्तर पर संस्थागत संरचना में पाई गई कमियां

लेखापरीक्षा में पाई गई कमी की प्रकृति	**टिप्पणियां**
एस.एफ.डी.ए. का पुनर्गठन न करना	• आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल और सिक्किम राज्यों में पाया गया। • जी.आई.एम. को इन राज्यों में मौजूदा एस.एफ.डी.ए. के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा था।
एस.एफ.डी.ए./एस.एस.सी. के गैर-कार्यात्मक निकाय	• हालांकि संसोधन के आदेश अक्टूबर 2015 में अधिसूचित किए गए थे, लेकिन एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड की सामान्य निकाय को कार्यात्मक नहीं पाया गया था, जबकि एस.एल.ई.सी. सितंबर 2019 से प्रभावी थी, जिसके परिणामस्वरूप जी.आई.एम. के कार्यान्वयन में चार साल की देरी हुई। • आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और उत्तराखंड की राज्य संचालन समितियां काम नहीं कर रही थीं।
एस.एस.सी. का गठन न होना	• इस समिति को पश्चिम बंगाल राज्य में गठित नहीं पाया गया था। एस.एस.सी. के कार्यों को अधिदेश न होने के बावजूद एस.एल.ई.सी. द्वारा किया जा रहा था।

अधिकांश राज्यों में पुनर्गठित एस.एफ.डी.ए. की अनुपस्थिति और सात राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम और उत्तराखंड में लेखापरीक्षा *(2015-2025)* ***(अनुलग्नक IV)*** की अवधि के दौरान एस.एफ.डी.ए. और/या एस.एल.ई.सी. की पुनर्गठित सामान्य निकाय की बैठकों की कमी के कारण परिकल्पित एल1 स्तर के परिदृश्य में कार्यक्रमगत समन्वय की उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी ***(पैरा 2.1)***।

इसके अलावा, हालांकि 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से 15 में राज्य संचालन समितियों का गठन पाया गया था, लेकिन 11 कार्यशील एस.एस.सी. की बैठकें छः महीने में कम से कम

एक बार निर्धारित आवृत्ति के अनुसार नहीं की गई थीं और छः राज्यों[25] में, एस.एस.सी. ने 2015-2025 के दौरान केवल एक बैठक आयोजित की थी, जैसा कि ***अनुलग्नक IV में*** दिया गया है। अनुपयोगी एस.एस.सी. के परिणामस्वरूप अनिवार्य जांच, सुधार और अनुमोदन के बिना मंत्रालय को परिप्रेक्ष्य योजनाएं/ए.पी.ओ. भेजे गए, जैसा कि कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया।

एस.एफ.डी.ए. महाराष्ट्र ने बताया (जुलाई 2025) कि एक अलग राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एस.एल.ई.सी. के प्रधान सचिव (वन) सहित अधिकांश सदस्य पहले से ही संचालन समिति का हिस्सा थे। इस प्रकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय ने अनुमोदन के लिए संचालन समिति को प्रस्तुत करने के लिए ए.पी.ओ. तैयार किया।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि राज्य ए.पी.ओ को एस.एल.ई.सी के परामर्श के बिना पी.सी.सी.एफ. कार्यालय द्वारा ही तैयार किया गया था, जिसके कारण महाराष्ट्र की परिप्रेक्ष्य योजना और इसके वन प्रभाग (दहानु) में से एक ***(पैरा 2.3)*** के तहत निर्धारित लक्ष्यों में विचलन हुआ।

मध्य प्रदेश ने बताया कि पुनर्गठित एस.एफ.डी.ए. की अनुपस्थिति से योजना के सफल कार्यान्वयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश में समन्वय से संबंधित मुद्दों का समाधान नहीं किया गया था।

2.2.3 जिला स्तर पर पाई गई कमियां

जिला स्तर पर, मिशन के कार्यान्वयन को पुनर्गठित वन विकास अभिकरणों (एफ.डी.ए.) द्वारा सुगम बनाया जाना था जो जिला योजना समिति और परिदृश्य स्तरीय योजना (एल.एस.पी.)/क्लस्टर स्तरीय समिति के साथ जुड़ेंगे।

---

[25] *छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम और ओडिशा।*

चित्र 5: जिला स्तर पर संस्थागत संरचना

16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से, लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 राज्यों के एफ.डी.ए. को संसोधित नहीं किया गया था। तीन पुनर्गठित एफ.डी.ए. में से, लेखापरीक्षा ने हरियाणा के मामले में एफ.डी.ए. को गैर-कार्यात्मक पाया है। 2015-25 की अवधि के दौरान मिजोरम के पुनर्गठित एफ.डी.ए. के मामले में केवल एक बैठक की गई थी ***(अनुलग्नक IV)***।

16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से 10 में जिला संचालन समिति का गठन नहीं किया गया था, जबकि 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से नौ में जिला योजना समिति का गठन नहीं किया गया था और 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से 13 में परिदृश्य स्तरीय योजना समिति का गठन नहीं किया गया था। विवरण ***तालिका 3*** में दिया गया है:

तालिका 3: जिला स्तर पर संस्थागत ढांचे में पाई गई कमियां

लेखापरीक्षा में पाई गई कमी की प्रकृति	**टिप्पणियां**
एफ.डी.ए. का पुनर्गठन ना किया जाना	• ओडिशा, पंजाब के तीन वन प्रभागों, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के 14 में से 12 प्रभागों और अरुणाचल प्रदेश के पांच में से दो एफ.डी.ए. में पाया गया।
गैर-कार्यात्मक एफ.डी.ए.	• हरियाणा के मामले में पाया गया क्योंकि जनवरी 2016 से मार्च 2025 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।
जिला संचालन समिति का गठन न होना	• केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के 14 में से 12 प्रभागों में, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर के 16 में से 15 प्रभागों में और पश्चिम बंगाल में गठित नहीं किया गया।
जिला योजना समिति का गठन न होना	• जी.आई.एम. में शामिल 16 में से नौ[26] राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में गठित नहीं किया गया।
परिदृश्य स्तरीय योजना/क्लस्टर स्तरीय समिति (पुनर्गठित एफ.डी.ए. की एक उप-समिति) का गठन न होना	• जी.आई.एम. में चुने गए 16 राज्यों में से 13 राज्यों[27] में गठित नहीं किया गया। • जम्मू और कश्मीर और सिक्किम में एल.एस.पी. का गठन न होने के कारण, एल2 स्तर (जिला स्तर) पर परिदृश्य योजनाएं तैयार नहीं की जा सकीं। • उत्तराखंड में एल.एस.पी. का गठन न होने के कारण, एस.एफ.डी.ए. द्वारा एल2 परिदृश्य का चयन किया गया। • एल2 परिदृश्य का चयन पश्चिम बंगाल में वन प्रभागों और जी.आई.एस. सेल के सहयोग से एक सलाहकार (जादवपुर विश्वविद्यालय) द्वारा किया गया था। एल.एस.पी. जिसमें संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और प्रमुख अभिकरणों के प्रतिनिधि शामिल थे, जो जमीनी स्तर पर हैं और इसलिए उपयुक्त अवक्रमित स्थलों की पहचान करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं, उप मिशन 1 (***पैरा 4.3.2.1*** में चर्चा की गई) के तहत मौजूदा वन आवरण वाले स्थलों के चयन को रोकने में मदद कर सकते थे।

[26] आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मिजोरम, पंजाब और पश्चिम बंगाल।

[27] आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

अधिकांश राज्यों में एफ.डी.ए. का पुनर्गठन न किए जाने के कारण जी.आई.एम. के साथ विभिन्न योजनाओं के समन्वय से संबंधित मुद्दों को डी.एस.सी. और एस.एल.ई.सी. के ध्यान में नहीं लाया जा सका और जिला स्तर पर जी.आई.एम. के समग्र कार्यान्वयन में बाधा आई। इसके परिणामस्वरूप घने जंगलों से युक्त स्थलों की पहचान की गई, जिन्हें किसी भी वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं थी या पहले से ही विभिन्न वनीकरण योजनाओं के तहत संतृप्त थे (बाद में ***पैरा 2.4, 2.5.2*** और ***अध्याय IV*** में चर्चा की गई है)।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2025) कि कार्यान्वयन की सीख और राज्यों से प्रतिक्रिया के आधार पर, एस.एफ.डी.ए. और एफ.डी.ए. दोनों स्तरों पर शासी निकाय संशोधित मिशन दस्तावेज 2021 के दिशानिर्देशों के तहत प्रस्तावित नहीं है।

अनुशंसा संख्या 2:

मंत्रालय को योजना के तहत कार्यान्वयन मुद्दों के समय पर नियोजन, प्रभावी मार्गदर्शन और त्वरित समाधान को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय शासी परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठकों की निर्धारित आवृत्ति का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, जी.आई.एम. कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तरों पर कई निकायों की आवश्यकता की समीक्षा भी करनी चाहिए ताकि एक प्रभावी और जवाबदेह विकेंद्रीकृत शासन ढांचा स्थापित किया जा सके।

2.2.4 ग्राम स्तर पर पाई गई कमियाँ

ग्राम स्तर पर, योजना और कार्यान्वयन ग्राम सभा के स्थानीय स्तर के संस्थानों के पास निहित है, अर्थात पुनर्गठित संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जे.एफ.एम.सी.)। एक संस्था के रूप में, जे.एफ.एम.सी. विकेंद्रीकृत वन शासन के अनुरूप है और योगदान देता है, एक तरफ समुदाय को सशक्त बनाता है और दूसरी तरफ स्थायी वन प्रबंधन हासिल करता है।

ग्राम सभा	•जे.एफ.एम.सी. द्वारा तैयार सूक्ष्म योजनाओं को मंजूरी देती है।
संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जे.एफ.एम.सी.)	•सूक्ष्म योजना (एल3 स्तर योजना) तैयार करना तथा मिशन के अंतर्गत परिकल्पित गतिविधियों का कार्यान्वयन करती है।

चित्र 6: ग्राम स्तर पर संस्थागत संरचना

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना गांव की एक आवश्यकता आधारित और स्थल-विशिष्ट वन विकास योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय की चारा, ईंधन लकड़ी, गैर-लकड़ी वन उपज आदि की मांग को पूरा करना है। इसमें विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण गतिविधियों को लागू करने के लिए कार्य योजना शामिल है। जी.आई.एम. के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार, जे.एफ.एम.सी. द्वारा एल2 स्तर के परिदृश्य के प्रत्येक घटक इकाई या गांव के लिए भागीदारी के तरीके से सूक्ष्म योजनाएं विकसित की जानी थीं, जिसमें स्थानीय समुदायों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को विधिवत शामिल किया गया था। इसे संबंधित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना था। 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में कुल 421 नमूना लिए गए जे.एफ.एम.सी. को सूक्ष्म योजना तैयार करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 421 जे.एफ.एम.सी. में से 164 ने सूक्ष्म योजनाएं तैयार नहीं की थीं, जिससे 38.95 प्रतिशत की कमी आई।

तालिका 4: सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी में पाई गई विसंगतियां

राज्य का नाम/के.शा.प्र.	पाई गई कमियां
आंध्र प्रदेश	12 नमूना लिए गए जे.एफ.एम.सी. में से केवल चार जे.एफ.एम.सी. (डी.सोलुमुला, बोरथाडा, ई.सोलुमुला, करकापट्टू) ने सूक्ष्म योजनाएं तैयार की थीं, जिनमें से केवल दो डी.सोलुमुला और ई.सोलुमुला जे.एफ.एम.सी. की सूक्ष्म योजनाओं को ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित किया गया।
अरुणाचल प्रदेश	29 जे.एफ.एम.सी. में से किसी ने भी सूक्ष्म योजनाएं तैयार नहीं की थी।
छत्तीसगढ़	हालांकि सूक्ष्म योजनाएं सभी 25 नमूना वाले जे.एफ.एम.सी. द्वारा तैयार की गई थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

राज्य का नाम/के.शा.प्र.	पाई गई कमियां
हरियाणा	30 जे.एफ.एम.सी. में से 29 जे.एफ.एम.सी. द्वारा सूक्ष्म योजनाएं तैयार की गई थीं। हालांकि, ग्राम सभा द्वारा किसी को भी मंजूरी नहीं दी गई।
जम्मू और कश्मीर	16 जे.एफ.एम.सी. में से किसी ने भी सूक्ष्म योजनाएं तैयार नहीं की गई।
महाराष्ट्र	छः प्राभगों में 38 नमूना लिए गए जे.एफ.एम.सी. में से केवल 13 जे.एफ.एम.सी. ने सूक्ष्म योजनाएं तैयार किए।
मध्य प्रदेश	30 नमूना लिए गए जे.एफ.एम.सी में से सात प्रभागों[28] के 16 जे.एफ.एम.सी. द्वारा सूक्ष्म योजनाएं तैयार की गई। उमरिया मंडल में, उन्नत नस्ल के मवेशियों के पालन को बढ़ावा देने, चक्रीय चराई का कार्यान्वयन, खाना पकाने के आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था आदि जैसे कुछ कार्य, जिनकी योजना जे.एफ.एम.सी. द्वारा बनाई गई थी, को कार्यान्वित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जे.एफ.एम.सी. की प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया था।
केरल	हालांकि सूक्ष्म योजनाएं सभी 30 नमूना वाले जे.एफ.एम.सी. द्वारा तैयार की गई थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।
उत्तराखंड	उत्तराखंड में 44 नमूना लिए गए जे.एफ.एम.सी. में से किसी ने भी सूक्ष्म योजनाएं तैयार नहीं की।
पश्चिम बंगाल	हालांकि सूक्ष्म योजनाएं सभी 24 नमूना वाले जे.एफ.एम.सी. द्वारा तैयार की गई थीं, लेकिन किसी को भी ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।
ओडिशा	यह पाया गया कि 30 नमूना लिए गए जे.एफ.एम.सी. में से केवल तीन जे.एफ.एम.सी. द्वारा सूक्ष्म योजनाएं तैयार की गई।
सिक्किम	हालांकि सूक्ष्म योजनाएं सभी 24 नमूना वाली जे.एफ.एम.सी. द्वारा तैयार की गई थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। यह पाया गया कि सूक्ष्म योजनाओं में बुनियादी जानकारी[29] का अभाव था, जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सितंबर 2016) द्वारा साझा किए गए सूक्ष्म योजना के प्रारूप के अनुसार भरने की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों में जे.एफ.एम.सी. तैयार की गई 257 सूक्ष्म योजनाओं में से 134 सूक्ष्म योजनाओं (52.14 प्रतिशत) को उनकी संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित नहीं पाया गया था।

---

28 बड़वानी, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, दक्षिण सिपोनी, सीहोर, रायसेन और सेंधवा।

29 भू-निर्देशांक के साथ एल1, एल2 और एल3 के नाम, कार्यक्रम और बजट के चरणबद्ध करण सहित कार्य योजना, जी.आई.एम. के तहत और समन्वय के माध्यम से योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य, परिदृश्य (अस्थायी) की संतृप्ति के लिए समय, वन पर निर्भर समुदायों की औसत वार्षिक आय में अनुमानित सुधार, क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

ग्राम सभा द्वारा विधिवत अनुमोदित सूक्ष्म योजनाओं या एल3 स्तर की परिदृश्य योजनाओं की जांच एल2 स्तर की परिदृश्य योजना तैयार करने के लिए की जाती है, जिसे बाद में एल1 स्तर की परिदृश्य योजना तैयार करने के लिए आगे की जांच की जाती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश[30] में जे.एफ.एम.सी. द्वारा 164 सूक्ष्म योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं, फिर भी उन्हें मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परिपे्रक्ष्य योजनाओं में एल3 परिदृश्य के रूप में शामिल किया गया था। ग्राम स्तर पर सूक्ष्म योजनाओं का विकास मिशन की गतिविधियों के लिए केंद्रीय था, जिसके अभाव में, गांव के सुधार के लिए गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन हितधारक-संचालित नहीं हो सकता था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने (सितंबर 2025) अभ्युक्ति को नोट किया।

अनुशंसा संख्या 3:

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चयनित एल3 परिदृश्य की सूक्ष्म योजनाएं सभी राज्यों द्वारा तैयार की जाएं और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जाएं ताकि स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और उनके हितों को संबोधित किया जा सके।

2.3 जी.आई.एम. के तहत बॉटम-अप प्लानिंग का पालन न करना

निर्णय लेने और प्राथमिकताओं के चयन में स्थानीय हितधारकों की प्रभावी भागीदारी की अनुमति देने के उद्देश्य से, मिशन ने योजना में बॉटम-अप का दृष्टिकोण अपनाया।

[30] *आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा।*

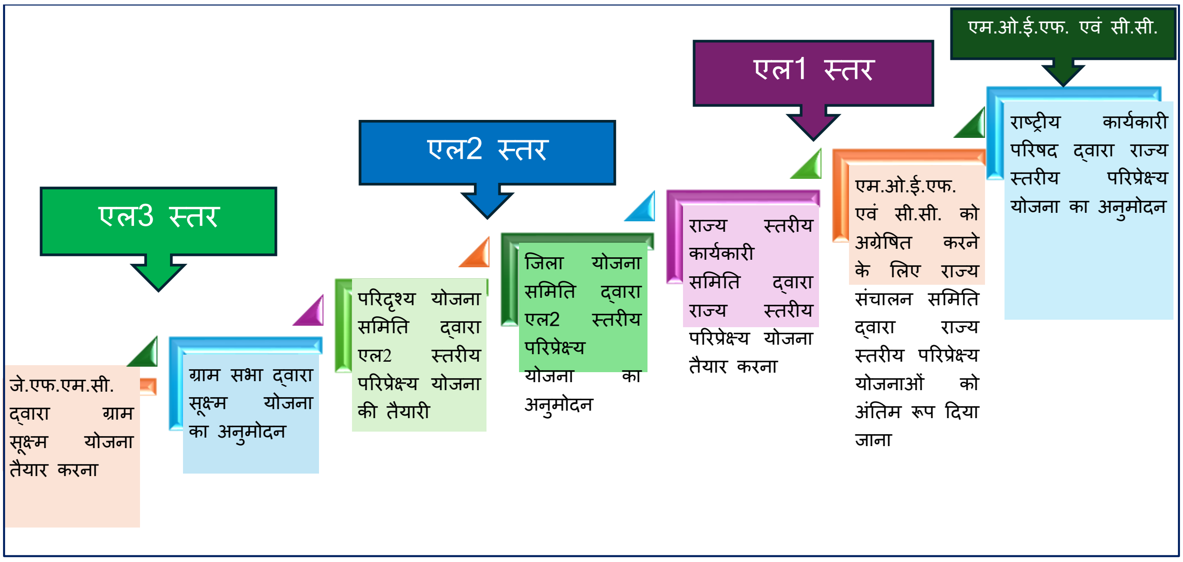

चित्र 7: विभिन्न स्तरों पर परिदृश्य योजनाओं के अनुमोदन की क्रियाविधि

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि परिदृश्य के चयन के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में परिकल्पित बॉटम-अप प्लानिंग की तुलना में टॉप-डाउन प्लानिंग का पालन किया गया था।

i. महाराष्ट्र के दो प्रभागों में बॉटम-अप प्लानिंग की तुलना में टॉप-डाउन प्लानिंग का एक मामला देखा गया, जहां प्रभागों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों और राज्य की परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल लक्ष्यों में भिन्नता थी:

तालिका 5: वन प्रभाग और राज्य की परिप्रेक्ष्य योजना (पी.पी.) में देखे गए विचलन

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	गांव का नाम	उप मिशन	पाए गए विचलन	
				प्रभाग के पीपी के अनुसार	राज्य के पीपी के अनुसार
1	डी.सी.एफ. दहानु	सभी 10 गांव	4	40 हेक्टेयर	388 हेक्टेयर
2	डी.सी.एफ. नंदुरबार	सभी गांव	4	शून्य	202.40 हेक्टेयर

इस प्रकार, राज्य की परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल किए गए लक्ष्यों को प्रभागों द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था। राज्य ने बताया (जुलाई 2025) कि डी.सी.एफ. दहानु और नंदुरबार की परिप्रेक्ष्य योजनाओं में देखे गए विचलन अपवाद थे। हालाँकि, तथ्य यह है कि एस.एल.ई.सी. की अनुपस्थिति में, एफ.डी.ए. की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के परामर्श

के बिना पी.सी.सी.एफ. कार्यालय द्वारा राज्य ए.पी.ओ. तैयार किया जा रहा है, जो राज्य स्तर पर लिए जा रहे लक्ष्यों में भिन्नता की व्याख्या करता है।

ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सितंबर 2020 में जी.आई.एम. में शामिल करने के लिए ओडिशा के नयागढ़ प्रभाग के लिए ए.पी.ओ. (2020-21) को मंजूरी दी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच जे.एफ.एम.सी. के वन रक्षकों नयागढ़ एफ.डी.ए. ने, एफ.डी.ए. को वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त स्थलों की अनुपलब्धता के बारे में (दिसंबर 2020) सूचित किया। इस प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद, प्रभाग ने 2021-22 की अपनी प्रगति रिपोर्ट में पूर्ण उपलब्धि की सूचना दी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ए.पी.ओ. (2020-21) एस.एफ.डी.ए., ओडिशा द्वारा एकतरफा रूप से तैयार किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि इन स्थानों में वृक्षारोपण घने जंगलों में किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप तीसरे वर्ष के बाद भी पौधों की खराब वृद्धि (1 से 4 फीट) हुई थी।

iii. पश्चिम बंगाल में, यह पाया गया कि खड़गपुर वन प्रभाग में भूमि की अनुपलब्धता के कारण, कलाईकुंडा रेंज के अंतर्गत एक एल.3 परिदृश्य[31] में 50 में से केवल 30 हेक्टेयर में उप मिशन 4(सी) कृषि-वानिकी और सामाजिक वानिकी के तहत राजमार्गों/ग्रामीण सड़कों/नहरों आदि पर वृक्षारोपण गतिविधियों को किया जा सका। इसी तरह के उदाहरण में, मार्च 2022 में भूमि की अनुपयुक्तता के कारण छतना रेंज के तहत पांच एल3 परिदृश्यों[32] में 18 हेक्टेयर वृक्षारोपण के निष्पादन के कारण बांकुरा (उत्तर) प्रभाग द्वारा ₹5 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गई थी।

---

[31] *डुमुरिया-सिरिशबोनी।*

[32] *बाली दमदुमी, जामदहरी, कोरा, कुमारगारा और पटाबर।*

उपर्युक्त उदाहरणों से पता चलता है कि क्षेत्रों की पहचान करने और वास्तविक लक्ष्यों को सौंपने के संदर्भ में बॉटम-अप दृष्टिकोण का पालन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मिशन के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने (सितंबर 2025) अभ्युक्ति को नोट किया।

अनुशंसा संख्या 4:

मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि मिशन के अंतर्गत परिकल्पित 'बॉटम-अप योजना' का सभी राज्यों द्वारा अनुपालन किया जाए ताकि गतिविधियों के लिए क्षेत्रों के वास्तविक लक्ष्यों के साथ-साथ उपयुक्तता को (नीचे) ग्राम स्तर से (शीर्ष) राज्य स्तर तक सूचित किया जा सके।

2.4 राज्यों की परिप्रेक्ष्य योजना के अनुमोदन में देरी

लेखापरीक्षा में मंत्रालय के उदासीन दृष्टिकोण के कारण परिप्रेक्ष्य योजनाओं के अनुमोदन में 14 से 44 महीने के बीच की देरी पाई गई। कुछ मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

i. एस.एफ.डी.ए. हरियाणा ने नवंबर 2017 में अपनी परिप्रेक्ष्य योजना को प्रस्तुत किया। मई 2018 से जुलाई 2021 की अवधि के दौरान राज्य से कई अनुस्मारक मिलने के बावजूद, मंत्रालय ने 44 महीने की देरी के बाद अगस्त 2021 में योजना को मंजूरी दी।

ii. एस.एफ.डी.ए. पश्चिम बंगाल ने मार्च 2017 में अपनी परिप्रेक्ष्य योजना को मंजूरी के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया। हालांकि, मंत्रालय ने कुछ स्पष्टीकरण के अभाव में मई 2017 में इसे राज्य को वापस कर दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2018 तक किसी भी पक्ष द्वारा इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया था। संशोधित योजना अंततः जनवरी 2019 में मंत्रालय से एक अनुस्मारक के बाद फरवरी 2019 में प्राप्त हुआ और

जुलाई 2019 में एन.ई.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया, जिससे 24 महीने की संचयी देरी हुई।

iii. महाराष्ट्र की परिप्रेक्ष्य योजना दिसंबर 2014 में मंत्रालय में प्राप्त हुई थी और मई 2015 में एन.ई.सी. के समक्ष रखी गई थी, जिसमें कुछ विवरणों के अभाव में इसे एन.ई.सी. द्वारा स्थगित कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय को राज्य को परिप्रेक्ष्य योजना को स्थगित करने के कारणों से अवगत कराने में 15 महीने (सितंबर 2016) का समय लगा। संशोधित परिप्रेक्ष्य योजना नवंबर 2016 में प्राप्त हुई लेकिन इसे जनवरी 2018 में एन.ई.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया। इस प्रकार, परिप्रेक्ष्य योजना के अनुमोदन में 32 महीने की देरी हुई।

iv. एस.एफ.डी.ए. अरुणाचल प्रदेश ने दिसंबर 2019 में अपनी परिप्रेक्ष्य योजना प्रस्तुत की। अक्टूबर 2020 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को परिप्रेक्ष्य योजना की जांच करने और एस.एफ.डी.ए. को पाई गई कमियों से अवगत कराने में लगभग नौ महीने का समय लगा। संशोधित परिप्रेक्ष्य योजना दिसंबर 2020 में मंत्रालय में प्राप्त हुई और इसे अगस्त 2021 में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एन.ई.सी.) द्वारा अनुमोदित किया गया। इस प्रकार, मंत्रालय की ओर से 16 महीने की संचयी देरी हुई।

v. हिमाचल प्रदेश के लिए परिप्रेक्ष्य योजना राज्य द्वारा तीन बार अर्थात मार्च 2013, फरवरी 2015 और मार्च 2016 में प्रस्तुत की गई । लेखापरीक्षा ने पाया कि परिप्रेक्ष्य योजना के संशोधन के लिए मंत्रालय और राज्य के बीच किए गए कई पत्राचार के बाद, इसे अंततः जनवरी 2018 में एन.ई.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिससे 14 महीने की देरी हुई। हालांकि अंतिम संशोधित परिप्रेक्ष्य योजना मार्च 2017 में राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन नए परिदृश्यों की पहचान के संदर्भ में संशोधन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उन स्थलों का चयन हुआ जिन्हें पहले से ही विभिन्न राज्य योजनाओं के तहत लिया जा चुका था। इसके अलावा, यह पाया गया

कि अप्रैल 2023 में भी, पांगी और किन्नौर वन प्रभागों के डी.एफ.ओ. चयनित परिदृश्यों[33] में भूमि की अनुपलब्धता के कारण परिप्रेक्ष्य योजनाओं में प्रस्तावित कार्यों को निष्पादित करने में असमर्थता व्यक्त करते रहे।

इस प्रकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से अनुचित योजना और जांच के कारण परिप्रेक्ष्य योजना के अनुमोदन में देरी हुई, जिससे राज्यों में जी.आई.एम. की गतिविधियों के कार्यान्वयन में देरी हुई और हिमाचल प्रदेश के मामले में संतृप्त परिदृश्यों का चयन हुआ।

2.5 परिप्रेक्ष्य योजनाओं में कमियां

राज्यों की परिप्रेक्ष्य योजनाओं की जांच में निम्नलिखित कमियों का पता चला:

2.5.1 जी.आई.एम. गतिविधियों हेतु मध्यम से कम संवेदनशील परिदृश्यों को प्राथमिकता दिया जाना

मिशन के अंतर्गत परियोजना क्षेत्रों के चयन के लिए जी.आई.एम. (2011 और 2021) के मिशन दस्तावेजों में निर्धारित मानदंडों में से एक में जलवायु परिवर्तन के प्रति संभावित संवेदनशीलता शामिल है। एक संवेदनशील विश्लेषण वन प्रकारों और क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें वनों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाने के लिए अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि निम्नलिखित राज्यों में अत्यधिक संवेदनशील परिदृश्यों की तुलना में मध्यम से कम संवेदनशील परिदृश्यों को अधिक प्राथमिकता दी गई थी:

i. हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा किए गए जलवायु संवेदनशीलता अध्ययन के आधार पर, जी.आई.एम. गतिविधियों के लिए चुने गए एल2 और एल3 परिदृश्यों को चार प्रमुख जैव-भौगोलिक क्षेत्रों, अर्थात् उत्तर-पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, शिवालिक

---

[33] *किल्लर-57 और मूरंग-I-177।*

और ट्रांस हिमालय के तहत वर्गीकृत किया गया था। अध्ययन से पता चला है कि उत्तर-पश्चिमी हिमालय सबसे अधिक संवेदनशील परिदृश्य था, इसके बाद पश्चिमी हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि जून 2020 में जिन 29 एल3 परिदृश्यों ***(अनुलग्नक V)*** के लिए निधियां जारी की गई थीं, उनमें से 15 एल3 परिदृश्य (52 प्रतिशत) शिवालिक क्षेत्र के थे, जो सबसे कम संवेदनशील क्षेत्र था।

ii. आन्ध्र प्रदेश के मामले में, फरवरी 2012 में नौ सर्कलों[34] में राज्य द्वारा ब्रिज प्लान गतिविधियां[35] शुरू करना प्रस्तावित था लेकिन मंत्रालय द्वारा केवल विशाखापट्टनम सर्कल का चयन किया गया। यह पाया गया कि राज्य द्वारा न तो संवेदनशीलता मूल्यांकन अभ्यास किया गया और न ही परिप्रेक्ष्य योजना में परिदृश्यों के चयन के लिए जलवायु संवेदनशीलता के संबंध में किसी अध्ययन पर विचार किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि की संवेदनशीलता पर ऐटलस 2013[36] के अनुसार, अनंतपुर, गुंटूर और कुरनूल ***(अनुलग्नक VI)*** विशाखापत्तनम की तुलना में अधिक संवेदनशील थे। अत: कम संवेदनशील होने के बावजूद विशाखापत्तनम को गतिविधियों के लिए चुना गया था। एस.एफ.डी.ए. आंध्र प्रदेश ने बताया (जुलाई 2025), कि विशाखापत्तनम सर्कल का चयन करने का निर्णय पी.सी.सी.एफ. के स्तर पर कई परिचालन कारकों पर विचार करते हुए लिया गया था, हालांकि राज्य ने संवेदनशीलता आधारित योजना पर लेखापरीक्षा के जोर को स्वीकार किया।

iii. पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन, भोपाल द्वारा जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता आकलन के आधार पर, एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने जी.आई.एम. की गतिविधियों के

---

[34] *अनंतपुर, कुरनूल, गुंटूर, विशाखापत्तनम, वारंगल, निजामाबाद, खम्मम, एलुरु और तिरुपति।*

[35] *ब्रिज प्लान में प्रारंभिक गतिविधियां शामिल थीं जो राज्य को जी.आई.एम. की गतिविधियों के लिए परिदृश्यों के चयन के बाद और परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने से पहले करनी थी।*

[36] *भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक घटक संगठन, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा जारी किया गया।*

लिए 18 जिलों का चयन किया। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि 18 जिलों में से पांच जिले मध्यम से निम्न श्रेणी में आते हैं, जबकि वन में गतिविधियों के लिए चुने गए तीन जिले राज्य द्वारा बनाई गई संवेदनशीलता प्रोफाइल में शामिल नहीं हैं ***(अनुलग्नक VII)***। संवेदनशीलता आकलन रिपोर्ट में उल्लिखित 31 अत्यधिक संवेदनशील जिलों में से केवल 10 को जी.आई.एम. गतिविधियों के लिए चुना गया। एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने बताया (जुलाई 2025) कि परिदृश्य का चयन जैविक दबाव, खुले जंगलों के क्षेत्र और अवनत जंगलों के आधार पर किया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि चयन उन स्थानों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना था जिनके लिए संवेदनशीलता प्रोफ़ाइल बनाई गई थी।

iv. लेखापरीक्षा में पाया गया है कि छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत जी.आई.एम. गतिविधियों के लिए चुने गए 11 जिलों में से छः (54.55 प्रतिशत) ***(अनुलग्नक VIII)*** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (जून 2014) द्वारा वित्तपोषित छत्तीसगढ़ के जिला-वार संवेदनशीलता आकलन के अनुसार 'निम्न से मध्यम रूप से कमजोर की श्रेणी में आते हैं। संवेदनशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित 12 अत्यधिक संवेदनशील जिलों में से केवल पांच को जी.आई.एम. गतिविधियों के लिए चुना गया।

यह देखते हुए कि जी.आई.एम. परिदृश्यों की पहचान के लिए संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण मानदंड था, राज्यों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न परिप्रेक्ष्य योजनाओं में उपर्युक्त मानदंडों की कमी की मंत्रालय द्वारा जांच नहीं की गई थी और कम प्राथमिकता/संवेदनशील वाले परिदृश्यों के लिए वित्तपोषण अनुमोदित किया गया था, इस प्रकार, समग्र परियोजना कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई।

अनुशंसा संख्या 5:

मंत्रालय को उपलब्ध बजटीय संसाधनों के अंतर्गत वनीकरण गतिविधियों के लिए अधिक संवेदनशील परिदृश्यों के चयन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने में मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप वृक्षारोपण के प्रभाव को अनुकूलित किया जा सके।

2.5.2 परिप्रेक्ष्य योजनाओं में पुराने आधारभूत आँकडों का उपयोग

आधारभूत आँकडें भौतिक प्रगति का विश्लेषण और निगरानी करने के लिए एक मानदंड प्रदान करते है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और वनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए योजना के प्रदर्शन की तुलना और मूल्यांकन की सुविधा मिलती है। आधारभूत आँकड़ों ने परिप्रेक्ष्य योजना का एक अभिन्न अंग बनाया। लेखापरीक्षा ने पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात् आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में परिदृश्यों की पहचान के लिए वन आवरण, कुल जनसंख्या, बंजर भूमि के आकलन जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए पुराने आधारभूत आँकड़ों के उपयोग को देखा, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को परिप्रेक्ष्य योजना प्रस्तुत करते समय चार से 17 वर्ष तक का था (जैसा कि ***अनुलग्नक IX*** में विस्तृत है)।

इसके अलावा, हरियाणा के मामले में, हालांकि परिप्रेक्ष्य योजना को अगस्त 2021 में मंजूरी दी गई थी, वन आवरण और बंजर भूमि से संबंधित आँकड़ें चार साल पुराने हो गये थे, जिसके कारण झज्जर जिले में चुने गए परिदृश संतृप्त पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप जिले में कोई गतिविधि नहीं हुई। एस.एफ.डी.ए. ने अपने उत्तर में बताया कि 2014-15 के दौरान तैयार की गई हरियाणा की परिप्रेक्ष्य योजना को नवंबर 2017 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा गया था लेकिन अगस्त 2021 में इसे मंजूरी दे दी गई। इस अंतराल अवधि के दौरान नए आधारभूत आंकड़ों के आधार पर कोई संशोधन नहीं किया

जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत परिप्रेक्ष्य योजना 2016-17 में मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने के समय भी चार साल पुराने आंकड़ों पर आधारित थी।

परिप्रेक्ष्य योजनाओं के संकलन के लिए पुराने आधारभूत आंकड़ों पर विचार करने से मौजूदा परिस्थितियों की सही आकलन नहीं लगाया जा सका और अनुचित योजना का निर्माण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप योजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने (सितंबर 2025) अभ्युक्ति को नोट किया।

2.6 निष्कर्ष

हरित भारत मिशन का कार्यान्वयन विकेन्द्रीकृत वन शासन में प्रणालीगत खामियों से काफी प्रभावित हुआ था, जो योजना के तहत एक प्रमुख घटक था जिसे राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न संस्थानों को मजबूत करने और बॉटम-अप योजना के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। अधिकांश संस्थानों का गठन/सुधार नहीं किया गया था। इसके अलावा, समितियों में महत्वपूर्ण हितधारकों की अनुपस्थिति और अनिवार्य बैठकों के अनियमित संचालन ने मिशन को कार्यान्वयन में समग्र मार्गदर्शन विशेष रूप से बहुत आवश्यक समन्वय से वंचित कर दिया। समन्वय प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के स्तर पर ठोस और समन्वित प्रयासों की कमी जैसे कि कोलेटिव ए.पी.ओ. की प्राप्ति न होना और अन्य वनीकरण योजनाओं का स्वतंत्र निष्पादन महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करता है। इससे निधियों की कमी हो गई जिससे जी.आई.एम. की समग्र प्रगति प्रभावित हुई।

समितियों के गठन न किए जाने के परिणामस्वरूप अवनत वन क्षेत्रों के बजाय वृक्षारोपण के लिए घने वनों का चयन किया गया, संतृप्त स्थलों की पहचान की गई और योजना के नीचे से ऊपर तक के दृष्टिकोण का पालन नहीं किया गया।

देखे गए मामलों से मिशन गतिविधियों के लिए परिदृश्य की प्राथमिकता में कमियों का पता चला।

ये कमियाँ मुख्य रूप से कमी वाली परिप्रेक्ष्य योजनाओं के कारण थी, जिनमें व्यापक संवेदनशीलता आकलन का अभाव था और पुराने आधारभूत आंकड़ों पर निर्भर थे। इसके परिणामस्वरूप कम संवेदनशील परिदृश्यों का चयन हुआ और उन अद्वितीय परिदृश्यों की पहचान करने में विफलता हुई जिनके लिए लक्षित गतिविधियां की आवश्यकता थी।

इन सभी कमियों ने जी.आई.एम. को एक केंद्रित और जलवायु के प्रभावों को सहने में सक्षम वनीकरण पहल में विकसित होने से रोक दिया।

अध्याय III

वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों की योजना, आयोजन, नियंत्रण और निगरानी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी योजना के लिए वित्तीय उत्तरदेही, पारदर्शिता, उपलब्ध निधि का इष्टतम उपयोग और बदलते परिवेश में सूचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा ने योजना के वित्तीय प्रबंधन में कमियां पाई हैं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

3.1 वित्तीय परिव्यय

जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, ***(अध्याय-II, पैरा 2.1)*** कि सी.सी.ई.ए. ने फरवरी 2014 में 12वीं योजना अवधि और 13वीं योजना में एक वर्ष के विस्तार, यानी 2017-18 तक के लिए जी.आई.एम. को कुल ₹13,000 करोड़ की लागत से मंजूरी दी थी, जिसमें समन्वय के माध्यम से ₹10,600 करोड़ शामिल थे। हालांकि, यह देखा गया कि ₹10,600 करोड़ की अन्य वनीकरण योजनाओं के साथ जी.आई.एम. की गतिविधियों का समन्वय प्राप्त नहीं किया जा सका और प्रस्तावित वित्त पोषण सहायता प्राप्त नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, मार्च 2025 तक जी.आई.एम. के लिए सभी अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सीमित वार्षिक बजटीय समर्थन के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किए गए थे, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 6: हरित भारत मिशन का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत/अधिकता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
2015-16	64.00	72.00	70.20	1.80
2016-17	45.01	42.01	41.62	0.39

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत/अधिकता
2017-18	47.08	47.80	46.99	0.81
2018-19	159.00	175.94	175.94	0.00
2019-20	4.00	107.62	111.29	(-)3.67
2020-21	185.00	103.37	112.92	(-)9.55
2021-22	200.00	195.00	156.96	38.04
2022-23	290.00	161.40	137.65	23.75
2023-24	169.00	120.00	119.13	0.87
2024-25	170.00	124.00	104.29	19.71
कुल	**1333.09**	**1149.14**	**1076.99**	**72.15**

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि, यद्यपि सी.सी.ई.ए. की वित्तीय मंजूरी केवल 2018 तक ही थी, फिर भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उसके पश्चात भी निधियां प्राप्त होती रही। इसके अतिरिक्त, योजना के शुरूआती चार वर्षों के लिए सी.सी.ई.ए. द्वारा 12 वीं योजना के आबंटन से मंजूर किये गये ₹2,000 करोड़ के परिव्यय और राज्यों के हिस्से के लिए 13 वें वित्त आयोग के ₹400 करोड़ के अनुदान के मुकाबले, कार्यान्वयन के 10 वर्षों (2015-16 से 2024-25) के दौरान केवल ₹1,149.14 करोड़ (47.88 प्रतिशत) ही उपलब्ध कराये गये; जिससे मिशन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अनुमानित वित्तपोषण से काफी पीछे रह गया। तथ्य यह है कि मिशन कम वित्तपोषित था जिसे 16 वीं संसदीय अनुमान समिति (2018-19) और नीति आयोग (नवंबर 2020) द्वारा भी इंगित किया गया था। यह बताया गया था कि योजना के लिए आवंटित निधियां पूरी तरह से अपर्याप्त थीं और अनुशंसा की गई थी कि पर्याप्त वित्तीय आवंटन किया जाए ताकि मिशन के गतिविधियों को और अधिक कुशलता से संचालित किया जा सके।

अतः, बजटीय निधियों की कमी के साथ-साथ समन्वय के असफल प्रयासों ने योजना के कार्यान्वयन को पंगु बना दिया और परिप्रेक्ष्य योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जैसा कि ***अध्याय IV*** में विस्तार से चर्चा की गई है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2025) कि मिशन के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता, निधि के अपर्याप्त आवंटन से प्रभावित थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आगे बताया कि हरित भारत मिशन के तहत समन्वय राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों और उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में निर्धारित किया गया है, न कि किसी योजना से प्राप्त किसी वित्तीय संसाधन के संदर्भ में। मंत्रालय ने बताया कि जी.आई.एम. गतिविधियों को लागू करने के लिए अन्य योजनाओं से निधि जुटाने का कभी कोई प्रावधान नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (2014) के अनुमोदन का खंडन करता है, जिसमें कैम्पा (₹6,000 करोड़), मनरेगा (₹4,000 करोड़), और एन.ए.पी. (₹600 करोड़) जैसी योजनाओं के साथ समन्वय के माध्यम से ₹10,600 करोड़ की धनराशि जुटाने की परिकल्पना की गई थी। 2021 में संशोधित लक्ष्यों की मंजूरी, जिसमें वन आवरण को बढ़ाने और सुधारने के समग्र उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए कैम्पा फंड से ₹7,190 करोड़ जुटाना निर्धारित किया गया था, जैसा कि ***अध्याय II (पैरा 2.1)*** और ***अध्याय IV (पैरा 4.1)*** में चर्चा की गई है।

अनुशंसा संख्या 6:

मंत्रालय इस योजना के लिए अपनी वित्तीय योजना विशेष रूप से समन्वय पहलू की बार-बार विफल होने के संबंध में समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा, भारत सरकार अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी.आई.एम. को पर्याप्त वित्तपोषण भी प्रदान कर सकती है।

3.2 राज्य सरकारों को निधियां जारी करना

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एन.ई.सी.)[37] द्वारा भावी योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राज्य एन.ई.सी. का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ.) केन्द्र को भेजते हैं। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश को केंद्रीय हिस्सा जारी करता है, जो राज्य वन विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ए.) के बैंक खाते में राज्य के मिलान हिस्से के साथ निधि जारी करता है। एस.एफ.डी.ए. वन विकास अभिकरणों (एफ.डी.ए.) को निधियां जारी करता है, जो तब पहचान किए गए क्षेत्रों में प्रस्तावित गतिविधियों को पूरा करने के लिए संबंधित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे.एफ.एम.सी.) को निधियां हस्तांतरित कर देते हैं।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 16 नमूना लिए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश की परिप्रेक्ष्य योजनाओं के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹8,237.19 करोड़ की स्वीकृत लागत (केंद्र का हिस्सा ₹5,928.22 करोड़ और राज्यों का हिस्सा ₹2,308.97 करोड़) के मुकाबले, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को केवल ₹898.15 करोड़ (₹3.38 करोड़ की अव्ययित शेष राशि सहित) प्रदान कर सका अर्थात, मार्च 2025 तक परिप्रेक्ष्य योजनाओं के तहत अनुमानित केंद्र के हिस्से का 15.15 प्रतिशत, जबकि राज्यों ने अपने मिलान हिस्से के रूप में ₹326.16 करोड़ (14.12 प्रतिशत) का योगदान दिया था।

[37] प्रत्येक राज्य के लिए परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ.) को सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2015-16 से 2024-25 के दौरान 16 नमूना लिए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के एस.एफ.डी.ए. को प्रदान की गई निधियों और प्रस्तावित वनीकरण और सहायक गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 7: 16 नमूना लिए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जी.आई.एम. के तहत निधि जारी करने और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अप्रयुक्त शेष राशि (प्रारंभिक शेष)	जारी की गई राशि (केंद्र[38] और राज्य का हिस्सा)	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय (प्रतिशत)	अप्रयुक्त शेष राशि (समापन शेष)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
2015-16	0.00	81.91	81.91	43.80 *(53.5%)*	38.11
2016-17	38.11	61.61	99.72	69.26 *(69.4%)*	30.46
2017-18	30.46	53.40	83.86	56.56 *(67.4%)*	27.30
2018-19	27.30	98.53	125.83	87.61 *(69.6%)*	38.22
2019-20	38.22	131.79	170.01	97.62 *(57.4%)*	72.39
2020-21	72.39	149.00	221.39	116.52 *(52.6%)*	104.87
2021-22	104.87	184.05	288.92	177.39 *(61.4%)*	111.53
2022-23	111.53	186.30	297.83	228.41 *(76.7%)*	69.42
2023-24	69.42	133.09	202.51	152.21 *(75.2%)*	50.30
2024-25	50.30	144.63	194.93	134.04 *(68.8%)*	60.89

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान ₹1224.31 करोड़ के आवंटन के मुकाबले केवल ₹1163.42 करोड़ का व्यय किया जा सका। राज्यों को प्रदान की गई निधियों का प्रस्तावित गतिविधियों के लिए पूरी तरह से उपयोग नहीं

[38] *जिसमें ब्रिज प्लान गतिविधियों का अव्ययित शेष शामिल है। ब्रिज प्लान में प्रारंभिक गतिविधियां शामिल थीं जो राज्यों को जी.आई.एम. हस्तक्षेपों के लिए परिदृश्य के चयन के बाद और परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने से पहले करनी थीं, जैसे कि राज्य जी.आई.एम. प्रकोष्ठ का गठन, कार्यशालाओं का आयोजन, नर्सरी विकास, मिट्टी की नमी संरक्षण, सूक्ष्म नियोजन, परिदृश्य सर्वेक्षण आदि।*

किया जा सका क्योंकि इन्हें या तो केन्द्र/राज्य सरकारों या एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. द्वारा जे.एफ.एम.सी. को विलंब से अंतरित किया गया था, जैसा कि बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

3.3 वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन में देरी

पौधे लगाने के लिए समय महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा पौधों को स्थल पर समायोजित होने और लंबे समय में जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए एक स्थिर जड़ प्रणाली विकसित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसलिए, वृक्षारोपण गतिविधि के फलने-फूलने के लिए आदर्श समय और मौसम की पहचान करने के लिए मौसम के पैटर्न और मिट्टी की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहां मानसून का मौसम अलग-अलग समय पर पहुंचता है और तदनुसार वृक्षारोपण का मौसम शुरू होता है, यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्यों के सभी ए.पी.ओ. को ए.पी.ओ. अवधि से पहले ही अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि राज्यों को निधि का प्रावधान किया जा सके और इसे समय पर जारी किया जा सके। इसके लिए, राज्यों द्वारा ए.पी.ओ. जमा करने के लिए कट-ऑफ तिथि तय करना और पूरे देश के लिए एक क्षेत्र-विशिष्ट कैलेंडर तैयार करना आवश्यक है, जिसमें वृक्षारोपण गतिविधि शुरू करने से पहले मिट्टी की नमी संरक्षण कार्य, पौधों की तैयारी, बीज/पौधों की बुवाई आदि जैसी प्रत्येक पूर्व-अपेक्षित गतिविधियों को करने की समय-सीमा शामिल है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो मिशन दस्तावेजों में और न ही जी.आई.एम. के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में ऐसी कट-ऑफ तिथि निर्धारित की गई थी। प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम 2018 से एक समानांतर लिया जा सकता है, जो अनिवार्य करता है कि राज्य प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित ए.पी.ओ. को अगले वित्तीय वर्ष के लिए हर साल 31 दिसंबर से पहले राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। जुलाई 2019 की अपनी

बैठक में एन.ई.सी. द्वारा गतिविधियों के लिए वृक्षारोपण कैलेंडर तैयार करने और जी.आई.एम. के तहत समय पर निधियां जारी करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था। तथापि, निदेशालय ने अपनी स्वयं की कार्यकारी परिषद के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015-16 से 2024-25 के दौरान, 16 नमूना लिए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के कुल 68 ए.पी.ओ. को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें से ए.पी.ओ. अवधि/वित्तीय वर्ष से पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को केवल छः[39] ए.पी.ओ. प्राप्त हुए थे। तथापि, ए.पी.ओ. अवधि/वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले उनमें से किसी को भी अनुमोदित नहीं किया गया था। जी.आई.एम. के तहत ए.पी.ओ. प्रस्तुत करने और अनुमोदन के लिए समय-सीमा की कमी एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह ए.पी.ओ. के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निधि को समय पर जारी करने और उनके इष्टतम उपयोग के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। इस प्रकार, वृक्षारोपण कैलेंडर और राज्यों द्वारा ए.पी.ओ. प्रस्तुत करने की कट-ऑफ तिथि के अभाव में, मिशन ए.पी.ओ. प्राप्त नहीं कर सका तथा समय पर अनुमोदन प्रदान नहीं कर पाया, जिसका अंततः राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को निधि जारी करने और ए.पी.ओ. के तहत प्रस्तावित वनीकरण गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को ध्यान में रखते हुए बताया (सितंबर 2025) कि मिशन के संशोधित कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तहत परिप्रेक्ष्य योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा प्रदान की गई है। हालांकि, संशोधित कार्यान्वयन दिशानिर्देश अभी जारी किए जाने हैं।

---

[39] आंध्र प्रदेश (2018-19 का ए.पी.ओ.), पंजाब (2020-21 का ए.पी.ओ.), सिक्किम (2018-19, 2020-21, 2021-22 का ए.पी.ओ.) और पश्चिम बंगाल (2020-21 का ए.पी.ओ.)।

अनुशंसा संख्या 7:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ए.पी.ओ. जमा करने के लिए एक समय-सीमा तय करनी चाहिए ताकि ए.पी.ओ. को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले ही मंजूरी दी जा सके और समय पर निधियां जारी की जा सके।

अनुशंसा संख्या 8:

क्षेत्रों/राज्यों की विभिन्न भौगोलिक/जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पौधों के अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अग्रिम कार्य और वृक्षारोपण/रोपण गतिविधियों के लिए स्पष्ट कार्यक्रम को परिभाषित करते हुए एक वृक्षारोपण कैलेंडर तैयार करना चाहिए और नियोजित गतिविधियों के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची में प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार निधियों के वितरण को संरेखित किया जाना चाहिए।

3.4 निधियां जारी करने में देरी

यह देखते हुए कि जी.आई.एम. गतिविधियां मौसम-विशिष्ट हैं, प्रस्तावित गतिविधियों पर वर्ष के दौरान निधि के उपयोग के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को समय पर निधि जारी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथापि, यह पाया गया कि विभिन्न स्तरों पर निधियों को समय पर जारी करने और अंतरित करने में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ए.पी.ओ. वर्षों के दौरान निधियों का उपयोग नहीं किया गया और बाद के वर्ष में प्रस्तावित गतिविधियों को शुरू करने के परिणामस्वरूप या तो लक्ष्यों का आकार घटाया गया अथवा ए.पी.ओ. की लागत में वृद्धि हुई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

3.4.1 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर निधि जारी करने में देरी

राज्यों को निधियां दो किस्तों[40] में जारी की गई थीं और दूसरी/बाद की किस्त जारी करना कार्य की प्रगति और निधि उपलब्धता पर निर्भर था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पहली तिमाही में स्वीकृत 24 ए.पी.ओ.[41] में से 22 के लिए निधियां जुलाई से ही जारी की जा सकी। यह भी पाया गया कि 33 ए.पी.ओ.[42] के मामले में, अक्टूबर और मार्च के बीच राज्यों को पहली किस्त जारी की गई थी और ऐसे सात[43] मामलों में ए.पी.ओ. अवधि के दौरान एस.एफ.डी.ए. को निधियां जारी नहीं की गई थी।

19 ए.पी.ओ.[44] (13 राज्यों) की जांच करने पर जहां दिसंबर और मार्च के बीच पहली बार निधि जारी की गई थी, यह पाया गया कि 11 ए.पी.ओ.[45] (11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश) में, ₹109.03 करोड़ की पहली किस्त राशि में से केवल ₹24.25 करोड़ (22.24 प्रतिशत) का उपयोग ए.पी.ओ. की अवधि के दौरान किया जा सका। इससे न केवल अगले वर्ष के लिए ए.पी.ओ. की दूसरी किस्त जारी करने में देरी हुई, बल्कि पहली निधि जारी करने की सीमा

[40] एकल नोडल अभिकरण के तहत राज्यों को वित्त पोषण के लिए नई प्रक्रिया (मार्च 2021) शुरू किए जाने के बाद, राज्यों को धनराशि 25 प्रतिशत की चार किस्तों में जारी किया जा रहा है।

[41] एस.एफ.डी.ए. के दो मामलों को छोड़कर - हिमाचल प्रदेश (2020-21 के ए.पी.ओ.) और जम्मू और कश्मीर (2020-21 के ए.पी.ओ.)।

[42] आंध्र प्रदेश (2018-19 और 2021-22), अरुणाचल प्रदेश (2022-23), छत्तीसगढ़ (2019-20 और 2021-22), हरियाणा (2021-22 और 2023-24), जम्मू और कश्मीर (2022-23), कर्नाटक (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2022-23), केरल (2015-16 और 2019-20), मध्य प्रदेश (2019-20 और 2022-23), मिजोरम (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23), ओडिशा (2015-16, 2017-18, 2021-22 और 2022-23), पंजाब (2017-18 और 2019-20), सिक्किम (2021-22), उत्तराखंड (2021-22 और 2022-23) और पश्चिम बंगाल (2019-20 और 2022-23) के ए.पी.ओ.।

[43] आंध्र प्रदेश (ए.पी.ओ. 2018-19 और 2021-22), अरुणाचल प्रदेश (ए.पी.ओ. 2022-23), हरियाणा (ए.पी.ओ. 2021-22), केरल (ए.पी.ओ. 2015-16) और पंजाब (ए.पी.ओ. 2017-18 और 2019-20)।

[44] आंध्र प्रदेश (ए.पी.ओ. 2021-22), अरुणाचल प्रदेश (ए.पी.ओ. 2022-23), छत्तीसगढ़ (ए.पी.ओ. 2021-22), हरियाणा (ए.पी.ओ. 2021-22), जम्मू और कश्मीर (ए.पी.ओ. 2022-23), कर्नाटक (ए.पी.ओ. 2017-18, 2018-19, 2020-21 और 2022-23), केरल (ए.पी.ओ. 2015-16), मध्य प्रदेश (ए.पी.ओ. 2019-20), मिजोरम (ए.पी.ओ. 2018-19, 2020-21 और 2021-22), ओडिशा (ए.पी.ओ. 2015-16 और 2022-23), पंजाब (ए.पी.ओ. 2017-18), उत्तराखंड (ए.पी.ओ. 2022-23) और पश्चिम बंगाल (ए.पी.ओ. 2019-20)।

[45] आंध्र प्रदेश (2021-22), अरुणाचल प्रदेश (2022-23), छत्तीसगढ़ (2021-22), जम्मू और कश्मीर (2022-23), केरल (2015-16), मध्य प्रदेश (2019-20), पंजाब (2017-18), उत्तराखंड (2022-23), ओडिशा (2015-16), हरियाणा (2021-22) और पश्चिम बंगाल (2019-20)।

तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक[46] ए.पी.ओ. के लक्ष्य भी कम किए और चार[47] ए.पी.ओ. के मामले में लागत में वृद्धि हुई।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2025) की योजना के दिशानिर्देशों, निधियों की उपलब्धता, एकल नोडल अभिकरण (एस.एन.ए.)[48] शेष राशि और वित्त मंत्रालय के निधियां जारी करने के लिए दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के आधार पर राज्यों को निधियां जारी की गई थी। वित्त मंत्रालय के निधि जारी करने के दिशानिर्देशों के अनुसार, अगली किस्त पहले जारी की गई निधियों के 75 प्रतिशत के उपयोग के बाद ही जारी की जाएंगी। इसमें यह भी बताया गया है कि राज्यों के एस.एन.ए. खातों में जमा अव्ययित निधियों ने समग्र बजटीय आवंटन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और जी.आई.एम. योजना के तहत राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग न करने के कारण संशोधित अनुमान चरण में बजट में कमी आई।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग न करने, एस.एन.ए. खातों में अव्ययित शेष राशि जमा करने और राज्यों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जमा करने में देरी से संबंधित मुद्दे काफी हद तक ए.पी.ओ. के अनुमोदन में देरी और बाद में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निधियां जारी करने से जुड़े थे। इसके अलावा, राज्यों से समय पर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होना मंत्रालय के स्तर पर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्यों के बीच बेहतर निगरानी और समन्वय की आवश्यकता को इंगित करता है।

---

[46] *आंध्र प्रदेश (2016-17)*

[47] *कर्नाटक (2016-17), ओडिशा (2017-18 और 2018-19), पंजाब (2017-18)।*

[48] *वित्तीय वर्ष 2021-22 से, केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों को निधि प्रवाह में दृश्यता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एकल नोडल अभिकरण (एस.एन.ए.) मॉडल लागू कर रही है। प्रत्येक योजना के लिए, राज्य सरकार एक एस.एन.ए. को नामित करती है और एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपना खाता खोलती है। योजना की अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां एस.एन.ए. खाते से निधि निकालने के लिए जीरो बैलेंस सहायक खाते खोलती हैं।*

3.4.2 राज्य सरकार के स्तर पर निधियों को जारी करने में विलंब

जी.आई.एम. दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य अपने बजट में प्रावधान करेंगे और एफ.डी.ए. के माध्यम से मिशन के कार्यान्वयन के लिए एस.एफ.डी.ए. के बैंक खातों में समय पर निधियां अंतरित करेंगे। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने निधियां जारी करने के आदेश में निर्धारित किया है कि राज्य सरकारें अपने बजट में प्रावधान करेंगी और भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां प्राप्त होने पर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित करते हुए, एस.एफ.डी.ए. को स्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त निधियों का अनुदान जारी करेंगी।

तथापि, 16 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों में से 13 ने अपने एस.एफ.डी.ए. को छः से 1252 दिनों की देरी के साथ निधियां जारी कीं, जैसा कि ***अनुलग्नक X*** में चर्चा की गई है।

एस.एफ.डी.ए. महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और सिक्किम ने बताया (जून/जुलाई 2025) कि राज्य के अनुरूप हिस्सेदारी की अनुपलब्धता और राज्य सरकारों के स्तर पर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, संवितरण में देरी हुई। एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने बताया कि पुनर्गठित एस.एफ.डी.ए. के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण निधियां जारी करने में देरी हुई।

3.4.3 राज्य वन विकास अभिकरणों (एस.एफ.डी.ए.) के स्तर पर निधियों को जारी करने में विलंब

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निधि निर्गम आदेशों में बताया गया है कि एस.एफ.डी.ए. राज्य सरकार से निधि प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर विभिन्न एल2 परिदृश्यों में प्रस्तावित गतिविधियों को पूरा करने के लिए संबंधित एफ.डी.ए. को निर्धारित राशि हस्तांतरित करेंगे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि छः एस.एफ.डी.ए. ने इस शर्त का सख्ती से पालन नहीं किया और संबंधित एफ.डी.ए. को तीन से 667 दिनों की देरी के साथ धनराशि जारी की, जैसा कि ***(अनुलग्नक XI)*** में चर्चा की गई है।

एस.एफ.डी.ए. आंध्र प्रदेश ने (जून 2025) अवलोकन को स्वीकार किया।

3.4.4 वन विकास अभिकरणों (एफ.डी.ए.) के स्तर पर निधियों को जारी करने में विलंब

मिशन दिशा-निर्देशों के अनुसार, एफ.डी.ए., जे.एफ.एम.सी. को निधियां अंतरित करेंगी, जिन्हें ग्राम स्तर पर मिशन गतिविधियों को कार्यान्वित करना है। इस संबंध में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निधियां जारी करने वाले प्रत्येक स्वीकृति आदेश में दोहराया है कि एफ.डी.ए., एस.एफ.डी.ए. से निधि प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जे.एफ.एम.सी. को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम द्वारा राशि जारी करेंगे।

तथापि, यह पाया गया कि आठ एस.एफ.डी.ए. के एफ.डी.ए. ने एक से 418 दिनों की देरी के साथ अपने-अपने जे.एफ.एम.सी. को निधियां जारी की थीं ***(अनुलग्नक XII)***।

अपने उत्तर में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश का जवाब भेजा, जिसमें बताया (जून 2025) कि भविष्य में, निधि जारी करने के लिए 15 दिनों की समय-सीमा सुनिश्चित की जाएगी। एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने (जुलाई 2025) मदर-चाइल्ड अकाउंट मोड को निधियों के हस्तांतरण में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसे अब जी.आई.एम. योजना में निधियों के हस्तांतरण के परेशानी मुक्त एस.एन.ए. मोड में बदल दिया गया है।

3.4.5 राज्य की समतुल्य हिस्सेदारी का अल्प निर्गमन

एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना होने के कारण, राज्य सरकारों को निर्धारित अनुपात में निधियों का समतुल्य हिस्सा प्रदान करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दो राज्य सरकारों ने अपने प्रतिबद्ध समतुल्य हिस्से का योगदान नहीं किया और 2015-16 से 2024-25 के दौरान इसमें ₹13.50 करोड़[49] की कमी पाई गई।

[49] *छत्तीसगढ़ (₹4.05 करोड़) और मध्य प्रदेश (₹9.45 करोड़)।*

इस प्रकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/राज्य सरकारों/एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. द्वारा निधियां जारी करने में देरी और राज्य सरकारों द्वारा मिलान हिस्से को कम जारी करने के परिणामस्वरूप ए.पी.ओ. अवधि के दौरान निधियों का उपयोग नहीं हुआ, लागत में वृद्धि, और लक्ष्य कम हो गए, जिससे राज्यों की परिप्रेक्ष्य योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने बताया (जून 2025) कि राज्य सरकार ने हरित भारत मिशन के तहत जारी किए गए राज्य के हिस्से की राशि को कम नहीं किया है और राज्य सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर बजटीय प्रावधान के अनुसार निधियों में कोई कमी नहीं की गई है। एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण पत्र से पता चलता है कि राज्य का मिलान हिस्सा निर्धारित अनुपात के अनुसार जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने (जुलाई 2025) आश्वासन दिया कि राज्य सरकारों को निर्देश और सलाह दी गई है कि वे प्रस्तावित गतिविधियों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एफ.डी.ए. और जे.एफ.एम.सी. को समय पर निधियां जारी करना सुनिश्चित करें।

अनुशंसा संख्या 9:

राज्य सरकारों, एस.एफ.डी.ए. और एफ.डी.ए. को निधियां जारी करने के लिए समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में सचेत रूप से काम करना चाहिए, ताकि प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निधियां समय पर जे.एफ.एम.सी. तक पहुंच सके।

3.5 निधियां अवरुद्ध होना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निधियां जारी करने के मंजूरी आदेश की शर्तों के अनुसार, सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण निधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। एस.एफ.डी.ए. उपयोगिता प्रमाण पत्र

(यू.सी.) के साथ साथ अव्ययित शेष राशि, उपार्जित ब्याज और निधियों का उपयोग न किए जाने के कारणों के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे।

निधियों की अवरूद्धता से संबंधित मामलों की लेखापरीक्षा की गई जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

i. एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने फरवरी 2016 में जारी की गई ₹22.23 करोड़ (केंद्र और राज्य के हिस्से) की राशि का सावधि जमा खाता बनाया और अक्टूबर 2017 में पुनर्गठित एस.एफ.डी.ए. को ब्याज सहित राशि हस्तांतरित कर दी। एस.एफ.डी.ए. ने फरवरी 2018 में अपने और एफ.डी.ए. के पक्ष में ₹23.48 करोड़ की एफ.डी. भी बनाई थी। इस प्रकार, वृक्षारोपण गतिविधि की निधियां तीन साल से अधिक समय के लिए सावधि जमा के रूप में बैंक में रखी गई थी। एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने बताया (जुलाई 2025) कि जी.आई.एम. गतिविधियों के कार्यान्वयन में देरी के कारण, निधियों को सावधि जमा खाते में रखा गया था।

ii. ओडिशा में, 2015-16 से 2022-23 के दौरान, एफ.डी.ए. बेरहामपुर को अपने एस.एफ.डी.ए. से कुल ₹12.64 करोड़ की निधियां प्राप्त हुई थी। इन वर्षों के लिए एफ.डी.ए. बेरहामपुर द्वारा एस.एफ.डी.ए. को प्रस्तुत यू.सी. से पता चला है कि मार्च 2023 तक ₹0.50 करोड़ की अव्ययित शेष राशि के साथ इसके तहत कुल ₹11.11 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। हालांकि, उनके जे.एफ.एम.सी. के बैंक खातों से पता चला कि 31 मार्च 2023 तक उनके पास कुल ₹6.62 करोड़ की राशि उपलब्ध थी।

iii. इसी तरह, एफ.डी.ए. नयागढ़ को ओडिशा के एस.एफ.डी.ए. से 2022-23 के दौरान ₹2.43 करोड़ प्राप्त हुए थे। वर्ष 2022-23 के लिए यू.सी. में, इसने बताया कि मार्च 2022-23 तक ₹2 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था। हालांकि, इसके

23 जे.एफ.एम.सी. के बैंक खाते, जिन्हें निधियां जारी की गई थी, ने खुलासा किया कि 31 मार्च 2023 तक, उनके बैंक खातों में ₹1.26 करोड़ की कुल राशि पड़ी हुई थी।

इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों एफ.डी.ए. ने अपने यू.सी. में व्यय के बढ़े हुए आंकड़े प्रदान किए थे।

iv. कर्नाटक में, 2021 से पहले का 1.38 करोड़[50] (ब्याज सहित) अव्ययित शेष, जब एकल नोडल अभिकरण शुरू किया गया था, तीन एफ.डी.ए., हसन, कलबुर्गी और सिरसी के 18 जे.एफ.एम.सी. के बैंक खातों में पड़ा हुआ था जिन्हें एस.एफ.डी.ए. को रिपोर्ट नहीं किया गया था/प्रेषित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, यह राशि एकल नोडल अभिकरण खाते में स्थानांतरित नहीं की गई है और जे.एफ.एम.सी. के पास अवरुद्ध पड़ी हुई है।

v. विभिन्न वनीकरण कार्यक्रमों के एकीकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2018 में अपनी दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) और जी.आई.एम. को एक साथ एक योजना में विलय करने का निर्णय लिया। इस विलय के परिणामस्वरूप, एन.ए.पी. के सभी बजट और संपत्ति को जी.आई.एम. में स्थानांतरित किया जाना था। हालांकि, यह पाया गया कि पांच[51] राज्यों में, एन.ए.पी. से संबंधित ₹14.73 करोड़ की निधियां अभी भी एस.एफ.डी.ए. के पास पड़ी हुई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने मई 2025 में एन.ए.पी. निधियों से संबंधित ₹6.78 करोड़

[50] *एफ.डी.ए. कलबुर्गी के चार जे.एफ.एम.सी. (चिकलिंगदल्ली, कुसरमपल्ली, जवाहर नगर, शेरी बिकानल्ली) में ₹0.81 करोड़, एफ.डी.ए. सिरसी के 10 जे.एफ.एम.सी. (बबडीसर, बेलेट, हेगोडामाने, इगोड, कनागोड, हलागाडिकोप्पा, मंडलिकोप्पा, मुत्तिगे, निगोडे तुम्रागोड, सैम्पगोड) में ₹0.52 करोड़ और एफ.डी.ए. हसन के चार जे.एफ.एम.सी. (हम्पापुरा, मदापुरा, गोबली, यालाधहल्ली) में ₹0.05 करोड़।*

[51] *हिमाचल प्रदेश (₹0.34 करोड़), मध्य प्रदेश (₹11.31 करोड़), आंध्र प्रदेश (₹1.18 करोड़), उत्तराखंड (₹1.90 करोड़) और सिक्किम (₹0.10 लाख)।*

के केंद्रीय हिस्से को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया था। चार[52] राज्यों के एस.एफ.डी.ए. का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

इस प्रकार, राज्यों द्वारा निधियों को अवरुद्ध करने से जी.आई.एम. के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में सीमित सफलता मिली, जो पहले से ही निधियों की कमी के कारण दबाव में था।

3.6 ₹9.19 करोड़ का संदिग्ध दुर्विनियोजन

एफ.डी.ए. को एस.एफ.डी.ए. से निधियां प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जे.एफ.एम.सी. को निधियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जारी करनी चाहिए और जे.एफ.एम.सी., एफ.डी.ए. से प्राप्त निधियों को अपने अनन्य और अलग बैंक खातों में जमा करेंगे।

एस.एफ.डी.ए. मिजोरम ने मार्च 2023 में जी.आई.एम. के तहत वनीकरण गतिविधियों को करने के लिए एफ.डी.ए. कोलासिब को ₹9.19 करोड़ की राशि जारी की थी जिसका उस वर्ष के दौरान उपयोग नहीं हुआ था। हालांकि, वर्ष 2022-23 के लिए अपने यू.सी. और प्रगति रिपोर्ट में, एफ.डी.ए. कोलासिब ने मार्च 2023 तक निधियों के पूर्ण उपयोग की सूचना दी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एफ.डी.ए. कोलासिब ने (अप्रैल 2023) ₹9.19 करोड़ की पूरी राशि नकद में निकाल ली थी और निकाली गई नकदी के उपयोग के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं कर सका। इसके अलावा, एफ.डी.ए. कोलासिब के तहत 12 जे.एफ.एम.सी. के बैंक विवरणों को भी लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किया गया था, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या निकाली गई निधियां उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी। हालांकि देखा गया कि उनके बैंक खातों में निधियां जमा नहीं की गई थीं।

---

[52] *अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल।*

इसलिए, ₹9.19 करोड़ के उपयोग के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव और जे.एफ.एम.सी. के बैंक खातों में इसका जमा न होने के कारण, लेखापरीक्षा परिकल्पित उद्देश्य के लिए निधि के उपयोग की पुष्टि नहीं कर पाई थी। इतनी बड़ी राशि की नकद निकासी और निधि के उपयोग के लिए सहायक दस्तावेजों की कमी निधियों के दुर्विनियोजन के लिए जोखिम भरा क्षेत्र है।

एस.एफ.डी.ए., मिजोरम ने बताया (जनवरी 2025) कि जे.एफ.एम.सी. को निधियां जारी की गई थीं। एस.एफ.डी.ए. का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दावे के समर्थन में प्रदान किए गए दस्तावेजों से यह पता नहीं चलता है कि एफ.डी.ए. कोलासिब ने जे.एफ.एम.सी. को ₹9.19 करोड़ वितरित किए थे। इसके अलावा, ₹9.19 करोड़ की राशि के व्यय के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई वाउचर प्रदान नहीं किया गया था।

3.7 वित्तीय विकेंद्रीकरण की गैर उपलब्धि

जी.आई.एम. को वन गवर्नेंस का विकेंद्रीकरण करके देश में संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा में सुधार करने का अवसर प्रदान करना था। जे.एफ.एम.सी. को निर्णय लेने में अधिक विकेंद्रीकरण, शक्ति का हस्तांतरण और पर्याप्त समर्थन दिया जाना था। जी.आई.एम. के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में शक्तियों के वित्तीय हस्तांतरण की भी परिकल्पना की गई थी, जिसके लिए एफ.डी.ए. को एस.एफ.डी.ए. से प्राप्त निधियों को पुनर्गठित जे.एफ.एम.सी. में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में पांच राज्यों में विकेन्द्रीकरण में कमियां पाई गई हैं जिसमें एफ.डी.ए. द्वारा जे.एफ.एम.सी. को पूरी राशि का अंतरण न करना शामिल है। एफ.डी.ए. ने अपने क्रय के साथ-साथ विभागीय रूप से काम भी किया। इस प्रकार, समग्र वित्तीय नियंत्रण एफ.डी.ए. स्तर पर केंद्रीकृत किया गया था, जिसका विवरण ***अनुलग्नक XIII*** में दिया गया है।

अनुशंसा संख्या 10:

निधियों के कार्यान्वयन और विखंडन के विकेन्द्रीकृत ढांचे को ध्यान में रखते हुए, राज्य के साथ-साथ केंद्र स्तर पर बेहतर निगरानी और समन्वय की आवश्यकता है।

3.8 अन्य अनियमितताएं

हालांकि इस योजना के लिए पहले से ही कम वित्तपोषित किया गया था लेकिन यह आवश्यक था कि राज्यों के ए.पी.ओ. को उचित जांच पड़ताल के साथ अनुमोदित किया जाना चाहिए और राज्यों को प्रदान की गई निधियों का अनुमोदित वस्तुओं/गतिविधियों पर सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, यह पाया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों के ए.पी.ओ. को मंजूरी देते समय उचित जांच पड़ताल नहीं की। इसके अलावा, एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. ने गैर-अनुमत गतिविधियों/मदों पर व्यय किया, जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.8.1 वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ.) को मंजूरी देने में कमियां

ए.पी.ओ. को मंजूरी देते समय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2014 के जी.आई.एम. कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तहत प्रस्तावित लागत मानदंडों का पालन करना आवश्यक था। हालांकि, यह पाया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ए.पी.ओ. को मंजूरी देने और दो एस.एफ.डी.ए.[53] को केंद्र के हिस्से को जारी करने में उचित जांच पड़ताल नहीं की। एस.एफ.डी.ए. अरुणाचल प्रदेश के मामले में, ए.पी.ओ. (2021-22) को मंजूरी देते समय लागत मानदंडों का पालन नहीं किया। अग्रिम कार्यों के लिए वनीकरण गतिविधियों के लिए प्रस्तावित कम ऊंचाई वाले क्षेत्र के मुकाबले, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लागत मानदंड को मंजूरी दी गई थी, जिससे ए.पी.ओ. की लागत में ₹0.15 करोड़ की वृद्धि

---

[53] *अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश।*

हुई थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एस.एफ.डी.ए. आंध्र प्रदेश को ₹2.66 करोड़ के ए.पी.ओ. (2016-17) के प्रति अपना हिस्सा अधिक जारी किया, जिसे मार्च 2018 में घटाकर ₹2.23 करोड़ कर दिया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई ₹0.35 करोड़ की अतिरिक्त राशि को भविष्य में जारी की गई राशि के साथ समायोजित किया जाना चाहिए था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एस.एफ.डी.ए. आंध्र प्रदेश के उत्तर को अग्रेषित किया, जिसने (जून 2025) इस तथ्य को स्वीकार किया कि केंद्र का हिस्सा अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश के ए.पी.ओ. के मामले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2025) कि ए.पी.ओ. को मंजूरी देते समय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दोनों लागत मानदंडों (कम ऊंचाई और उच्च ऊंचाई) का औसत लेकर अनुमोदित क्षेत्र पर विचार किया गया था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसने लागत मानदंडों को औसत नहीं किया और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लागत मानदंड पर ए.पी.ओ. के तहत गतिविधियों को मंजूरी दी थी।

अनुशंसा संख्या 11:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निधियां स्वीकृत करने और जारी करने से पहले ए.पी.ओ. की उचित जांच और यथोचित परिश्रम करना चाहिए।

3.8.2 अतिरिक्त/अनधिकृत/अनियमित व्यय

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक निधि का उपयोग अधिक/अनियमित/अनधिकृत व्यय की गुंजाइश दिए बिना किफायती तरीके से किया जाना चाहिए। मिशन के लिए निधियां

एस.एफ.डी.ए. को दो शीर्षों के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं, अर्थात वनीकरण गतिविधियां और सहायक गतिविधियां[54]।

वन विभागों और स्थानीय संस्थानों को सुदृढ़ करने हेतु, क्षेत्रों और गतिविधियों जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का क्षमता निर्माण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (रिमोट सेंसिंग/जी.आई.एस. क्षमताओं सहित) के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञों की टीमों का लाभ उठाने, रेंज कार्यालयों को सुदृढ़ करने, अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें वन और वन्यजीव संसाधन केंद्रों (पुस्तकालय, प्रलेखन, मानचित्र कक्ष, जी.आई.एस. और एम.आई.एस. सेल सुविधाओं के साथ) के रूप में विकसित करना, वन रेंज और अनुभाग स्तर आदि पर गतिशीलता और संचार बुनियादी ढांचे के समर्थन को बढ़ाने आदि को जी.आई.एम. (2011) के मिशन दस्तावेज में परिभाषित किया गया था और एस.एफ.डी.ए. के ए.पी.ओ. के तहत वित्तपोषण सहायता प्रदान की जा रही थी।

एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. के अभिलेखों की जांच में उनके द्वारा किए गए व्यय में निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला:

i. एस.एफ.डी.ए. ओडिशा और दो एस.एफ.डी.ए., नामतः हरियाणा और आंध्र प्रदेश के एफ.डी.ए. ने अनुमोदित दरों/लागत मानदंडों या अनुमोदित गतिविधियों का समय पर पालन नहीं किया, जिससे 2020-21 और 2022-23 के दौरान ₹5.82 करोड़[55] का अतिरिक्त/अनधिकृत व्यय हुआ, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

---

[54] सहायक गतिविधियों में अनुसंधान, प्रचार/मीडिया/आउटरीच गतिविधियों, निगरानी और मूल्यांकन, आजीविका सुधार गतिविधियों, वन विभागों/स्थानीय स्तर की संस्थाओं और मिशन संगठन का सुदृढ़ीकरण, प्रचालन एवं अनुरक्षण, आकस्मिकताओं और उपरिभार कार्य शामिल हैं।

[55] 2020-21 में एस.एफ.डी.ए. ओडिशा (₹5.73 करोड़), 2022-23 में एस.एफ.डी.ए. हरियाणा (एफ.डी.ए. जींद: ₹0.03 करोड़) और 2020-21 में एस.एफ.डी.ए. आंध्र प्रदेश (एफ.डी.ए. पाडेरू: ₹0.06 करोड़)।

तालिका 8: अतिरिक्त/अनधिकृत व्यय

व्यय की प्रकृति	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
अतिरिक्त व्यय	2020-21 के लिए ए.पी.ओ. के तहत, एस.एफ.डी.ए. ओडिशा के लिए ₹298 की मजदूरी दर पर ₹8.09 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई थी। चूंकि एस.एफ.डी.ए. वर्ष 2020-21 के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों को पूरा नहीं कर सका, इसलिए इसे 2022-23 में कुल ₹13.82 करोड़ (₹315 की प्रचलित मजदूरी दर पर) की लागत से पूरा किया गया। इस प्रकार, प्रस्तावित गतिविधियों के निष्पादन में देरी के कारण ₹5.73 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
	हालांकि आंध्र प्रदेश के ए.पी.ओ.[56] (2020-21) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था फिर भी इसके तहत प्रस्तावित गतिविधियों को ₹2.47 करोड़ के कुल व्यय के साथ निष्पादित किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इस ए.पी.ओ. के तहत, ₹1,69,454 प्रति कि.मी. की दर[57] को ध्यान में रखते हुए ₹0.20 करोड़ की कुल लागत के साथ 12 कि.मी. के एवेन्यू प्लांटेशन (रोपण कार्य) को निष्पादन के लिए प्रस्तावित किया गया था। तथापि, उक्त कार्य वास्तव में ₹2,15,000 प्रति कि.मी. की दर से निष्पादित किया गया था और इसके लिए कुल ₹0.26 करोड़ खर्च किए गए थे, जो प्रस्तावित लागत से ₹0.06 करोड़ अधिक था।
अनधिकृत व्यय	उप मिशन 4 के अंतर्गत संरक्षण निगरानी रखने वाले की मजदूरी की लागत का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, 2022-23 के दौरान, एफ.डी.ए. जींद के पांच[58] जे.एफ.एम.सी. ने उप मिशन 4 के तहत क्लोनल नीलगिरी के पौधों के रोपण की सुरक्षा के लिए निगरानी रखने वालों को मजदूरी के रूप में अनियमित रूप से ₹0.03 करोड़ का भुगतान किया।

ii. आठ[59] राज्यों में, एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. ने बर्तन, फर्नीचर, जनरेटर, जलाऊ लकड़ी, सामुदायिक हॉल का निर्माण, वन सचिवालय में सम्मेलन कक्ष, ड्राई यार्ड, स्कूल भवन, कब्रिस्तान झोपड़ी, फुटपाथ, सूचना भवन, वॉलीबॉल पवेलिऑन, शेड और चारदीवारी, प्रभाग और वन रेंज कार्यालय का नवीनीकरण आदि जैसी गतिविधियों पर ₹3.24 करोड़ खर्च किए, जो जी.आई.एम. के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के अनुरूप नहीं थे, जैसा कि ***अनुलग्नक XIV*** में विस्तार से बताया गया है।

---

56 ए.पी.ओ. (2020-21) की कुल लागत ₹7.41 करोड़ थी।

57 वर्ष 2020-21 के लिए लागू ₹439 प्रति दिन की मजदूरी दर को ध्यान में रखते हुए।

58 जे.एफ.एम.सी. नामतः बहादुरगढ़, पिल्लू खेड़ा, जुलाना, घिमाना और नगुरा।

59 अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एस.एफ.डी.ए. सिक्किम, आंध्र प्रदेश और केरल की प्रतिक्रिया को अग्रेषित किया। एस.एफ.डी.ए. (जून 2025) ने उचित बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर किए जा रहे खर्च को उचित ठहराया।

एस.एफ.डी.ए. के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए व्यय को जी.आई.एम. के मिशन दस्तावेज में परिभाषित अनुमेय क्षेत्रों और गतिविधियों के अंतर्गत नहीं किया गया था। मिशन को पहले से ही कम वित्त पोषित किया गया था और गैर-अनुमेय गतिविधियों के लिए जी.आई.एम. निधियों के उपयोग को परिकल्पित वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उद्देश्यपूर्ण रूप से चैनलाइज किया जा सकता था, जिससे जी.आई.एम. के सीमित निष्पादन में सुधार होता।

अनुशंसा संख्या 12:

एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. को ए.पी.ओ. के तहत प्रस्तावित गतिविधियों को निष्पादित करते समय समय-सीमा का पालन करना चाहिए ताकि मजदूरी में वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि से बचा जा सके।

अनुशंसा संख्या 13:

एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. को केवल जी.आई.एम. कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में उल्लिखित स्वीकार्य मदों पर व्यय करना चाहिए और समय-समय पर जारी नियमों/प्रक्रियाओं/अनुदेशों के अनुसार ही करना चाहिए।

3.9 बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान न करना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वीकृति आदेशों में बताया गया है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के प्रावधानों के अनुपालन में प्राप्तकर्ताओं को बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया कि योजना के तहत

किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदारों/बिचौलियों/मध्यवर्ती अभिकरणों को नियुक्त नहीं किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिकों को पूरी मजदूरी का भुगतान किया जाए।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया है कि नौ राज्यों में एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. ने श्रमिकों को नकद/चेक के रूप में मजदूरी का भुगतान किया ***(अनुलग्नक XV)***। इसके अलावा, तीन राज्यों के 10 एफ.डी.ए. ने मौजूदा मजदूरी दरों ***(अनुलग्नक XVI)*** के आधार पर कामगारों को सीधे काम पर लगाने के बजाय ठेकेदारों के माध्यम से वनीकरण काम कराया।

श्रमिकों को नकद भुगतान करके और श्रमिकों को सीधे काम पर न लगाकर, एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. ने न केवल मंजूरी आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन किया, बल्कि आंतरिक नियंत्रणों को कमजोर करने में भी योगदान दिया, जो क्षरण को रोकने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए योजना में निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा, प्राप्तकर्ताओं के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अभाव में, लेखापरीक्षा श्रमिकों के रोल और उन्हें किए गए संवितरण की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकी।

एस.एफ.डी.ए., आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड ने आश्वासन दिया (जून/जुलाई 2025) कि भुगतान प्रक्रिया को डी.बी.टी. प्रणाली में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

अनुशंसा संख्या 14:

एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जे.एफ.एम.सी. को वित्तीय शक्तियां अंतरित की जाएं और कामगारों को मजदूरी के भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।

3.10 वार्षिक लेखाओं की तैयारी और लेखापरीक्षा

निधियां जारी करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार, एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. को अपने वार्षिक खातों का अनुरक्षण और प्रस्तुत करना था। इसके अलावा, स्वीकृति पत्र में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के पैनल में शामिल एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. के खातों की लेखापरीक्षा करना भी अनिवार्य है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट को उपयोग प्रमाण पत्र (यू.सी.) के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया कि ***अनुलग्नक XVII*** में उल्लिखित आठ राज्यों में एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. ने अपने वार्षिक लेखों का अनुरक्षण नहीं किया। वार्षिक लेखों के अभाव में, जी.आई.एम. के तहत गतिविधियों के लिए प्रदान की गई निधियों के लिए उत्तरदेही स्थापित नहीं की जा सकी । तीन राज्यों में, हालांकि एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. ने अपने वार्षिक लेखे तैयार किए थे, लेकिन उनकी लेखापरीक्षा नहीं कराई गई थी (***अनुलग्नक XVIII)***। इसलिए, निकायों द्वारा सूचित निधियों के उपयोग के आंकड़ों की प्रामाणिकता और यथार्थता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

एस.एफ.डी.ए. आंध्र प्रदेश ने बताया (जून 2025) कि एफ.डी.ए., पाडेरू के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने बताया कि पैनल में शामिल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि सी.ए.जी. द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए तीसरे पक्ष की लेखापरीक्षा की गई थी, लेकिन उसने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया। एस.एफ.डी.ए. हरियाणा ने अपने उत्तर (जुलाई 2025) में बताया कि सभी खर्च कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किए गए थे और खाते का रखरखाव भी

कार्यान्वयन अभिकरण (एफ.डी.ए.) द्वारा किया गया था। एस.एफ.डी.ए. हरियाणा का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उसने अपने एफ.डी.ए. द्वारा तैयार किए गए वार्षिक लेखे, यदि कोई थे तो, प्रदान नहीं किए। इसके अलावा, एस.एफ.डी.ए. के लिए यह एक अनिवार्य अपेक्षा थी कि वह वर्षों के दौरान एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. द्वारा जारी किए गए/व्यय के आंकड़ों को समेकित करके अपने वार्षिक लेखे तैयार करें और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करें।

3.11 उपयोगिता प्रमाणपत्र

आवर्ती अनुदानों के संबंध में, सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) के नियम 238 (2) में बताया गया है कि संबंधित मंत्रालय या विभाग को अगले वित्तीय वर्ष के लिए कोई राशि जारी नहीं करनी चाहिए जब तक कि पिछले वित्तीय वर्ष के अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.) प्रस्तुत नहीं किया जाए। इसके अलावा, जारी की गई निधियों के स्वीकृति आदेश में यह परिकल्पना की गई थी कि जी.एफ.आर. के प्रावधानों का पालन करते हुए वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक पूरी निधि का उपयोग किया जाना चाहिए। एस.एफ.डी.ए. अव्ययित शेष राशि और अर्जित ब्याज के विवरण के साथ यू.सी. प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. द्वारा अलग-अलग बैंक खातों का अनुरक्षण न करने, वार्षिक खातों को तैयार न करने/उनकी लेखापरीक्षा न करने के परिणामस्वरूप, निधियों के उपयोग के आंकड़ों में बेमेल/गलत रिपोर्टिंग हुई जैसा कि उनके द्वारा उनके रिपोर्टिंग प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई यू.सी. और प्रगति रिपोर्टों में दर्शाया गया था। छः[60] राज्यों में यह पाया गया कि एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. द्वारा सूचित निधियां, जैसा कि उनके यू.सी. में दर्शाया गया है, उनके द्वारा रखे गए सहायक अभिलेखों से मेल नहीं खाती है। ऐसे सभी मामलों पर ***अनुलग्नक XIX*** में चर्चा की गई है। उपरोक्त विसंगति से पता चलता

---

[60] *आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड।*

है कि वित्तीय जवाबदेही की वयवस्था, जैसे कि सहायक अभिलेख/वार्षिक खातों की तैयारी और यू.सी. जमा करना विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. ने अंतर्निहित अभिलखों और लेखों के साथ उचित मिलान किए बिना यू.सी. प्रस्तुत किए, जिसके कारण एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. द्वारा निधियों के उपयोग के अविश्वसनीय आंकड़ों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

अपने उत्तर में एस.एफ.डी.ए., केरल और उत्तराखंड ने बताया (जून/जुलाई 2025) कि विसंगति को ठीक कर दिया गया है और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। तथापि, मिलान का ब्यौरा और उपयोग की गई निधियों पर सुधारात्मक कार्रवाई के प्रभाव, यदि कोई हो, को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अनुशंसा संख्या 15:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. हर साल अपने वार्षिक लेखा तैयार करें और उनका नियमित रूप से लेखापरीक्षा करवाएं। इसके अलावा, अंतर्निहित खातों के साथ मिलान करने के पश्चात ही एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. द्वारा यू.सी. तैयार की जानी चाहिए और मंत्रालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3.12 अलग बैंक खाते का रखरखाव और ब्याज की वापसी

हरित भारत मिशन के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि एस.एफ.डी.ए., जी.आई.एम. के तहत प्राप्त निधियों के संचालन और लेनदेन के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग बैंक खाता खोलेगा। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निधि से संबंधित स्वीकृति पत्रों के अनुसार, एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी.[61]

[61] *संबंधित जे.एफ.एम.सी., एफ.डी.ए. से प्राप्त निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक या डाकघर में अपने अनन्य और अलग बैंक खाते में जमा करेंगी।*

द्वारा प्राप्त निधियों को उसके विशेष और अलग बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इसके अलावा, इन निधियों की जमा राशि पर अर्जित ब्याज राशि, यदि कोई हो, को एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. के अतिरिक्त संसाधनों के हिस्से के रूप में माना जाएगा और उसी वित्तीय वर्ष में अनुदान/सहायता की आगे की किस्तों के रूप में समायोजित किया जाएगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि छः राज्यों ***(अनुलग्नक XX)*** में एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए./ जे.एफ.एम.सी. ने उपर्युक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया और उनके द्वारा प्राप्त निधियों को या तो उन बैंक खातों में जमा किया गया जहां अन्य योजनाओं की निधियां भी जमा की गई थीं या ब्याज वाले खाते की बजाय चालू बैंक खाता खोला गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि चार राज्यों में, एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. ने जी.आई.एम. के तहत वनीकरण गतिविधियों के लिए उन्हें जारी की गई निधि पर ब्याज अर्जित किया था, फिर भी उन्होंने ना तो इसे वापिस किया और ना ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ***(अनुलग्नक XXI)*** को प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्रों में इसकी सूचना दी।

एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. द्वारा एक अलग ब्याज-वाले बैंक खाते के रखरखाव के अभाव में, एस.एफ.डी.ए. द्वारा इन वर्षों के दौरान निधि का वास्तविक उपयोग, अव्ययित शेष राशि और अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. द्वारा ब्याज की सूचना न दिए जाने के कारण अर्जित ब्याज को बाद की किस्तों में समायोजित नहीं किया जा सका और वह उनके पास जमा रहा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुछ एस.एफ.डी.ए., नामतः महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड की प्रतिक्रिया को अग्रेषित किया, जिसमें एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने आश्वासन दिया (जुलाई 2025) कि जी.आई.एम. के लिए अलग बैंक खाते खोलने के निर्देश जारी किए

गए है और एस.एफ.डी.ए. पंजाब ने बताया (मार्च 2025) कि अब जी.आई.एम. के लिए एक अलग बैंक खाता संचालित किया जा रहा है। एस.एफ.डी.ए. महाराष्ट्र ने बताया कि सितंबर 2021 से, एकल नोडल अभिकरण के लिए एक नया ब्याज वाला बचत खाता खोला गया था। हालांकि, जे.एफ.एम.सी. के लिए अलग बैंक खाते खोलने के मुद्दे पर उन्होने कुछ नहीं बताया।

इसके अलावा, ब्याज के गैर-प्रेषण के मुद्दे पर, एस.एफ.डी.ए. पंजाब ने सूचित किया (मई 2025) कि ₹0.16 करोड़ के उपलब्ध ब्याज में से, उसने श्रमिकों को भुगतान के लिए ₹0.11 करोड़ की राशि का उपयोग किया था और ₹0.05 करोड़ की शेष राशि सरकारी खाते में जमा की गई थी। हालांकि, एस.एफ.डी.ए. ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया था। एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने बताया (जुलाई 2025) कि संबंधित एफ.डी.ए./ जे.एफ.एम.सी. को उनके द्वारा अर्जित ब्याज की गणना और रिपोर्टिंग के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जबकि एस.एफ.डी.ए. हरियाणा ने बताया (जुलाई 2025) कि संबंधित डी.एफ.ओ. से जानकारी मांगी गई थी और इसकी प्राप्ति के बाद, ब्याज राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

3.13 निष्कर्ष

जी.आई.एम. का कार्यान्वयन योजना, समन्वय और निधियों के आवंटन/जारी करने में वित्तीय और प्रणालीगत कमियों के कारण प्रभावित हुआ था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर कम वित्तपोषण, वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुमोदन में देरी, प्रत्येक स्तर पर निधियां जारी करने और उपयोग में देरी और कमजोर आंतरिक नियंत्रण ने सामूहिक रूप से मिशन की इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता को बाधित किया।

इसके अलावा, उपयोग प्रमाणपत्रों की गलत रिपोर्टिंग, अलग बैंक खातों का रखरखाव न करने और संदिग्ध दुर्विनियोजन के मामलों सहित शासन विधि की कमियां कमजोर उत्तरदेही तंत्र को दर्शाती हैं। राज्यों में प्रत्येक स्तर पर खातों के समय पर मिलान का अभाव,

एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए. द्वारा वार्षिक खातों का रखरखाव न होना और पैनल में शामिल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा उनकी स्वतंत्र लेखापरीक्षा न होना योजना के कार्यान्वयन में वित्तीय अनियमितताओं के जोखिम को और बढ़ा देता है।

अध्याय IV

हरित भारत मिशन का कार्यान्वयन

जी.आई.एम. के तहत उपचारित वन भूमि से बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (जैव विविधता, हाइड्रोलॉजिकल सेवाओं, कार्बन पृथक्करण सहित) के साथ वनावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने के उद्देश्यों को पांच उप मिशनों[62] और क्रॉस-कटिंग हस्तक्षेपों के तहत गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना था।

मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने में प्राप्त प्रगति और मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में देखी गई कमियों को बाद के पैराग्राफ में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है:

4.1 जी.आई.एम. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी

मिशन दस्तावेज़ 2011 में 2021 तक 5 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र में वृद्धि (उप मिशन 2, 3 और 4 के माध्यम से) और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर में वनों की गुणवत्ता में सुधार (उप मिशन 1 और 5 के माध्यम से) सहित कुल 10 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था। 10 मिलियन हेक्टेयर में से केवल 2.8 मिलियन हेक्टेयर में 2014 में कैबिनेट द्वारा गतिविधियों को मंजूरी दी गई थी जिसे 2018 तक पूरा किया जाना था।

2021 के संशोधित मिशन दस्तावेज़ में कहा गया है कि 2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण के अंतर्गत लगभग 11.22 मिलियन हेक्टेयर

---

[62] उप मिशन 1 (ए): मध्यम सघन किन्तु अवनत वनावरण, उप मिशन 1 (बी): अवनत खुले जंगलों की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना प्रकार ए: बहुत सारे जड़ भंडार के साथ, रोपण की बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं के साथ, प्रकार बी: सीमित जड़ भंडार वाले खुले रिक्त स्थानों के साथ, प्रकार सी: बड़े पैमाने पर विरल अविकसित और उप मिशन 1 (सी): घास के मैदानों की पुनर्स्थापना।
उप मिशन 2 (ए): स्थानांतरण खेती क्षेत्रों का पुनर्वास, उप मिशन 2 (बी): झाड़ीदार क्षेत्रों की पुनर्स्थापना, उप मिशन 2 (सी): सीबकथॉर्न की पुनर्स्थापना/रोपण, उप मिशन 2 (डी): मैंग्रोव की पुनर्स्थापना, उप मिशन 2 (ई): खड्ड पुनर्ग्रहण और उप मिशन (च): परित्यक्त खनन क्षेत्रों की पुनर्स्थापना।
एस.एम. 3: शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वृक्षों के आवरण को बढ़ाना
उप मिशन 4 (ए): वर्तमान परती सहित किसानों की भूमि, उप मिशन 4 (बी): आश्रय पट्टी वृक्षारोपण, उप मिशन 4 (सी): राजमार्ग/ग्रामीण सड़कें/टैंक बंड। एस.एम. 5: आर्द्रभूमि की पुनर्स्थापना

क्षेत्र को शामिल किया गया था, जिसमें हरित भारत मिशन के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं शामिल थीं। हालांकि, संशोधित मिशन दस्तावेज 2021 में जी.आई.एम. के तहत उपलब्धि को अलग से नहीं बताया गया था। इसके अलावा, संशोधित मिशन दस्तावेज़ ने जी.आई.एम. के लक्ष्यों का एक नया सेट बताया है, अर्थात, 25 एम.एच.ए. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट के माध्यम से उपचार किए जाने वाले 1 एम.एच.ए. और अभिसरण के माध्यम से 24 एम.एच.ए.) को 2021 से 2030 की अवधि के दौरान पूरा किया जाना है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2025) कि मिशन दस्तावेज़ 2021 के अनुसार 25 एम.एच.ए. के नए लक्ष्यों का कार्यान्वयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इसके कार्यान्वयन दिशानिर्देश सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अधीन हैं।

उपरोक्त को देखते हुए, लेखापरीक्षा ने 2014 में कैबिनेट की मंजूरी में शामिल 2.8 मिलियन एच.ए. के लक्ष्यों की उपलब्धि का विश्लेषण किया, जिसे 2018 तक हासिल किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अध्याय 2 और 3 में चर्चा के अनुसार अपर्याप्त योजना और धन की कमी के कारण 2015-16 से 2026-27 की अवधि के दौरान केवल 16 राज्यों की परिप्रेक्ष्य योजनाओं में 8,22,253.40 हेक्टेयर (28.6 प्रतिशत) के लक्ष्य को मंजूरी दी गई थी।

मार्च 2025 तक जी.आई.एम. के तहत उप मिशनवार लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

तालिका 9: जी.आई.एम. के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियां (हेक्टेयर में)

उप मिशन का नाम	2014 के केबिनेट अनुमोदन के तहत लक्ष्य	अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजनाओं के अनुसार लक्ष्य	मार्च 2025 तक जी.आई.एम. के तहत कुल उपलब्धि
एस.एम. 1: वनावरण की गुणवत्ता में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार	1.37 मिलियन	0.54 मिलियन	0.11376 मिलियन

उप मिशन का नाम	2014 के केबिनेट अनुमोदन के तहत लक्ष्य	अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजनाओं के अनुसार लक्ष्य	मार्च 2025 तक जी.आई.एम. के तहत कुल उपलब्धि
एस.एम. 2: पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना और वनावरण में वृद्धि	0.50 मिलियन	0.09 मिलियन	0.01825 मिलियन
एस.एम. 3: शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वृक्षों के आवरण को बढ़ाना	0.06 मिलियन	0.01 मिलियन	0.00170 मिलियन
एस.एम. 4: कृषि-वानिकी और सामाजिक वानिकी	0.84 मिलियन	0.17 मिलियन	0.01414 मिलियन
एस.एम. 5: आर्द्रभूमि की पुनर्स्थापना	0.03 मिलियन	0.01 मिलियन	0.00008 मिलियन
कुल	**2.8 मिलियन**	**0.82 मिलियन**	**0.14793 मिलियन**

यह देखा गया कि मार्च 2025 तक चयनित 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा केवल 1,47,925.63 हेक्टेयर में जी.आई.एम. गतिविधि की गई ***(अनुलग्नक XXII)***। ऊपर उल्लिखित विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध कमियां ***तालिका 10*** में दी गई हैं:

तालिका 10: 2014 कैबिनेट मंजूरी एवं अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजनाओं की तुलना में संचयी उपलब्धि (मार्च 2025) में कमी

उप मिशन का नाम	2014 में कैबिनेट की मंजूरी की तुलना में कमी (एम.एच.ए. में)	कमी प्रतिशतता	अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों की तुलना में कमी (एम.एच.ए. में)	कमी प्रतिशतता
एस.एम. 1: वनावरण की गुणवत्ता में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार	1.25624	*91.70*	0.4302	*79.08*
एस.एम. 2: पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना और वनावरण में वृद्धि	0.48175	*96.35*	0.0737	*80.16*
एस.एम. 3: शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वृक्षों के आवरण को बढ़ाना	0.0583	*97.17*	0.0123	*87.85*

उप मिशन का नाम	2014 में कैबिनेट की मंजूरी की तुलना में कमी (एम.एच.ए. में)	कमी प्रतिशतता	अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों की तुलना में कमी (एम.एच.ए. में)	कमी प्रतिशतता
एस.एम. 4: कृषि-वानिकी और सामाजिक वानिकी	0.82586	*98.32*	0.1528	*91.53*
एस.एम. 5: आर्द्रभूमि की पुनर्स्थापना	0.02992	*99.72*	0.0059	*98.66*

लक्ष्यों और उपलब्धियों के उप-मिशन वार विश्लेषण पर नीचे चर्चा की गई है:

4.1.1 वन क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य (उप मिशन 1 और 5 के माध्यम से)

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जी.आई.एम. के तहत वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1.4 मिलियन हेक्टेयर (2014 में जी.आई.एम. के कैबिनेट अनुमोदन के अनुसार) के लक्ष्य के मुकाबले, केवल 0.11384[63] मिलियन हेक्टेयर में उपलब्धि हासिल की जा सकी, जिससे 91.87 प्रतिशत की कमी आई। इसके अलावा, अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजनाओं के तहत लक्ष्यों के मुकाबले 79.30 प्रतिशत की कमी थी। कमी को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि परिप्रेक्ष्य योजना के लक्ष्य स्वयं मिशन के लक्ष्यों से 60.71 प्रतिशत कम थे।

4.1.2 वन क्षेत्र की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य (उप मिशनों 2, 3 और 4 के माध्यम से)

जी.आई.एम. के तहत वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए 1.4 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य (2014 में जी.आई.एम. की कैबिनेट मंजूरी के अनुसार) के मुकाबले, केवल 0.03409[64] मिलियन हेक्टेयर में ही उपलब्धि हासिल की जा सकी, जिससे 97.57 प्रतिशत की कमी आई। इसके अलावा, अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजनाओं के तहत लक्ष्यों के मुकाबले 87.51 प्रतिशत की कमी थी। इन उप मिशनों के लिए भी परिप्रेक्ष्य योजना के लक्ष्य, मिशन के लक्ष्यों से 80.71 प्रतिशत कम रहे।

[63] *(0.11376 + 0.00008) एम.एच.ए.*

[64] *(0.01825 + 0.00170 + 0.01414) एम.एच.ए.*

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सितंबर 2025) ने कहा कि उपलब्धि में कमी योजना के अत्यंत कम वित्तपोषण और मौजूद निधि को समय-समय पर वितरित करने के तौर-तरीकों का सीधा परिणाम थी।

यह ध्यान देने योग्य है कि मिशन के तहत 2014 में अनुमोदित लक्ष्यों को 2018 तक प्राप्त किया जाना था, हालांकि, मंत्रालय ने मार्च 2025 तक कार्यान्वयन जारी रखा, और तब भी उपलब्धि 94.7 प्रतिशत कम रही। इसके अलावा, मिशन दस्तावेज़ 2021 में परिकल्पित 25 मिलियन हेक्टेयर का संशोधित लक्ष्य अभी तक लागू नहीं किया गया था। इस योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत (2014) के बाद से पिछले 11 वर्षों में देखी गई प्रगति को देखते हुए, हालांकि परिप्रेक्ष्य योजनाओं में उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों के पास 2030 तक पांच वर्ष हैं, जी.आई.एम. के तहत परिप्रेक्ष्य योजना में परिकल्पित लक्ष्यों को तभी पूरी तरह से प्राप्त किया जाएगा जब मिशन में शामिल सभी एजेंसियों द्वारा असाधारण प्रयास किए जाएंगे।

अनुशंसा संख्या 16:

मंत्रालय अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है तथा उन बाधाओं जैसे समन्वय का अभाव, सीमित बजट के कारण वृक्षारोपण लक्ष्यों में कमी तथा विशिष्ट परिदृश्यों को शामिल न किया जाना को पहचान कर उनका निराकरण करना चाहिए, जिन्होने जी.आई.एम. के अंतर्गत उपलब्धियों में उल्लेखनीय कमी में योगदान दिया है।

4.2 जी.आई.एम. के तहत भौतिक उपलब्धियों की रिपोर्टिंग में भिन्नता

जी.आई.एम. के तहत कार्यान्वयन दिशानिर्देशों और निधि जारी करने के आदेशों के अनुसार, एस.एफ.डी.ए. द्वारा की गई गतिविधियों की एक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की जानी थी। इस प्रयोजन के लिए, एल3 स्तर के परिदृश्यों में खातों का एक त्रैमासिक विवरण

और किए गए कार्यों की प्रगति प्रत्येक जे.एफ.एम.सी. द्वारा एफ.डी.ए. को प्रस्तुत की जानी थी, जिसे एस.एफ.डी.ए. को आगे और अंत में मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए अपनी प्रगति रिपोर्ट संकलित करनी थी।

लेखापरीक्षा ने 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश एवं मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट की गई उपलब्धियों में 0.06 हेक्टेयर से 6,121.50 हेक्टेयर के बीच भिन्नता देखी (जैसा कि ***तालिका 11*** से देखा जा सकता है)।

तालिका 11: जी.आई.एम. के तहत शामिल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भौतिक उपलब्धियों की रिपोर्टिंग में भिन्नता

राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	**परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार लक्ष्य (हेक्टेयर में)**	**पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट की गई मार्च 2025 तक उपलब्धि (रोपण कार्य)**	**राज्यों द्वारा लेखापरीक्षा को रिपोर्ट किए गए मार्च 2025 तक उपलब्धि (रोपण कार्य)**	**उपलब्धि में भिन्नता (हेक्टेयर में)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
आंध्र प्रदेश	6,938	1,433	1,272	161
अरुणाचल प्रदेश	46,742	0	5,314.39	-5,314.39
छत्तीसगढ	31,138	19,128	22,641.00	-3,513
हरियाणा	67,562	1,301	7,422.50	-6,121.50
हिमाचल प्रदेश	21,459	0	1,299.00	-1,299
जम्मू और कश्मीर	32,420	1,066	1,349.08	-283.08
कर्नाटक	5,100	2,722	2,947.00	-225
केरल	22,960	12,297	7,926.85	4,370.15
मध्य प्रदेश	3,40,700	26,597	26,939.00	-342
महाराष्ट्र	6,975.40	5,223	3,586.76	1636.24
मिजोरम	29,893	19,643	19,642.94	0.06
उड़ीसा	2,198.56	20,711	17,761.56	2,949.44
पंजाब	18,994	6,568	7,168.00	-600
सिक्किम	16,698	6,567	6,611.85	-44.85
उत्तराखंड	1,23,973	14,836	13,438.00	1,398
पश्चिम बंगाल	37,450	2,606	2,605.7	0.3

इसके अलावा, यह देखा गया कि अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, राज्यों द्वारा वनीकरण की रिपोर्ट के बावजूद मंत्रालय द्वारा कोई उपलब्धि रिपोर्ट नहीं की गई थी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जुलाई 2025) ने अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि लक्ष्यों की प्राप्ति में भिन्नता राज्यों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण थी।

अनुशंसा संख्या 17:

राज्यों द्वारा मंत्रालय एवं लेखापरीक्षा को रिपोर्ट की गई उपलब्धि के आंकड़ों में अंतर को सुलझाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं ताकि जी.आई.एम. के तहत की गई प्रगति की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित की जा सके।

4.3 उप मिशन 1 के तहत जी.आई.एम. गतिविधियों का कार्यान्वयन

जैसा कि ऊपर ***तालिका** 9* से देखा जा सकता है, जी.आई.एम. गतिविधियां मुख्य रूप से उप मिशन 1: वनावरण की गुणवत्ता में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार के तहत की गई थीं। उप मिशन 1 के तहत देखी गई कमियां बाद के पैराग्राफ में दी गई हैं:

4.3.1 उप मिशन 1 (ए): मध्यम सघन किन्तु अवनत वन के अंतर्गत देखी गई कमियां

इस उप मिशन गतिविधि को मध्यम घने वनों (40 से 70 प्रतिशत के बीच घनत्व वाले) में लागू किया जाना था, जिसमें बार-बार आग, अनियमित चराई, आक्रामक प्रजातियों और स्थानांतरित खेती के कारण गिरावट दिखाई दे रही थी। एस.एम. 1 (ए) के तहत, प्राकृतिक परिस्थितियों में वन को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए संरक्षण, अग्नि प्रबंधन, विनियमित चराई, आक्रामक प्रजातियों के उन्मूलन, मिट्टी/नमी संरक्षण आदि जैसी गतिविधियों के साथ मौजूदा जंगलों में सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन मॉडल को अपनाया जाना था। नमूना वृक्षारोपणों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे दी गई है:

चित्र 8: मध्यम सघन वन (40 से 70 प्रतिशत के बीच घनत्व वाले) (स्त्रोत: आई.एस.एफ.आर. 2019)

i. मध्य प्रदेश:

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, मध्य प्रदेश द्वारा वृक्षारोपण दिशानिर्देश 2011 के अध्याय 4 के पैरा 16 में निर्धारित किया गया है कि केवल 20 प्रतिशत से कम वन घनत्व वाले स्थलों को ही वृक्षारोपण के लिए लिया जाना चाहिए।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल से अगस्त 2024) के दौरान, यह देखा गया कि एस.एम. 1 (ए) के तहत मध्य प्रदेश के छः प्रभागों[65] में 13 स्थलों में ₹6.47 करोड़ की लागत से 20 प्रतिशत से अधिक के वन घनत्व वाले क्षेत्रों में 4,06,555 पौधे लगाए गए (2018-19 से 2023-24)।

यह भी देखा गया कि पौधे मौजूदा वृक्षों के नीचे लगाए गए थे (भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्षों की वीडियो रिकॉर्डिंग को नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है)।

चित्र 9: नर्मदापुरम वन प्रभाग, मध्य प्रदेश का कंपार्टमेंट नंबर 123

चित्र 10: उमरिया वन प्रभाग, मध्य प्रदेश का कंपार्टमेंट नंबर 308

[65] *नर्मदापुरम, ओबेदुल्लागंज, सीहोर, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण सागर और उमरिया।*

चित्र 11: मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम और उमरिया वन प्रभागों में मौजूदा पेड़ों के नीचे घने जंगलों में एस.एम. 1 (ए) के तहत किए गए वृक्षारोपण

एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने कहा (जुलाई 2025) कि इन क्षेत्रों में सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन प्रक्रिया के तहत पूरक रोपण, एक स्वीकृत तकनीक को अपनाया गया था, क्योंकि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान, यह पता चला था कि वन पुनरुद्धार केवल सुरक्षा उपायों के माध्यम से संभव नहीं होगा। हालांकि, लेखापरीक्षा के समक्ष समर्थन में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, दिए गए उत्तर वृक्षारोपण दिशानिर्देशों के उन प्रावधानों पर चुप है, जिसके अनुसार केवल 20 प्रतिशत से कम घनत्व वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जा सकता है।

ii. छत्तीसगढ़:

बिलासपुर प्रभाग, छत्तीसगढ़ में सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन कार्य के 135.519 हेक्टेयर की तकनीकी मंजूरी जून 2017 में ₹0.45 करोड़ की लागत से डी.एफ.ओ. बिलासपुर द्वारा दी गई थी।

तालिका 12: बिलासपुर प्रभाग, छत्तीसगढ़ में कार्य के व्यय का विवरण

स्थान का नाम	कम्पार्ट्मेन्ट संख्या	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कार्ययोग्य क्षेत्र (हेक्टेयर में)	डी.एफ.ओ. परियोजना रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित राशि *(₹ करोड़ में)*	कार्यान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	व्यय *(₹ करोड़ में)*
बांका	47 आर.एफ.	26.443	0.09	82.598	0.28
कोरबी	40 आर.एफ.	28.114	0.09	143.026	0.48
खोंद्र	26 आर.एफ.	47	0.16	141.79	0.47
बांका	45 आर.एफ.	33.962	0.11	70	0.23
कुल		**135.519**	**0.45**	**437.414**	**1.46**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिलासपुर वन प्रभाग के चार कम्पार्टमेंट में 135.519 हेक्टेयर के उपलब्ध क्षेत्र के बावजूद, 2017-22 के दौरान ₹1.46 करोड़ की लागत से 437.414 हेक्टेयर की बहुत बड़ी सीमा पर सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन कार्य निष्पादित किए जाने की सूचना दी गई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि उपलब्ध से अधिक क्षेत्र में काम कैसे किया गया था।

iii. अरुणाचल प्रदेश

संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई और जुलाई 2024) के दौरान, यह देखा गया कि अरुणाचल प्रदेश में लोंगडिंग वन प्रभाग के तहत रुसा-चोपसा में घने वन (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) में एस.एम. 1 (ए) के तहत वृक्षारोपण किए गए थे। वन प्रभाग के तहत तबा सोरा में एक और मामला देखा गया, जहां एस.एम. 1 (ए) के तहत वृक्षारोपण धान की घनी फसलों के भीतर किए गए थे।

चित्र 12: एस.एम. 1 (ए) के तहत रुसा चोप्सा, लोंगडिंग वन प्रभाग, अरुणाचल प्रदेश (मई 2024) में घने वनस्पति क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण

चित्र 13: एस.एम. 1 (ए) के तहत तबा सोरा, अलोंग वन प्रभाग, अरुणाचल प्रदेश (जुलाई 2024) में घनी फसल के भीतर वृक्षारोपण

अनुशंसा संख्या 18:

मंत्रालय तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके एक निगरानी तंत्र विकसित कर सकता है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि मध्यम घने वन क्षेत्र वाले स्थलों में जहां केवल सुधार गतिविधियां की जानी हैं कोई वृक्षारोपण गतिविधियां नहीं की जा रहीं हैं।

अनुशंसा संख्या 19:

मंत्रालय जमीनी स्तर पर नमूना आधार पर जांच करने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है कि उपयुक्त स्थलों पर गतिविधियां की जा रहीं हैं।

4.3.2 उप मिशन 1 (बी): खुले अवनत वन की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के तहत देखी गई कमियां

चित्र 14: खुला वन (10 से 40 प्रतिशत के बीच का घनत्व) (स्रोत: आई.एस.एफ.आर. 2019)

इस एस.एम. के तहत वनीकरण हेतु लिए गए खुले अवनत वनों (10 से 40 प्रतिशत के बीच घनत्व के साथ) को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: i) प्रकार ए, जिसमें प्रचुर मात्रा में जड़ भंडार उपलब्ध है तथा रोपण के लिए बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं है, ii) प्रकार बी, सीमित जड़ भंडार वाले खुले रिक्त स्थानों के साथ और iii) प्रकार सी, बड़े पैमाने पर विरल एवं खुले क्षेत्र। एस.एम. 1 (बी) प्रकार ए और बी के कार्यान्वयन के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

4.3.2.1 एस.एम. 1 (बी) प्रकार ए और बी के अंतर्गत जी.आई.एम. के कार्यान्वयन में देखी गई अनियमितताएं

श्रेणी ए के तहत, चक्रीय आधार[66] पर चराई को बंद करना, रिज से घाटी के आधार पर मृदा और नमी संरक्षण कार्य[67], कटाई पश्चात पुनर्विकास संचालन[68] और दूसरे/तीसरे वर्ष के दौरान अंतराल में बहुत सीमित रोपण संभव है। श्रेणी बी के तहत, जड़ भंडार का पुनर्जनन और

---

[66] *चक्रीय चराई एक प्रकार की चारागाही गतिविधि है, जिससे पशुधन को चरागाह के एक हिस्से में ले जाया जाता है, जबकि अन्य हिस्से सुरक्षित रहते हैं।*

[67] *एक मृदा संरक्षण उपाय जिसमें पानी को धीमा करने और संरक्षित करने के लिए संरचनाएं बनाई जाती हैं।*

[68] *पेड़ों की छंटाई और पतला करना*

स्वदेशी घास और झाड़ियों की रोपण, ईंधन लकड़ी, चारा, गैर-लकड़ी के वन उत्पादों की प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाना था।

चित्र 15: मध्य प्रदेश में एक चेकडैम (मृदा संरक्षण उपाय) की तस्वीर

i. उत्तराखंड

2022-23 के दौरान एस.एम. 1 (बी) प्रकार ए, के तहत अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से 60 हेक्टेयर (प्रत्येक 10 हेक्टेयर के छः कार्य) चकराता वन प्रभाग, उत्तराखंड को दिया गया था। प्रभाग ने 10 हेक्टेयर के लिए ₹0.07 करोड़ का अनुमान तैयार किया, जिसमें 500 गड्ढे प्रति हेक्टेयर (₹11.42 प्रति गड्ढा) की दर से गड्ढे की खुदाई शामिल थी। तदनुसार, कुल मिलाकर 30,000 गड्ढे खोदे गए थे। हालांकि, अगले वर्ष में, प्रति हेक्टेयर 200 पेड़ लगाने के लिए अनुमान तैयार किए गए और पिछले वर्ष खोदे गए 30,000 गड्ढों के मुकाबले 12,000 पेड़ लगाए गए, जिससे 18,000 गड्ढे खाली रह गए। इस प्रकार, स्थल सर्वेक्षण, वनस्पतियों की सफाई, निरीक्षण पथों का निर्माण, समोच्च खाइयों आदि जैसी गतिविधियों के साथ 18,000 गड्ढों की खुदाई पर किए गए ₹0.25 करोड़[69] के व्यय को बेकार कर दिया गया क्योंकि इन गड्ढों का उपयोग वृक्षारोपण के लिए नहीं किया गया।

इसके अलावा, जमीनी स्तर पर इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए, चकराता में एक वृक्षारोपण स्थल, यानी डबाला सगवा टोक में एक संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2024) से पता चला कि हालांकि वृक्षारोपण पत्रिका में 2,000 पेड़ों के वृक्षारोपण को दिखाया गया था, किन्तु केवल 30 से 40 पौधे लगाए गए और वे भी जीवित नहीं रह सके। इसके अलावा, कुछ पौधे वृक्षारोपण स्थल के चारों ओर फेंके पाए गए। दोषपूर्ण निष्पादन के लिए जवाबदेह नामित व्यक्ति पर

[69] *693020x6x18000/30000*

कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी। रेंज अधिकारी, रिखनाड, चकराता प्रभाग ने आश्वासन दिया कि बाद के मानसून के मौसम में वृक्षारोपण किया जाएगा।

चित्र 16: उत्तराखंड के चकराता मंडल में डबाला सगवा टोक वृक्षारोपण स्थल पर फेंके गए पौधे

एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने (जुलाई 2025) कहा कि उक्त वृक्षारोपण एस.डी.ओ., कलसी की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार स्थल पर मौजूद था। उत्तरों में इस विरोधाभास को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर रेंज अधिकारी द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान दिए गए आश्वासन के आलोक में देखा जा सकता है।

इसके अलावा, एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने कहा कि अतिरिक्त गड्ढों का उपयोग राज्य की हरेला योजना के तहत वृक्षारोपण गतिविधियों को करने के लिए किया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि समर्थित दस्तावेज, अर्थात, इस परिदृश्य में लगाए गए पेड़ों की संख्या को शामिल करने वाली हरेला योजना की प्रगति रिपोर्ट, जिस वर्ष वृक्षारोपण किया गया था और जी.पी.एस. निर्देशांक के साथ वृक्षारोपण की तस्वीरें लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थीं।

ii. ओडिशा

एस.एम. 1 (बी) प्रकार ए और बी के तहत 300 हेक्टेयर (2016-17 से 2022-23) पर रोपण गतिविधि ओडिशा के तीन एफ.डी.ए. बोनाई, घुमसूर दक्षिण और नबरंगपुर के पांच जे.एफ.एम.सी.[70] में रिपोर्ट की गई थी। वृक्षारोपण मानचित्रों के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि जिन क्षेत्रों में वनीकरण किया गया था, वे 40 से 70 प्रतिशत तक वितान घनत्व वाले घने वन थे, जिससे वे वृक्षारोपण गतिविधि करने के लिए अयोग्य हो गए थे। बोनाई,

[70] *बलिया आर.एफ.-100 एच.ए., गम्भारिगुडा-30 एच.ए., मदनगंडापल्ली-30 एच.ए., मंगलदोरी-65 एच.ए. और लोदी-75 एच.ए.।*

घुमसूर दक्षिण और नबरंगपुरा के डी.एफ.ओ. ने अपने उत्तरों (अगस्त से सितंबर 2024) में कहा कि वृक्षारोपण वन के अंदर पाए जाने वाले खुले क्षेत्रों में किए गए थे, जो रिक्त स्थान वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त थे। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किए गए थे, उनकी सीमाएं घने जंगलों में थीं (जैसा कि नीचे दिखाए गए चित्रों में नीले बहुभुजों से देखा जा सकता है), जिनका घनत्व भारतीय वन सर्वेक्षण वर्गीकरण के अनुसार 40 से 70 प्रतिशत के बीच था। इसके अलावा, बलिया, बोनाई के संयुक्त भौतिक सत्यापन ने इस तथ्य की पुष्टि की कि वृक्षारोपण की उत्तरजीविता तथा वृद्धि संतोषजनक नहीं थी क्योंकि वृक्षारोपण स्थल घने वन में था जहां वितान घनत्व 90 प्रतिशत से अधिक था। डी.एफ.ओ., नबरंगपुरा ने कहा कि घनत्व पर लेखापरीक्षा अवलोकन को आगे सत्यापित किया जाएगा।

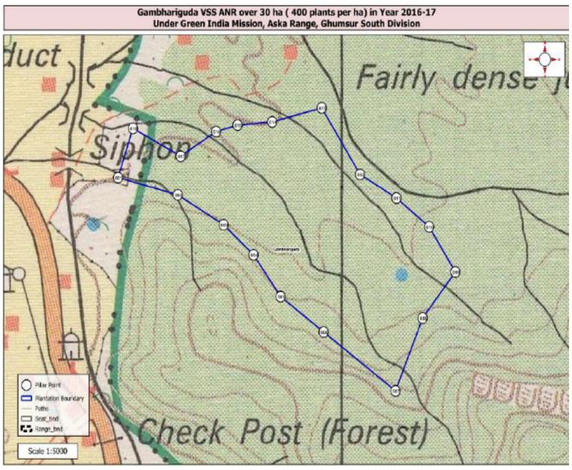

चित्र 17: ओडिशा के घुमसूर दक्षिण वन प्रभाग में गम्भरीगुडा का घना वन जैसा कि वृक्षारोपण पत्रिका में दर्ज है

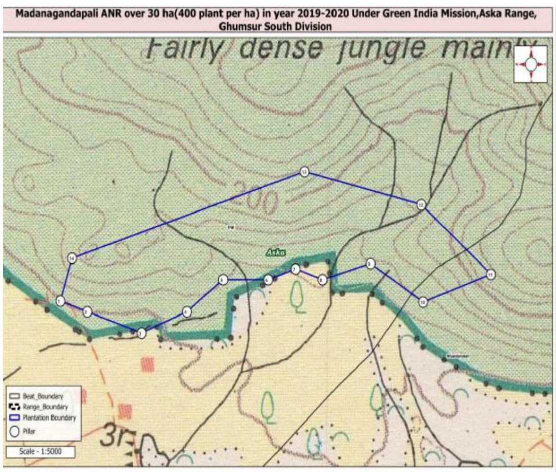

चित्र 18: ओडिशा के घुमसूर दक्षिण वन प्रभाग में मदनगंडापाली का घना वन जैसा कि वृक्षारोपण पत्रिका में दर्ज है

iii. पश्चिम बंगाल:

पश्चिम बंगाल के नयाग्राम वन रेंज के तहत रायबेरा वृक्षारोपण स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल 2024) से पता चला कि पहले से मौजूद साल वृक्षों द्वारा आच्छादित 30 हेक्टेयर वन भूमि में ₹0.12 करोड़ की लागत से वृक्षारोपण कार्य निष्पादित किया गया था

(2022-23)। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सर्वेक्षण किए गए 959 पौधों में से, वन विभाग द्वारा किए गए हताहत वृक्षारोपण के बावजूद केवल 212 पौधे बच पाए (22.11 प्रतिशत)। इसके अलावा, दो साल के अंतराल के बाद भी, जीवित पौधों ने रोपण के समय आवश्यक 75 से.मी.[71] की न्यूनतम ऊंचाई के मुकाबले केवल 22.42 से.मी. की औसत ऊंचाई प्राप्त की थी। स्थल के गलत चयन के साथ-साथ निर्दिष्ट ऊंचाई से छोटे पौधों की खरीद वृक्षारोपण की विफलता के कारण बने।

चित्र 19: पश्चिम बंगाल के रायबेरा में निविदा ऊंचाई से कम वृक्षारोपण

चित्र 20: रायबेरा, पश्चिम बंगाल में मौजूदा साल वन

iv. छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में एक और मामला देखा गया जहां एस.एम. 1 (बी) प्रकार ए और बी (एपीओ 2015-16) के तहत एफ.डी.ए. कवर्धा के लिए अनुमोदित 600 हेक्टेयर के कुल वृक्षारोपण लक्ष्य के विरुद्ध, मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग ने ₹1.91 करोड़ की लागत से 355 हेक्टेयर के वृक्षारोपण के लिए तकनीकी मंजूरी दी। कवर्धा वन प्रभाग (2014-15 से 2023-24) की कार्य योजना के अनुसार, कंपार्टमेंट संख्या 451 का कुल क्षेत्र जहां वृक्षारोपण गतिविधियां की जानीं थीं, 246.71 हेक्टेयर था। हालांकि, 1982 से 2007 के दौरान उपरोक्त में से 213 हेक्टेयर में विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण गतिविधियां पहले ही की जा चुकी थीं, जिससे वृक्षारोपण के लिए

---

[71] *निविदा के अनुसार प्रकार ए और बी वृक्षारोपण के लिए दो साल पुरानी अंकुर की खरीद के लिए।*

केवल 33.71 हेक्टेयर[72] उपलब्ध था। इस तथ्य के बावजूद कि कंपार्टमेंट संख्या 451 में वृक्षारोपण के लिए केवल 33.71 हेक्टेयर खुला क्षेत्र उपलब्ध था, 2015-20 की अवधि के दौरान ₹1.50 करोड़ की लागत से 195 हेक्टेयर (जैसा कि नीचे ***तालिका 13*** में दिखाया गया है) में वृक्षारोपण की रिपोर्ट दी गई थी। इस प्रकार, 161.29 हेक्टेयर[73] में निष्पादित वृक्षारोपण और 33.71 हेक्टेयर पर ₹1.24 करोड़[74] का संबंधित व्यय संदिग्ध है।

तालिका 13: विभिन्न योजनाओं के तहत कंपार्टमेंट संख्या 451 में वृक्षारोपण का विवरण

वृक्षारोपण का वर्ष	**शीर्ष का नाम**	**कम्पार्टमेंट का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**वह क्षेत्र जिसके तहत पहले से ही गतिविधि की गई (हेक्टेयर)**	**वृक्षारोपण क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**किया गया व्यय *(₹ करोड़ में)***
2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण (जी.आई.एम.) 1100 वृक्ष/हेक्टेयर	246.71	213	55	0.30
2016-17	सागौन वृक्षारोपण (जी.आई.एम.) 2500 वृक्ष/हेक्टेयर			50	0.29
2016-17	सागौन वृक्षारोपण (जी.आई.एम.) 2500 वृक्ष/हेक्टेयर			20	0.21
2018-19	मिश्रित वृक्षारोपण (ई.एस.आई.पी.)			50	0.48
2020-21	लघु बनोपज (पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना)			20	0.22
	कुल	**246.71**	**213**	**195**	**1.50**

डी.एफ.ओ. कवर्धा ने कहा (मई 2024) कि प्रस्तावित स्थल के लिए उचित सर्वेक्षण और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद वृक्षारोपण निष्पादित किया गया था। हालांकि, सर्वेक्षण के समर्थन में कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, इसे

[72] कम्पार्टमेंट का कुल क्षेत्र-पिछले वर्षों में कुल वृक्षारोपण क्षेत्र= 246.71-213=33.71हेक्टेयर।

[73] 195 हेक्टेयर - 33.71 हेक्टेयर।

*[74] (15024734/195)*161.2 ।*

इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि उपलब्ध क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर वृक्षारोपण नहीं किया जा सकता है।

अनुशंसा संख्या 20:

मंत्रालय यह पता लगाने के लिए परीक्षण जांच कर सकता है कि वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए चुने गए स्थलों में वृक्षारोपण गतिविधि के लिए पर्याप्त स्थान और आवश्यकता है ताकि अनुपयुक्त स्थलों पर समय, निधि और श्रम के संदर्भ में संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके।

4.3.3 उप मिशन 1 (सी): घास के मैदानों की पुनर्स्थापना के अंतर्गत देखी गई अनियमितताएं

जी.आई.एम. का मिशन दस्तावेज़ घास के मैदानों को अत्यधिक अवनत पारिस्थितिक तंत्र के रूप में मानता है जो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक संसाधन हैं। सिर्फ घास की देशी खाने योग्य प्रजातियों का वृक्षारोपण या चारे के महत्व वाली झाड़ियों/पेड़ों के संयोजन से ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करने में मदद मिल सकती है। एस.एम. 1 (सी) के कार्यान्वयन में देखी गई कमियों को नीचे विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है:

i. मध्य प्रदेश

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य योजना में उल्लिखित एस.एम. 1 (सी) के तहत 4,020 हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में, बड़वानी वन प्रभाग के तहत उपचार के लिए केवल 444 हेक्टेयर (2018-19 से 2022-23) लिया गया था। इसके अलावा, बड़वानी वन प्रभाग के कंपार्टमेंट आर.एफ. 269 के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2024) के दौरान, यह पाया गया कि हालांकि 2019-20 में 68 हेक्टेयर में पुनर्स्थापना कार्य किया गया था, किन्तु प्रगति लगभग शून्य थी क्योंकि केवल घास की विरल वृद्धि और रिक्त स्थान ही स्थल पर

पाई गई थी। कुल 68 हेक्टेयर में से केवल 0.5 हेक्टेयर के लिए घास बेड्स[75] के निर्माण का प्रावधान किया गया था, हालांकि, पूरी उपलब्धि दर्ज की गई थी।

चित्र 21: बड़वानी प्रभाग, मध्य प्रदेश के आर.एफ. 269 में घास की विरल वृद्धि

एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने कहा (जुलाई 2025) कि कमी सीमित बजट के कारण थी और प्रभाग के तहत अन्य स्थानों पर घास के मैदानों की पुनर्स्थापना हासिल की गई थी। हालांकि, उत्तर के समर्थन में लेखापरीक्षा को रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

4.4 उप मिशन 2, 3 और 4 के अंतर्गत जी.आई.एम. गतिविधियों का कार्यान्वयन

लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिकतम कमी उप मिशन 2, 3 और 4 के अंतर्गत थी। राज्यों में उनके अस्तित्व के बावजूद, उप मिशन 2 के तहत जी.आई.एम. गतिविधियों के लिए परिदृश्यों की पहचान ना करना काफी हद तक जिम्मेदार था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उप मिशनों के दोषपूर्ण कार्यान्वयन को भी देखा:

4.4.1 उप मिशन 2 के अंतर्गत देखी गई अनियमितताएं

हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य अवनत पारिस्थितिक तंत्र और आवास विविधता की सुरक्षा और पुनर्स्थापना दोनों पर जोर देकर 'हरियाली' को समग्र दृष्टिकोण देना था। पुनर्स्थापना

---

[75] *चारा उत्पादन के लिए आरक्षित वन क्षेत्र*

के लिए चयनित किए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र में उप मिशन 2 (बी) के तहत झाड़ीदार क्षेत्र, उप मिशन 2 (सी) के तहत सीबकथॉर्न जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, उप मिशन 2 (ई) के तहत खड्ड क्षेत्र और उप मिशन 2 (एफ) के तहत परित्यक्त खनन क्षेत्र शामिल थे। लेखापरीक्षा में देखे गए कुछ उदाहरणों को नीचे दर्शाया गया है:

4.4.1.1 उप मिशन 2 (बी): झाड़ीदार भूमि की पुनर्स्थापना के अंतर्गत देखी गई अनियमितताएं

i. उप मिशन 2 (बी) के तहत पुनर्स्थापना के लिए झाड़ीदार भूमि पर विचार न करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस उप मिशन के तहत केवल सात राज्यों ने अपनी परिप्रेक्ष्य योजनाओं में 0.065 एम.एच.ए. के लक्ष्य निर्धारित किए थे। इसके अलावा, आठ अन्य राज्यों ***(अनुलग्नक XXIII)*** में 2.11 एम.एच.ए. की झाड़ीदार भूमि के महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपस्थिति के बावजूद, इस उप मिशन के तहत इन राज्यों द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। जी.आई.एम. हस्तक्षेपों के लिए उपरोक्त पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करने के लिए मंत्रालय एवं राज्यों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश, (जुलाई 2025), ने कहा कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और वन प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, उन क्षेत्रों का चयन किया गया था जहां जंगलों की गुणवत्ता में गिरावट अधिक थी। इसके अलावा, हालांकि उप मिशन 2 (बी) के तहत कार्यों को जी.आई.एम. के तहत अलग से चिह्नित नहीं किया गया है, किन्तु उन्हें खुले जंगलों में किया जा रहा है। हालांकि, लेखापरीक्षा को कोई समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

ii. झाड़ीदार भूमि के बजाय घने वन में वृक्षारोपण

इस उप मिशन के तहत 10 प्रतिशत से कम वन घनत्व वाले झाड़ीदार वनस्पति के साथ अत्यधिक अवनत वन/गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण की पहचान की जानी थी।

चित्र 22: झाड़ीदार भूमि (10 प्रतिशत से कम घनत्व)
(स्रोत: आई.एस.एफ.आर. 2019)

उत्तराखंड

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 2018-19 से 2023-24 में ₹1.43 करोड़ की लागत से जी.आई.एम. गतिविधियों के लिए एस.एम. 2 (बी) के तहत ली गई छः प्रभागों के 16 वृक्षारोपण स्थलों की 114 हेक्टेयर भूमि में पहले से ही देवदार, ओक, कचनार पेड़ों के साथ घना वनावरण था और इसके लिए किसी भी हरित गतिविधि की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि चित्रों में देखा जा सकता है। ये वृक्षारोपण झाड़ीदार भूमियों में किया जाना था। इस प्रकार, वन विभाग ने स्थल की वास्तविक स्थिति और हरित हस्तक्षेपों की आवश्यकता का पता लगाए बिना स्थलों का चयन किया था।

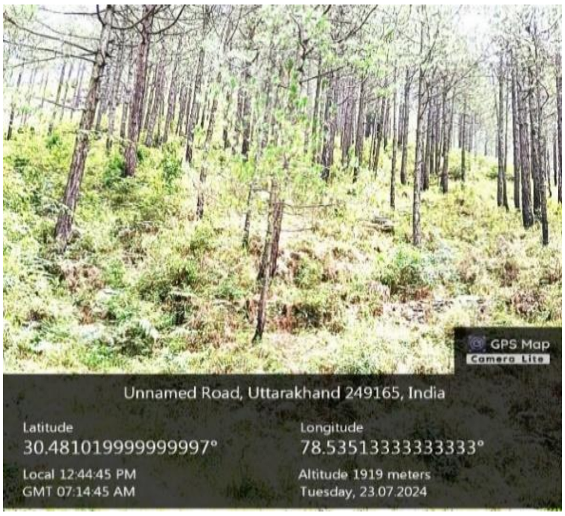

चित्र 23: सिविल और सोयम, पौड़ी प्रभाग, उत्तराखंड में क्यार्द वृक्षारोपण स्थल में घने जंगलों में एस.एम. 2 (बी) के अंतर्गत वृक्षारोपण

चित्र 24: उत्तराखंड के उत्तरकाशी प्रभाग में सिरी सोयम कल्याण गडेरी वृक्षारोपण में घने जंगलों में एस.एम. 2 (बी) के अंतर्गत वृक्षारोपण

एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने (जुलाई 2025) कहा कि चुने गए वृक्षारोपण स्थलों में वितान घनत्व 40 प्रतिशत से कम था, जो वृक्षारोपण गतिविधि के लिए स्थल के सही होने का इशारा करती

है। हालांकि, सच तो यह है कि इस सब मिशन के तहत स्थलों में वितान घनत्व 10 प्रतिशत से कम ना कि 40 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।

4.4.1.2 एस.एम. 2 (सी): सीबकथॉर्न का वृक्षारोपण के अंतर्गत देखी गई अनियमितताएं

जी.आई.एम. के मिशन दस्तावेज़ में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में उप मिशन 2 (सी) के तहत सीबकथॉर्न (लेह बेरी) लगाने की परिकल्पना की गई थी। यह देखा गया कि राज्यों द्वारा क्षेत्रों की पहचान किए जाने के बावजूद उप मिशन के तहत वृक्षारोपण नहीं किया जा सका जैसा कि नीचे बताया गया है:

क) जुलाई 2019 में एन.ई.सी. द्वारा अनुमोदित जम्मू और कश्मीर की परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार लद्दाख क्षेत्र में सीबकथॉर्न लगाने के लिए 1,750 हेक्टेयर की पहचान की गई। हालांकि**,** जम्मू और कश्मीर राज्य (अक्टूबर 2019**)** के विभाजन के परिणामस्वरूप**,** एन.ई.सी. ने जून 2020 में जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश की एक संशोधित परिप्रेक्ष्य योजना को मंजूरी दी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो एस.एफ.डी.ए. द्वारा लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिप्रेक्ष्य योजना प्रस्तुत की गई थी और न ही मंत्रालय ने इसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किया। परिणामस्वरूप, सीबकथॉर्न का वृक्षारोपण आज तक नहीं किया जा सका।

ख) हिमाचल प्रदेश के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य ने अपनी परिप्रेक्ष्य योजना में 1,622 हेक्टेयर की पहचान की थी**,** लेकिन उप मिशन 2 **(**सी) के तहत कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया था।

ग) उत्तराखंड के मामले में, 1,000 हेक्टेयर को एन.ई.सी. द्वारा अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजना (मई 2015) के अंतर्गत सीबकथॉर्न के वृक्षारोपण के लिए लिया जाना था। हालांकि, यह देखा गया कि वर्ष 2018 से 2025 तक किसी भी ए.पी.ओ. में फंडिंग के लिए उप मिशन 2 (सी) के तहत किसी भी गतिविधि की पहचान नहीं की गई। राज्य ने कहा

(जुलाई 2025) कि संबंधित एफ.डी.ए. से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था और सीबकथॉर्न के वृक्षारोपण के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए स्थलीय सत्यापन करने के बाद परिप्रेक्ष्य योजना को संशोधित किया जाएगा।

घ) सिक्किम के मामले में, परिप्रेक्ष्य योजना में निर्धारित 270 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले, मार्च 2025 तक राज्य द्वारा 104 हेक्टेयर की उपलब्धि की सूचना दी गई थी। हालांकि, राज्य ने अपने उत्तर (जुलाई 2025) में कहा कि उसने स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार भौतिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर (2024) द्वारा एक वृक्षारोपण स्थल (डैंगा 10 हेक्टेयर) के जी.आई.एस. विश्लेषण से यह पता चला कि वनस्पति में कोई बदलाव नहीं हुआ।

इसलिए, इस उप मिशन के तहत सीबकथॉर्न के वृक्षारोपण की उपेक्षा की गई।

4.4.1.3 एस.एम. 2 (ई): खड्ड पुनर्ग्रहण के अंतर्गत देखी गई अनियमितताएं

यह देखा गया कि इस उप मिशन के तहत केवल तीन राज्यों, अर्थात् ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपनी परिप्रेक्ष्य योजनाओं में केवल 0.0043 एम.एच.ए. के लक्ष्य निर्धारित किए थे। सात और राज्यों ***(अनुलग्नक XXIV)*** में 0.38 एम.एच.ए. के खड्डों के महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपस्थिति के बावजूद, जी.आई.एम. गतिविधियों के लिए किसी क्षेत्र की पहचान नहीं की गई थी। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्यों के पारिस्थितिक तंत्रों को जी.आई.एम. के तहत कवर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उप मिशन 2 (ई) के तहत उत्तराखंड द्वारा अपनी परिप्रेक्ष्य योजना में दिखाए गए 2,061 हेक्टेयर का लक्ष्य गलत था, क्योंकि भारत के बंजर भूमि एटलस 2010 के अनुसार, जिसे राज्य ने अपने बेसलाइन डेटा के लिए उपयोग किया था, राज्य में कोई खड्ड नहीं थे। एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने कहा (जुलाई 2025) कि खड्ड भूमि के संरक्षण के लिए, अन्य योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों

से काम किया जा रहा है। हालांकि, लेखापरीक्षा को कोई समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4.4.1.4 एस.एम. 2 (एफ) के तहत देखी गई अनियमितताएं: परित्यक्त खदानों की पुनर्स्थापना

i. जी.आई.एम. के तहत परित्यक्त खदानों की पहचान न करना

खनन क्षेत्रों के अंतर्गत बंजर भूमि का पुनरूद्धार और पुनर्वास करने की दृष्टि से, जी.आई.एम. के मिशन दस्तावेज़ ने परित्यक्त खनन स्थलों के वनीकरण पर जोर दिया। यद्यपि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल द्वारा परित्यक्त खनन स्थलों पर वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियां की गईं थी, किंतु 21 परित्यक्त खनन स्थलों ***(अनुलग्नक XXV)*** की उपलब्धता के बावजूद चार राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड में कोई गतिविधि नहीं की गई।

एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने कहा (जुलाई 2025) कि संबंधित एफ.डी.ए. से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, हालांकि, इस उप मिशन के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए स्थलीय सत्यापन करने के बाद परिप्रेक्ष्य योजना को संशोधित किया जाएगा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2025) कि वन विभाग मुख्य रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के भीतर वृक्षारोपण करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, खनन क्षेत्र संबंधित वन रेंज अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसके अलावा, परित्यक्त खनन क्षेत्र वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि जी.आई.एम. के दोनों मिशन दस्तावेजों में कहा गया था कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को छोड़ी गई खदानों के वनीकरण के लिए खान मंत्रालय और भारतीय खान ब्यूरो के साथ मिलकर काम करना था। इसके अलावा, राज्य इस उप मिशन के तहत वृक्षारोपण गतिविधि के लिए इन खनन क्षेत्रों वाले वन प्रभागों का चयन कर सकते थे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आगे कहा कि अवलोकन में उल्लिखित विशिष्ट परिदृश्यों/पारिस्थितिक तंत्रों को केंद्र सरकार, राज्य योजनाओं आदि की विभिन्न विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूरा किया जा रहा है, और वृक्षारोपण गतिविधि के लिए क्षेत्रों का चयन राज्यों का विशेषाधिकार है जिसमें मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि यदि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विशिष्ट योजनाओं के तहत विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र को पूरा किया जा रहा है, तो मंत्रालय उन्हें जी.आई.एम. से बाहर निकालने पर विचार कर सकता है और केवल शेष परिदृश्यों में वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके अलावा, वृक्षारोपण गतिविधि के लिए क्षेत्रों का चयन राज्यों का विशेषाधिकार हो सकता है, लेकिन परिप्रेक्ष्य योजना की जांच और उसके बाद की मंजूरी मंत्रालय के पास है। इसलिए, यह देखना मंत्रालय की भूमिका है कि क्या मिशन दस्तावेज़ और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित उपाए राज्यों द्वारा उनकी वास्तविक भावना में पालन किए जाते हैं।

यह देखते हुए कि जी.आई.एम. के तहत कई परिदृश्य थे जिन्हें राज्य और जिला स्तर पर बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से पहचाना जाना था, कई उप मिशनों के तहत लक्ष्यों की सफल उपलब्धि के लिए अधिक योजना निर्माण में व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी।

ii. परित्यक्त खनन स्थल की कम पुनर्स्थापना

मध्य प्रदेश के शिवपुरी वन प्रभाग (2016-17 से 2020-21) की परिप्रेक्ष्य योजना में कानूनी और अवैध खनन से क्षतिग्रस्त पुराने खनन क्षेत्रों के पुनरूद्धार को प्रतिपादित किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एस.एम. 2 (एफ) के तहत लिए जाने वाले 270 हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में, 2019-20 से 2022-23 के दौरान उपचार के लिए केवल 17 हेक्टेयर[76] को लिया गया था। इन कम्पार्ट्मेन्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच से पता चला कि केवल

[76] पाँच कम्पार्टमेंट में - 297, 298, 299, 301 और 2C3D2g2 के 309 और 2C3Dg5 एल3 परिदृश्य

खदान के गड्ढों को मलबे से समतल करने का प्रावधान किया गया था। डी.पी.आर. में वृक्षारोपण और मृदा नमी संरक्षण कार्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2024) के दौरान, यह देखा गया कि मलबा केवल खनन किए गए गड्ढों पर बिना समतल किए डाला गया था, और बहुत कम पौधे दिखाई दे रहे थे जैसा कि नीचे देखा जा सकता है:

चित्र 25: कंपार्टमेंट 298, शिवपुरी वन प्रभाग, मध्य प्रदेश

चित्र 26: कंपार्टमेंट 299, शिवपुरी वन प्रभाग, मध्य प्रदेश

चित्र 27: कंपार्टमेंट 298, शिवपुरी वन प्रभाग, मध्य प्रदेश

चित्र 28: कंपार्टमेंट 299, शिवपुरी वन प्रभाग, मध्य प्रदेश

एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश (जुलाई 2025), ने कहा कि सीमित बजट के कारण गतिविधि के लिए केवल एक छोटा सा क्षेत्र लिया जा सकता है। आगे यह कहा गया कि चूंकि यह क्षेत्र मिट्टी से रहित था, इसलिए इसमें बीज बोने के लिए गड्ढे को भरने के लिए अन्य क्षेत्रों से मिट्टी एकत्र किया जाना था, जिससे इस क्षेत्र के कुछ स्थानों पर घास की वृद्धि देखी जा

सकती है। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि गड्ढों को भरने के लिए लाया गया मलबा समतल नहीं किया गया था और बस वृक्षारोपण स्थल पर डाल दिया गया था। स्थल पर मिट्टी समतल करने के बाद ही वृक्षारोपण किया जा सकता था।

अनुशंसा संख्या 21:

मंत्रालय को वित्तीय सीमाओं के तहत, वन क्षेत्र में वृद्धि के अलावा संरक्षण और बहाली दोनों को शामिल करने के लिए विविध विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों का कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए।

4.4.2 एस.एम. 4: सामाजिक वानिकी और कृषि-वानिकी के अंतर्गत देखी गई अनियमितताएं

गैर-वन भूमि, जैसे सीमांत कृषि भूमि/परती भूमि, गैर-कृषि ग्रामीण भूमि जैसे घर से लगी भूमि, विद्यालय परिसर, कार्यालय परिसर, सड़कों के किनारे वनावरण बढ़ाने और वन उपज की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।

उप मिशन में तीन श्रेणियां शामिल थीं, अर्थात, 4 (ए) किसान की भूमि में वनीकरण, 4 (बी) आश्रय पट्टी वृक्षारोपण और 4 (सी) राजमार्गों/ग्रामीण सड़कों/नहरों/टैंक बंडों के साथ-साथ वनीकरण। इस उप मिशन में की गई गतिविधियों में पाई गई कमियों का विवरण नीचे दिया गया है।

i. हरियाणा

पी.सी.सी.एफ., हरियाणा वन विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन और उप मिशन 4 (सी) के अग्रिम कार्य के तहत निर्धारित गतिविधियों के अनुसार, 3 मीटर x 3 मीटर की दूरी पर गड्ढा रोपण तकनीक द्वारा 1,100 वृक्ष/हेक्टेयर लगाए जाने थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एफ.डी.ए., सोनीपत ने 1,00,100 गड्ढों (1100/हेक्टेयर की दर से) के बजाय 45,500 गड्ढों (4 मीटर x 2.5 मीटर की दूरी के साथ 500/हेक्टेयर की दर से) की खुदाई करके इस उप मिशन के तहत 91 हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्य हासिल किए जिसके परिणामस्वरूप

54,600 गड्ढों तथा वृक्षारोपण की कमी हुई। एफ.डी.ए., हरियाणा ने कहा (जून 2024) कि कार्य अगस्त 2023 में जारी निर्देशों के अनुसार निष्पादित किया गया था, जिसमें उपरोक्त निर्देशों के अलावा, 500 लंबे वृक्ष/हेक्टेयर रोपण के लिए एक और निर्देश भी निर्धारित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अगस्त 2023 के निर्देशों के जारी होने से पहले 2022-23 में एफ.डी.ए. द्वारा कार्य निष्पादित किया गया था।

ii. मिजोरम

मिजोरम में चार एल3 परिदृश्यों[77] में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एस.एम. 4 (ए) के तहत अग्रिम, रोपण और रखरखाव कार्य के लिए 141 किसानों को ₹1.12 करोड़ की राशि (2016-17 से 2022-23) वितरित की गई थी, लाभार्थी वार भूमि विवरण, वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीदें, लाभार्थियों के बैंक खातों में निधि अंतरण विवरण, निधि संवितरण की तारीख और गतिविधियों को शुरू करने की अवधि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिसके अभाव में उप मिशन के तहत की गई वृक्षारोपण की गतिविधियों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

iii. मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के चार एफ.डी.ए.[78] में ऐसे उदाहरण देखे गए, जहां लाभार्थियों की सूची, और एस.एम. 4 (ए) के तहत किए गए वृक्षारोपण की गतिविधियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/वृक्षारोपण पत्रिकाएं जैसे आवश्यक रिकॉर्ड वन विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे।

एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने कहा (जुलाई 2025) कि आवश्यक रिकॉर्ड क्षेत्रीय स्तर पर तैयार किए गए थे लेकिन समय की कमी के कारण संकलित नहीं किए जा सके। अब से अभिलेखों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

---

[77] *भुबन, हमंगहाक, खरूहलियन और थेंटलैंग।*

[78] *दक्षिण सागर, बड़वानी, सेंधवा और दक्षिण सिवनी*

4.4.2.1 नर्सरी से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव ना किया जाना

उप मिशन 4 में किसानों की मांगों को पूरा करने और उच्च उपज वाले किस्म के बीजों को बढ़ावा देने के लिए 'गुणवत्तापूर्ण बीज' जुटाने हेतु नर्सरी के एक कार्यक्रम का समर्थन करने की भी परिकल्पना की गई थी। वृक्षारोपण की उत्तरजीविता दरों में सुधार करने की दृष्टि से, पहली एन.ई.सी. बैठक (मई 2015) में निर्णय लिया गया था कि मंत्रालय द्वारा एक परिपत्र जारी किया जाएगा जिसमें राज्यों को वृक्षारोपण कार्यों के लिए केवल प्रमाणित बीजों और पौधों का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नर्सरी के रिकॉर्ड के रख-रखाव ना होने के संबंध में कमियां देखीं:

i. महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के वडसा वन प्रभाग ने जुलाई 2019 में येरांडी जे.एफ.एम.सी. के कंपार्टमेंट नंबर 158 और 159 में 45 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण पत्रिका के अनुसार, विभिन्न प्रजातियों के 49,500 पौधों में से, 37,250 गोथनगांव नर्सरी से खरीदे गए थे और शेष 12,250 पौधों को पुराडा नर्सरी से खरीदा गया था, जिससे ₹0.33 करोड़ का व्यय हुआ। हालांकि इन नर्सरियों से पौधों की आपूर्ति से संबंधित रिकॉर्ड प्रभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे, प्रभाग ने केवल 9,336 पौधों के लिए परिवहन चालानों को प्रस्तुत किया था, जिनकी जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- वृक्षारोपण (जुलाई 2019) की अवधि के दौरान केवल 900 पौधे वाले चालान जारी किए गए थे और 1,600 पौधे से संबंधित चालान वृक्षारोपण की तारीख के बाद जारी किए गए थे।
- अमलतास के पौधों के संबंध में ट्रांजिट चालान से पता चला कि रजिस्टर के अनुसार वास्तव में लगाए गए 116 पौधों के बजाय स्थल पर 600 पौधों को ले जाया गया था।

- 6,836 पौधों के चालान विभिन्न वृक्षारोपण स्थलों से संबंधित थे।

हालांकि एस.एफ.डी.ए. महाराष्ट्र ने कहा (जुलाई 2025) कि पुराडा और गोथनगांव नर्सरी में बनाए गए नर्सरी रिकॉर्ड संलग्न थे, लेखापरीक्षा ने इस उत्तर के साथ ऐसे कोई रिकॉर्ड संलग्न नहीं पाया।

ii. मध्य प्रदेश

पी.सी.सी.एफ. मध्य प्रदेश (दिसंबर 2018) ने वन प्रभागों को पौधों की खरीद के लिए अनुसंधान और विस्तार की नर्सरी की पहचान करने का निर्देश दिया था। हालांकि, पी.सी.सी.एफ. के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, लेखापरीक्षा ने पाया कि दो प्रभागों, अर्थात् दक्षिण सागर और दक्षिण पन्ना ने अमेठी (उत्तर प्रदेश) और हरदा (मध्य प्रदेश) जो 458 किमी और 500 किमी दूर थे के निजी नर्सरियों से पौधों की खरीद के लिए क्रमशः ₹0.08 करोड़ और ₹0.01 करोड़ की राशि का व्यय (2019-20 और 2023-24) किया। यह भी देखा गया कि खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया था और अनुसंधान और विस्तार प्रभाग की नर्सरी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। एस.एफ.डी.ए., मध्य प्रदेश ने कहा (जुलाई 2025) कि पौधों को निजी नर्सरी से खरीदा गया था क्योंकि अनुसंधान और विस्तार प्रभागों में उचित आयु के पौधे उपलब्ध नहीं थे और इसके लिए निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया था। हालांकि, कोई समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे और उत्तर अनुसंधान प्रभागों से प्राप्त किए जाने वाले अनुपलब्धता प्रमाणपत्रों के बारे में चुप है।

iii. ओडिशा

बोलनगीर प्रभाग, ओडिशा के खारलिकर्णी जे.एफ.एम.सी. ने 2019-20 और 2020-21 के दौरान 80,000 पौधों को तैयार करने की दिशा में ₹0.13 करोड़ का व्यय किया, हालांकि, नर्सरी और बीज वितरण रजिस्टरों के रख-रखाव नहीं किए जाने के कारण, व्यय संदिग्ध पाया गया।

4.5 स्वदेशी पौधों पर विदेशी पौधों को प्राथमिकता

देशी या स्वदेशी पेड़ वनस्पतियों और जीवों को अपने प्राकृतिक आवास के लिए एक विस्तृत विविधता का समर्थन करते हैं। इन पेड़ों की प्रजातियां अपनी स्थानीय मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में पनपने के लिए विकसित हुई हैं और इस प्रकार गैर-देशी प्रजातियों की तुलना में इन्हें कम पानी और रखरखाव की आवश्यकता होती है। वे विभिन्न प्रजातियों के बीच संतुलन बनाए रखने और आक्रामक प्रजातियों से रक्षा करके पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। मिशन ने भी स्थानीय पर्यावरण के लिए उपयुक्त स्वदेशी प्रजातियों की पहचान और प्रचार पर भी जोर दिया।

i. आंध्र प्रदेश में, वन विभाग ने उप-मिशन 1 के तहत 2015-16 और 2022-23 के बीच पडेरू प्रभाग में 447 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र में स्वदेशी पौधों के बजाय एक ऑस्ट्रेलियाई मूल के सिल्वर ओक के वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया कि निर्दिष्ट सिल्वर ओक गैर-स्वदेशी था और वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी। भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के अनुसार, सिल्वर ओक के पेड़ उगाना, कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। प्राकृतिक और मिश्रित छाया वाले पेड़ों की तुलना में, सिल्वर ओक के पेड़ अधिक विकिरण का कारण बनते हैं, उच्च तापमान का उत्सर्जन करते हैं और वृक्षारोपण में आर्द्रता को कम करते हैं। ये पेड़ बड़ी मात्रा में पानी सोखते हैं, जिससे जल स्तर कम हो जाता है। राज्य द्वारा अवलोकन को नोट किया गया है (जुलाई 2025)।

ii. संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च से जुलाई 2024) के दौरान, 2021-22 से 2022-23 में उप मिशन 1, 3 और 5 के तहत पश्चिम बंगाल में पाँच वन प्रभागों में कुल 1,150 आकाशमोनी पेड़ *(एकासिया ऑरिकुलेफोर्मिस),* ऑस्ट्रेलियाई मूल के रोपित पेड़ देखे गए।

एकेसिया ऑरिकुलेफोर्मिस एक आक्रामक प्रजाति है जो प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों जैसे संसाधनों के लिए देशी पौधों से प्रतिस्पर्धा करती है और उनके अंकुरण को रोकती है।

iii. इसी तरह का उदाहरण पंजाब में भी देखा गया, जहां 2016-17 से 2018-19 के दौरान उप मिशन 1 और 2 के तहत दसूया, गढ़शंकर और एस.ए.एस., मोहाली के तीन वन प्रभागों में मिश्रित वृक्षारोपण के तहत कुल 16,929 यूकेलिप्टस पेड़ उगाए गए थे। यूकेलिप्टस, एक ऑस्ट्रेलियाई मूल का पेड़ है जो जल स्तर और मिट्टी के पोषक तत्वों को कम करने के अलावा, अन्य पौधों के विकास को भी रोकता है। एस.एफ.डी.ए. पंजाब ने कहा (जुलाई 2025), कि प्रजातियों का चुनाव किसानों की प्राथमिकता के अनुसार था। हालांकि, तथ्य यह है कि विदेशी प्रजातियों को उप मिशन 4 के तहत वृक्षारोपण के लिए चुना गया था।

इस प्रकार, राज्यों द्वारा देशी प्रजातियों के स्थान पर गैर-देशी प्रजाति के पेड़ों को लगाने की प्राथमिकता दी गई, जो परिदृश्य स्तर पर देशी जैव विविधता प्रजातियों के मिश्रण को पुनर्स्थापित करने के लिए जी.आई.एम. के उद्देश्य को विफल करती है। गैर-देशी और कृत्रिम वृक्षारोपण के माध्यम से वनावरण की भरपाई करना, खोए हुए वन लाभों की भरपाई नहीं करता है और मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2025) कि देशी और मिश्रित प्रजाति, वृक्षारोपण के मानदंड हैं। हालांकि, इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यूकेलिप्टस, एकेसिया जैसे प्रजातियों के पेड़ कुछ बागानों में पहुँच गए होंगे क्योंकि इन्हें विशेष रूप से सामाजिक वानिकी/कृषि-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन नर्सरी में रखा जाता है। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि ऊपर उद्धृत विदेशी प्रजातियों का वृक्षारोपण उप मिशन 1, 2, 3 और 5 के तहत किया गया था, न कि उप मिशन 4: सामाजिक और

कृषि-वानिकी के तहत। इसके अलावा, जी.आई.एम. मिशन दस्तावेज़ 2011 में यह उल्लेख किया गया है कि विदेशी और आक्रामक प्रजातियों का वृक्षारोपण जैव विविधता के साथ-साथ जल वैज्ञानिक व्यवस्था दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अनुशंसा संख्या 22:

मंत्रालय स्वदेशी किस्मों पर विदेशी प्रजातियों के लिए वरीयता को सत्यापित करने और रोकने के लिए यादृच्छिक रूप से वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण करने पर विचार कर सकता है।

4.6 वृक्षारोपण पत्रिकाओं का अनुचित रख-रखाव

प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल के लिए एक वृक्षारोपण पत्रिका संधारित की जाती है और इसमें वृक्षारोपण का पूरा इतिहास कालानुक्रमिक क्रम में, अग्रिम से रखरखाव चरण तक होता है। इसमें स्थान मानचित्र, वृक्षारोपण की विधि, आकार, भूविज्ञान, बाड़ लगाने, प्रजातियों को पालने, तकनीक और अपनाए गए स्थान, वार्षिक उत्तरजीविता प्रतिशत, रखरखाव कार्य और बाद के संचालन जैसे हताहत प्रतिस्थापन, निराई आदि शामिल हैं।

अभिलेखों की जांच और संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च से सितंबर 2024) के दौरान, यह देखा गया कि हरियाणा के अपवाद के अलावा जहां कोई वृक्षारोपण पत्रिका नहीं पाई गई थी, 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में 83 प्रतिशत स्थलों अर्थात, 673 वृक्षारोपण स्थलों[79] में से 556 में वृक्षारोपण पत्रिकाएं संधारित थीं। संधारित 556 वृक्षारोपण पत्रिकाओं में से 15 राज्यों के 431 वृक्षारोपण पत्रिकाओं (77.52 प्रतिशत) में लगाए गए प्रजातियों के प्रकार, स्थान के समन्वय, उत्तरजीविता प्रतिशत, स्थल का निरीक्षण करने वाले अधिकारी की टिप्पणी आदि जैसे पहलुओं को दर्ज नहीं किया गया था ***(अनुलग्नक XXVI)***।

---

[79] *संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखे गए 675 वृक्षारोपण स्थलों में से, केरल में दो स्थलों पर शहद के बक्सों और फर्नीचर का वितरण देखा गया था, इसलिए 673 वृक्षारोपण स्थलों के लिए रिपोर्टिंग की गई है।*

इन पत्रिकाओं में व्यापक आवधिक विवरणों की कमी के कारण वृक्षारोपण की उत्तरजीविता की स्थिति और गुणवत्ता के आकलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में राज्यों को एक परामर्श जारी किया जाएगा।

4.7 जी.आई.एम. के तहत वृक्षारोपण के उत्तरजीविता प्रतिशत का आकलन

जून 2020 में छठी एन.ई.सी. बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के अनुसार, राज्यों में वनीकरण गतिविधियों के परिणाम को मापने के लिए वृक्षारोपण की उत्तरजीविता दर को एक मानदंड के रूप में माना जाना था। इस संबंध में, भारतीय वन सर्वेक्षण को उत्तरजीविता प्रतिशत का आकलन करने के लिए कार्यप्रणाली और प्रौद्योगिकी तैयार करनी थी। हालांकि, लेखापरीक्षा को राज्यों को प्रसारित की गई ऐसी किसी भी जानकारी का पता नहीं चला। इसके अलावा, जुलाई 2023 में आयोजित 9वीं एन.ई.सी. बैठक में, राज्यों से रखरखाव कार्य को प्राथमिकता देने और कम से कम 70 प्रतिशत उत्तरजीविता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था।

16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में 559 वृक्षारोपण स्थलों[80] के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि 95 स्थलों (16.99 प्रतिशत) पर उत्तरजीविता 0 से 40 प्रतिशत के बीच थी, 180 स्थलों (32.20 प्रतिशत) पर उत्तरजीविता 41 से 70 प्रतिशत से कम और 284 स्थलों (50.81 प्रतिशत) पर उत्तरजीविता 70 प्रतिशत और उससे अधिक थी ***(अनुलग्नक XXVII)***।

चूंकि जी.आई.एम. 2014 के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में वृक्षारोपण के उत्तरजीविता प्रतिशत के लिए कोई मानदंड निर्दिष्ट नहीं किया गया था, इसलिए इसे 'सफल' या 'विफलता' के रूप में

[80] 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में 675 वृक्षारोपण स्थलों में से जहां संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था, उत्तरजीविता प्रतिशत के आकलन के लिए 116 स्थलों पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि वहां केवल अग्रिम कार्य किए गए थे/एस.एम. 1 (ए) के तहत गतिविधियां की गईं थीं, जहां पौधरोपण नहीं किया जाता है अथवा जो खरपतवार आदि के कारण अभेद्य थे।

वर्गीकृत करने के लिए, राज्यों ने वृक्षारोपण की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए राज्य पर लागू वृक्षारोपण या मूल्यांकन कोड का उपयोग किया है।

प्रकरण अध्ययन: महाराष्ट्र में जी.आई.एम. वृक्षारोपण का खराब उत्तरजीविता प्रतिशत

महाराष्ट्र ने मूल्यांकन संहिता, 1969 का पालन किया, जिसके तहत वृक्षारोपण के उत्तरजीविता प्रतिशत को 'सफल वृक्षारोपण' (>60 प्रतिशत), 'आंशिक रूप से सफल' (33 से 60 प्रतिशत) और 'विफल वृक्षारोपण' (<33 प्रतिशत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए 35 वृक्षारोपण स्थलों में से, नौ वृक्षारोपण को 'सफल', आठ वृक्षारोपण को 'आंशिक रूप से सफल' और 18 वृक्षारोपण को 'विफल' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

महाराष्ट्र में पी.सी.सी.एफ. स्तर पर देखी गई खराब वित्तीय योजना और प्रबंधन के परिणामस्वरूप शून्य से 10 से कम के बीच के पौधों का खराब उत्तरजीविता प्रतिशत हुआ (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है):

तालिका 14: महाराष्ट्र में जी.आई.एम. वृक्षारोपण का कम उत्तरजीविता प्रतिशत

क्र. सं.	वृक्षारोपण स्थल का नाम (एल3)	प्रभाग का नाम (एल1)	वृक्षारोपण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	उत्तरजीविता प्रतिशत		कम उत्तरजीविता प्रतिशत के लिए प्रभाग द्वारा निर्दिष्ट कारण
				प्रभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार (अक्टूबर 2020 से 2023 तक)	भौतिक सत्यापन के अनुसार	
1	गोरम्बा	नंदुरबार	110	50.00	0	ग्रामीणों को मजदूरी का भुगतान न करने के कारण उन्होने अपने पशुओं को वृक्षारोपण स्थल पर चरने के लिए छोड़ दिया।
2	वैलवल	नंदुरबार	25	66.33	8.42	आस-पास के गाँव के आदिवासियों के मवेशियों को चराने के कारण।
3	रायारी	भोर	25	96	5 से कम	निधि जारी करने में देरी के कारण संरक्षण कार्य नहीं किया जा सका।
4	येरंडी	वदसा	45	61.20	10 से कम	निधि जारी करने में देरी के कारण संरक्षण कार्य नहीं किया जा सका तथा आस-पास के गांवों के पशुधन द्वारा चराई की गई।

चित्र 29: गोरम्बा वृक्षारोपण स्थल पर शून्य उत्तरजीविता

चित्र 30: वाल्वल वृक्षारोपण स्थल पर खराब उत्तरजीविता (8.42 प्रतिशत)

एस.एफ.डी.ए. महाराष्ट्र ने खराब उत्तरजीविता के कारणों के रूप में (जुलाई 2025) निधि का आवंटन न होना बताया।

4.8 जैव विविधता, जल वैज्ञानिक सेवाओं और कार्बन पृथक्करण सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार

2.8 एम.एच.ए. भूमि के उपचार के परिणामस्वरूप जैव विविधता, जल वैज्ञानिक सेवाओं और कार्बन पृथक्करण[81] सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बेहतर होना था। गैर-स्वदेशी प्रजातियों को अपनाने से जुड़े नतीजे, जिनका मतलब है कि वे संरक्षित जैव विविधता पर असर डाल सकते हैं, की चर्चा ***पैरा 4.5*** में की गई है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अन्य पहलुओं के संबंध में सीमाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

4.8.1 मृदा नमी संरक्षण कार्यों की कमी

जल चक्र को बनाए रखने, जल प्रवाह को विनियमित करने, जलभृतों को रिचार्ज करने के लिए वन महत्वपूर्ण हैं और इसलिए, ये पानी की बेहतर उपलब्धता तथा गुणवत्ता दोनों को बेहतर बनाते हैं। जी.आई.एम. 2011 के मिशन दस्तावेज़ में मुख्य रूप से एस.एम. 1 और एस.एम. 2 (बी) के तहत चेक डैम बनाना और कंटूर ट्रेंचिंग आदि जैसे मृदा नमी संरक्षण कार्यों को लेने की परिकल्पना की गई थी। इस गतिविधि के महत्व को देखते हुए, मृदा नमी संरक्षण

---

[81] यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पति (वन और घास के मैदान) और मिट्टी द्वारा संग्रहित की जाती है।

गतिविधियों के लिए कुछ प्रतिशत निधि निर्धारित करने हेतु राज्यों द्वारा किए गए अनुरोधों पर पहली राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक (मई 2015) में पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आश्वासन दिया गया था। हालांकि इन गतिविधियों के लिए अलग से कोई निधि नहीं दिया गया था, राज्यों ने अग्रिम कार्य के लिए जारी निधि के माध्यम से मिट्टी की नमी संरक्षण किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया:

- जी.आई.एम. लागू करने वाले 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश[82] में 472 वृक्षारोपण स्थलों (73.09 प्रतिशत) में से 345 में मृदा नमी संरक्षण गतिविधियों का अभाव देखा गया ***(अनुलग्नक XXVIII)***।
- हालांकि संशोधित मिशन दस्तावेज़ 2021 में मृदा नमी संरक्षण गतिविधियों को जी.आई.एम. के तहत फन्डिंग के लिए एक अलग घटक (वृक्षारोपण गतिविधियों की कुल लागत का 10 प्रतिशत) माना गया था, लेकिन मृदा नमी संरक्षण गतिविधियों के लिए कोई निधि आवंटित नहीं किया जा सका क्योंकि संशोधित मिशन दस्तावेज को राज्यों ने नहीं अपनाया है।

जी.आई.एम. के तहत मृदा नमी संरक्षण कार्यों की अनुपस्थिति से मृदा कटाव, असफल वृक्षारोपण, मृदा पोषक तत्वों की कमी और पूर्ण मरुस्थलीकरण हो सकता है।

एस.एफ.डी.ए. आंध्र प्रदेश ने (जुलाई 2025) को संज्ञान में लिया जबकि एस.एफ.डी.ए. पंजाब ने कहा कि यह कार्य निधि का प्रावधान न करने के कारण, ए.पी.ओ. का हिस्सा नहीं बने। एस.एफ.डी.ए. केरल ने कहा कि एफ.डी.ए. मृदा नमी संरक्षण का कार्य करता है। हालांकि, तथ्य यह है कि यह वन अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए स्थलों में यह नहीं किया गया था।

---

[82] आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस अवलोकन को नोट किया (सितंबर 2025)।

4.8.2 कार्बन पृथक्करण का गैर-मूल्यांकन

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई में कार्बन पृथक्करण एक महत्वपूर्ण घटक है। कैबिनेट अनुमोदन 2014 के अनुसार 14 से 17 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष और मिशन दस्तावेज़ 2021 के अनुसार, 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष कार्बन पृथक्करण किया जाना था।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एन.ई.सी.) ने अपनी बैठक (अक्टूबर 2015) में यह भी सिफारिश की थी कि राज्यों को कार्बन उत्सर्जन में कमी की गणना करनी चाहिए और वृक्षारोपण, कार्बन पृथक्करण और बायोमास की बचत के तहत कवर किए गए क्षेत्र की सीमा के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम को प्राप्त करना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2025 तक राज्यों द्वारा एन.ई.सी. की सिफारिशों के अनुपालन के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'शासन में जलवायु परिवर्तन' (सितंबर 2022) में देखा था कि अधिकांश राज्यों द्वारा कार्बन पृथक्करण की निगरानी नहीं की जा रही थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि यद्यपि मिशन, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, 1,47,925.63 हेक्टेयर के क्षेत्र में वनीकरण प्राप्त करने में कामयाब रहा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़[83] को छोड़कर किसी भी राज्य ने 2015-2025 के दौरान संग्रहित कार्बन का आकलन नहीं किया। इसलिए, कार्बन पृथक्करण का आकलन न करने के कारण, मिशन की प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए जलवायु परिवर्तन के संबंध में जी.आई.एम. गतिविधियों की प्रभावशीलता को निर्धारित नहीं किया जा सका।

---

[83] *विश्व बैंक की सहायता से चलने वाला पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने 0.21 मिलियन टन का मूल्यांकन किया।*

एस.एफ.डी.ए. महाराष्ट्र ने कहा (जुलाई 2025) कि वृक्षारोपण परिपक्व होने और पर्याप्त बायोमास जमा करने के बाद कार्बन पृथक्करण को मापा जाएगा। उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि पुराने पेड़ों की बायोमास में वृद्धि के कारण समग्र कार्बन भंडारण क्षमता अधिक होती है, छोटे पेड़ तेजी से बढ़ते हैं और शुरू में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इसलिए, पौधों के किसी भी चरण में कार्बन पृथक्करण किया जा सकता है और मौजूदा मामले में मिशन के तहत अपेक्षित था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2025) कि वन कार्बन भंडार का आकलन करने की जिम्मेदारी भारतीय वन सर्वेक्षण की है, जो भारत राज्य वन रिपोर्ट में अपने निष्कर्षों को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित करता है। हालांकि, तथ्य यह है कि एफ.एस.आई. द्वारा किया गया मूल्यांकन पूरे राज्य के लिए है, न कि जी.आई.एम. के तहत चयनित क्षेत्रों में किए गए वृक्षारोपण के लिए। इस प्रकार, जी.आई.एम. के तहत वृक्षारोपण द्वारा संग्रहित कार्बन का आकलन नहीं किया जा सका।

अनुशंसा संख्या 23:

मंत्रालय को जी.आई.एम. के तहत उपचारित वनों द्वारा संग्रहित कार्बन की निगरानी के लिए कड़े प्रयास करने चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों में सहायता के अलावा राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान प्राप्त करने की दिशा में इसके योगदान को जाना जा सके।

4.8.3 जी.आई.एम. के अंतर्गत आजीविका सुधार गतिविधि

2014 में कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार जी.आई.एम. का एक उद्देश्य जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले लगभग 0.85 मिलियन परिवारों की वन-आधारित आजीविका आय को बढ़ाना था। इस मिशन से खाद्य, ईंधन की लकड़ी, घास/चारा, लकड़ी, बांस, बेंत और गैर-

लकड़ी वन उपज के रूप में वन आधारित बायोमास में काफी वृद्धि होने की उम्मीद थी ताकि समुदाय को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद मिल सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश[84] ***(अनुलग्नक XXIX)*** द्वारा आजीविका सुधार गतिविधियों के तहत ₹34.47 करोड़ के व्यय की सूचना दी गई थी, सात राज्यों[85] द्वारा लाभान्वित परिवारों की संख्या का आकलन नहीं किया गया। शेष सात में से चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश[86] ने 6,949 परिवारों की आजीविका में वृद्धि की सूचना दी। तीन राज्यों, अर्थात् हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा ने 'शून्य' आंकड़ों की सूचना दी। इसके अलावा, मिशन के तहत जिन परिवारों की आय में वृद्धि की गई थी, उनकी संख्या का पता लगाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने (सितंबर 2025) इस अवलोकन को नोट किया।

इस प्रकार, वनों में और आसपास रहने वाले लगभग 0.85 मिलियन परिवारों की वन-आधारित आजीविका आय बढ़ाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

4.9 लक्ष्यों के निर्धारण और अनुमोदन में कमियां

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद जी.आई.एम. गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निधि जारी करने से पहले प्रत्येक राज्य की परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी देने के कार्य के साथ निहित है। लेखापरीक्षा ने लक्ष्यों के अनुमोदन में कमियों को देखा जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

---

84 पश्चिम बंगाल द्वारा किसी व्यय की सूचना नहीं दी गई थी और मिजोरम द्वारा यह गतिविधि कम वित्तपोषण के कारण नहीं की जा सकी थी।

85 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम

86 जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और उत्तराखंड

4.9.1 जी.आई.एम. के अंतर्गत लक्ष्यों को निर्धारित करने में गैर-समान दृष्टिकोण और वृक्षारोपण कार्यक्रम के कुछ घटकों का कार्यान्वयन ना होना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न उप-मिशनों के तहत सभी तीन घटकों अर्थात अग्रिम, रोपण और रखरखाव कार्यों के लिए भौतिक लक्ष्यों को मंजूरी दी है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से 4 में एस.एम. 1 (ए) और एस.एम. 4 (ए, बी और सी) के तहत सभी तीन घटकों के तहत लक्ष्यों के निर्धारण में विसंगतियों को देखा (जैसा कि ***तालिका 15*** में दर्शाया गया है)।

तालिका 15: विभिन्न उप मिशनों के तहत अनुमोदित और गैर अनुमोदित घटकों का विवरण

राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	घटक जिसके लिए परिप्रेक्ष्य योजनाओं में लक्ष्य अनुमोदित किए गए थे	घटक जिसके लिए परिप्रेक्ष्य योजनाओं में लक्ष्य अनुमोदित नहीं किए गए थे
एस.एम. 1 (ए): वनावरण की गुणवत्ता में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार; मध्यम सघन किंतु अवनत वन		
महाराष्ट्र	केवल रोपण और रखरखाव कार्य	अग्रिम कार्य
जम्मू और कश्मीर	केवल अग्रिम कार्य	रोपण और रखरखाव कार्य
हरियाणा	केवल रोपण कार्य	अग्रिम और रखरखाव कार्य
एस.एम. 1 (बी): खुले अवनत वन की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना (प्रकार ए)		
हरियाणा	केवल रोपण कार्य	अग्रिम और रखरखाव कार्य
एस.एम. 4: कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी		
हरियाणा	केवल रोपण कार्य एस.एम. 4 (ए) के अंतर्गत किसान भूमि, वर्तमान परती सहित	अग्रिम और रखरखाव कार्य
सिक्किम	केवल रोपण और रखरखाव कार्य एस.एम. 4 (सी) राजमार्गों/ग्रामीण सड़कों/नहरों के अंतर्गत	अग्रिम कार्य
जम्मू और कश्मीर	केवल रोपण कार्य एस.एम. 4 (ए), (बी) और (सी) के अंतर्गत	अग्रिम और रखरखाव कार्य

चूंकि सभी तीन घटक किसी भी वृक्षारोपण कार्यक्रम के पूर्ण और सफल होने के लिए पूर्वापेक्षाएं थीं, उनमें से किसी की भी अनुपस्थिति वृक्षारोपण कार्यक्रम की सफलता दर को कम करती है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2025) कि वार्षिक लक्ष्य ए.पी.ओ. में प्रस्तुत किए जाते हैं, न कि परिप्रेक्ष्य योजनाओं में। हालांकि, तथ्य यह है कि राज्य की प्रस्तावित परिप्रेक्ष्य योजना के समेकित सार में विभिन्न उप मिशनों के तहत अग्रिम, रोपण और रखरखाव के लिए वर्षवार लक्ष्य शामिल होते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने वृक्षारोपण चक्र के सभी तीन घटकों अर्थात अग्रिम, रोपण और रखरखाव के लिए लक्ष्य आवंटित करने में गैर-समान दृष्टिकोण अपनाने वाले राज्यों पर ध्यान नहीं दिया।

4.9.2 विभिन्न घटकों के लिए लक्ष्यों में विसंगतियां

एन.ई.सी. ने एस.एम. 1 (बी) प्रकार बी, एस.एम. 1 (बी) प्रकार सी, एस.एम. 3 और एस.एम. 4 (सी) के तहत 17,197 हेक्टेयर अग्रिम कार्य के लक्ष्य को मंजूरी दी। हरियाणा की परिप्रेक्ष्य योजना के तहत, अग्रिम कार्य का लक्ष्य रोपण कार्य और रखरखाव कार्य के लिए बाद के वर्षों में लक्ष्य बनना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि रोपण कार्य (14,176 हेक्टेयर) के साथ-साथ तीन वर्षों के रखरखाव कार्यों के लक्ष्य (14,072.5 हेक्टेयर, 14,072.5 हेक्टेयर और 13,534 हेक्टेयर) अग्रिम कार्य के लक्ष्य अर्थात, 17,197 हेक्टेयर से अलग थे, जैसा कि नीचे तालिका में विस्तृत है:

तालिका 16: असंगत लक्ष्यों वाले उप मिशनों का विवरण

एन.ई.सी. में अनुमोदित अग्रिम कार्य वाले उप मिशनों का विवरण (हेक्टेयर में)							**एन.ई.सी. में अनुमोदित रोपण कार्य वाले उप मिशनों का विवरण (हेक्टेयर में)**				
क्रं. सं.	**उप मिशन**	**एस. एम. 1 (बी) प्रकार बी**	**एस. एम. 1 (बी) प्रकार सी**	**एस. एम. 3**	**एस. एम. 4 (सी)**	**कुल**	**एस. एम. 1 (ए)**	**एस. एम. 1 (बी) प्रकार ए**	**एस. एम. 4 (ए)**	**एस. एम. 4 (बी)**	**कुल**
1	अग्रिम	4803	5794	1665	4935	17197	0	0	0	0	0
2	रोपण	3469	4169	1603	4935	14176	14269	7348	17802	10946	50365
3	रख-रखाव कार्य वर्ष 1	3403	4168.5	1566	4935	14072.5	0	0	0	9946	9946
4	रख-रखाव कार्य वर्ष 2	3403	4168.5	1566	4935	14072.5	0	0	0	0	0
5	रख-रखाव कार्य वर्ष 3	3387	3957	1526	4664	13534	0	0	0	0	0

इसके अतिरिक्त, एस.एम. 1 (ए), एस.एम. 1 (बी) प्रकार ए, एस.एम. 4 (ए) और एस.एम. 4 (बी) के तहत किए गए कार्यों के लिए, यह देखा गया कि अग्रिम कार्य के लक्ष्य नहीं थे और रोपण कार्य के लक्ष्य पहले वर्ष के लिए रख-रखाव कार्य के लक्ष्य से अलग थे। इसके अलावा, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए रख-रखाव कार्य के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

एस.एफ.डी.ए. हरियाणा ने कहा (जुलाई 2025) कि रोपण के रूप में लिया गया 14,176 हेक्टेयर का आंकड़ा एक टंकण त्रुटि थी। उप मिशन 4 (बी) के लिए, रखरखाव कार्य दूसरे और तीसरे वर्ष में किया जाएगा। हालांकि, तथ्य यह है कि परिप्रेक्ष्य योजना में इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

4.9.3 परिप्रेक्ष्य योजना में लक्ष्यों के निर्धारण के बिना किए गए अग्रिम, रोपण और रख-रखाव कार्य

i. एस.एम. 1 (बी) के तहत अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजना (2016-17 से 2021-22) में अवनत खुले वन (प्रकार ए) की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाने के बावजूद, पंजाब राज्य वन विभाग ने 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान ₹8.87 करोड़ की कुल लागत पर उप-मिशन के तहत अग्रिम (2,825 हेक्टेयर), रोपण (2,225 हेक्टेयर) और रख-रखाव कार्य (1,825 हेक्टेयर) किया। एस.एफ.डी.ए. पंजाब ने कहा (जुलाई 2025) कि वृक्षारोपण गतिविधियां अनुमोदित ए.पी.ओ. के अनुसार की गई थीं। हालांकि, तथ्य यह है कि ए.पी.ओ. में अनुमोदित गतिविधियां परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार नहीं हुईं।

ii. यद्यपि जम्मू और कश्मीर की अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजना ने एस.एम. 4 कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी के तहत केवल रोपण कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने अनुमोदित रोपण कार्य के बजाय ₹2 करोड़ (2021-22 से 2022-23) की लागत से 375 हेक्टेयर पर अग्रिम कार्य किया।

अनुशंसा संख्या 24:

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी स्थल के लिए अनुमोदित अग्रिम, रोपण और रखरखाव कार्यों सहित संपूर्ण वृक्षारोपण प्रक्रिया बाद के वर्षों के वार्षिक कार्य योजना से मिलान करके पूरा किया जाए। यह विभिन्न उप मिशनों के लिए सभी तीन घटकों की आवश्यकता की भी समीक्षा कर सकता है।

4.9.4 एन.ई.सी. द्वारा लक्ष्यों के अनुमोदन में देखी गई विसंगतियां

परिप्रेक्ष्य योजनाओं में एक समेकित सार शामिल होता है जिसमें राज्यों में पहचाने गए परिदृश्यों में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों के उप-मिशन वार और वर्षवार वित्तीय और भौतिक लक्ष्य शामिल होते हैं। समेकित सार के आधार पर परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद को अनुमोदन के लिए अग्रेषित की जाती है। लेखापरीक्षा ने, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी परिप्रेक्ष्य योजनाओं में प्रस्तुत प्रस्तावों और अनुमोदनों में विसंगतियों को देखा:

i. एस.एफ.डी.ए., सिक्किम (2017-27) द्वारा प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य योजना में ₹157 करोड़ की लागत से 16,698 हेक्टेयर (अवनत वन भूमि के 15,460 हेक्टेयर के वन/वृक्ष आवरण में वृद्धि और सुधार और शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वन/वृक्ष आवरण को 1,238 हेक्टेयर तक बढ़ाना) का उपचार शामिल है। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.ई.सी. ने जनवरी 2018 में ₹157 करोड़ की लागत से आठ वर्षों में 2,01,768.45 हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सिक्किम की परिप्रेक्ष्य योजना को मंजूरी दी। परिप्रेक्ष्य योजना की जांच से यह भी पता चला कि जनवरी 2018 में एन.ई.सी. द्वारा अनुमोदित 2,01,768.45 हेक्टेयर का लक्ष्य जी.आई.एम. हस्तक्षेपों के लिए चुने गए सिक्किम के 25 एल2 परिदृश्यों के कुल क्षेत्र से संबंधित है, न कि जी.आई.एम. गतिविधियों के लिए नियोजित वास्तविक क्षेत्र (अर्थात 16,698 हेक्टेयर) जैसा कि राज्य

द्वारा प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य योजना में प्रस्तावित है। इससे सिक्किम के लिए बढ़े हुए लक्ष्यों को मंजूरी मिली और हितधारकों को भ्रामक जानकारी प्रदान की गई।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2025) कि सिक्किम की परिप्रेक्ष्य योजना ने 25 एल2 परिदृश्यों के लिए 2,01,768.45 हेक्टेयर की पहचान की, जिसके भीतर 16,698 हेक्टेयर को वास्तविक मिशन गतिविधियों के लिए एल3 परिदृश्य के रूप में चिह्नित किया गया। 2024-25 तक की अवधि को कवर करने वाली अनुमोदित योजना में कोई विसंगति नहीं थी। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सिक्किम द्वारा प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य योजना के वर्ष-वार सार में एन.ई.सी. द्वारा अनुमोदित 2,01,768.45 हेक्टेयर के स्थान पर 16,698 हेक्टेयर का कुल लक्षित क्षेत्र था और मंत्रालय द्वारा इसकी अनदेखी की गई थी।

ii. मई 2015 में ओडिशा राज्य के लिए एन.ई.सी. द्वारा पांच वन प्रभागों से संबंधित 96,212 हेक्टेयर (यानी, वन और वृक्ष आवरण को 77,500 हेक्टेयर तक बढ़ाना और वन/वृक्ष आवरण को 18,712 हेक्टेयर तक सुधारना) के लक्ष्य को मंजूरी दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये लक्ष्य परिप्रेक्ष्य योजना के बजाय ओडिशा के परिदृश्य सर्वेक्षण की अध्ययन रिपोर्ट से लिए गए थे। इस परिदृश्य सर्वेक्षण रिपोर्ट में वर्षवार और उप-मिशनवार सार शामिल नहीं था जैसा कि अन्य राज्यों की परिप्रेक्ष्य योजनाओं में संलग्न होता है। लेखापरीक्षा के दौरान, मंत्रालय द्वारा पांच वन प्रभागों से संबंधित 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों के लिए 2,198.56 हेक्टेयर का सार प्रस्तुत किया गया था और इसे ओडिशा वन विभाग द्वारा राज्य लेखापरीक्षा टीम के साथ भी साझा किया गया था। हालांकि 2,198.56 हेक्टेयर के लक्ष्य को पहले निर्गमन पत्र के अनुसार अनुमोदित बताया गया था किंतु यह एन.ई.सी. द्वारा अनुमोदित नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2024-25 तक ओडिशा द्वारा अपने ए.पी.ओ. में भेजे गए 16 वन प्रभागों (पहचाने गए मूल पांच वन प्रभागों के मुकाबले) से संबंधित 13,251

हेक्टेयर के अग्रिम कार्य के लक्ष्यों को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था जो परिप्रेक्ष्य योजना के सार से 11,052.44 हेक्टेयर[87] अधिक थे। इस प्रकार, 16 वन प्रभागों के लक्ष्यों को मंत्रालय द्वारा अनियमित रूप से अनुमोदित किया गया था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2025) कि राज्य द्वारा प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य योजना में 10 वर्षों (2015-16 से 2025-26) की अवधि के लिए 96,212 हेक्टेयर का कुल क्षेत्र शामिल था, जिसके तहत ए.पी.ओ. 2015-16 के अंतर्गत वास्तविक गतिविधि क्षेत्र (एल3 परिदृश्य) 2,177.72 हेक्टेयर था (उल्लिखित 2198.56 हेक्टेयर के विरुद्ध)। मंत्रालय निधि जारी करने के लिए इस अनुमोदित योजना का पालन कर रहा है। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वर्ष-वार और उप-मिशनवार सार के अनुसार लक्ष्यों में केवल 2,198.56 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित था ना कि 96,212 हेक्टेयर।

iii. इन उप मिशनों के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में तीन आवश्यक घटक शामिल थे जैसे कि पहले वर्ष में अग्रिम कार्य (जिसमें वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण और मानचित्रण, स्थल तैयार करना और पौध उगाना, मिट्टी की नमी संरक्षण कार्य सम्मिलित थे), दूसरे वर्ष में रोपण कार्य (जिसमें क्षतिग्रस्त पौधों का प्रतिस्थापन सहित पौधों का रोपण शामिल थे) और तीन साल के लिए रखरखाव कार्य (जिसमें क्षतिग्रस्त पौधों का प्रतिस्थापन, कीट नियंत्रण और निराई शामिल थे)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 15 राज्यों के मामले में एन.ई.सी. द्वारा अनुमोदित कुल भौतिक लक्ष्य केवल अग्रिम या रोपण कार्य के लक्ष्यों से संबंधित हैं, अर्थात, पहले वर्ष के लिए अग्रिम कार्य दूसरे वर्ष के लिए रोपण और बाद के तीन वर्षों में रखरखाव कार्य बन जाता है। कुल लक्ष्य राज्य में जी.आई.एम. के अंतर्गत उपचारित किए जाने वाले क्षेत्र के बराबर

---

[87] *13,251 हेक्टेयर - 2,198.56 हेक्टेयर*

थे। इसके विपरीत, लेखापरीक्षा ने पाया कि मई 2015 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर्नाटक की परिप्रेक्ष्य योजना में 2015-16 से 2024-25 के दौरान 22,165 हेक्टेयर का कुल लक्ष्य निर्धारित था, जो अग्रिम (5,100 हेक्टेयर), रोपण (4,815 हेक्टेयर) और रखरखाव कार्य (12,250 हेक्टेयर) से संबंधित लक्ष्यों का संचयी योग था, जिसके कारण भौतिक लक्ष्य में 17,065 हेक्टेयर तक की वृद्धि हो गई। राज्य के लिए वास्तविक लक्ष्य 10 वर्षों के लिए 5,100 हेक्टेयर था जो गलत तरीके से अनुमोदित लक्ष्य अर्थात 22,165 हेक्टेयर का केवल 23 प्रतिशत था।

अतः राज्य तथा मंत्रालय दोनों स्तरों पर–वर्षवार और घटकवार लक्ष्यों के निर्धारण में पर्याप्त समीक्षा न होने के कारण एन.ई.सी. द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों और ए.पी.ओ. के अनुसार स्वीकृत लक्ष्यों में अंतर पाया गया।

अनुशंसा संख्या 25:

मंत्रालय को एन.ई.सी. की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने से पहले लक्ष्यों की समीक्षा करने में उचित परिश्रम सुनिश्चित करना चाहिए।

4.10 अन्य विसंगतताएं

लेखापरीक्षा ने कार्यों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण तथा गैर परिचालित कार्बन फ्लक्स टावरों के मामलों को भी देखा जैसा कि नीचे दिया गया है:

4.10.1 केरल एफ.डी.ए. द्वारा किए गए कार्य का गलत वर्गीकरण

लेखापरीक्षा ने केरल के 12 प्रभागों के तहत चयनित जे.एफ.एम.सी. में कार्य के वर्गीकरण में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के 73 मामलों (जैसा कि ***अनुलग्नक XXX*** में वर्णित है) का अवलोकन किया, जहां अग्नि सुरक्षा, वृक्षारोपण का रखरखाव, गैस कनेक्शन की आपूर्ति, विभिन्न उप मिशनों के तहत वृक्षारोपण कार्य से संबंधित कार्यों को 'अग्रिम कार्य' के रूप में लिया गया था;

अग्नि सुरक्षा, मृदा नमी संरक्षण कार्यों, खरपतवार उखाड़ने, स्कूल बोर्ड का निर्माण, स्थानीय स्तर के संस्थानों को मजबूत करने से संबंधित कार्यों को 'रोपण कार्य' के रूप में लिया गया था। इसके अलावा, जिन परिदृश्यों में कोई काम नहीं किया गया था, उन्हें भी 'रोपण कार्य' के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा, वृक्षारोपण, शहद के बक्सों के वितरण, प्रेशर कुकर, गैस कनेक्शन से संबंधित कार्यों को 'रखरखाव कार्य' के रूप में रिपोर्ट किया गया था, जबकि वे रोपण कार्य और आजीविका सुधार उप-घटकों से संबंधित थे।

तालिका 17: केरल एफ.डी.ए. द्वारा किए गए कार्यों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

क्रं. सं.	एफ.डी.ए./ एस.एफ.डी.ए. द्वारा वर्गीकृत कार्य का प्रकार	मामलों की कुल संख्या	गलत वर्गीकृत मामलों की संख्या	वर्गीकृत किए जाने वाले कार्य का प्रकार
1	रोपण कार्य	51	4	अग्रिम कार्य
			27	रख-रखाव कार्य
			3	वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की गतिविधि
			11	इस दौरान कोई कार्य नहीं किया गया
			5	एफ.डी.ए. का सुदृढीकरण
			1	जी.आई.एम. से संबंधित नहीं
2	अग्रिम कार्य	11	1	रोपण कार्य
			9	रख-रखाव कार्य
			1	वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की गतिविधि
3	रख-रखाव कार्य	11	2	इस दौरान कोई कार्य नहीं किया गया
			1	रोपण कार्य
			7	वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की गतिविधि
			1	आजीविका सुधार
कुल		**73**	**73**	

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के परिणामस्वरूप रोपण कार्य के संबंध में आंकड़ों का गलत प्रतिनिधित्व हुआ, जो वृक्षारोपण से संबंधित है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ने अपने उत्तर (जुलाई 2025) में कहा कि एफ.डी.ए. द्वारा किए गए कार्य के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को ठीक किया जाएगा।

अनुशंसा संख्या 26:

मंत्रालय, एस.एफ.डी.ए. केरल को वृक्षारोपण कार्य के विभिन्न घटकों के तहत की गई गतिविधियों को देखने और उन्हें अग्रिम, रोपण और रखरखाव कार्यों के अंतर्गत राज्य द्वारा की गई उपलब्धियों की उचित रिपोर्टिंग के लिए सही ढंग से वर्गीकृत करने के निर्देश जारी कर सकता है।

4.10.2 पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना में देखी गई अनियमितताएं

वन कार्बन भंडार (परियोजना के घटकों में से एक) को मापने और निगरानी करने तथा इस संबंध में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्य वन विभागों की क्षमता का निर्माण करने की दृष्टि से, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई.) ने छत्तीसगढ़ के सोनहाट, और मध्य प्रदेश के खटपुर में कार्बन फ्लक्स टॉवर स्थापित करने का प्रस्ताव (जनवरी 2020) जारी किया।

मेसर्स मीटेक सॉल्यूशंस एल.एल.पी., गुड़गांव, हरियाणा (सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी), जिसने दो कार्बन फ्लक्स टावरों की आपूर्ति, परिवहन और स्थापना तथा एक साल की मानक वारंटी की समाप्ति के बाद चार साल की विस्तारित वारंटी तथा दोनों सिस्टम के लिए पांच साल की अवधि के अंशांकन शुल्क के लिए के लिए ₹4.21 करोड़ उद्धृत किया था, उसका चयन जून 2020 में किया गया था।

हालांकि, फ्लक्स टॉवर के रखरखाव/विस्तारित वारंटी और अंशांकन के लागत मूल्यांकन के लिए गठित (अगस्त 2020) एक समिति ने सुझाव दिया कि चूंकि देहरादून में स्थापित फ्लक्स टावरों के पांच साल के रखरखाव के अनुबंध के लिए कोई पूर्व उदाहरण उपलब्ध नहीं था, इसलिए वर्तमान मामले में टावरों की खरीद एक वर्ष की मानक वारंटी के साथ ₹2.44 करोड़ (जी.एस.टी. सहित) की लागत पर की जाए, साथ ही ₹0.22 करोड़ की एक वर्ष की विस्तारित

वारंटी तथा 5 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. यानी ₹0.01 करोड़ का प्रावधान किया जाए। सेंसर का अंशांकन आवश्यकता के आधार पर किया जा सकता है।

यह देखा गया कि केवल ₹2.67 करोड़ की लागत से एक वर्ष की विस्तारित वारंटी के साथ टावरों की खरीद और स्थापना के लिए सहमति दी गई थी। इसके बाद, फ्लक्स टावरों के स्थल को बाड़ लगाने, एक सुरक्षा झोपड़ी के निर्माण, फ्लक्स टावरों के कामकाज से जुड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद पर ₹0.70 करोड़ की राशि का व्यय किया गया।

हालांकि, मार्च 2021 में दोनों राज्यों में अनुमोदित स्थलों पर मेसर्स मीटेक सॉल्यूशंस एलएलपी द्वारा दो फ्लक्स टॉवर सफलतापूर्वक स्थापित किए गए थे, आई.सी.एफ.आर.ई. ने नवंबर 2021 में यह देखा कि फ्लक्स टावरों पर स्थापित सेंसरों के काम न करने के कारण गलत रीडिंग प्राप्त हो रही थीं, जिनके सुधार की आवश्यकता थी। आई.सी.एफ.आर.ई. और मैसर्स मीटेक सॉल्यूशंस के अधिकारियों द्वारा दोनों स्थलों (जनवरी 2022) पर फ्लक्स टावरों के निरीक्षण से निम्नलिखित का पता चला:

- सेंसर के अंदर नमी की उपस्थिति के कारण दोनों स्थानों पर सी.एन.आर. 4 (नेट रेडियोमीटर) सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहे थे।
- दोषपूर्ण पाए जाने पर दोनों स्थानों पर प्रकाश संश्लेषित रूप से सक्रिय विकिरण सेंसर को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- छत्तीसगढ़ में स्थापित फ्लक्स टॉवर में वायुमंडलीय तापमान और सापेक्ष आर्द्रता सेंसर दोषपूर्ण पाए गए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हालांकि दोनों स्थलों पर जून 2022 में सी.एन.आर.4 (नेट रेडियोमीटर) सेंसर और वायुमंडलीय तापमान और सापेक्ष आर्द्रता सेंसर सफलतापूर्वक स्थापित किए गए थे, छत्तीसगढ़ में टॉवर पर स्थापित प्रकाश संश्लेषित रूप से सक्रिय विकिरण सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था।

इसके अलावा, यह देखा गया कि नवंबर 2021 से जून 2022 की अवधि के दौरान सेंसर के काम ना करने के कारण फ्लक्स टावर गलत रीडिंग दे रहे थे, आई.सी.एफ.आर.ई. ने कार्बन फ्लक्स के माप पर अपनी रिपोर्ट (दिसंबर 2022) प्रस्तुत की। जिसमें अप्रैल 2021 से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान गणना की गई नेट इकोसिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज[88] की रीडिंग शामिल थी, जिससे रिपोर्ट की प्रमाणिकता पर संदेह पैदा हो रहा है।

विस्तारित वारंटी अवधि (अप्रैल 2023) के पूरा होने पर, डेटा की निर्बाध रिकॉर्डिंग के लिए अंशांकन की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसे मैसर्स कैंपबेल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जुलाई 2023 में ₹0.13 करोड़ की लागत से किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उनके भंडार में सेंसर की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी 12 वायुमंडलीय तापमान और सापेक्ष आर्द्रता सेंसर में से केवल आठ को बदल सकती है जिन्हें दोनों स्थलों पर स्थापित किया जाना था। इसके अलावा, छः और सेंसर (सी.एन.आर.4 - नेट रेडियोमीटर और प्रकाश संश्लेषित रूप से सक्रिय विकिरण) को मौसम के उस समय कैलिब्रेट नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे विकिरण सेंसर थे और अंशांकन कार्य के लिए स्पष्ट आकाश की आवश्यकता होती थी।

फ्लक्स टावरों के संचालन के लिए निधि प्राप्त करने की दृष्टि से, आई.सी.एफ.आर.ई. ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (अप्रैल 2023) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन जुलाई 2025 तक मंत्रालय से कोई जवाब नहीं मिला।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.सी.एफ.आर.ई. के पास निधियों की अनुपलब्धता के कारण लंबित सेंसरों का अंशांकन (जुलाई 2025) नहीं किया जा सका। इसलिए, फ्लक्स टॉवर जुलाई 2025 तक चालू नहीं थे।

---

[88] मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 4.84 से 5.40 टन कार्बन और छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ष 4.09 से 4.45 टन कार्बन।

इसके अलावा, यह सूचित किया गया था कि दोनों स्थलों पर फ्लक्स टॉवर वन विभाग को नहीं सौंपे गए थे क्योंकि उनके पास उनके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक विशेषज्ञता और तकनीकी क्षमता नहीं थी और उनका रख रखाव आई.सी.एफ.आर.ई. द्वारा किया जा रहा है।

इस प्रकार, फ्लक्स टावरों के रखरखाव और देखभाल के संबंध में आई.सी.एफ.आर.ई. की ओर से दोषपूर्ण योजना के कारण ₹3.50 करोड़ के व्यय के बावजूद कार्बन पृथक्करण की मात्रा के लिए निर्मित बुनियादी ढांचे निष्क्रिय पड़े रहे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2025) में कहा कि फ्लक्स टावरों को चालू कर दिया गया है। हालांकि, तथ्य यह है कि आई.सी.एफ.आर.ई. के पास निधि की कमी के कारण खराब सेंसर को बदलने से संबंधित कार्य अभी भी नहीं किया गया है।

अनुशंसा संख्या 27:

फ्लक्स टावरों को जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास किए जा सकते हैं ताकि वनों द्वारा पृथक्क कार्बन की मात्रा को मापा जा सके एवं इन बुनियादी ढांचागत परिसंपत्तियों को और निष्क्रिय होने से रोका जा सके।

4.11 निष्कर्ष

यद्यपि जी.आई.एम. 2011 के मिशन दस्तावेज में 2021 तक देश में 10 एम.एच.ए. भूमि (प्रत्येक 5 एम.एच.ए. में वनावरण में वृद्धि और 5 एम.एच.ए. में वनावरण की गुणवत्ता में सुधार) के उपचार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी, लेकिन 2018 तक उन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से 2014 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा केवल 2.8 एम.एच.ए. के लक्ष्य को मंजूरी दी गई थी। मिशन दस्तावेज़ 2021 जिसमें 2030 तक 25 मिलियन हेक्टेयर का नया लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की गई थी, कार्यान्वित नहीं

किया गया क्योंकि इसके कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को अभी तक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। हालांकि 2021 के मिशन दस्तावेज़ में बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत 11.22 मिलियन हेक्टेयर की उपलब्धि का दावा किया गया था, जिसमें जी.आई.एम. भी शामिल था, अकेले जी.आई.एम. के तहत केवल 0.14793 मिलियन हेक्टेयर की उपलब्धि हुई थी, जिससे 2014 में इसके लिए निर्दिष्ट लक्ष्यों के मुकाबले 94.72 प्रतिशत की कमी थी।

लेखापरीक्षा ने जी.आई.एम. के कार्यान्वयन में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों प्रकार की अनेक कमियाँ पाई, जिनका प्रभाव इसके उद्देश्यों को ठोस परिणामों में बदलने की क्षमता पर पड़ा।

इनमें गलत लक्ष्यों का अनुमोदन, वृक्षारोपण चक्र के घटकों अर्थात, अग्रिम, रोपण और रखरखाव के लिए लक्ष्यों के आवंटन में असमान दृष्टिकोण अपनाना, तथा गैर अनुमोदित परिदृश्यों में किए जा रहे वृक्षारोपण गतिविधियों, जिसनें स्थल-विशिष्ट पुनर्स्थापना के मुख्य सिद्धांत को कमजोर किया। स्थलों के चयन में स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जा रहा था जिनके लिए या तो वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं थी या जहां वृक्षारोपण पारिस्थितिक रूप से अनुचित थे। परित्यक्त खनन क्षेत्रों और घास के मैदानों की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से अवनत परिदृश्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, घने प्राकृतिक जंगलों में वनीकरण के मामलों से घोषित उद्देश्यों और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन के बीच एक गंभीर विरोधाभास पाया गया।

किसानों (उप मिशन-4 सामाजिक और कृषि वानिकी के तहत) को वितरित निधि के समर्थन में वन विभागों द्वारा रिकॉर्ड का रख-रखाव और बीजों और पौधों की आपूर्ति/परिवहन काफी हद तक अनुपस्थित थे। वृक्षारोपण पत्रिकाएं, जहां संधारित की गई थीं, या तो अधूरी थीं या उनमें महत्वपूर्ण विवरणों जैसे कि स्थलों के भू-निर्देशांक, प्रजातियों की विविधता और उत्तरजीविता दरों की कमी थी।

गैर-देशी प्रजातियों पर निर्भरता ने न केवल स्थानीय जैव विविधता को खतरे में डाल दिया, बल्कि पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के सिद्धांतों का विरोध किया। मृदा और नमी संरक्षण और रखरखाव कार्य के माध्यम से वृक्षारोपण के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के प्रयासों की काफी हद तक उपेक्षा की गई, क्योंकि देखे गए 73.09 प्रतिशत से अधिक स्थलों पर ऐसे उपाय अनुपस्थित थे। मिशन 0.85 मिलियन परिवारों की आजीविका को बढ़ाने के अपने सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर सका, जिसमें घरेलू लाभों की गणना करने में नगण्य प्रगति हुई, इस प्रकार वन-निर्भर समुदायों पर इसके इच्छित प्रभाव को सीमित कर दिया गया।

मिशन के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण के लिए कार्बन पृथक्करण आकलन का अभाव तथा लक्ष्य उपलब्धियों की रिपोर्टिंग में असंगतियाँ इस बात की ओर संकेत करती हैं कि मिशन के व्यापक उद्देश्यों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण चूक हुई है।

अब तक के जी.आई.एम. के प्रदर्शन से यह स्पष्ट होता है कि इसके घोषित उद्देश्यों और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। मिशन ने पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के लिए सराहनीय आकांक्षाएँ निर्धारित की थीं, परंतु इन आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से हासिल करने के लिए कार्यान्वयन में मौजूद खामियों को दूर करना और उनकी सतत निगरानी आवश्यक है।

अध्याय V

निगरानी और मूल्यांकन

निगरानी एक योजना के उचित कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह त्वरित निर्णय लेने, चुनौतियों का समाधान, प्रतिक्रिया का प्रावधान और सुधार लाने में सहायता सुनिश्चित करती है। जी.आई.एम. के मिशन दस्तावेज निगरानी और मूल्यांकन (एम. एवं ई.) को एक प्रमुख कार्यक्रम प्रबंधन कार्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कार्यक्रम की दक्षता और प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

5.1 विभिन्न स्तरों पर निगरानी

जी.आई.एम. के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों (2014) में, चार स्तरीय निगरानी ढांचे में मिशन के निष्पादन की निरंतर निगरानी और अपेक्षित परिणामों अर्थात् आउटपुट और परिणामों के निरंतर मापन की परिकल्पना की गई है।

चित्र 31: जी.आई.एम. के तहत चार स्तरीय निगरानी

निगरानी के इन चार स्तरों के माध्यम से समय-समय पर एकत्र की गई सूचना/डेटा को अपेक्षित परिणामों के प्रति हासिल की गई उपलब्धियों के आकलन और मिशन के प्रदर्शन में आगे के सुधार के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किया जाना था।

इसके अलावा, जी.आई.एम. में की गई वनीकरण गतिविधियों की निगरानी के लिए किसी तंत्र के अस्तित्व के न होने के संबंध में अनुदान मांगों (2021-22) पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा उठाई गई चिंताओं के उत्तर में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2021) कि जी.आई.एम. के तहत काम की प्रगति की निगरानी एक व्यापक निगरानी ढांचे[89] के माध्यम से की जा रही है। तथापि, लेखापरीक्षा में विभिन्न स्तरों पर निगरानी की कमी को पाया और 16 नमूना लिए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में पाई गई कमियों पर बाद के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.1.1 स्तर 1 निगरानी

स्तर 1 की निगरानी के तहत, स्थानीय समुदाय, कार्यान्वयन संगठन और वन विभाग द्वारा क्षेत्र की जमीनी स्तर पर स्व-निगरानी की जानी आवश्यक थी। प्रायोगिक परियोजनाओं से मिले सबक का उपयोग करके कार्बन और अन्य सेवाओं की निगरानी के लिए सामुदायिक क्षमता के निर्माण की भी परिकल्पना की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 16 नमूना लिए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश [90] में, स्थानीय समुदाय, कार्यान्वयन संगठन और वन विभाग ने क्षेत्र की निर्धारित जमीनी स्तर पर स्व-निगरानी नहीं की थी। छत्तीसगढ़ में, 10 में से सात एफ.डी.ए. ने बताया कि उन्होंने उक्त निगरानी की थी, परंतु समर्थक दस्तावेज प्रदान नहीं किए, जबकि पश्चिम

---

[89] जैसे कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जमीनी स्तर पर स्व-निगरानी, बाहरी अभिकरणों द्वारा क्षेत्र समीक्षा, के.एम.एल. फाइलें, तस्वीरें, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक प्रगति रिपोर्टें आदि।

[90] आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश (पांच एफ.डी.ए. में से चार), हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा और पंजाब।

बंगाल में स्तर 1 की निगरानी से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए थे।

जबकि एस.एफ.डी.ए. आंध्र प्रदेश ने टिप्पणी पर ध्यान (जून 2025) दिया, वहीं एस.एफ.डी.ए. केरल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने बताया (जून/जुलाई 2025) कि स्तर 1 की निगरानी नियमित रूप से जे.एफ.एम.सी./एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए., स्थानीय समुदायों द्वारा की जाती थी। तथापि, निगरानी रिपोर्टों की प्रति न तो लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान की गई थी और न ही बाद में। इसके अलावा, एस.एफ.डी.ए. पंजाब ने (मार्च 2025) अवगत कराया कि वृक्षारोपण गतिविधियों की अपर्याप्त निगरानी पर्याप्त निधियों की कमी के कारण थी।

5.1.2 स्तर 2 निगरानी

स्तर 2 निगरानी में जी.आई.एम. के यादृच्छिक रूप से चयनित साइटों की एक बाहरी अभिकरण[91] द्वारा क्षेत्र समीक्षा करना शामिल है। स्तर 2 के तहत चयनित स्थलों पर तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी और कुछ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की दीर्घकालिक निगरानी का भी प्रावधान था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली मूल्यांकन समिति ने हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन को जारी रखने के लिए व्यय वित्त समिति के प्रस्ताव पर विचार करते हुए इस बात पर भी जोर दिया था (जून 2021) कि योजना के तहत गतिविधियों का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन और निगरानी नियमित आधार पर की जानी चाहिए। हालांकि इस स्तर की निगरानी करने के लिए जी.आई.एम. के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तहत आवृति निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2024) में बताया कि जिन राज्यों ने अपना प्रथम वृक्षारोपण चक्र पूरा कर लिया था, उन्हें इस तरह की निगरानी करनी होगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आगे बताया कि प्रदर्शन निगरानी ढांचे ***(पैरा 5.2)*** के तहत परिभाषित पहलुओं और क्षेत्रों को बाहरी अभिकरणों द्वारा क्षेत्र समीक्षा करते समय देखा जाना चाहिए था।

---

[91] संबंधित एस.एफ.डी.ए. द्वारा पहचानी और अनुशंसित की गई तथा संबंधित राज्यों द्वारा नियुक्त की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात राज्यों (छत्तीसगढ़, कर्नाटक[92], मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम और उत्तराखंड) ने अपना पहला वृक्षारोपण चक्र[93] पूरा कर लिया था, जिनमें से सिक्किम ने मार्च 2025 तक बाहरी अभिकरणों द्वारा यादृच्छिक रूप से चयनित स्थलों की तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी नहीं कराई थी। पश्चिम बंगाल के मामले में, यह देखा गया कि हालांकि रोपण कार्य 2021-22 में पूरा हो गया था, लेकिन तीसरे पक्ष की निगरानी जुलाई-अगस्त 2022 में आयोजित की गई थी, यानी प्रथम वृक्षारोपण चक्र के पूरा होने से पूर्व। अतः जी.आई.एम. के तहत किए गए वृक्षारोपण और आजीविका सुधार गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करना बहुत जल्दी था।

एस.एफ.डी.ए. सिक्किम ने अपने उत्तर (जून 2025) में बताया कि तीसरे पक्ष की निगरानी के लिए बाहरी अभिकरण को काम पर रखने की प्रक्रिया अभी चल रही थी।

5.1.3 स्तर 3 निगरानी

इस स्तर की निगरानी के तहत, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा सुदूर संवेदन आधारित वन आवरण निगरानी, जिसमें मिशन के तहत सम्मिलित किए गए क्षेत्रों की सीमाएँ भी शामिल थी का प्रस्ताव किया गया था। इसके लिए, मिशन निदेशालय को भारतीय वन सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता थी, ताकि जी.आई.एस. डोमेन में एक केंद्रीकृत स्थानिक डेटाबेस विकसित करने में मदद करने के लिए मिशन के तहत गतिविधियों के लिए उठाए गए क्षेत्रों के बहुभुजों को ओवरले करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह छवियों की एक देशव्यापी पच्चीकारी विकसित की जा सके।

---

[92] *तीन में से दो एफ.डी.ए. ने तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी कराई थी।*

[93] *अग्रिम, रोपण और तीन वर्षों के लिए रखरखाव कार्य।*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मई 2024 तक, मिशन निदेशालय ने यह अनिवार्य निगरानी नहीं की थी। मिशन निदेशालय ने लेखापरीक्षा को अपने उत्तर में बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण को इस स्तर की निगरानी करने का अधिदेश दिया गया था। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि ई.एफ.सी. की बैठक (अगस्त 2017) में, मिशन निदेशालय ने आश्वासन दिया था कि वह उपग्रह से ली गई तस्वीरों के माध्यम से स्तर 3 की निगरानी करेगा। मई 2023 में ही जी.आई.एम. की राष्ट्रीय शासी परिषद ने निर्देश दिया था कि भारतीय वन सर्वेक्षण को जी.आई.एम. के तहत अब तक किए गए समग्र रोपण कार्यों की जांच और निगरानी करनी चाहिए।

5.1.4 स्तर 4 निगरानी

जी.आई.एम. के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि कार्यान्वयन अभिकरण, वन विभाग और एक सहायता संगठन द्वारा मिलकर विभिन्न पुरानी और नई पद्धतियों के प्रभाव और प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए कुछ प्रायोगिक क्षेत्रों की गहन निगरानी की जाएगी।

बढ़ते भंडार और वन आवरण के अलावा, अन्य मापदंडों में पर्यावरण सेवाओं और संबंधित कारकों जैसे कि जमीन के आवरण, मिट्टी की स्थिति, कटाव और घुसपैठ, अपवाह, जल बजट विकसित करने के लिए भूजल स्तर के साथ-साथ स्थानीय रूप से प्रासंगिक ईंधन लकड़ी, चारा, गैर-काष्ठ वन उत्पादों और बुनियादी जैव विविधता विश्लेषण का प्रावधान शामिल होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015-16 से 2024-25 के दौरान,16 नमूना लिए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश[94] ने स्तर 4 की निगरानी नहीं की थी।

[94] *अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब।*

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में, जांच किए गए 10 एफ.डी.ए. में से, छः[95] एफ.डी.ए. ने स्तर 4 की निगरानी नहीं की थी और तीन[96] एफ.डी.ए. ने बताया था कि वन विभाग और सहायता समूहों की मदद से स्तर 4 की निगरानी की गई थी, लेकिन लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एफ.डी.ए. कवर्धा (छत्तीसगढ़) ने उत्तर दिया कि यह निगरानी मंडल स्तर पर लागू नहीं थी क्योंकि यह भारत सरकार से संबंधित थी।

अपने उत्तरों में, एस.एफ.डी.ए. आंध्र प्रदेश ने (जून 2025) तथ्यों पर ध्यान दिया, जबकि एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने (जून 2025) बताया कि स्तर 4 की निगरानी नियमित रूप से जे.एफ.एम.सी./एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए., स्थानीय समुदायों द्वारा और क्षेत्र की समीक्षा बाहरी अभिकरणों द्वारा की जाती थी। हालांकि, उन्होंने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया था। एस.एफ.डी.ए. महाराष्ट्र ने बताया (जून 2025) कि उत्तरजीविता प्रतिशत, विकास पैरामीटर एक वर्ष में दो बार देखे गए; अन्य मापदंडों के संबंध में अवलोकन आँखों से किया गया था और ज्यादातर उन्हें मापा नहीं गया था। एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने (जुलाई 2025) अवगत कराया कि कुछ चयनित प्रायोगिक क्षेत्रों में सभी पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से संबंधित मापदंडों को शामिल करके गहन निगरानी (स्तर 4) परियोजना पूरी होने के बाद की जाएगी और एस.एफ.डी.ए. पंजाब ने (मार्च 2025) वृक्षारोपण गतिविधियों की अपर्याप्त निगरानी में अपर्याप्त निधिकरण को एक कारण बताया।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चार स्तरों में से प्रत्येक पर मिशन गतिविधियों की निगरानी अपर्याप्त थी और राज्य वन विभागों के साथ-साथ मिशन निदेशालय ने अनिवार्य आवधिक निगरानी नहीं की। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2015-16 से 2024-25 की पूरी अवधि के दौरान, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित निगरानी गतिविधियों के संबंध में राज्यों द्वारा

---

[95] *गरियाबंद, कटघोरा, बलरामपुर, कोंडागांव, बिलासपुर और बस्तर।*

[96] *मरवाही, सरगुजा और सूरजपुर।*

किए गए प्रयासों का जायजा नहीं लिया। निगरानी की कमी के कारण मिशन की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों को इंगित करने में विफलता हुई और उचित सुधार का अवसर खो दिया इसके अलावा, जिम्मेदार हितधारकों द्वारा सभी स्तरों पर निगरानी की अनुपस्थिति के कारण, इन सभी वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा मिशन के अपेक्षित परिणाम और आउटकम का आकलन नहीं किया जा सका।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए एम. एवं ई. कमियों पर अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2025) कि पुराने मिशन और संशोधित मिशन के तहत प्रस्तावित विभिन्न स्तर में सभी स्तरों पर निगरानी अनिवार्य नहीं है।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि जी.आई.एम. कार्यान्वयन दिशानिर्देश 2014 में एम. एवं ई. को एक प्रमुख कार्यक्रम प्रबंधन कार्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसका कार्यक्रम की दक्षता और प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एम. एवं ई. की भूमिका को स्वीकार करते हुए, मिशन दस्तावेज़ में चार अलग-अलग स्तरों पर निगरानी का उल्लेख किया गया था।

अनुशंसा संख्या 28:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मिशन के प्रदर्शन के निरंतर मूल्यांकन के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित निगरानी नियमित आधार पर की जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई समय पर की जा सके।

5.2 प्रदर्शन निगरानी ढांचा

जी.आई.एम. के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के पैरा 6.7 में बताया गया है कि जी.आई.एम. के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए परिणाम-आधारित प्रबंधन को अपनाने के भारत सरकार के

निर्देशों के अनुरूप, एक प्रदर्शन निगरानी ढांचा या परिणाम ढांचा जी.आई.एम. के तहत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य हिस्सा होगा।

यह एकमात्र तंत्र है जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर जी.आई.एम. गतिविधियों के परिणामों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए मौजूद है। इस ढांचे के तहत, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संकेतकों के साथ एक संकेतात्मक प्रदर्शन निगरानी मैट्रिक्स तैयार किया था, जिनमें से कुछ को ***तालिका 18*** में दर्शाया गया है:

तालिका 18: प्रदर्शन निगरानी ढांचा

अपेक्षित परिणाम	निगरानी के लिए जिम्मेदार अभिकरण (आवधिकता)
मिशन लक्ष्य क्षेत्र (एम.टी.ए.) में वन/गैर-वन भूमि पर वन/वृक्षावरण में वृद्धि है, जो इसके समावेशन (झाड़ियों, घास के मैदानों आदि) के साथ कुल क्षेत्र है।	भारतीय वन सर्वेक्षण (द्विवार्षिक)।
मध्यम घने, खुले जंगलों, अवक्रमित घास के मैदानों और आर्द्रभूमियों में वन/गैर-वनों के वन आवरण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।	स्थानीय वन विभाग/स्थानीय समुदाय (वार्षिक)।
पारिस्थितिक तंत्र को बहाल किया है और झाड़ी, स्थानांतरण खेती वाले क्षेत्रों, ठंडे रेगिस्तानों, मैंग्रोव, खड्डों और परित्यक्त खनन क्षेत्रों में वन आवरण में वृद्धि है।	स्थानीय वन विभाग/स्थानीय समुदाय (वार्षिक)।
सार्वजनिक वन/गैर-वन क्षेत्रों (मिशन के तहत शुरू किए गए) का प्रबंधन सामुदायिक संस्थाओं द्वारा किया है।	स्थानीय वन विभाग/स्थानीय समुदाय/सुविधा प्रदान करने वाले एन.जी.ओ. (वार्षिक)।
ईंधन-लकड़ी के उपयोग की दक्षता में सुधार और घरों द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा उपकरणों को अपनाना।	स्थानीय वन विभाग/स्थानीय समुदाय/सुविधा प्रदान करने वाले एन.जी.ओ. (वार्षिक)।

अपेक्षित परिणाम	निगरानी के लिए जिम्मेदार अभिकरण (आवधिकता)
मिशन लक्षित क्षेत्र में तीन मिलियन वन आश्रित परिवारों के लिए वन/गैर-वन/आधारित आजीविका आय में वृद्धि है।	घरेलू सर्वेक्षण हेतु अनुबंधित बाहरी अभिकरण (द्विवार्षिक)।
वनों में और उसके आस-पास रहने वाले लगभग तीन मिलियन घरों की वन/गैर-वन आधारित आजीविका विविध है।	स्थानीय वन विभाग/स्थानीय समुदाय/सुविधा प्रदान करने वाले एन.जी.ओ. (वार्षिक)।

प्रदर्शन निगरानी ढांचे के लिए अपेक्षित डेटा कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तहत परिकल्पित जिम्मेदार हितधारकों के माध्यम से चार-स्तरीय निगरानी प्रणाली से प्राप्त किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी चार स्तरों पर निगरानी की कमी के कारण, 15 एस.एफ.डी.ए. द्वारा निष्पादन मॉनीटरिंग ढांचा तैयार नहीं किया गया था, जबकि पश्चिम बंगाल ने उक्त ढांचे को तैयार करने के संबंध में कोई उत्तर/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया था। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी राज्यों से इस अनिवार्य डेटा की मांग के लिए कोई पहल नहीं की थी।

प्रदर्शन निगरानी ढांचे से संबंधित डेटा की अनुपलब्धता ने मिशन की सफलता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की क्षमता को काफी सीमित कर दिया था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के माध्यम से अग्रेषित अपनी प्रतिक्रिया में एस.एफ.डी.ए., आंध्र प्रदेश और पंजाब ने अनुपालन का आश्वासन (मार्च/जून 2025) प्रदान किया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए, उसने (जून 2025) राष्ट्रीय वनीकरण निगरानी प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया, जो चालू होने पर, वास्तविक समय के आधार पर निष्पादन निगरानी रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम होगा। मंत्रालय ने 2015-20 के दौरान जी.आई.एम. के प्रभाव पर एक आंतरिक मूल्यांकन रिपोर्ट का विवरण भी प्रदान किया। तथापि,

यह रिपोर्ट वनावरण में परिवर्तन के आकलन तक ही सीमित है, जिसके कारण निष्पादन निगरानी ढांचे के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का अभाव है। इसके अलावा, राष्ट्रीय वनीकरण निगरानी प्रणाली पोर्टल, जिसे दिसंबर 2020 तक विकसित किया जाना था, केवल जून 2025 में पूरा हो पाया और अभी तक परिचालनात्मक (सितंबर 2025) नहीं हुआ है।

5.3 सार्वजनिक पहुंच के लिए वेबसाइट पर वेब-लिंक का निर्माण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग ने सितंबर 2016 में अनुशंसा की थी कि सभी एस.एफ.डी.ए. अपनी वेबसाइट पर एक वेब-लिंक बनाएं/खोलें ताकि जनता को जी.आई.एम. के तहत की गई गतिविधियों के विवरण तक पहुंच प्राप्त हो सके, जिसमें ब्रिज प्लान गतिविधियों, परिप्रेक्ष्य योजनाओं, सूक्ष्म-योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, खातों के त्रैमासिक विवरण और प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के साथ वृक्षारोपण स्थलों की तस्वीरें, भू निर्देशांक और मानचित्र शामिल हों।

तथापि, नमूना लिए गए 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश ने मंत्रालय द्वारा इसका अनुपालन करने के निर्देशों के बावजूद वेबलिंक नहीं बनाए थे। हालांकि, मध्य प्रदेश राज्य (जुलाई 2025) ने उक्त जानकारी के लिए बनाए गए वेबलिंक को साझा किया, लेकिन यह पाया गया कि वेब-लिंक में सूक्ष्म-योजनायें, खातों के त्रैमासिक विवरण, प्रगति रिपोर्ट, भू-निर्देशांक, वृक्षारोपण स्थलों के मानचित्र आदि नहीं थे। इसके अलावा, आठ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्यों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किए गए किसी भी प्रयास का कोई अभिलेख नहीं था, जिससे दोषपूर्ण रिपोर्टिंग की जांच करने के अलावा जनता और संबंधित हितधारकों को सूचना के प्रसार में बाधा उत्पन्न हुई।

पंजाब और आंध्र प्रदेश ने इस टिप्पणी को स्वीकार किया। केरल ने बताया कि चूंकि राज्य में जी.आई.एम. के तहत कार्य पूरा हो गया था, इसलिए वेब-लिंक को हटा दिया गया था। जबकि,

राज्य में जी.आई.एम. गतिविधियां चल रही हैं। उत्तराखंड ने बताया कि वेब-लिंक बनाया गया था, लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा इसे एक्सेस नहीं किया जा सका।

अनुशंसा संख्या 29:

मंत्रालय को वेब-लिंक के निर्माण के लिए जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग राज्यों में जी.आई.एम. की प्रगति की निगरानी के साथ-साथ हितधारकों को सूचना के प्रसार में पारदर्शिता बनाए रखने के अलावा दोषपूर्ण रिपोर्टिंग की जांच के लिए किया जा सकता है।

5.4 सामाजिक लेखापरीक्षा

जी.आई.एम. कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित निगरानी के चार स्तरों के अलावा, ग्राम सभा द्वारा ग्राम स्तर पर मिशन के गतिविधियों की सामाजिक लेखापरीक्षा की जानी थी। मिशन को सामाजिक लेखापरीक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना था, विशेष रूप से मनरेगा योजना के लिए बनाई गई। मनरेगा की धारा 17, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने का अधिकार देती है। इसके लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत इस प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को मस्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तिका, स्वीकृति आदेशों की प्रतियां और अन्य संबंधित लेखा पुस्तकों और कागजात सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए। मनरेगा योजना से प्रेरणा लेते हुए, मिशन ने यह आवश्यक किया कि ग्राम सभा सभी खर्चों की सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा द्वारा गठित समितियों/ पुनर्गठित जे.एफ.एम.सी. द्वारा करे, जिनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में साझा किया जाना था।

तथापि, यह पाया गया कि 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की थी, जबकि मिजोरम और उत्तराखंड में जे.एफ.एम.सी. द्वारा अनिरंतरता में सामाजिक लेखापरीक्षा की जाती थी। सामाजिक लेखापरीक्षा के अभाव में, सार्वजनिक उत्तरदेही

सुनिश्चित करने और जी.आई.एम. के कार्यान्वयन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने का मुख्य उद्देश्य हासिल नहीं हो पाया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए बताया (सितंबर 2025) कि हरित भारत मिशन के तहत विशेष रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एस.एफ.डी.ए. के उत्तरों को अग्रेषित किया जिसमें एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने बताया (जून 2025) कि एक[97] एफ.डी.ए. में, सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, जबकि 16 एफ.डी.ए.[98] में समिति की भागीदारी और ग्राम सभा की मंजूरी से काम किया गया था, जो सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधारणा के अनुरूप था। एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने आगे बताया कि हरित भारत मिशन दिशानिर्देशों में एक स्पष्ट ढांचे, कार्यान्वयन पद्धति और सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए प्रशिक्षण का अभाव है, जो सामाजिक लेखापरीक्षा का पालन न करने के कारणों में से एक था। एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि यद्यपि ग्राम सभा की मंजूरी से समिति की भागीदारी के साथ कार्य किया था, फिर भी इन एफ.डी.ए. की ग्राम सभा ने समितियों द्वारा किए गए सभी खर्चों की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। एस.एफ.डी.ए. केरल ने उत्तर दिया (जून 2025) कि जे.एफ.एम.सी., स्थानीय समुदायों का एक समूह होने के नाते, राज्य के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए ग्राम सभा के रूप में माना जा सकता है। एस.एफ.डी.ए. केरल का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जे.एफ.एम.सी. में गांव के सभी सदस्य शामिल नहीं हैं और इस प्रकार, यह ग्राम सभा के समान नहीं है।

---

[97] एफ.डी.ए., नामतः सिवनी दक्षिण।

[98] एफ.डी.ए. नामतः सतना, शिवपुरी, धार, रायसेन, बालाघाट दक्षिण, झाबुआ, शिवपुर, उमरिया, खंडवा, सागर दक्षिण, सेंधवा, नरसिंहपुर, बरवानी, ओबेदुल्लागंज, बुरहानपुर एवं जबलपुर दक्षिण।

अनुशंसा संख्या 30:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा द्वारा की जाए ताकि जी.आई.एम. के कार्यान्वयन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

5.5 वार्षिक रिपोर्ट

सरकारी योजना की वार्षिक रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो योजना के प्रदर्शन, उपलब्धियों, आउटपुट/परिणाम, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। ये रिपोर्ट पारदर्शिता, उत्तरदेही, जन जागरूकता और जुड़ाव सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।

जी.आई.एम. के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शासी परिषद को मिशन की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी देनी है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस.एल.ई.सी.) अपने राज्य की जी.आई.एम. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 में जी.आई.एम. के कार्यान्वयन के बाद से 2024-25 तक, जी.आई.एम. की वार्षिक रिपोर्ट किसी भी वर्ष के लिए तैयार नहीं की गई थी। इसके अलावा, नमूना लिए गए 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में से 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश[99] द्वारा राज्य जी.आई.एम. की वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की थी।

राज्यों और मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार न किए जाने के कारण जनता, नीति निर्माताओं और निगरानी निकायों सहित सभी हितधारकों को योजना की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हुई। इसने भारत सरकार को योजना को जारी रखने, विस्तार या संशोधन के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने से वंचित कर दिया।

---

[99] *आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।*

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने (जुलाई/सितंबर 2025) बताया कि जी.आई.एम. के लिए कोई अलग वार्षिक रिपोर्ट या तो निदेशालय या राज्यों द्वारा जारी नहीं की गई है। इसमें आगे बताया गया है कि प्रगति के लिए निर्धारित जानकारी विवरण प्रति वर्ष उसकी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जाती हैं। मंत्रालय ने आगे बताया कि इस कमी को जून 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रीय वनीकरण प्रबंधन प्रणाली पोर्टल द्वारा दूर किया जाएगा, जिसके माध्यम से रिपोर्टें, वार्षिक रिपोर्ट, त्रैमासिक रिपोर्ट आदि जब चाहे तब वास्तविक समय में तैयार की जा सकेंगी। विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न रिपोर्टों को अपलोड होते हुए देखा जा सकेगा और दुतरफ़ी पड़ताल की जा सकेगी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इस उत्तर को, कि उसने मंत्रालय की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मिशन की गतिविधियों पर जानकारी प्रदान की थी, को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय की गतिविधियों पर एक व्यापक रिपोर्ट है। जी.आई.एम. की निर्धारित वार्षिक रिपोर्टों में विस्तृत जानकारी होगी, जैसे कि गतिविधियों के परिणाम, लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारण और जी.आई.एम. के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालने वाली चुनौतियों और मुद्दों को कम करने के लिए भावी योजनाएं। इसके अलावा, एन.ए.एम.एस. पोर्टल को सितंबर 2025 तक चालू किया जाना बाकी है।

5.6 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के हिस्से की राशि को जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश में बताया गया है कि एल3 स्तर के परिदृश्य में किए गये कार्यों की प्रगति और लेखाओं का त्रैमासिक विवरण प्रत्येक जे.एफ.एम.सी. द्वारा एफ.डी.ए. को प्रस्तुत किया जाएगा, जो बदले में एस.एफ.डी.ए. को आगे प्रस्तुत करने के लिए अपनी प्रगति रिपोर्ट संकलित करेगा। एस.एफ.डी.ए. सभी एल2 स्तर के परिदृश्य के संबंध में कार्यों की प्रगति और

निधि के उपयोग पर एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश[100] में, यह पाया गया कि यद्यपि जे.एफ.एम.सी./एफ.डी.ए. ने अपने रिपोर्टिंग प्राधिकरण को खातों के ये अनिवार्य त्रैमासिक विवरण और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी, फिर भी एस.एफ.डी.ए. ने जे.एफ.एम.सी. को शामिल किए बिना अपने राज्य में किए कार्यों की प्रगति और निधियों के उपयोग पर व्यापक रिपोर्ट तैयार की थी। ऐसे सभी मामलों पर ***अनुलग्नक XXXI*** में विस्तार से चर्चा की गई है।

जे.एफ.एम.सी./एफ.डी.ए. द्वारा खातों के त्रैमासिक विवरण और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करना एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है, जिसके परिणामस्वरूप एस.एफ.डी.ए. द्वारा मंत्रालय को रिपोर्ट किए जा रहे गलत आंकड़ों का प्रेषण हो सकता है। यह जी.आई.एम के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट की गई उपलब्धि की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने (जुलाई 2025) दोहराया कि इस कमी को जून 2025 में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय वनीकरण प्रबंधन प्रणाली पोर्टल द्वारा दूर किया जाएगा। मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय वनीकरण प्रबंधन प्रणाली पोर्टल अभी तक परिचालनात्मक नहीं हुआ है।

मंत्रालय ने इस मुद्दे पर एस.एफ.डी.ए. आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तर को अग्रेषित किया, जिसमें बताया (जून/जुलाई 2025) गया था कि इस तरह की चूक से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसके अलावा, एस.एफ.डी.ए. मध्य प्रदेश ने बताया (जून 2025) कि दक्षिण सागर, पश्चिम बैतूल, सतना, नर्मदापुरम, सीहोर और शिवपुरी जैसे कुछ वन प्रभागों

[100] *आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम और महाराष्ट्र।*

ने समय-समय पर वरिष्ठ कार्यालय को त्रैमासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजी थी। तथापि, लेखापरीक्षा के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

5.7 लेखापरीक्षा द्वारा जी.आई.एम. के तहत रिपोर्ट किए गए कार्यक्रमों/उपलब्धियों का सत्यापन

डेटा सत्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्रुटियों की पहचान करके और उन्हें रोककर डेटा की सटीकता, सुसंगतता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, जो अंततः विश्वसनीय जानकारी के आधार पर बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती ही और अशुद्धि, दोहराव के जोखिम को कम करते हुए, डेटा की अखंडता बनाए रखी जाती है। मिशन निदेशालय राज्य सरकार से प्रत्येक परिदृश्यों के लिय भू-संदर्भित मानचित्रों (के.एम.एल. फाइल) के साथ भू-निर्देशांक प्राप्त कर रहा था, जहां वृक्षारोपण गतिविधियां की गई हैं। वृक्षारोपण स्थल की के.एम.एल. फ़ाइल उपयोगकर्ताओं को वनीकरण के स्थानों को देखने के साथ-साथ किए गए कार्य की प्रगति की निगरानी करने में मदद करती है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जी.आई.एम. निदेशालय उनकी पूर्णता, शुद्धता और सटीकता की पुष्टि नहीं कर रहा था।

लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ प्रो पर वृक्षारोपण स्थलों के के.एम.एल. को देखकर, समय आधारित विश्लेषण कराने के लिए आई.आई.एस.सी., बेंगलोर की सेवाओं और जी.पी.एस. उपकरण का उपयोग करके उस क्षेत्र का मूल्यांकन करके जी.आई.एम. के तहत निष्पादन रिपोर्ट को स्वतंत्र रूप से सत्यापन और मूल्यांकन करने का प्रयास किया जहां जी.आई.एम. गतिविधियां की गई थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

5.7.1 के.एम.एल. फाइलों में बड़ा-चढ़ाकर दर्शाई हुई उपलब्धियां

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों (के.एम.एल. फाइलों) के अनुसार, 2018-2023 के दौरान उत्तराखंड के 14 स्थल[101] जो

[101] *i) डबाला सागवा टोक, (ii) कंदोई, (iii) रतकोट, (iv) अरकंडी, (v) कोलिंदा (vi) सियोली-I, (vii) नौलाना सीएन संख्या-02, (viii) सुकरी सोयम, (ix) तुनियार सोयाम, (x) जेके, सीएन संख्या-16, बैंड गोटा, (xi) हेरीटोक सोयम-02, (xii) खैत्राडी सोयम-01, (xiii) रामनगर, (xiv) ग्वाद वीपी, सिलमोदी टोक।*

वहां के आठ प्रभागों[102] में मौजूद है, उनके कुल 105 हेक्टेयर क्षेत्र में जी.आई.एम. के तहत गतिविधियां की गई थीं। इन वृक्षारोपण स्थलों का लेखापरीक्षा टीम द्वारा राज्य वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसमें वृक्षारोपण स्थल के क्षेत्र की गणना करने के लिए वृक्षारोपण स्थल की पूरी सीमा का अनुसरण किया गया था। इस अभ्यास से पता चला कि वृक्षारोपण गतिविधि केवल 67.14 हेक्टेयर में की गई थी, जो दर्शाता है कि उनकी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में अतिरिक्त 37.86 हेक्टेयर को शामिल किया गया था। यह एस.एफ.डी.ए. द्वारा रिपोर्ट की गई उपलब्धियों का सत्यापन मान्य करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से विफलता की ओर इशारा करता है।

ऐसे वृक्षारोपण स्थलों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

प्रभाग का नाम: चकराता
वृक्षारोपण वर्ष: 2022-23
प्रभागीय अभिलेख (पीला) के अनुसार: 10.0 हेक्टेयर
जे.पी.वी. (लाल) के अनुसार: 1.75 हेक्टेयर
रिपोर्ट किया गया अतिरिक्त क्षेत्र: 8.25 हेक्टेयर

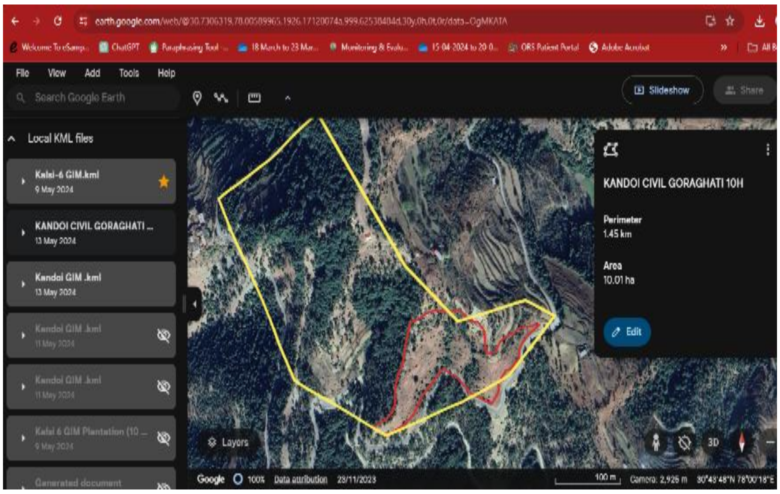

चित्र 32: कंदोई का वृक्षारोपण स्थल

[102] *डी.एफ.ओ., चकराता, सिविल एवं सोयम पौड़ी, टिहरी, मृदा संरक्षण उत्तरकाशी, टेहरी बांध-1, टेहरी बांध-2, रामनगर और केदारनाथ वन्य जीव।*

प्रभाग का नाम: रामनगर
वृक्षारोपण वर्ष: 2022-23
प्रभागीय अभिलेख (पीला) के अनुसार: 10.0 हेक्टेयर
जे.पी.वी. (लाल) के अनुसार: 5.66 हेक्टेयर
रिपोर्ट किया गया अतिरिक्त क्षेत्र: 4.34 हेक्टेयर

चित्र 33: सास्खोली का वृक्षारोपण स्थल

प्रभाग का नाम: टिहरी
वृक्षारोपण वर्ष: 2020-21
प्रभागीय अभिलेख (पीला) के अनुसार: 10.0 हेक्टेयर
जे.पी.वी. (लाल) के अनुसार: 7.53 हेक्टेयर
रिपोर्ट किया गया अतिरिक्त क्षेत्र: 2.47 हेक्टेयर

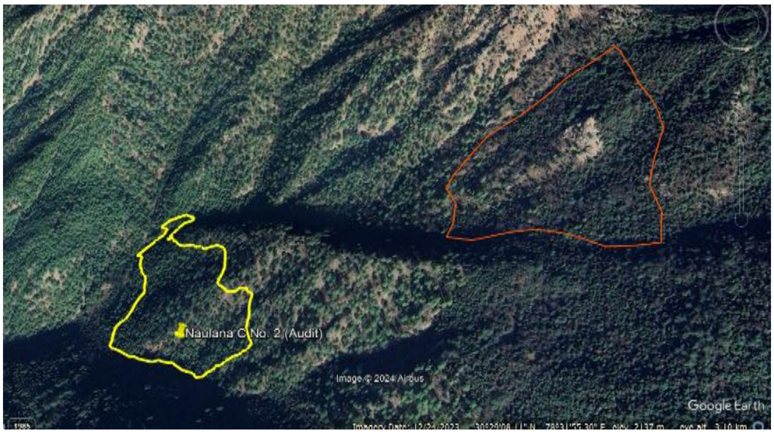

चित्र 34: नौलाना कम्पार्टमेंट नंबर 2 का वृक्षारोपण स्थल

प्रभाग का नाम: टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी
वृक्षारोपण वर्ष: 2023-24
प्रभागीय अभिलेख (पीला) के अनुसार: 5.0 हेक्टेयर
जे.पी.वी. (लाल) के अनुसार: 2.05 हेक्टेयर
रिपोर्ट किया गया अतिरिक्त क्षेत्र: 2.95 हेक्टेयर

चित्र 35: वृक्षारोपण स्थल: खीतराड़ी सोयम-I

प्रभाग का नाम: सी एंड एस, पौड़ी
वृक्षारोपण वर्ष: 2020-21
प्रभागीय अभिलेख (पीला) के अनुसार: 5.00 हेक्टेयर
जे.पी.वी. (लाल) के अनुसार: 1.90 हेक्टेयर
रिपोर्ट किया गया अतिरिक्त क्षेत्र: 3.1 हेक्टेयर

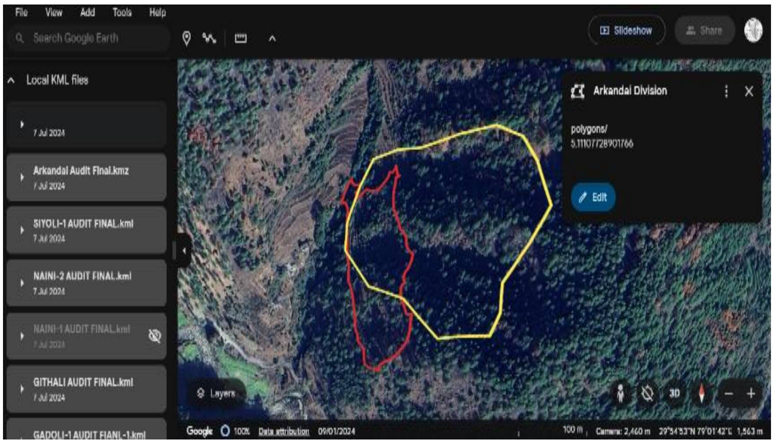

चित्र 36: अर्कांडी का वृक्षारोपण स्थल

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2025) कि ***चित्र 32*** में, बड़ा के.एम.एल., एल2 परिदृश्य से संबंधित था, जबकि छोटा एल3 परिदृश्य से संबंधित था और बताया कि एल3 परिदृश्य एल2 के भीतर स्थित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों के.एम.एल. फाइलें एक ही वृक्षारोपण स्थल से संबंधित हैं जहां लाल रंग में दर्शाए गए के.एम.एल. को लेखापरीक्षा द्वारा वृक्षारोपण स्थल की वास्तविक परिधि पर चलकर बनाया गया था।

5.7.2 वृक्षारोपण स्थलों की ओवर लैपिंग

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए जी.आई.एम. के अंतर्गत वृक्षारोपण स्थलों के ओवरलैपिंग और जी.आई.एम. स्थलों की अन्य योजनाओं के साथ ओवरलैपिंग के उदाहरण नीचे दर्शाए गए हैं:

5.7.2.1 अकेले जी.आई.एम. के वृक्षारोपण स्थलों का ओवरलैपिंग

क) आंध्रप्रदेश में, पडेरू जिला के वृक्षारोपण स्थलों के के.एम.एल. फाइलों का वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक, गूगल अर्थ प्रो पर परीक्षण करने पर नौ ऐसे उदाहरण सामने आए जहां एफ.डी.ए. पडेरू द्वारा किसी एक वर्ष में किया गया और बाद के वर्ष में किए गए वृक्षारोपण से 54.99 हेक्टेयर क्षेत्र में ओवरलैप पाए गए। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

i. वर्ष 2015 और 2017 में क्रमशः डी. गोंडुरु जे.एफ.एम.सी. के 10 हेक्टेयर (लाल रंग में दिखाया गया) और करकापुट्टू जे.एफ.एम.सी. के 40 हेक्टेयर (नीले रंग में दिखाया गया) के वृक्षारोपण स्थलों में सिल्वर ओक का वृक्षारोपण किया गया। हालांकि, जब इन वृक्षारोपण स्थलों के दोनों के.एम.एल. को गूगल अर्थ प्रो पर देखा गया, तो यह पाया गया कि 40 हेक्टेयर के करकापुट्टू जे.एफ.एम.सी. के वृक्षारोपण स्थल ने 10 हेक्टेयर के डी. गोंडुरु जे.एफ.एम.सी. के वृक्षारोपण स्थल को पूरी तरह से ओवरलैप कर दिया है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया है।

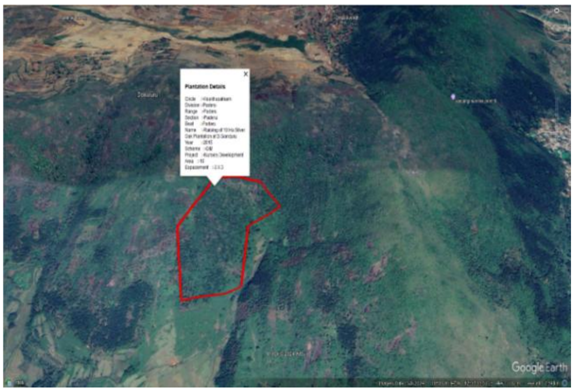

चित्र 37: रोपण स्थल: डी.गोंडुरु 10 हेक्टेयर (2015)

चित्र 38: वृक्षारोपण स्थल: करकापुट्टू 40 हेक्टेयर (2017)

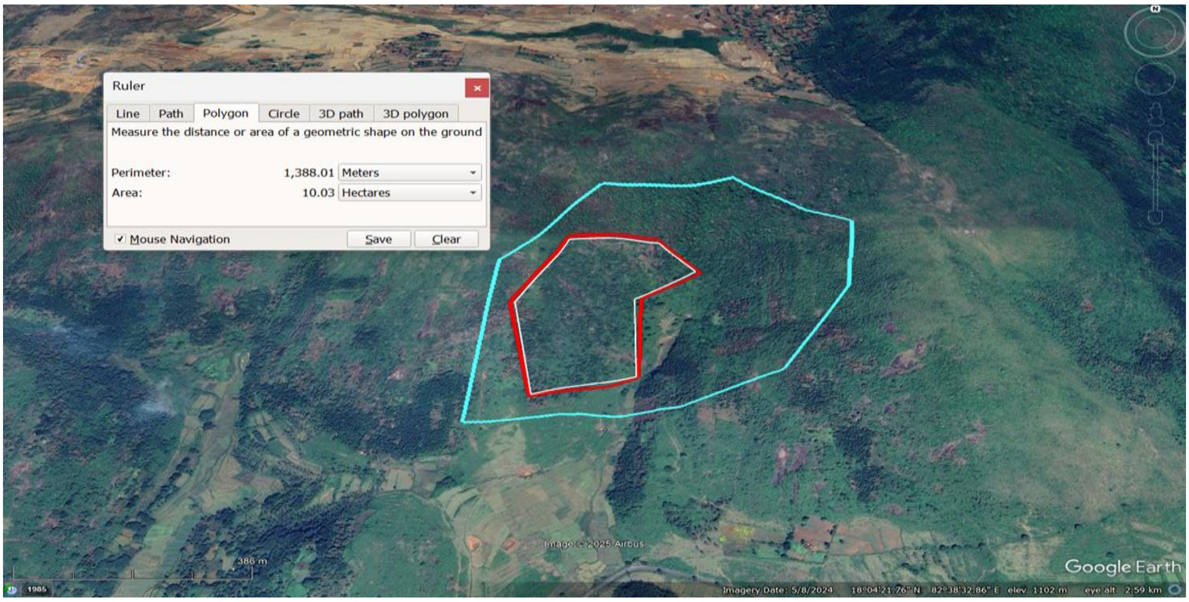

चित्र 39: आंध्र प्रदेश में करकापुट्टू जे.एफ.एम.सी. स्थल ने डी. गोंडुरु वृक्षारोपण स्थल को पूरी तरह से ओवरलैप किया

ii. एक अन्य उदाहरण में, वर्ष 2021 में गनेरुपुट्टू जे.एफ.एम.सी. के 25 हेक्टेयर क्षेत्र में (गुलाबी रंग में दर्शित) और वर्ष 2020 में कोडापल्ली जे.एफ.एम.सी. के दो स्थलों पर 20 हेक्टेयर (नीले रंग में दिखाया गया) और 25 हेक्टेयर (हरे रंग में दर्शित) वृक्षारोपण किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि गनेरुपुट्टू जे.एफ.एम.सी. के वृक्षारोपण स्थल ने कोडापल्ली जे.एफ.एम.सी. के दो वृक्षारोपण स्थलों के 12.2 हेक्टेयर क्षेत्र को ओवरलैप किया, जहां पूर्व वर्ष, यानी 2020 (नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है) में पहले ही वृक्षारोपण किया जा चुका था।

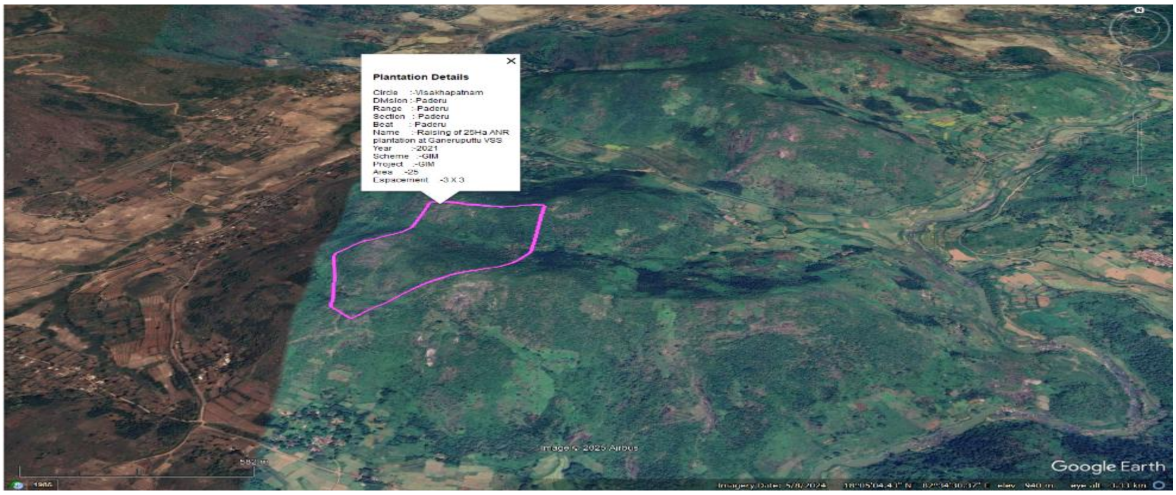

चित्र 40: वृक्षारोपण स्थल: गन्नेरुपुट्टु 25 हेक्टेयर (2021)

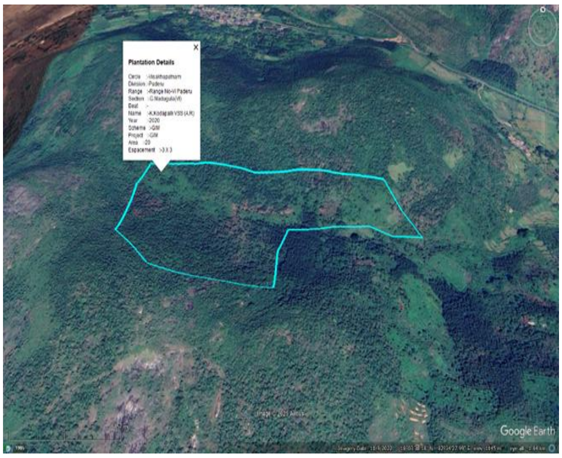

चित्र 41: वृक्षारोपण स्थल: कोडापल्ली 20 हेक्टेयर (2020)

चित्र 42: वृक्षारोपण स्थल: कोडापल्ली 25 हेक्टेयर (2020)

चित्र 43: आंध्र प्रदेश में कोडापल्ली जे.एफ.एम.सी., के 12.20 हेक्टेयर के दो स्थलों को ओवरलैप करने वाले गन्नेरुपुट्टू जे.एफ.एम.सी. का स्थल

इन उदाहरणों से संकेत मिलता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास ऐसे वृक्षारोपण स्थलों के के.एम.एल. की जाँच करने के लिए प्रणाली का अभाव था, जिनमें उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के मामले में (सितंबर 2025) कहा कि क्षेत्र के उपयोग से पहले जी.पी.एस. के अनुचित अंशांकन के कारण सन्नीकट इकाइयों के के.एम.एल. में ओवरलैप देखा गया है। हालांकि, तथ्य यह है कि सटीकता, विश्वसनीयता और डेटा अखंडता बनाए रखने के लिए क्षेत्र के उपयोग से पहले जी.पी.एस. का अंशांकन आवश्यक है।

ख) उत्तराखंड में जी.आई.एम. के विभिन्न वृक्षारोपण स्थल एक-दूसरे के साथ ओवरलैप होने के कुल आठ उदाहरण[103] पाए गए। ऐसे ही एक उदाहरण में, उत्तराखंड में डुंगमंदरगढ़ एल3 परिदृश्य में जी.आई.एम. के अंतर्गत चार वृक्षारोपण स्थलों, अर्थात् सुरधार टोक (2019-20), सेम्या चंद टोक (2022-23), दिवाल्या टोक (2020-21) और गहड़ पटाता

---

[103] *क) डी.एफ.ओ.,एस.सी., उत्तरकाशी [(i. भरकोट जेकेसीएन 26ए-II और जेकेसीएन 26बी-II) और (ii. गोरसरा सोयम-II और धनेती सोयम-II)],*
ख) टिहरी बांध-1 [(i. सुरधर टोक, सेम्या चंक टोक, दिवाल्या टोक और गहड़ पटाटा टोक), (ii. झड़ी टोक, बंज दुगाड़ी टोक और ढेड़ीचड़ा टोक), (iii. भिंडियार नाम टोक और चंडी नाम टोक), (iv. नवेबिट्टा टोक और पिरुलियानी टोक), (v. नागचुंडी नाम टोक और पालदा नाम टोक), और (vi. घेरधर टोक और सेमा चडगड टोक)]।

टोक (2022-23) की के.एम.एल. फाइलें एक-दूसरे के साथ ओवरलैप हुईं। उत्तराखंड ने बताया (जुलाई 2025) कि जी.आई.एम. साइटों में किए गए वृक्षारोपण सन्नीकट थे, न कि पूरी तरह से ओवरलैप्ड थे। हालांकि, तथ्य यह है कि वन विभाग द्वारा प्रदान की गई के.एम.एल. फाइलों से ओवरलैपिंग स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

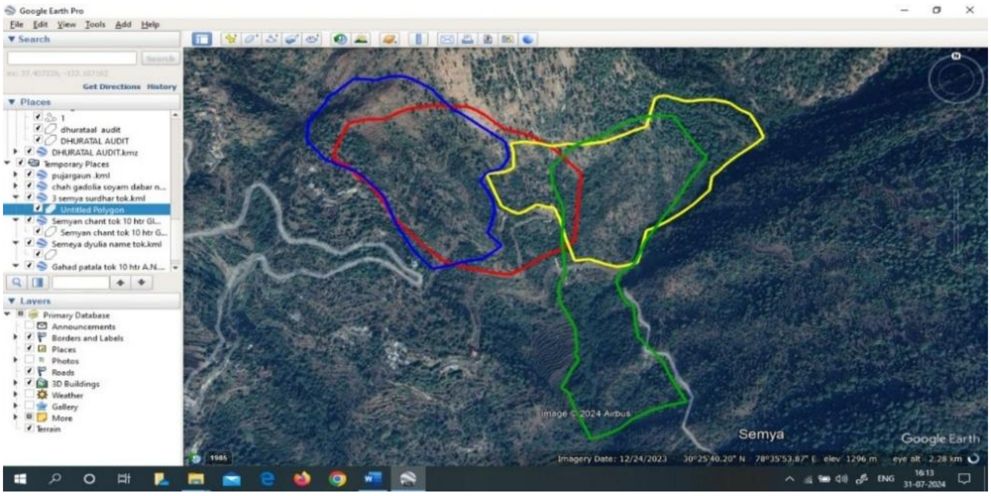

- **लाल रंग:** सुरधार टोक वृक्षारोपण स्थल 10 हेक्टेयर, रोपण कार्य: 2019-20,
- **पीला रंग:** सेम्या चांक टोक वृक्षारोपण स्थल 10 हेक्टेयर, रोपण कार्य: 2022-23,
- **हरा रंग:** दिवल्य टोक वृक्षारोपण स्थल 10 हेक्टेयर, रोपण कार्य: 2020-21,
- **नीला रंग:** गहड़ पटाता टोक वृक्षारोपण स्थल 10 हेक्टेयर, रोपण कार्य: 2022-23।

चित्र 44: उत्तराखंड में जी.आई.एम. वृक्षारोपण स्थलों का ओवरलैपिंग

5.7.2.2 जी.आई.एम. के वृक्षारोपण स्थलों को अन्य वनीकरण योजनाओं के साथ ओवरलैप करना

लेखापरीक्षा में उत्तराखंड में सात उदाहरण और मध्य प्रदेश में एक उदाहरण पाया गया जहां जी.आई.एम. वृक्षारोपण अन्य योजनाओं के तहत किए गए वृक्षारोपण के साथ ओवरलैप हुआ।

क) सात मामलों में से, लेखापरीक्षा ने तीन मामले[104] ऐसे पाए जहां जी.आई.एम. वृक्षारोपण स्थलों की के.एम.एल. फाइलें कैम्पा वृक्षारोपण के के.एम.एल. के साथ ओवरलैप हुई थीं (उत्तराखंड के एफ.डी.ए. का ऐसा ही एक मामला, अर्थात् मृदा संरक्षण प्रभाग, उत्तरकाशी पर प्रकाश डाला गया है, जहां 2019-20 में जी.आई.एम. के तहत जलकुरगढ़ कम्पार्टमेंट

---

[104] *सिविल एवं सोयम, पौडी (गडोली), मृदा संरक्षण, उत्तरकाशी (जलकुड़गढ़ कम्पार्टमेंट संख्या 27ए) और मृदा संरक्षण, लैंसडाउन (कोली गांव)।*

नंबर 27 ए में किए गए अग्रिम मृदा कार्य (ए.एस.डब्ल्यू.) को 2022-23 में कैम्पा के तहत किए गए कार्य के साथ ओवरलैप था)। शेष चार मामले[105] नमामि गंगे 'बहुदेशीय योजना' के साथ जी.आई.एम. साइटों के ओवरलैप से संबंधित थे (टिहरी बांध -1 प्रभाग के ऐसे ही एक मामले पर प्रकाश डाला गया है, जहां 2019-20 में जी.आई.एम. के तहत भटकांडा सोयम कंडापानी नाम टोक में वृक्षारोपण कार्य 2023-24 में नमामि गंगे के तहत एक स्थल पर किए गए कार्य के साथ ओवरलैप था)।

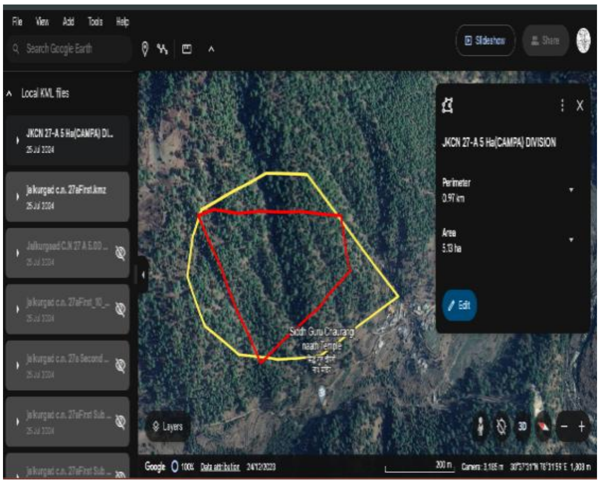

चित्र 45: 2019-20 में जी.आई.एम. के तहत जलकुरगढ़ कम्पार्टमेंट नंबर 27ए के वृक्षारोपण स्थल पर किया गया अग्रिम मृदा कार्य (पीला रंग) 2022-23 में मृदा संरक्षण प्रभाग, उत्तरकाशी में कैम्पा के तहत किए गए रोपण कार्य (लाल रंग) के साथ ओवरलैप पाया गया।

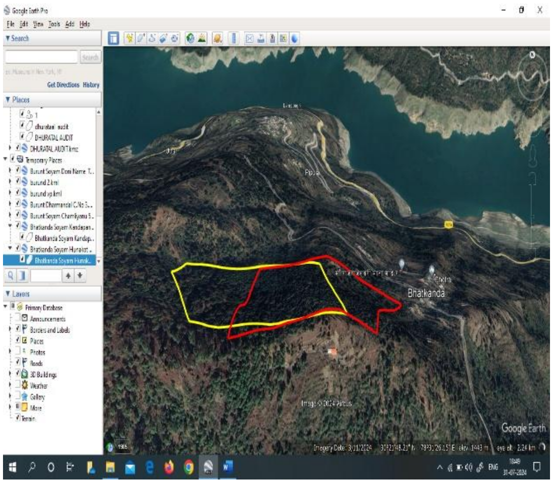

चित्र 46: 2019-20 में जी.आई.एम. के तहत भटकांडा सोयम कंडापानी नाम टोक के वृक्षारोपण स्थल पर किए गए रोपण कार्य (पीला रंग) टिहरी बांध-1 में 2023-24 में नमामि गंगे के तहत किए गए रोपण कार्य (लाल रंग) के साथ ओवरलैप पाया गया।

उत्तराखंड ने बताया (जुलाई 2025) कि जी.आई.एम. के तहत और अन्य योजनाओं के तहत वृक्षारोपण सन्नीकट था, लेकिन पूरी तरह ओवरलैप नहीं थे। हालांकि, तथ्य यह है कि वन विभाग द्वारा प्रदान की गई के.एम.एल. फाइलों से ओवरलैपिंग स्पष्ट रूप से दिख रही है।

---

[105] डी.एफ.ओ., टिहरी डैम-I (भटकंडा सोयम), केदारनाथ डब्ल्यू.एल. (कुंदन कम्पार्टमेंट नंबर 1 और कंडारीखोड कम्पार्टमेंट नंबर 23) और टिहरी डैम -2 (कांडला रमोला बोंगा सोयम)

ख) इसी प्रकार का एक उदाहरण मध्य प्रदेश में पाया गया था जहां बुरहानपुर वन प्रभाग ने वर्ष 2022 में जी.आई.एम. के तहत कंपार्टमेंट संख्या आर.एफ. 312 (लाल सीमा में दिखाया गया है) के 135 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया था जिसमें ₹0.58 करोड़ का व्यय हुआ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कंपार्टमेंट सं. आर.एफ. 312 (तालिका में दर्शाए गए हैं) के 135 हेक्टेयर के क्षेत्र में पिछले वर्षों अर्थात 2011, 2012 एवं 2021 में पहले ही क्रमशः 25 हेक्टेयर, 10 हैक्टेयर और 40 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण गतिविधियां की जा चुकी थी। इस प्रकार, बुरहानपुर वन प्रभाग द्वारा कंपार्टमेंट सं. आर.एफ. 312 की उपलब्धि को 75 हेक्टेयर तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था।

तालिका 19: बुरहानपुर प्रभाग, मध्य प्रदेश में कंपार्टमेंट सं आर.एफ. 312 में वृक्षारोपण का विवरण

क्र.सं.	वृक्षारोपण का वर्ष	वृक्षारोपण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण योजना	वृक्षारोपण आई.डी.
1	2021	40	कैम्पा (पीली सीमा द्वारा दर्शाया गया है)	119840
2	2012	10	कार्य योजना कार्यान्वयन (नीले दीर्घवृत्ताकार बहुभुज द्वारा दर्शाया गया है)	10290
3	2011	25	कार्य योजना कार्यान्वयन (नीले वर्ग बहुभुज द्वारा दर्शाया गया है)	4114

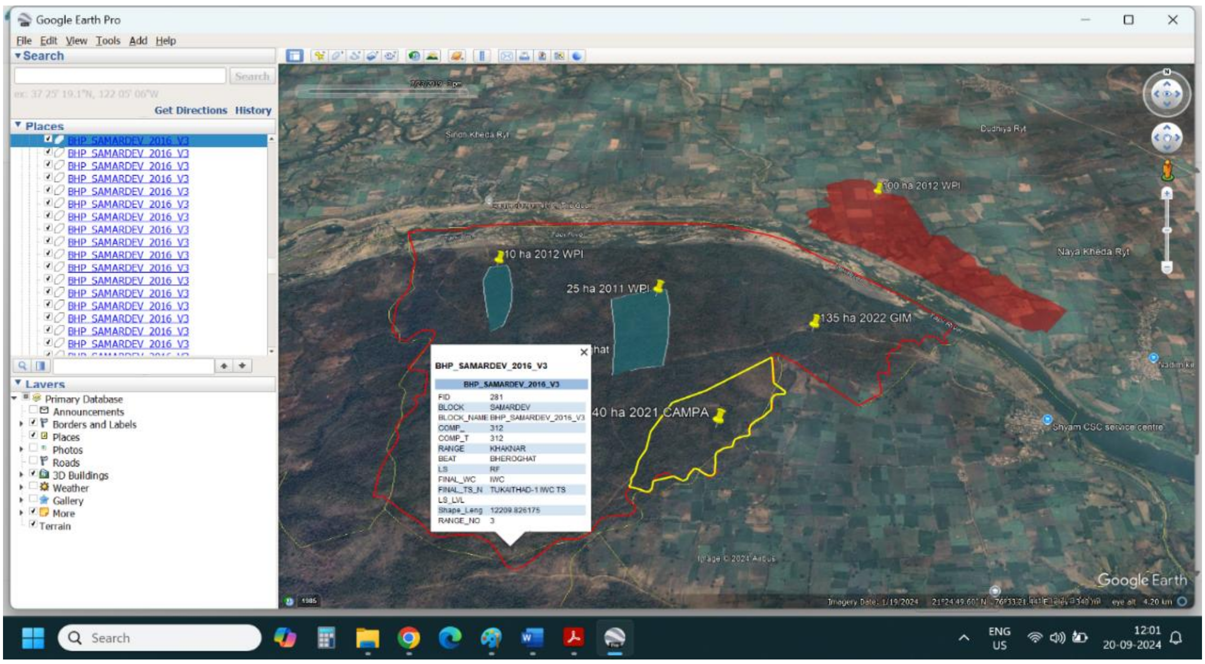

चित्र 47: बुरहानपुर प्रभाग, मध्य प्रदेश में कंपार्टमेंट संख्या आर.एफ. 312 में वृक्षारोपण

इसलिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा के.एम.एल. फाइलों का सत्यापन न करने के परिणामस्वरूप राज्य द्वारा जी.आई.एम. के तहत प्राप्त उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया, जिससे हितधारकों को गलत और अविश्वसनीय जानकारी प्रसारित हुई।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने (जुलाई 2025) बताया कि राष्ट्रीय वनीकरण प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई विसंगतियों को कम करेगा।

5.7.3 भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.सी.), बैंगलोर द्वारा वृक्षारोपण स्थलों के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) विश्लेषण के माध्यम से जी.आई.एम. में किए गए कार्य का मूल्यांकन

परिकल्पित परिणामों अर्थात् वन आवरण में वृद्धि और सुधार की उपलब्धि के संबंध में हरित भारत मिशन में किए गए कार्य का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने सुदूर संवेदी एवं जी.आई.एस. तकनीक का लाभ उठाया। उप मिशन 2 और 5 के अंतर्गत 1,397 हैक्टेयर क्षेत्र (***अनुलग्नक II)*** को आच्छादित करते हुए नौ राज्यों[106] में 170 वृक्षारोपण स्थलों के नमूने का विश्लेषण भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलौर[107] (लेखापरीक्षा द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ) द्वारा किया गया था। इन चयनित स्थलों की के.एम.एल. फाइलें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से राज्यों से मांगी गईं और विश्लेषण के लिए विशेषज्ञ को प्रदान की गईं।

वनस्पति की स्थानिक सीमा और वनस्पति की स्थिति (जहां परिवर्तन देखा गया वहाँ वृक्षावरण का विखंडन) का समय आधारित विश्लेषण इन 170 के.एम.एल. के लिए निम्न प्रोटोकॉल के माध्यम से किया गया था:

---

[106] आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम और उत्तराखंड।

[107] आई.आई.एस.सी., बैंगलोर की रिपोर्ट https://cag.gov.in/uploads/media/IISc-GIM-PA-DElhi-18UNE2025-06944d8f973e472-52558110.pdf पर देखी जा सकती है।

- जी.आई.एम. के कार्यान्वयन से पूर्व, कार्यान्वयन के दौरान तथा कार्यान्वयन उपरांत की अवधी में स्थलों की स्थिति का आकलन करने के लिए समय आधारित सुदूर संवेदी डेटा का उपयोग किया गया। मंत्रालय द्वारा दिए गए वृक्षारोपण स्थलों की भू-संदर्भित के.एम.एल. फाइलों को एक सार्वजनिक अभिलेखागार से 2016 से 2024 की अवधि के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म गूगल अर्थ इंजन में अस्थायी उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा पर ओवरले किया गया था और ज्यामितीय और रेडियोमेट्रिक विकृतियों को सुधारने के लिए पूर्व-संसाधित किया गया। इस डेटा का वर्गीकरण कर भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किए गए, जिसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय वन अधिकारियों के साथ राज्य लेखापरीक्षा टीम के अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन के माध्यम से पुष्टि की गई।
- 2016 से 2024 तक समय आधारित लैंडसैट डेटा का उपयोग वनस्पति आवरण के स्थानिक विस्तार के माध्यम से भू-आवरण में परिवर्तन की पहचान करने के लिए किया गया था, जिसकी गणना सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक का उपयोग करके की गई थी। भूमि उपयोग वर्गीकरण के लिए रैंडम फॉरेस्ट, वृक्ष-आधारित मशीन लर्निंग क्लासिफायर के एक समुच्चय का उपयोग किया गया।
- जिन स्थलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन (स्थिति और सीमा में) पाए गए, उन्हें आगे के स्थानिक विश्लेषण-भू-आवरण आकलन तथा विखंडन मैट्रिक्स के माध्यम से स्थिति आकलन के लिए चयनित किया गया, ताकि जी.आई.एम. के माध्यम से अवनत वन क्षेत्रों की स्थिति में सुधार को समझा जा सके।

जी.आई.एस. विश्लेषण को उप मिशन 2: पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना और वन आवरण में वृद्धि और उप मिशन 5: आर्द्रभूमि की पुनर्स्थापना तक ही सीमित रखा गया, क्योंकि उनमें मुख्य रूप से वन आवरण में सुधार करने वाली गतिविधियों के बजाय वन आवरण बढ़ाने के लिए वनीकरण गतिविधियां शामिल थीं, आवरण सुधार का आकलन करना तथा कारण-परिणाम

संबंध स्थापित करना कठिन है। इसके अतिरिक्त, इस योजना द्वारा अवक्रमित और महत्वपूर्ण वन पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना पर बहुत जोर दिया गया है। उप मिशन 2 के तहत कवर किए गए विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया था।

जी.आई.एस. विश्लेषण के लिए नमूना अध्ययन में स्थलों का चयन केवल उन स्थानों तक सीमित रखा गया, जहां 2019-20 तक गतिविधियां की गई थीं, क्योंकि इसके बाद में किए गए वृक्षारोपण बहुत छोटे थे तथा उच्च स्थानिक और वर्णक्रमीय रिज़ॉल्यूशन वाले सुदूर संवेदी डेटा में भी उनकी परिवर्तन विशेषताएँ खुले क्षेत्रों या मिट्टी के समान प्रतीत होती थीं।

170 के.एम.एल. फाइलों के जी.आई.एस. विश्लेषण पर लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.7.3.1 के.एम.एल. फाइलों का सत्यापन न किया जाना

- ओडिशा और केरल की आठ के.एम.एल. फाइलों[108] का विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने उचित रूप से सीमाएं नहीं खींची थीं।
- ओडिशा की नौ के.एम.एल. फाइलें[109] उन वृक्षारोपण स्थलों से संबंधित हैं जहां पिछले वर्षों में रोपण गतिविधियां सम्पन्न हो चुकी हैं, जिससे स्थलों का दोहराव हुआ और 45 हेक्टेयर की उपलब्धि का अतिरंजन पाया गया।
- राज्यों द्वारा मंत्रालय को दी गई सूचना के अनुसार 1,305 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करने वाली शेष 153 के.एम.एल.[110] फाइलों के जी.आई.एस. विश्लेषण से पता चला है कि

---

[108] *ओडिशा में बारसुपाल 5 हेक्टेयर (2016-17), बारसुपौल 5 हेक्टेयर (2017-18), काकुडी भाग 5 हेक्टेयर (2016-17), काकुडी भाग 5 हेक्टेयर (2017-18), सरियन 5 हेक्टेयर (2016-17), सरियन 5 हेक्टेयर (2017-18) और केरल में कोट्टाकड 15 हेक्टेयर (2017-18) और मन्नारकड़ 2 हेक्टेयर (2016-17) के वृक्षारोपण स्थल।*

[109] *ओडिशा में पी. करकदाना 2 हेक्टेयर, भनरानली 5 हेक्टेयर, कोटाबरेना 5 हेक्टेयर (2016-17), कोटाबरेना 5 हेक्टेयर (2017-18), समसाइलो 5 हेक्टेयर (2017-18), सरदेईपुर 5 हेक्टेयर (2017-18), सिमलीपटना 5 हेक्टेयर (2017-18), समसाइलो 3 हेक्टेयर (2019-20) और भिंगीरा 10 हेक्टेयर के वृक्षारोपण स्थल हैं।*

[110] *(170-8-9) = 153 स्थल।*

इन के.एम.एल. का वास्तविक क्षेत्र 1,807.01 हेक्टेयर (भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर द्वारा गणना के अनुसार) था, जिससे 502.01 हेक्टेयर की भिन्नता पाई गई। इससे पता चलता है कि वन विभागों द्वारा तैयार की गई के.एम.एल. फाइलें सटीक नहीं थीं। साथ ही, राज्यों द्वारा सूचित के.एम.एल. फाइलों के क्षेत्रफल को मंत्रालय द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था।

5.7.3.2 चयनित वृक्षारोपण स्थलों में जी.आई.एम. गतिविधियों के कारण वन आवरण में परिवर्तन

नौ राज्यों में 1,807.01 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले 153 स्थलों के समय आधारित विश्लेषण से यह पता चला कि जी.आई.एम. गतिविधियों के कारण वृक्षावरण से परिवर्तन केवल तीन राज्यों, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 46 वृक्षारोपण स्थलों के के.एम.एल. में ही परिलक्षित हुआ। इन 46 वृक्षारोपण स्थलों का कुल के.एम.एल. क्षेत्रफल 561.32 हेक्टेयर था, लेकिन जी.आई.एम. गतिविधि इनमें से केवल 179.43 हेक्टेयर में पाई गई थी।

इस प्रकार, 2016-17 से 2019-20 के बीच जी.आई.एम. के अंतर्गत किए गए रोपण कार्य, कुल 1,807.01 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से केवल 9.93 प्रतिशत क्षेत्र में देखा गया (***अनुलग्नक XXXII)***। लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे 40 स्थलों की स्थलीय सत्यापन में आई.आई.एस.सी. के निष्कर्षों की पुष्टि हुई।

5.7.3.3 जी.आई.एम. गतिविधियों के कारण वन आवरण में परिवर्तन का अभाव

समय आधारित परिवर्तन के लिए विश्लेषण किए गए 153 स्थलों में से, 2024 तक रोपण अवधि (यानी, 2016-17 से 2019-20) के दौरान कुल 107 वृक्षारोपण स्थलों में जी.आई.एम. रोपण के कारण होने वाले परिवर्तन नहीं देखे गए थे। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि वृक्षारोपण गतिविधियां की भी गई हो, तो भी लगभग 70 प्रतिशत वृक्षारोपण स्थलों पर वृक्षावरण विकसित नहीं हुआ। इस प्रकार, छः राज्यों[111] द्वारा दावा किए गए 1245.69 हेक्टेयर

---

[111] *आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, सिक्किम और उत्तराखंड।*

की भौतिक उपलब्धि अतिरंजित पाई गई क्योंकि इसे किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण का समर्थन प्राप्त नहीं था। चूंकि सुदूर संवेदी डेटा और जी.आई.एस. विश्लेषण के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधि के कोई संकेत नहीं देखे गए, इसलिए इन कार्यों पर व्यय किए गए ₹2.57 करोड़ की निधियों के उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकती।

ऐसे 107 वृक्षारोपण स्थलों में से, उत्तराखंड में छः वृक्षारोपण स्थलों[112] की लेखापरीक्षा द्वारा स्थलीय सत्यापन/संयुक्त भौतिक सत्यापन जून 2024 और जुलाई 2025 में किया गया (जो कि ***पैरा 4.3.2.1*** और ***4.4.1.1*** में उल्लिखित स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से अलग हैं)। इस अभ्यास के दौरान उत्तराखंड वन विभाग द्वारा गलत के.एम.एल. बनाने, मौजूदा वृक्ष आच्छादन वाले क्षेत्रों में रोपण करना, एक समान दूरी को न अपनाने और छोटे आकार के पौधों के रोपण जैसी कमियों का पता चला, जिसके कारण किया गया वृक्षारोपण आई.आई.एस.सी., बैंगलोर द्वारा किए गए समय आधारित विश्लेषण में दिखाई नहीं दिया। जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

- उत्तराखंड के तीन स्थलों[113] (जून 2024 और जुलाई 2025) की के.एम.एल. फाइलों के सत्यापन से पता चला है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत वृक्षारोपण स्थल वन विभाग द्वारा दिखाए गए स्थलों से अलग थे, जो मंत्रालय द्वारा बनाए गए डेटा की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करते हैं।

---

[112] रानीखेत वन प्रभाग के दुदुलिया मनराल थानिगांव और रोटापानी, चंपावत वन मंडल के शिलिंग, चामा, लाफड़ा और खरही वन पंचायत।

[113] चंपावत वन प्रभाग के शिलिंग, रानीखेत वन प्रभाग के दुदुलिया मनराल थानिगांव और रोटापानी।

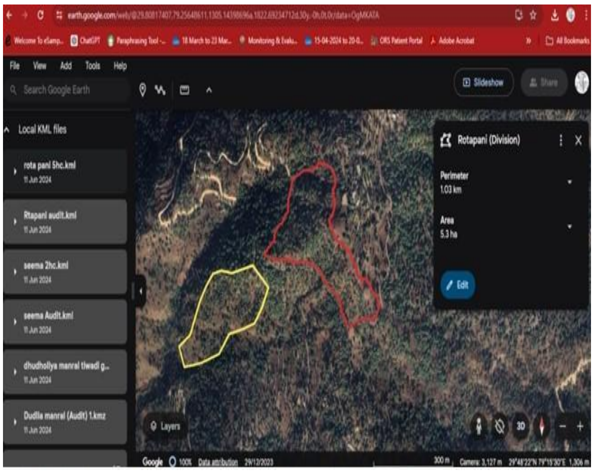

चित्र 48: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रोटापानी वृक्षारोपण स्थल के के.एम.एल. की सीमा पीली दिखाई गई है, जबकि वृक्षारोपण के वास्तविक स्थल की लाल सीमा है।

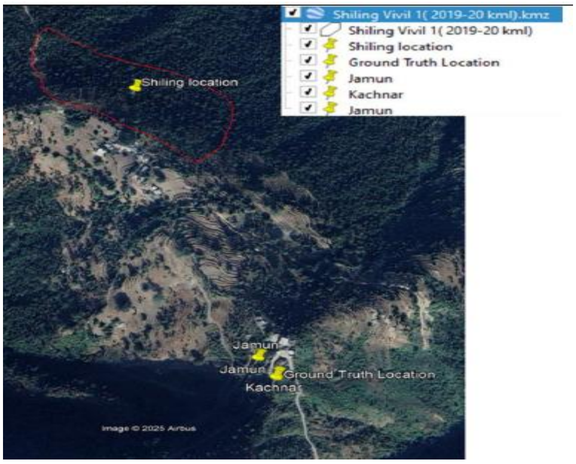

चित्र 49: शिलिंग वृक्षारोपण स्थल के के.एम.एल. की सीमा लाल है, जबकि वृक्षारोपण के वास्तविक स्थल को पीले खूंटे के साथ दर्शाया गया है।

- रानीखेत वन प्रभाग के दुदुलिया मनराल थानिगाव और रोटापानी, चंपावत वन प्रभाग (उत्तराखंड) के शिलिंग, खरही और लाफड़ा में वृक्षारोपण बिखरे हुए पाए गए और मौजूदा वृक्ष वाले क्षेत्रों में किए गए थे।

चित्र 50: मौजूदा देवदार के पेड़ों से ढका लाफड़ा वृक्षारोपण स्थल।

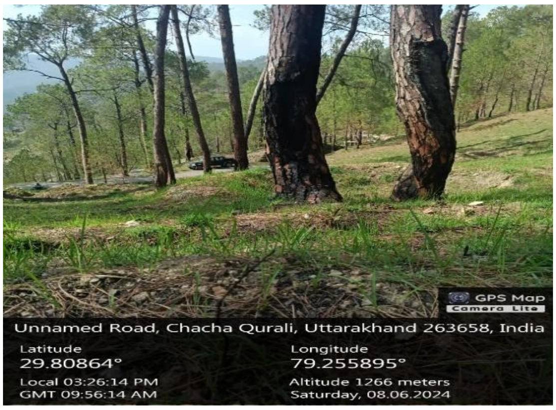

चित्र 51: रोटापानी वृक्षारोपण स्थल जहां मौजूदा वृक्ष आवरण है।

- उत्तराखंड में इन सभी स्थलों पर अपनाया गया वृक्षारोपण मॉडल 1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर था, जिसके अनुसार 3 मीटर x 3 मीटर की दूरी रखी जानी थी। हालांकि, वृक्षारोपण स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2024 और जुलाई 2025) से गड्ढों के बीच एक समान दूरी को नहीं अपनाने का पता चला, जिसके कारण यह संभावना नहीं थी कि इन स्थलों पर कुल 49,500 पौधे (जैसा कि वृक्षारोपण पत्रिकाओं में दर्ज किया गया है) लगाए गए

थे। इसके अतिरिक्त, इन स्थलों के अभिलेख में दिखाए गए 50 हेक्टेयर की उपलब्धि भी संदिग्ध प्रतीत होती है।

चित्र 52: खरही वृक्षारोपण स्थल, चंपावत, उत्तराखंड में गड्डों के बीच असमान दूरी पाई गई।

चित्र 53: लाफड़ा वृक्षारोपण स्थल, चंपावत, उत्तराखंड में गड्डों के बीच असमान दूरी पाई गई।

- हालांकि, इन स्थलों पर रोपण कार्य वर्ष 2019-20 में किया गया था, इन सभी स्थलों में पौधों की औसत ऊंचाई 1 फुट से 2 फीट 6 इंच के बीच थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसके परिणामस्वरूप रोपण के वर्ष के बाद से छः साल की अवधि में भी यह उचित वृक्ष आवरण नहीं बन सका। खरही, दुदुलिया मनराल, थानिगॉ और लाफडा के स्थलों पर किए गए वृक्षारोपण जंगल की आग और भूस्खलन से प्रभावित हुए।

चित्र 54: उत्तराखंड के रानीखेत के दुदुलिया मनराल थानिगाव वृक्षारोपण स्थल में जले हुए पौधे देखे गए।

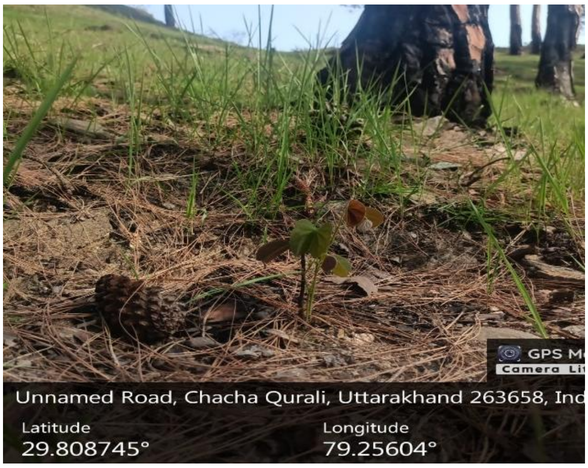

चित्र 55: रोटापानी वृक्षारोपण स्थल, रानीखेत, उत्तराखंड में 1 फुट से भी कम का पौधा देखा गया।

- उत्तराखंड के चंपावत जिले के दो स्थलों, चामा और शिलिंग में किए गए वृक्षारोपण में लैंटाना और काला बासा जैसे खरपतवारों का संक्रमण पाया गया। चामा में देखे गए पौधे

हाल ही में रोपे गए प्रतीत हुए क्योंकि उनके चारों ओर ढीली मिट्टी थी। इसके अलावा, लाफड़ा वृक्षारोपण स्थल में, क्षतिग्रस्त पौधों के प्रतिस्थापन को देखा गया था, जिसके कारण पौधों की ऊंचाई कम थी। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि स्थलों पर देखी गई कम ऊंचाई वाले वृक्षारोपण, रोपण के वर्ष अर्थात 2019-20 से संबंधित नहीं थे।

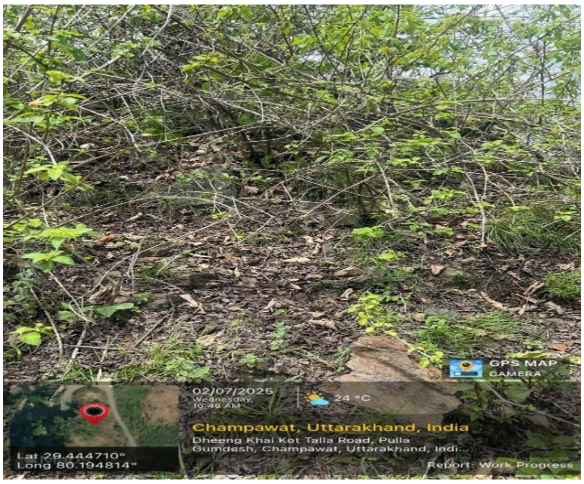

चित्र 56: शिलिंग वृक्षारोपण स्थल, उत्तराखंड लंटाना से प्रभावित।

चित्र 57: उत्तराखंड के चामा वृक्षारोपण स्थल में हाल ही में किया गया वृक्षारोपण

डी.एफ.ओ., चंपावत ने अपने उत्तर (जुलाई 2025) में बताया कि खाली क्षेत्रों को वृक्षारोपण किया गया और उपलब्ध अभिलेख के अनुसार, वन विभाग द्वारा रखरखाव कार्य किए जाने तक वृक्षारोपण सफल रहा। हालांकि, वृक्षारोपण स्थलों को संबंधित समुदायों (वन पंचायतों) को सौंप दिए जाने के बाद, सफलता दर में गिरावट आई। उन्होंने यह भी बताया कि जैविक दबाव के कारण पौधे वांछित ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके और समय पर भुगतान न होने के कारण छोटे पौधे रोपे गए।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि वन विभाग ने इन स्थलों पर रोपण कार्यों के साथ-साथ रखरखाव कार्यों के लिए निधियों का उपयोग दिखाया था। इन सभी स्थलों पर वृक्षारोपण गलत स्थल चयन, गड्ढों के बीच एक समान दूरी न अपनाने, कम आकार के पौधों के रोपण और वन विभाग द्वारा रखरखाव कार्यों की कमी के कारण वृक्षारोपण वांछित स्तर तक वन आवरण बढ़ाने में सफल नहीं हो सका।

5.7.3.4 चयनित वृक्षारोपण स्थलों में वन विखंडन/वन की गुणवत्ता

परिदृश्य की स्थिति (चुने हुए स्थल पर) का मूल्यांकन प्रत्येक पिक्सेल के लिए गणना किए गए विखंडन मेट्रिक्स के माध्यम से किया गया था, जो उनकी विखंडन विशेषताओं के आधार पर पांच प्रकारों[114] में किया गया था, अर्थात्, अक्षुण्ण, छिद्रित, किनारी, संक्रमण और पैच जिनकी तुलना वनों के वर्गीकरण (भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा) जैसे बहुत घने जंगलों (अक्षुण्ण वन), मध्यम घने जंगलों (पैच और संक्रमणकालीन) आदि से की जा सकती है। 'अक्षुण्ण' वन आवरण में गिरावट किसी क्षेत्र में गिरावट को दर्शाती है। वनीकरण पहलों के माध्यम से, पर्णछत्र आवरण में सुधार के साथ 'पैच', 'छिद्रित' या 'संक्रमणकालीन' स्थिति 'अक्षुण्ण' स्थितियों में बदल जाएगी।

1,807.01 हेक्टेयर में से, 179.43 हेक्टेयर में जी.आई.एम. गतिविधि ने खुले क्षेत्र (गैर-वृक्ष आवरण) को रोपण वर्ष में 124.7 हेक्टेयर से घटाकर 2024 में 82.31 हेक्टेयर (33.99 प्रतिशत) करने में मदद की और अक्षुण्ण वृक्ष आवरण को रोपण वर्ष में 26.18 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2024 में 64.06 हेक्टेयर (59.13 प्रतिशत) करने में मदद की ***(अनुलग्नक XXXIII)***।

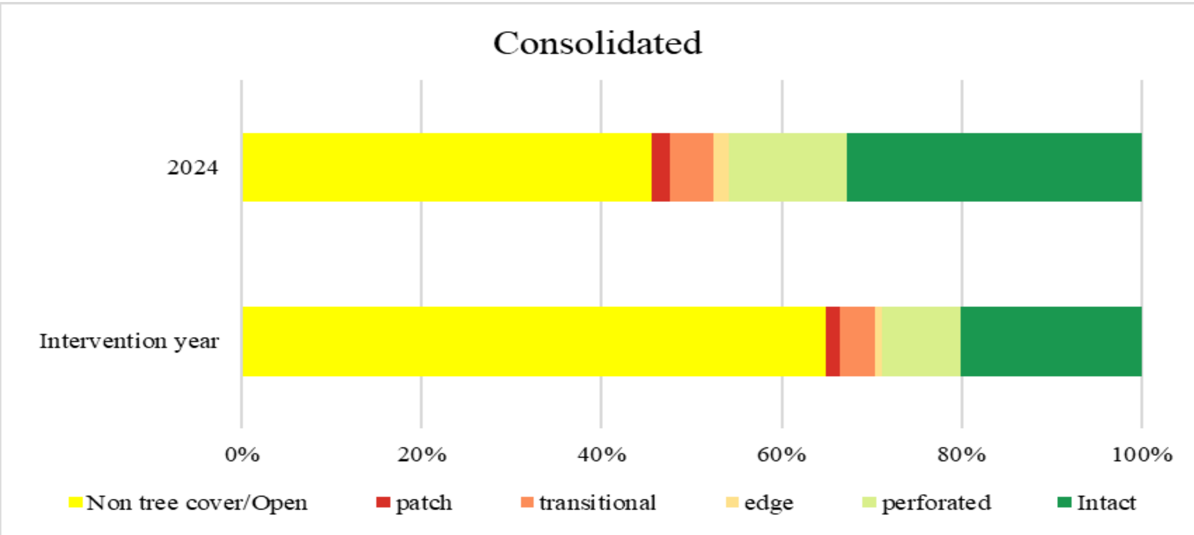

चित्र 58: उन स्थानों में वृक्षों के आवरण की स्थिति के लिए समेकित आंकड़े जहां जी.आई.एम. गतिविधियां की गई थी (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा)

[114] अक्षुण्ण: एक बड़ा अप्रभावित वन क्षेत्र; छिद्रित: अखंड वन के भीतर स्थित छोटा गैर-वन क्षेत्र; पैच: गैर-वन क्षेत्रों से घिरा एक छोटा सा जंगल; किनारी: वनित और गैर-वनित क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र; संक्रमण: पैच और किनारी के बीच मध्यवर्ती श्रेणी।

इस प्रकार, आई.आई.एस.सी., बैंगलोर द्वारा 170 स्थलों के जी.आई.एस. विश्लेषण ने उन साइटों के लिए के.एम.एल. तैयार किए जाने की सटीकता के संबंध में डेटा में कमियों का खुलासा किया जहां जी.आई.एम. लागू किया गया था, जिससे वृक्षारोपण स्थलों के क्षेत्र में भिन्नता देखने को मिली। जी.आई.एम. गतिविधियों के समय आधारित विश्लेषण से पता चला कि 70 प्रतिशत स्थलों में वृक्षों के आवरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो संबंधित उप-मिशनों के अंतर्गत राज्यों द्वारा किए गए दावों की असत्यता को दर्शाता है।

अनुशंसा संख्या 31:

विश्वसनीय मूल्यांकन और प्रभावी योजना सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय को स्थलों की स्थलीय सत्यापन के साथ-साथ वृक्षारोपण स्थलों की के.एम.एल. फाइलों के सत्यापन के लिए जी.आई.एस. तकनीक को अपनाने या लाभ उठाने पर विचार करना चाहिए और स्थलों के दोहराव से बचने के लिए सभी साइटों का एक केंद्रीय भू-स्थानिक डेटाबेस बनाए रखना चाहिए।

अनुशंसा संख्या 32:

मंत्रालय जी.आई.एम. की प्रगति को ट्रैक करने और डेटा की सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जी.आई.एस. तकनीक का उपयोग करके समय-समय पर जांच करने पर विचार कर सकता है।

5.8 निष्कर्ष

जी.आई.एम. के एक अभिन्न घटक के रूप में एक व्यापक चार-स्तरीय निगरानी ढांचे की परिकल्पना की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने सभी चार स्तरों पर निगरानी प्रणाली में कमियां पाई हैं, जिसके कारण जी.आई.एम. के परिणामों के मूल्यांकन के लिए निष्पादन निगरानी ढांचे के अंतर्गत निर्धारित संकेतकों के विरुद्ध आंकडे तैयार नहीं किए गए और उनकी रेपोर्टिंग नहीं की गई।

सामाजिक लेखापरीक्षा का अभाव, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने और जी.आई.एम. की वार्षिक रिपोर्ट तैयार न करने के कारण एस.एफ.डी.ए./जी.आई.एम. निदेशालय की प्रगति की निगरानी करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने की क्षमता सीमित हो गई।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा के.एम.एल. फाइलों के सत्यापन न होने के कारण राज्यों द्वारा रिपोर्ट की गई जी.आई.एम. की उपलब्धियों को अधिक दिखाया गया है, जिससे हितधारकों को गलत और अविश्वसनीय आंकड़ों का प्रसार हुआ।

नौ राज्यों में 1807.01 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 153 वृक्षारोपण स्थलों के जी.आई.एस.-आधारित विश्लेषण से पता चला है कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान 70 प्रतिशत क्षेत्रों में जी.आई.एम. गतिविधियों के कारण कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं देखा गया, जैसा कि 2024 तक का आकलन किया गया था। स्थलीय सत्यापन ने सीमित वृक्षारोपण गतिविधि की पुष्टि की, जो अनुचित स्थल चयन, रोपण गड्ढों की असंगत दूरी और वन विभाग द्वारा छोटे पौधों के उपयोग से और अधिक बाधित हुई।

यहां तक कि 561.32 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले 30 प्रतिशत स्थलों में भी केवल 179.43 हेक्टेयर क्षेत्र में गतिविधियों को देखा गया। इस प्रकार, 2016-17 से 2019-20 के बीच जी.आई.एम. के तहत वृक्षारोपण गतिविधियां निराशाजनक रही हैं, जी.आई.एस. विश्लेषण में केवल 9.93 प्रतिशत में ही गतिविधियां पाई गई, जिसके कारण 2024 तक वृक्षों के आवरण में बदलाव आया।

इसलिए, तत्काल सुधारात्मक उपायों के बिना, यह संभावना कम है कि जी.आई.एम. 2030 की अनुमानित समय-सीमा के भीतर वृक्षों के आवरण को 1 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने और सुधारने के अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करेगा।

(डॉ कविता प्रसाद)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

नई दिल्ली
दिनांक: 10 अप्रैल 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 20 अप्रैल 2026

अनुलग्नक

अनुलग्नक I

(पैरा 1.6.2 देखें)

लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूना एल1, एल2, एल3 परिदृश्यों का विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम/के.शा.प्र.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कुल नमूनाकृत एल3	नमूनाकृत एल3 परिदृश्य के अनुरूप कुल एल2 परिदृश्य	एल1 परिदृश्यों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	12	1	1
2	अरुणाचल प्रदेश	29	5	1
3	छत्तीसगढ़	25	10	1
4	हरियाणा	30	9	2
5	हिमाचल प्रदेश	23	9	3
6	जम्मू और कश्मीर	16	16	2
7	कर्नाटक	15	3	3
8	केरल	30	12	7
9	मध्य प्रदेश	30	14	7
10	महाराष्ट्र	19	14	5
11	मिजोरम	21	8	1
12	ओडिशा	30	24	16
13	पंजाब	30	20	1
14	सिक्किम	24	13	6
15	उत्तराखंड	27	13	5
16	पश्चिम बंगाल	24	15	7
	कुल	**385**	**186**	**68**

अनुलग्नक II

(पैरा 1.8 और 5.7.3 देखें)

जी.आई.एस. विश्लेषण के लिए वृक्षारोपण स्थलों का सारांश

	एस.एम. 2(ए)		एस.एम. 2(बी)		एस.एम. 2(सी)		एस.एम. 2(एफ)		एस.एम. 5		कुल		
राज्य का नाम	के.एम.एल. का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण स्थलों की संख्या	के.एम.एल. का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण स्थलों की संख्या	के.एम.एल. का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण स्थलों की संख्या	के.एम.एल. का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण स्थलों की संख्या	के.एम.एल. का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण स्थलों की संख्या	के.एम.एल. का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण स्थलों की संख्या	स्थलीय सत्यापन के लिए चयनित वृक्षारोपण स्थलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	40	8	--	--	--	--	--	--	--	--	40	8	--
छत्तीसगढ़	--	--	60	4	--	--	--	--	--	--	60	4	3
कर्नाटक	--	--	--	--	--	--	20	1	--	--	20	1	--
केरल	--	--	--	--	--	--	--	--	20	4	20	4	--
मध्य प्रदेश	--	--	--	--	--	--	22	6	13	3	35	9	5
ओडिशा	390	49	320	37	90	5	--	--	--	--	800	91	32
पंजाब	--	--	62	9	--	--	--	--	--	--	62	9	--
सिक्किम	--	--	--	--	10	1	--	--	--	--	10	1	--
उत्तराखंड	--	--	350	43	--	--	--	--	--	--	350	43	6
कुल	**430**	**57**	**792**	**93**	**100**	**6**	**42**	**7**	**33**	**7**	**1397**	**170**	**46**

अनुलग्नक III

(पैरा 2.2.2 देखें)

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) और हरित भारत मिशन (जी.आई.एम.) के अंतर्गत समितियों की संरचना

एन.ए.पी. (राज्यों में विद्यमान तंत्र)	जी.आई.एम.
• राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति • राज्य स्तरीय संचालन समिति • एस.एफ.डी.ए. (सामान्य निकाय और कार्यकारी निकाय) • एफ.डी.ए. (सामान्य निकाय और कार्यकारी निकाय) • जे.एफ.एम.सी./ई.डी.सी.	• राष्ट्रीय शासी परिषद • राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद • मिशन निदेशालय • राज्य संचालन समिति • पुनर्गठित एस.एफ.डी.ए. • जिला संचालन समिति • पुनर्गठित एफ.डी.ए. • क्लस्टर स्तरीय समिति
संरचना	
एस.एफ.डी.ए.	**पुनर्गठित एस.एफ.डी.ए.**
सामान्य निकाय (एन.ए.पी.)	**सामान्य निकाय**
अध्यक्ष: प्रधान मुख्य वन संरक्षक **सदस्य:** केंद्र प्रायोजित वनीकरण योजनाओं के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी	(i) मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई मंत्री, अध्यक्ष (ii) प्रमुख सचिव (वन), सदस्य (iii) पी.सी.सी.एफ., सदस्य (iv) मुख्य वन्यजीव वार्डन, सदस्य (v) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), सदस्य (vi) अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सभी एफ.डी.ए., सदस्य (vii) सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, सभी एफ.डी.ए., सदस्य (viii) नोडल अधिकारी (राज्य कैम्पा), सदस्य (ix) राज्य के तीन प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, सदस्य (x) नोडल अधिकारी, जी.आई.एम., सदस्य सचिव
कार्यकारी निकाय (एन.ए.पी.)	**राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति**
अध्यक्ष: प्रधान मुख्य वन संरक्षक **सदस्य सचिव:** मुख्य वन संरक्षक और एन.ए.पी. के नोडल अधिकारी **सदस्य:** • विकास, सामाजिक वानिकी और संरक्षण से संबंधित मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे के	(i) प्रमुख सचिव (वन), अध्यक्ष (ii) पी.सी.सी.एफ., सदस्य (iii) मुख्य वन्यजीव वार्डन, सदस्य (iv) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), सदस्य (v) अध्यक्ष, तीन एफ.डी.ए. की कार्यकारी समिति, सदस्य (vi) सदस्य सचिव, तीन एफ.डी.ए. की कार्यकारी समिति, सदस्य (vii) नोडल अधिकारी (राज्य कैम्पा), सदस्य

एन.ए.पी. (राज्यों में विद्यमान तंत्र)	जी.आई.एम.
अधिकारी, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा • पंचायती राज और आदिवासी कल्याण विभागों के निदेशक, • राजस्व और ग्रामीण विकास विभागों के प्रतिनिधि • दो एफ.डी.ए. के अध्यक्ष और दो एफ.डी.ए. या एस.एफ.डी.ए. के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही किसी अन्य योजना के सी.ई.ओ., जिन्हें अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए बारी-बारी से नामित किया जाएगा। कार्यकारी निकाय आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को भी शामिल कर सकता है।	(viii) निदेशक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, सदस्य (ix) वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के दो प्रतिनिधि, सदस्य (x) राज्य के दो प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, सदस्य (xi) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; ग्रामीण विकास (एनआरएलएम सहित), कृषि, जनजातीय मामले और राज्य सरकार के पंचायती राज मंत्रालयों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि, सदस्य (xii) नोडल अधिकारी, जी.आई.एम., सदस्य सचिव
राज्य संचालन समिति (एन.ए.पी.)	**राज्य संचालन समिति**
(i) अध्यक्ष: मुख्य सचिव **(ii) सदस्य (आधिकारिक)** (क) सचिव (वन) (ख) पर्यावरण, ग्रामीण विकास, राजस्व, जनजातीय विकास, सिंचाई, पंचायत, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी और शिक्षा विभागों के प्रभारी सचिव (ग) पी.सी.सी.एफ. (घ) केंद्र प्रायोजित वनीकरण योजनाओं की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के छः अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिन्हें पी.सी.सी.एफ. द्वारा नामित किया जाएगा **(iii) सदस्य (गैर-आधिकारिक)** केंद्र प्रायोजित वनीकरण योजनाओं की ग्राम स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के छः गैर-आधिकारिक प्रतिनिधि, दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से, राज्य स्तरीय संचालन समिति के सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाएँगे। **(iv) सदस्य सचिव** - मुख्य वन संरक्षक एवं एस.एफ.डी.ए. के सदस्य सचिव	(i) मुख्य सचिव, अध्यक्ष (ii) प्रमुख सचिव (वन), सदस्य (iii) प्रमुख सचिव (वित्त), सदस्य (iv) प्रमुख सचिव (योजना), सदस्य (v) प्रमुख सचिव (ग्रामीण विकास), सदस्य (vi) प्रमुख सचिव (कृषि), सदस्य (vii) प्रमुख सचिव (जल संसाधन), सदस्य (viii) प्रमुख सचिव (जनजातीय मामले), सदस्य (ix) प्रमुख सचिव (पंचायती राज संस्थाएँ), सदस्य (x) पी.सी.सी.एफ., सदस्य (xi) मुख्य वन्यजीव वार्डन, सदस्य (xii) नोडल अधिकारी (एसएपीसीसी), सदस्य (xiii) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), सदस्य (xiv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, सदस्य (xv) वन संरक्षण और आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत दो प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा एक बार में 2 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा, जो पुनः नामांकन के लिए पात्र होंगे। सदस्य (xvi) नोडल अधिकारी, हरित भारत मिशन, सदस्य सचिव

अनुलग्नक IV

(पैरा 2.2.2 और 2.2.3 देखें)

विभिन्न स्तरों पर संस्थाओं द्वारा आयोजित बैठकों की आवृत्ति

निकाय/समिति का नाम	निर्धारित आवृत्ति	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	निकाय के गठन की तिथि	निर्धारित आवृत्ति के अनुसार कुल बैठकों की संख्या	मार्च 2025 तक आयोजित बैठकें
राज्य वन विकास अभिकरण (सामान्य निकाय)	वर्ष में कम से कम एक बार	आंध्र प्रदेश	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		अरुणाचल प्रदेश	फरवरी 2017	8	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		छत्तीसगढ़	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		हरियाणा	जनवरी 2016	9	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		हिमाचल प्रदेश	फरवरी 2017	8	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		जम्मू और कश्मीर	जनवरी 2023	2	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		कर्नाटक	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		केरल	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		मध्य प्रदेश	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		महाराष्ट्र	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		मिजोरम	नवंबर 2014	10	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		ओडिशा	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		पंजाब	जून 2016	9	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		सिक्किम	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		उत्तराखंड	अक्टूबर 2015	9	बैठकें आयोजित नहीं की गईं

निकाय/समिति का नाम	निर्धारित आवृत्ति	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	निकाय के गठन की तिथि	निर्धारित आवृत्ति के अनुसार कुल बैठकों की संख्या	मार्च 2025 तक आयोजित बैठकें
		पश्चिम बंगाल	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
राज्य वन विकास अभिकरण (कार्यकारी समिति)	वर्ष में कम से कम दो बार	आंध्र प्रदेश	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		अरुणाचल प्रदेश	फरवरी 2017	16	1
		छत्तीसगढ़	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		हरियाणा	जनवरी 2016	18	2
		हिमाचल प्रदेश	फरवरी 2017	16	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		जम्मू और कश्मीर	जनवरी 2023	4	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		कर्नाटक	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		केरल	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		मध्य प्रदेश	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		महाराष्ट्र	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		मिजोरम	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		ओडिशा	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		पंजाब	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		सिक्किम	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		उत्तराखंड	अक्टूबर 2015	19	6
		पश्चिम बंगाल	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--

निकाय/समिति का नाम	निर्धारित आवृत्ति	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	निकाय के गठन की तिथि	निर्धारित आवृत्ति के अनुसार कुल बैठकों की संख्या	मार्च 2025 तक आयोजित बैठकें
राज्य संचालन समिति	कम से कम छ: महीने में एक बार	आंध्र प्रदेश	नवंबर 2017	14	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		अरुणाचल प्रदेश	फरवरी 2017	16	2
		छत्तीसगढ़	अगस्त 2015	19	1
		हरियाणा	जनवरी 2016	18	2
		हिमाचल प्रदेश	फरवरी 2017	16	1
		जम्मू और कश्मीर	जनवरी 2023	4	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		कर्नाटक	सितंबर 2017	15	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		केरल	सितंबर 2015	19	1
		मध्य प्रदेश	अगस्त 2015	19	6
		महाराष्ट्र	अप्रैल 2016	18	1
		मिजोरम	नवंबर 2014	20	7
		ओडिशा	मार्च 2017	16	1
		पंजाब	जून 2016	17	5
		सिक्किम	दिसंबर 2015	18	1
		उत्तराखंड	अक्टूबर 2015	19	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		पश्चिम बंगाल	गठित नहीं की गई	--	--
वन विकास अभिकरण (सामान्य निकाय)	वर्ष में कम से कम दो बार	आंध्र प्रदेश	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		अरुणाचल प्रदेश	5 में से 2 एफ.डी.ए. में पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		छत्तीसगढ़	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		हरियाणा	जनवरी 2016	प्रत्येक प्रभाग के लिए 18	बैठकें आयोजित नहीं की गईं

निकाय/समिति का नाम	निर्धारित आवृत्ति	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	निकाय के गठन की तिथि	निर्धारित आवृत्ति के अनुसार कुल बैठकों की संख्या	मार्च 2025 तक आयोजित बैठकें
		हिमाचल प्रदेश	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		जम्मू और कश्मीर	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		कर्नाटक	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		केरल	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		मध्य प्रदेश	14 मे से 12 एफ.डी.ए. में पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		महाराष्ट्र	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		मिजोरम	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		ओडिशा	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		पंजाब	4 में से 3 एफ.डी.ए. में पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		सिक्किम	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		उत्तराखंड	अक्टूबर 2015	प्रत्येक प्रभाग के लिए 19	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		पश्चिम बंगाल	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
वन विकास अभिकरण (कार्यकारी समिति)	कम से कम हर तिमाही में	आंध्र प्रदेश	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		अरुणाचल प्रदेश	5 में से 3 एफ.डी.ए. में	--	--

निकाय/समिति का नाम	निर्धारित आवृत्ति	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	निकाय के गठन की तिथि	निर्धारित आवृत्ति के अनुसार कुल बैठकों की संख्या	मार्च 2025 तक आयोजित बैठकें
			पुनर्गठन नहीं किया		
		छत्तीसगढ़	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		हरियाणा	जनवरी 2016	प्रत्येक प्रभाग के लिए 36	बैठकें आयोजित नहीं की गईं
		हिमाचल प्रदेश	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		जम्मू और कश्मीर	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		कर्नाटक	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		केरल	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		मध्य प्रदेश	14 में से 12 एफ.डी.ए. में पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		महाराष्ट्र	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		मिजोरम	नवंबर 2014	प्रत्येक प्रभाग के लिए 41.	1
		ओडिशा	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		पंजाब	4 में से 3 एफ.डी.ए. में पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--
		सिक्किम	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--

निकाय/समिति का नाम	निर्धारित आवृत्ति	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	निकाय के गठन की तिथि	निर्धारित आवृत्ति के अनुसार कुल बैठकों की संख्या	मार्च 2025 तक आयोजित बैठकें
		उत्तराखंड	अक्टूबर 2015	प्रत्येक प्रभाग के लिए 38	12 प्रभागों में से 9 में 12 बैठकें।
		पश्चिम बंगाल	पुनर्गठन नहीं किया गया	--	--

अनुलग्नक V

(पैरा 2.5.1(i) देखें)

जी.आई.एम. के अंतर्गत चयनित हिमाचल प्रदेश के परिदृश्यों की संवेदनशीलता की स्थिति

हिमाचल प्रदेश				
वन प्रभाग	**क्रम संख्या**	**एल3 परिदृश्य का नाम**	**जैव-भौगोलिक क्षेत्र**	**संवेदनशीलता की स्थिति**
नूरपुर	1.	ज्वाली-122	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
धर्मशाला	2.	मलान-I-118	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
	3.	मलान-II-119	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
	4.	कांगड़ा-128	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
	5.	शाहपुर-129	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
चोपाल	6.	कांडा-I-358	पश्चिमी हिमालय	मध्यम रूप से संवेदनशील
	7.	कांडा-I-367	पश्चिमी हिमालय	मध्यम रूप से संवेदनशील
कुल्लू	8.	नग्गर -217	उत्तर-पश्चिमी हिमालय	सबसे अधिक संवेदनशील
मंडी	9.	पनासरा-347	उत्तर-पश्चिमी हिमालय	सबसे अधिक संवेदनशील
	10.	कतौला-I-328	उत्तर-पश्चिमी हिमालय	सबसे अधिक संवेदनशील
	11.	कतौला-II-346	उत्तर-पश्चिमी हिमालय	सबसे अधिक संवेदनशील
	12.	कतौला-III-348	उत्तर-पश्चिमी हिमालय	सबसे अधिक संवेदनशील
नालागढ़	13.	कोहू-3	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
	14.	रामशहर-436	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
	15.	रामशहर-440	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
	16.	नालागढ़-438	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
नाचन	17.	सिराज-349	उत्तर-पश्चिमी हिमालय	सबसे अधिक संवेदनशील
रेणुकाजी	18.	रेणुकाजी-413	पश्चिमी हिमालय	मध्यम रूप से संवेदनशील
	19.	नोहरा-416	पश्चिमी हिमालय	मध्यम रूप से संवेदनशील
देहरा	20.	ज्वालामुखी-93	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
	21.	देहरा -90	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
भरमौर	22.	सवाई-43	उत्तर-पश्चिमी हिमालय	सबसे अधिक संवेदनशील
पांगी	23.	किलर -57	उत्तर- पश्चिमी हिमालय	सबसे अधिक संवेदनशील
किन्नौर	24.	मूरंग -I-177	पश्चिमी हिमालय	मध्यम रूप से संवेदनशील
	25.	मूरंग -II-180	पश्चिमी हिमालय	मध्यम रूप से संवेदनशील
ऊना	26.	बंगाना -443	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
	27.	बंगाना -447	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
	28.	रामगढ़-441	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील
	29.	रामगढ़ -446	शिवालिक	सबसे कम संवेदनशील

अनुलग्नक VI

(पैरा 2.5.1(ii) देखें)

जी.आई.एम. के तहत चयनित आंध्र प्रदेश के परिदृश्यों की संवेदनशीलता की स्थिति

आंध्र प्रदेश		
क्रम संख्या	**सर्कल का नाम**	**संवेदनशीलता के अनुसार रैंक**
1.	अनंतपुर	56
2.	कुरनूल	187
3.	गुन्टूर	477
4.	विशाखपटनम	503
5.	वारंगल	512
6.	निजामाबाद	549
7.	खम्मम	559
8.	डब्ल्यू.एल.एम. एलुरु	-
9.	डब्ल्यू.एल.एम. तिरुपति	-

अनुलग्नक VII

(पैरा 2.5.1(iii) देखें)

जी.आई.एम. के तहत चयनित मध्य प्रदेश के परिदृश्यों की संवेदनशीलता की स्थिति

मध्य प्रदेश		
क्रम संख्या	**जिले का नाम**	**संवेदनशीलता की स्थिति**
1.	उमरिया	बहुत अधिक
2.	दक्षिण पन्ना	बहुत अधिक
3.	सतना	अधिक
4.	दक्षिण सागर	अधिक
5.	शिवपुरी	अधिक
6.	श्योपुर	अधिक
7.	धार	अधिक
8.	सीहोर	अधिक
9.	बधवानी	अधिक
10.	झाबुआ	अधिक
11.	दक्षिण सिवनी	मध्यम
12.	रायसेन	मध्यम
13.	उत्तर बैतूल	मध्यम
14.	पश्चिम बैतूल	मध्यम
15.	होशंगाबाद	निम्न
16.	ओबेदुल्लागंज	संवेदनशीलता प्रोफ़ाइल से गायब
17.	दक्षिण बालाघाट	संवेदनशीलता प्रोफ़ाइल से गायब
18.	सेंधवा	संवेदनशीलता प्रोफ़ाइल से गायब

अनुलग्नक VIII

(पैरा 2.5.1(iv) देखें)

जी.आई.एम. के तहत चयनित छत्तीसगढ़ के परिदृश्यों की संवेदनशीलता स्थिति

छत्तीसगढ़		
क्रम संख्या	**जिले का नाम**	**संवेदनशीलता की स्थिति**
1.	कबीरधाम (कवर्धा)	अधिक
2.	कोरबा (कटघोरा)	अधिक
3.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	अधिक
4.	बस्तर	अधिक
5.	कोंडागांव	अधिक
6.	मरवाही	मध्यम
7.	बलरामपुर	मध्यम
8.	सरगुजा	मध्यम
9.	बिलासपुर	मध्यम
10.	बलौदा बाजार	निम्न
11.	घरियाबंद	निम्न

अनुलग्नक IX
(पैरा 2.5.2 देखें)
पुराने आधारभूत आंकड़ों का उपयोग

क्रम संख्या	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	परिप्रेक्ष्य योजना प्रस्तुत करने की तिथि	परिप्रेक्ष्य योजना के अनुमोदन की तिथि	परिप्रेक्ष्य योजना अवधि में लिया गया पुराना आधारभूत आंकड़ा	अवधि जिसके बाद आंकड़ा पुराना हो गया
1.	आंध्र प्रदेश	दिसंबर 2014	मई 2015	• जिला-वार वनावरण आँकड़ों को नवीनतम आँकड़ों के बजाय 1997 की रिपोर्ट को आधार वर्ष माना गया।	17 वर्ष
				• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2001 की जनगणना पर आधारित थी।	13 वर्ष
2.	पंजाब	दिसंबर 2014	मई 2015	• राज्य की कुल जनसंख्या दर्शाने के लिए 2001 की जनगणना का उपयोग किया गया।	13 वर्ष
				• वनावरण का आकलन करने के लिए अक्टूबर 2006 - जनवरी 2007 के उपग्रह आँकड़ों का उपयोग किया गया।	8 वर्ष
				• छत्र घनत्व के आधार पर वनों के विभिन्न वर्ग 2009 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित थे।	5 वर्ष
3.	जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2020	जून 2020	• बंजर भूमि के आकलन के आँकड़े कृषि मंत्रालय की 2005 की भूमि उपयोग सांख्यिकी रिपोर्ट पर आधारित थे।	15 वर्ष
4.	हरियाणा	नवंबर 2017	अगस्त 2021	• वन आवरण आँकड़े भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2013 से लिए गए हैं।	4 वर्ष
				• जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2013 से ली गई है।	4 वर्ष
5.	महाराष्ट्र	नवंबर 2016	जनवरी 2018	• महाराष्ट्र का राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एटलस 2010।	6 वर्ष
				• महाराष्ट्र में जल संसाधनों पर भविष्य के जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव 2008 विश्व बैंक।	8 वर्ष
				• वर्षा डेटा-1901 से 2003	13 वर्ष

अनुलग्नक X
(पैरा 3.4.2 देखें)
राज्य सरकारों द्वारा धनराशि जारी करने में देरी

क्रम संख्या	राज्य के नाम	विलंब देखा गया
1.	केरल	2015-16 के ए.पी.ओ. के तहत, केरल राज्य सरकार ने एस.एफ.डी.ए. को ₹6.10 करोड़ का अपना मिलान हिस्सा जारी करने में 113 दिन लगाए। इसी प्रकार, 2019-20 के ए.पी.ओ. के तहत एस.एफ.डी.ए. को ₹10.88 करोड़ का मिलान हिस्सा जारी करने में 1,252 दिन लगे।
2.	हिमाचल प्रदेश	2020-21 के ए.पी.ओ. के तहत, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एस.एफ.डी.ए. को ₹18.98 करोड़[115], 257 से 832 दिनों की देरी से जारी किए।
3.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर सरकार ने जून 2020 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त ₹25.73 करोड़ का केंद्र का हिस्सा मार्च 2021 में एस.एफ.डी.ए. को जारी किया। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं किया जा सका और अगले वर्ष के लिए इसे पुनर्वैध (जून 2021) कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने धनराशि निकालने के लिए स्वीकृति आदेश जारी करने में फिर से देरी की, जो अक्टूबर 2021 में जारी किया गया था। इस प्रकार, धनराशि 462 दिनों[116] की देरी से एस.एफ.डी.ए. को जारी की गई।
4.	उत्तराखंड	2015-16 से 2022-23 के दौरान, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केंद्र के हिस्से के रूप में उत्तराखंड राज्य सरकार को कुल ₹80.35 करोड़[117] जारी किए। हालाँकि, राज्य सरकार ने अपने मिलान हिस्से के साथ इसे एस.एफ.डी.ए. को जारी करने में छः से 453 दिन का समय लिया।
5.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के ए.पी.ओ. के तहत एस.एफ.डी.ए. को ₹6.29 करोड़ का अपना मिलान हिस्सा जारी करने में 365 दिनों से अधिक का समय लिया।
6.	कर्नाटक	2015-16 से 2022-23 के दौरान, कर्नाटक सरकार ने एस.एफ.डी.ए. को धनराशि जारी करने में सात (₹0.45 करोड़) से लेकर 370 दिनों (₹0.72 करोड़) तक की देरी की।
7.	पंजाब	2015-16 से 2022-23 के दौरान, पंजाब राज्य सरकार ने एस.एफ.डी.ए. को 59 से 373 दिनों की देरी से धनराशि जारी की। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दो वर्षों (2015-16 और 2017-18) में ₹8.31 करोड़ की केंद्रीय हिस्सेदारी एस.एफ.डी.ए. को हस्तांतरित नहीं की गई।
8.	सिक्किम	2018-19 से 2022-23 के दौरान, सिक्किम राज्य सरकार ने एस.एफ.डी.ए. को 35 से 235 दिनों की देरी से धनराशि जारी की थी।

---

[115] *राज्य के मिलान अनुदान हिस्से सहित।*

[116] *462 दिन = 477 दिन (29.06.2020 से 18.10.2021) में से 15 दिन कम।*

[117] *₹20.21 करोड़, ₹27.89 करोड़, ₹15.40 करोड़ तथा ₹16.85 करोड़ क्रमशः जुलाई 2015, जुलाई 2020, दिसंबर 2021 और फरवरी 2023 में।*

क्रम संख्या	राज्य के नाम	विलंब देखा गया
9.	महाराष्ट्र	2018-19 के ए.पी.ओ. के तहत, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 206 दिनों की देरी से एस.एफ.डी.ए. को ₹17.17[118] करोड़ की धनराशि जारी की।
10.	अरुणाचल प्रदेश	2021 के ए.पी.ओ. के तहत प्राप्त ₹13.43 करोड़ का केंद्र का हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 164 दिनों की देरी से जारी किया गया।
11.	आंध्र प्रदेश	2016-17 से 2022-23 के दौरान, आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त धनराशि एस.एफ.डी.ए. को 34 से 154 दिनों की देरी से जारी की।
12.	मिजोरम	2022-23 के ए.पी.ओ. के तहत, मिजोरम राज्य सरकार ने एस.एफ.डी.ए. को ₹36.27 करोड़ की धनराशि 84 दिनों की देरी से जारी की।
13.	हरियाणा	वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने एस.एफ.डी.ए. को ₹9.55 करोड़ की धनराशि 25 दिनों की देरी से जारी की।

[118] *₹10.30 करोड़ केंद्र का हिस्सा तथा ₹6.87 करोड़ राज्य का हिस्सा।*

अनुलग्नक XI
(पैरा 3.4.3 देखें)
एस.एफ.डी.ए. द्वारा धनराशि जारी करने में देरी

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विलंब देखा गया
1.	उत्तराखंड	2020-21 से 2022-23 के दौरान, एस.एफ.डी.ए. उत्तराखंड ने एफ.डी.ए. को तीन दिन (₹8.20 करोड़) से लेकर 219 दिन (₹1.21 करोड़) तक की देरी से धनराशि जारी की।
2.	केरल	2016-17 के दौरान, एस.एफ.डी.ए. केरल ने एफ.डी.ए. को ₹2.11 करोड़ की धनराशि जारी करने में 330 दिन लगाए।
3.	आंध्र प्रदेश	2018-19 से 2021-22 के दौरान, एस.एफ.डी.ए. आंध्र प्रदेश ने एफ.डी.ए. को 458 दिन (₹4.50 करोड़) से लेकर 667 दिन (₹0.33 करोड़) तक की देरी से धनराशि जारी की।
4.	पंजाब	एस.एफ.डी.ए. पंजाब द्वारा पाँच[119] एफ.डी.ए. को पाँच से 223 दिन की देरी से ₹1.83 करोड़ से लेकर ₹6.22 करोड़ तक की धनराशि जारी की गई।
5.	मिजोरम	2016-17 से 2022-23 के दौरान, एस.एफ.डी.ए. मिजोरम ने एफ.डी.ए. को 27 दिनों (₹13 करोड़) से 97 दिनों (₹9 करोड़) की देरी से धनराशि जारी की।
6.	कर्नाटक	2015-16 से 2022-23 के दौरान, एस.एफ.डी.ए. द्वारा एफ.डी.ए. को धनराशि जारी करने में तीन दिनों (₹1.44 करोड़) से लेकर 52 दिनों (₹2.11 करोड़) तक की देरी हुई।

[119] *एफ.डी.ए.- साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, रोपड़, गढ़शंकर, दसूया और होशियारपुर।*

अनुलग्नक XII
(पैरा 3.4.4 देखें)
एफ.डी.ए. द्वारा धनराशि जारी करने में देरी

क्रम संख्या	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	विलंब देखा गया
1.	महाराष्ट्र	तीन[120] एफ.डी.ए. ने अपने जे.एफ.एम.सी. को 35 से 418 दिनों की देरी से धनराशि जारी की।
2.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश के पाँच[121] एफ.डी.ए. ने अपने जे.एफ.एम.सी. को 13 से 315 दिनों की देरी से धनराशि जारी की।
3.	उत्तराखंड	उत्तराखंड के 12 एफ.डी.ए. ने अपने जे.एफ.एम.सी. को एक से 236 दिनों की देरी से धनराशि जारी की।
4.	हरियाणा	प्रभागीय वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) (टी) कैथल ने जे.एफ.एम.सी. को 121 से 229 दिनों की देरी से धनराशि जारी की।
5.	छत्तीसगढ़	दो[122] प्रभागों ने अपने जे.एफ.एम.सी. को 159 से 221 दिनों की देरी से धनराशि जारी की।
6.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश के दो[123] प्रभागों ने अपने जे.एफ.एम.सी. को नौ से 173 दिनों की देरी से ₹8.36 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की।
7.	जम्मू और कश्मीर	नौ एफ.डी.ए.[124] द्वारा 13 जे.एफ.एम.सी. को धनराशि जारी करने में 29 से 112 दिनों की देरी हुई।
8.	मिजोरम	मिजोरम के पांच एफ.डी.ए. ने अपने-अपने जे.एफ.एम.सी. को धनराशि जारी करने में एक से लेकर 30 दिनों से अधिक की देरी की।

[120] *वाडसा, पुणे और सिरोंचा।*

[121] *लोंगडिंग, यिंगकिओंग, अलोंग, बोमडिला और तवांग।*

[122] *कटघोरा और बिलासपुर।*

[123] *सीहोर और नर्मदापुरम।*

[124] *राजौरी (लाह और सरोठा), डोडा (कोटी), भद्रवाह (बदानू और फिगसू जंगलवार), पुंछ (तरनवाली), महोरे (मंजिकोट), रामनगर (ब्लेन्ड), बिलावर (बडनोता और थल्लोहाई), बसोहली (जानू और पत्रेरा) तथा शहरी वानिकी श्रीनगर (डिगनिबाल)।*

अनुलग्नक XIII
(पैरा 3.7 देखें)
वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित मुद्दे

क्रम संख्या	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	मध्य प्रदेश	आठ प्रभागों[125] में, कार्य निष्पादन हेतु जे.एफ.एम.सी. को धनराशि हस्तांतरित नहीं की गई। 2018-19 से 2022-23 के दौरान, एफ.डी.ए. द्वारा विभागीय रूप से निष्पादित कार्यों के लिए ₹70.67 करोड़ का भुगतान किया गया। इससे जे.एफ.एम.सी. वन प्रबंधन में भागीदारी से वंचित हो गए और जे.एफ.एम.सी. को शामिल करने का मूल विचार साकार नहीं हो सका।
2.	जम्मू और कश्मीर	12 नमूना एफ.डी.ए.[126] ने जे.एफ.एम.सी. को शामिल किए बिना, स्वयं ₹2.56 करोड़ मूल्य की बाड़ लगाने वाली पोस्ट, कांटेदार तार और पॉलीबैग जैसी सामग्री खरीदी।
3.	अरुणाचल प्रदेश	लोंगडिंग[127] और बोमडिला[128] नामक दो एफ.डी.ए. ने संबंधित जे.एफ.एम.सी. को शामिल नहीं किया या निर्धारित निधि जारी नहीं की, अपने रेंज कार्यालयों के माध्यम से वनीकरण गतिविधियों को अंजाम दिया और जे.एफ.एम.सी. की ओर से ₹0.16 करोड़ का व्यय किया।
4.	हिमाचल प्रदेश	चौपाल और ऊना, दो एफ.डी.ए. में, यद्यपि जे.एफ.एम.सी. के नाम पर बैंक खाते खोले गए थे, फिर भी उनका संचालन रेंज अधिकारी और प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा किया जा रहा था, जिससे यह संकेत मिलता है कि जे.एफ.एम.सी. को वित्तीय शक्तियाँ प्रभावी रूप से हस्तांतरित नहीं की गई थीं।
5.	पश्चिम बंगाल	लेखापरीक्षा में पाया गया कि निधि का विकेंद्रीकरण केवल एफ.डी.ए. के स्तर तक ही था। जे.एफ.एम.सी. की भूमिका जी.आई.एम. के अंतर्गत प्रस्तावित वनीकरण गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु श्रम आपूर्ति तक सीमित थी और एफ.डी.ए. की ओर से जे.एफ.एम.सी. को कोई निधि हस्तांतरित नहीं की गई थी।

[125] *बड़वानी (₹4.90 करोड़) बुरहानपुर (₹3.24 करोड़) सतना (₹10.50 करोड़) शिवपुरी (₹15.48 करोड), दक्षिण बालाघाट (₹6.68 करोड), दक्षिण पन्ना (₹18.41 करोड), दक्षिण सागर (₹6.77 करोड़) और उमरिया (₹4.69 करोड)।*

[126] *एफ.डी.ए. डोडा :₹0.61 करोड़, भद्रवाह :₹0.36 करोड़, पुंछ: ₹0.13 करोड़, महोर :₹0.09 करोड़, रामनगर :₹0.04 करोड़, बिलावर : ₹0.05 करोड़, बसोहली :₹0.14 करोड़, सिंध :₹0.12 करोड़, शहरी :₹0.08 करोड़, केहमिल: ₹0.08 करोड़, कमराज :₹0.27 करोड़ तथा जे.वी. बारामूला :₹0.59 करोड़।*

[127] *कुनबाड़ी के अंतर्गत वन रेंज में उप मिशन 4(सी) - राजमार्ग/ग्रामीण सड़कें/नहरें/टैंक बंड्स के अंतर्गत सृजन कार्य ₹0.06 करोड़ के कुल व्यय के साथ निष्पादित किया गया।*

[128] *नफरा और बोमडिला वन रेंज के माध्यम से अग्रिम कार्य (ए.पी.ओ. 2021-22) पर ₹0.09 करोड़ का व्यय किया गया। इसी प्रकार, ₹0.01 करोड़ (ए.पी.ओ. 2022-23 की प्रथम किश्त) का व्यय नफरा वन रेंज के माध्यम से किया गया।*

अनुलग्नक XIV

(पैरा 3.8.2(ii) देखें)

एस.एफ.डी.ए./एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. द्वारा किया गया अनियमित व्यय

क्रम संख्या	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	देखी गई अनियमितताएँ
1.	अरुणाचल प्रदेश	दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच, चार एफ.डी.ए.[129] ने बर्तन, फर्नीचर, जलाऊ लकड़ी की खरीद, स्थानीय सामुदायिक हॉल, स्कूल भवन, शेड और चारदीवारी के निर्माण और रखरखाव आदि पर ₹1.43 करोड़ खर्च किए।
2.	ओडिशा	2015-16 से 2022-23 के दौरान, एस.एफ.डी.ए. ओडिशा और उसके जे.एफ.एम.सी. ने ईंधन की खरीद, परामर्श, सुरक्षाकर्मियों की भर्ती और वन महोत्सव/उत्कल दिवस मनाने, सामुदायिक हॉल के निर्माण, बर्तन, मनोरंजन सामग्री, फर्नीचर जैसी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, गाँव में जल निकाय के जीर्णोद्धार, गाँव में झरने से पानी की आपूर्ति का प्रावधान, शुष्क यार्ड का निर्माण, बोरवेल की ड्रिलिंग, जनरेटर की खरीद आदि पर अनियमित रूप से कुल ₹1.03 करोड़ खर्च किए।
3.	मिजोरम	2016-17 और 2017-18 के दौरान, 12 जे.एफ.एम.सी. ने कब्रिस्तान झोपड़ी, फुटपाथ, सूचना भवन, वॉलीबॉल कोर्ट पर पवेलियन, आदि के निर्माण जैसी गतिविधियों पर अनियमित रूप से कुल ₹0.45 करोड़ खर्च किए।
4.	जम्मू और कश्मीर	2021-23 में, दो एफ.डी.ए.[130] ने घुड़सवारी पथ के निर्माण और सड़क के उन्नयन पर ₹0.02 करोड़ का व्यय किया, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा जारी आजीविका संवर्धन गतिविधियों के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं थे।
5.	केरल	2017-18 से 2022-23 के दौरान, पाँच एफ.डी.ए.[131] ने फर्नीचर, एयर कंडीशनर की खरीद, भवनों के निर्माण और विभागीय वाहनों की मरम्मत और रखरखाव आदि पर ₹0.14 करोड़ खर्च किए।
6.	हिमाचल प्रदेश	2022-23 में, एफ.डी.ए. ऊना ने सी.सी.टी.वी. लगाने, हिमाचल दिवस, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन, प्रभाग/रेंज कार्यालयों की मरम्मत और रखरखाव कार्यों, फर्नीचर की खरीद आदि पर ₹0.07 करोड़ खर्च किए।
7.	आंध्र प्रदेश	2016-17 के दौरान, आठ जे.एफ.एम.सी.[132] को जारी धनराशि के माध्यम से प्रभाग और वन रेंज कार्यालय, पडेरू के नवीनीकरण पर ₹0.06 करोड़ खर्च किए गए।
8.	सिक्किम	2021-22 में, जी.आई.एम. के तहत प्राप्त धनराशि से सिक्किम सरकार के वन सचिवालय में सम्मेलन कक्ष के नवीनीकरण पर ₹0.04 करोड़ खर्च किए गए।

[129] *एफ.डी.ए. नामतः लोंगडिंग, यिंगकिओंग, अलोंग और बोमडिला।*

[130] *भद्रवाह और पुंछ :₹0.02 करोड़।*

[131] *एफ.डी.ए. नामतः मलयाट्टूर (₹0.07 करोड़), मरायू (₹0.01 करोड़), नीलांबुर नॉर्थ (₹0.01 करोड़), नीलांबुर साउथ (₹0.01 करोड़), रन्नी (₹0.04 करोड़)।*

[132] *जे.एफ़.एम.सी. नामतः करकापुट्टू, डी. गोंदुरु, बोक्केलू, कुंचपल्ली, इरादापल्ली, मदुलाबंधा, चिंतागोंडी और नेरेड्डुवालसा।*

अनुलग्नक XV
(पैरा 3.9 देखें)
बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान न होना

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	आंध्र प्रदेश	एफ.डी.ए. पडेरू के 12 नमूनों (जे.एफ.एम.सी.) में मजदूरों को नकद में ₹0.24 करोड़ का भुगतान किया गया।
2.	कर्नाटक	कलबुर्गी और सिरसी नामक दो एफ.डी.ए. के 14 जे.एफ.एम.सी. ने मजदूरों को उनके वेतन के रूप में भुगतान हेतु ₹3.65 करोड़[133] की नकद राशि निकाली।
3.	ओडिशा	तीन[134] एफ.डी.ए. में, 25 जे.एफ.एम.सी. ने बैंक से ₹1.94 करोड़ की नकदी निकाल कर दैनिक मजदूरों और आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान किया।
4.	छत्तीसगढ़	दक्षिण कोंडागांव और मरवाही के प्रभागीय वन अधिकारियों ने मजदूरों को उनके वेतन के रूप में ₹0.80 करोड़ का नकद भुगतान किया।
5.	अरुणाचल प्रदेश	लोंगडिंग एफ.डी.ए. ने मजदूरों को नकद भुगतान किया। यिंगकिओंग और अलोंग एफ.डी.ए. में, संबंधित रेंज कार्यालय के माध्यम से जे.एफ.एम.सी. द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिलों के आधार पर धनराशि जे.एफ.एम.सी. के संयुक्त खाते में स्थानांतरित कर दी गई और न तो दैनिक मजदूरों को भुगतान की गई राशि, और न ही उनके द्वारा प्राप्त निधि की पावती लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत की गई।
6.	मध्य प्रदेश	सेंधवा संभाग के जे.एफ.एम.सी. ने (2019) ₹0.52 करोड़ की धनराशि नकद निकाली और उसे मजदूरों/आपूर्तिकर्ताओं को उनके खातों में भुगतान के रूप में दर्ज किया। ₹0.08 करोड़ के 42 वाउचरों की नमूना जाँच से पता चला कि इन वाउचरों पर निधि प्राप्ति के प्रतीक के रूप में प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, उमरिया, रायसेन और दक्षिण सिवनी संभागों में, ₹0.63 करोड़[135] की राशि का भुगतान (2019-20 से 2022-23 तक) बैंकों के माध्यम से करने के बजाय नकद में किया गया। बुरहानपुर संभाग में, 1,445 मजदूरों को किए गए ₹0.25 करोड़ का भुगतान (2021-22 और 2022-23) 301 मजदूरों के बैंक खातों में जमा किया गया, जिन्हें बिचौलियों के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, मजदूरों को किए गए भुगतान की सत्यता की लेखापरीक्षा द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकी।
7.	मिजोरम	सभी पाँचों[136] एफ.डी.ए. में, मज़दूरों को नकद में मज़दूरी का भुगतान किया गया था।

[133] एफ.डी.ए. कलाबुर्गी में ₹2.58 करोड़ तथा एफ.डी.ए. सिरसी में ₹1.07 करोड़।
[134] कालाहांडी उत्तर, कालाहांडी दक्षिण और घुमसुर साउथ।
[135] उमरिया (₹0.24 करोड़), रायसेन (₹0.15 करोड़) और दक्षिण सिवनी (₹0.24 करोड़)।
[136] एफ.डी.ए. - आइज़ोल, चम्पाई, डारलॉन, कोलासिब और थेनज़ॉल।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अवलोकन
8.	उत्तराखंड	लेखापरीक्षा में पाया गया कि जे.एफ.एम.सी. नगदी निकाल रही थी और श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान भी नगदी में कर रही थी।
9.	पश्चिम बंगाल	तीन प्रभागों- कांगसावती (दक्षिण), बांकुरा (उत्तर) और बर्दबान ने अपने आपने स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया और मजदूरों को मजदूरी के रूप में नगद भुगतान किया।

अनुलग्नक XVI
(पैरा 3.9 देखें)
ठेकेदारों की नियुक्ति

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	हिमाचल प्रदेश	चार[137] चयनित एफ.डी.ए. में, ₹2.41 करोड़ की लागत के वनीकरण कार्य सीधे श्रमिकों को नियुक्त करने के बजाय बिचौलियों के माध्यम से किए गए।
2.	ओडिशा	2019-20 से 2022-23 के दौरान, दो एफ.डी.ए.[138] के जे.एफ.एम.सी. ने कार्यों में लगे सभी श्रमिकों के वेतन के भुगतान के लिए एक या दो श्रमिकों को बिचौलियों के रूप में नियुक्त किया। यह देखा गया कि इन एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. द्वारा बिचौलियों के माध्यम से कुल ₹1.78 करोड़ का नकद भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, एफ.डी.ए. ढेंकानाल ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹0.21 करोड़ की लागत से वृक्षारोपण गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए श्रम सेवा ठेकेदारों को संलग्न किया।
3.	पश्चिम बंगाल	चार[139] प्रभागों में अग्रिम एवं रोपण कार्यों के निष्पादन हेतु, जे.एफ.एम.सी. के माध्यम से प्रचलित राज्य मजदूरी दरों पर मजदूरों को नियुक्त कर कार्य कराने के बजाए निविदाएं आमंत्रित की गईं।

---
[137] *चौपाल, मंडी, रेणुका जी और ऊना।*

[138] *कालाहांडी दक्षिण और कालाहांडी उत्तर।*

[139] *कंगसाबती (दक्षिण), झारग्राम, खड़गपुर और बर्द्धमान।*

अनुलग्नक XVII
(पैरा 3.10 देखें)
वार्षिक खातों का रखरखाव न करना

क्रम संख्या	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	अरुणाचल प्रदेश	लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो एस.एफ.डी.ए. और न ही एफ.डी.ए. ने किसी भी वर्ष के वार्षिक खाते तैयार किए थे।
2.	हिमाचल प्रदेश	न तो एस.एफ.डी.ए. और न ही नमूना एफ.डी.ए. ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अपने वार्षिक खाते तैयार किए। परिणामस्वरूप, वार्षिक खातों का लेखा-जोखा किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा नहीं किया जा सका और यू.सी. बिना लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए।
3.	जम्मू और कश्मीर	एस.एफ.डी.ए. जम्मू और कश्मीर ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अपने वार्षिक खाते तैयार नहीं किए।
4.	पंजाब	एस.एफ.डी.ए. ने किसी भी वर्ष वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए थे। इसके अलावा, एफ.डी.ए. रोपड़, एस.ए.एस. नगर, गढ़शंकर और दसूया ने क्रमशः वर्ष 2018-19 से 2022-23, 2019-20 से 2022-23 और 2015-16 से 2022-23 के लिए वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए।
5.	उत्तराखंड	एस.एफ.डी.ए. ने जी.आई.एम. के लिए वार्षिक खाते नहीं बनाए।
6.	पश्चिम बंगाल	एस.एफ.डी.ए. या किसी भी एफ.डी.ए. या जे.एफ.एम.सी. द्वारा जी.आई.एम. के लिए कोई अलग से वार्षिक खाते तैयार नहीं किए गए। एस.एफ.डी.ए. अपने द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं को शामिल करते हुए वार्षिक खाते तैयार कर रहा है और इसका लेखा-परीक्षण पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया गया है।
7.	छत्तीसगढ़	एस.एफ.डी.ए. द्वारा 2021-22 और 2022-23 की अवधि के वार्षिक खाते लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए। एफ.डी.ए. ने 2015-16 से 2022-23 तक के वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं कराए।
8.	हरियाणा	एस.एफ.डी.ए. और एफ.डी.ए. दोनों ने जी.आई.एम. के लिए वर्ष 2022-23 के वार्षिक खाते नहीं बनाए।

अनुलग्नक XVIII
(पैरा 3.10 देखें)
वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा न किए जाने के दृष्टांत

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	आंध्र प्रदेश	वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के लिए एस.एफ.डी.ए. के वार्षिक खातों का लेखापरीक्षा नहीं किया गया। इसके अलावा, एफ.डी.ए., पडेरू ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा नहीं कराई।
2.	कर्नाटक	एस.एफ.डी.ए. खातों का लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2016-17 तक किया गया था। इसके बाद, अगले वर्ष के वार्षिक खातों की चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई।
3.	मध्य प्रदेश	वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए एस.एफ.डी.ए. के खातों की लेखापरीक्षा सी.ए. द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा, पांच[140] एफ.डी.ए. के खातों (2018-19 से 2023-24) की लेखापरीक्षा भी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा नहीं की गई थी।

[140] *बड़वानी, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, दक्षिण सागर और सेंधवा।*

अनुलग्नक XIX
(पैरा 3.11 देखें)
उपयोगिता प्रमाणपत्रों और सहायक अभिलेखों में दर्ज व्यय राशियों में विसंगति

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	आंध्र प्रदेश	एस.एफ.डी.ए. की वर्ष 2016-17 की यू.सी. और प्रगति रिपोर्ट की जांच से पता चला कि यू.सी. के तहत व्यय के रूप में ₹1.40 करोड़ की राशि बताई गई थी, जबकि प्रगति रिपोर्ट में इसे ₹1.22 करोड़ बताया गया था, जिससे इन दोनों दस्तावेजों में व्यय में ₹0.18 करोड़ का अंतर निकला।
2.	हरियाणा	दो एफ.डी.ए., नामतः अंबाला और कैथल द्वारा प्रदान किए गए व्यय विवरण से पता चला कि 2022-23 के दौरान उनके द्वारा कुल ₹0.34 करोड़[141] का व्यय किया गया था, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए उनके यू.सी. में उन्होंने इसे ₹1.37[142] करोड़ बताया। इसके जवाब में, अंबाला के सम्भागीय वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) ने बताया कि यू.सी. जमा करते समय काम चल रहा था इसलिए पूरी राशि का यू.सी. मुख्यालय को जमा कर दिया था। इसके अलावा कैथल के डी.एफ.ओ. ने बताया कि अप्रयुक्त शेष राशि सरकारी खातों में जमा की जाएगी, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया जा रहा है।
3.	केरल	एस.एफ.डी.ए. द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र से पता चला है कि 31 मार्च 2021 तक केंद्र के हिस्से के अप्रयुक्त शेष से संबंधित कुल ₹13.55 करोड़ की राशि एस.एफ.डी.ए. के पास पड़ी थी। हालाँकि, वर्ष 2021-22 के उपयोगिता प्रमाण पत्र में ₹13.55 करोड़ की उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि के विरुद्ध, एस.एफ.डी.ए. ने 1 अप्रैल 2021 तक केंद्र के हिस्से के रूप में केवल ₹8.13 करोड़ की सूचना दी और अप्रयुक्त शेष राशि ₹5.42 करोड़ को राज्य के हिस्से के रूप में रिपोर्ट किया गया। इसलिए, एस.एफ.डी.ए. द्वारा केंद्र के हिस्से के अप्रयुक्त शेष से निधि को विनियोजित करने और इसे राज्य के हिस्से के रूप में रिपोर्ट करने की कार्रवाई अनियमित थी।
4.	महाराष्ट्र	एस.एफ.डी.ए. महाराष्ट्र ने 2018-19 के लिए अपने यू.सी. में बताया कि उपलब्ध निधि ₹17.17 करोड़ के विरुद्ध, वर्ष के दौरान ₹12.75 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे मार्च 2019 तक ₹4.42 करोड़ का अप्रयुक्त शेष रह गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष के दौरान एस.एफ.डी.ए. द्वारा उपयोग किए गए ₹12.75 करोड़ में से, वर्ष के दौरान पांच[143] एफ.डी.ए. को ₹9.26 करोड़ की राशि जारी की गई थी। इन एफ.डी.ए. द्वारा प्रस्तुत

[141] *कैथल (₹0.11 करोड़) और अंबाला (₹0.23 करोड़)।*

[142] *कैथल (₹1.08 करोड़) और अंबाला (₹0.29 करोड़)।*

[143] *एफ.डी.ए. नामतः वाडसा (₹1.37 करोड़), सिरोंचा (₹1.36 करोड़), डहाणू (₹2.05 करोड़), भोर (₹1.12 करोड़), पुणे (₹3.36 करोड़)।*

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अवलोकन
		व्यय और यू.सी. के विवरण से पता चला कि ₹9.26 करोड़ में से, वर्ष के दौरान केवल एक एफ.डी.ए. द्वारा ₹0.29 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा सका। हालांकि, सभी पांच एफ.डी.ए. ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने यू.सी. में प्राप्त ₹9.26 करोड़ के फंड का पूर्ण उपयोग करने की सूचना दी।
5.	ओडिशा	नौ[144] एफ.डी.ए. में, उनकी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (2015-16 से 2022-23) और यू.सी. में बताए गए उनके द्वारा उपयोग किए गए निधि के आंकड़ों में अंतर पाया गया। यू.सी. ने संकेत दिया कि इन वर्षों के दौरान कुल ₹77.94 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया, जबकि वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के तहत वित्तीय उपलब्धि ₹63.56 करोड़ बताई गई।
6.	उत्तराखंड	एस.एफ.डी.ए. ने वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के अपने उपयोगिता प्रमाण पत्रों में ₹22.23 करोड़ का व्यय दर्शाया। हालाँकि, एस.एफ.डी.ए. के अभिलेखों से पता चला कि इस अवधि के दौरान ₹22.75 करोड़ का व्यय हुआ। इसी प्रकार, 2020-21 में, उपयोगिता प्रमाण पत्रों में ₹27.48 करोड़ का व्यय दर्शाया गया, जबकि एस.एफ.डी.ए. के अभिलेखों में यह ₹26.82 करोड़ दर्शाया गया।

[144] *बरहामपुर, ढेंकानाल, कालाहांडी उत्तर, कालाहांडी दक्षिण, बोनई, घुमसुर साउथ, सुंदरगढ़, बलांगीर और रायरंगपुर।*

अनुलग्नक XX
(पैरा 3.12 देखें)
अलग बैंक खाते न रखना

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	छत्तीसगढ़	कटघोरा और मरवाही नामक दो एफ.डी.ए. ने निजी बैंकों में जी.आई.एम. के लिए अपने बैंक खाते खोले। इसके अलावा, तीन[145] एफ.डी.ए. के 20 जे.एफ.एम.सी. ने भी एक निजी बैंक में अपना बैंक खाता खोला था।
2.	कर्नाटक	यह देखा गया कि 2020-21 तक, जी.आई.एम. के अंतर्गत प्राप्त धनराशि एस.एफ.डी.ए. द्वारा सभी केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए खोले गए एक साझा बैंक खाते में जमा की जाती थी।
3.	महाराष्ट्र	अगस्त 2021 तक एस.एफ.डी.ए. ने जी.आई.एम. के अंतर्गत प्राप्त धनराशि के लिए अलग से ब्याज वाला बैंक खाता नहीं खोला था। इसके अलावा, आठ[146] जे.एफ.एम.सी. को जारी की गई ₹1.91 करोड़ की धनराशि चार[147] अन्य जे.एफ.एम.सी. के बैंक खातों में जमा कर दी गई। अन्य जे.एफ.एम.सी. के खातों में जी.आई.एम. धनराशि जमा होने के कारण, ये आठ जे.एफ.एम.सी., जी.आई.एम. के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों पर वित्तीय नियंत्रण नहीं रख सके।
4.	ओडिशा	नमूना जाँच की गई दो[148] एफ.डी.ए. में, एफ.डी.ए. और जे.एफ.एम.सी. द्वारा प्राप्त धनराशि चालू खातों में जमा की गई थी।
5.	पंजाब	एस.एफ.डी.ए. ने एक साझा बैंक खाते में धनराशि रखी, जिसका उपयोग अन्य योजनाओं के लिए किया गया था, जिससे धनराशि का आपस में मिश्रण हुआ।
6.	उत्तराखंड	471 जे.एफ.एम.सी. में से, 98 जे.एफ.एम.सी. (21 प्रतिशत) ने जी.आई.एम. के लिए अलग से बैंक खाता नहीं खोला। इन जे.एफ.एम.सी. को अन्य योजनाओं के लिए खोले गए बैंक खाते में धनराशि प्राप्त हुई।

[145] *कटघोरा (सात जे.एफ.एम.सी.), बस्तर (आठ जे.एफ.एम.सी.) और कोंड़ागाँव (पाँच जे.एफ.एम.सी.)।*
[146] *येरंडी, मालडुगी, चंदगड, चीनेगाँव, जांभुलखेड़ा, पोचडे, खुन्नावाड़ा और परसवाड़ी।*
[147] *गोठनगाँव, नेताली, कोसबाड़ और जामशेता।*
[148] *कालाहांडी उत्तर और कालाहांडी दक्षिण।*

अनुलग्नक XXI
(पैरा 3.12 देखें)

ब्याज का भुगतान न करना

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	हरियाणा	तीन[149] एफ.डी.ए. द्वारा प्रदान किए गए ब्याज के विवरण से पता चला कि इन एफ.डी.ए. के 20 जे.एफ.एम.सी.[150] द्वारा मार्च 2024 तक अर्जित ₹0.05 करोड़ का ब्याज एस.एफ.डी.ए. हरियाणा को समायोजित या वापस नहीं किया गया था। उत्तर में, डी.एफ.ओ. ने कहा कि ब्याज की राशि समायोजित/जमा कर दी जाएगी।
2.	ओडिशा	14 एफ.डी.ए.[151] के 316 जे.एफ.एम.सी. को मार्च 2023 तक अर्जित ₹1.33 करोड़ का ब्याज न तो वापस किया गया और न ही उनके द्वारा अपने एफ.डी.ए. को सूचित किया गया।
3.	पंजाब	एस.एफ़.डी.ए. द्वारा 2016-17 से 2022-23 के दौरान अर्जित ₹0.39 करोड़ के ब्याज के विरुद्ध केवल ₹0.23 करोड़ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को रिपोर्ट किया गया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि एफ.डी.ए. साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर ने भी 2016-17 से 2022-23 के दौरान जी.आई.एम. निधियों पर ₹0.02 करोड़ का ब्याज अर्जित किया था, लेकिन उसने इसे एस.एफ़.डी.ए. को न तो रिपोर्ट किया और न ही वापस किया।
4.	उत्तराखंड	उत्तराखण्ड में, जे.एफ.एम.सी. ने जी.आई.एम. निधियों पर अर्जित किए गए ब्याज की रिपोर्ट नहीं की। फलस्वरूप, अर्जित ब्याज (यदि कोई हो) का लेखा-जोखा नहीं किया जा सका।

[149] कैथल, जींद और मोरनी।

[150] जींद (जे.एफ.एम.सी. - जुलाना, घिमाना, नागुरन, सूरबरा, नेपेवाला, भावना-ब्रह्मण), कैथल (जे.एफ.एम.सी. - नौंच, खारकरा, धांडोटा, डुब्बल, बारोट, चंदाना, सीवान, हाबड़ी और सांझ) तथा मोरनी (जे.एफ.एम.सी. - कालका, पिंजौर, पंचकूला, मोरनी और रायपुर-रानी)।

[151] एफ.डी.ए. नामतः - बरहमपुर, अंगुल, बलांगीर, बल्लिगुड़ा, कोरापुट, नयागढ़, रायरंगपुर, ढेंकानाल, कालाहांडी उत्तर, कालाहांडी दक्षिण, सुंदरगढ़, बोनई, घुमसुर दक्षिण और नबरनपुर।

अनुलग्नक XXII
(पैरा 4.1 देखें)
जी.आई.एम. के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्यवार कमी

राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार लक्ष्य (हेक्टेयर में)	परिप्रेक्ष्य योजना की अवधि	राज्यों द्वारा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक रोपण कार्य की उपलब्धि (हेक्टेयर में)	कमी (हेक्टेयर में)	कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(4)	(6) = (5)/(2)*100
आंध्र प्रदेश	6,938	(2015-16 से 2020-21), (2018-19 से 2025-26)	1,272	5,666	81.67
अरुणाचल प्रदेश	46,742	2021-22 से 2025-26	5314.39	41,427.61	88.63
छत्तीसगढ़	31,138	2015-16 से 2025-26	22,641	8,497.00	27.28
हरियाणा	67,562	2021-22 से 2025-26	7,422.50	60,139.50	89.01
हिमाचल प्रदेश	21,459	2017-18 से 2025-26	1,299	20,160.00	93.95
जम्मू और कश्मीर	32,420	2020-21 से 2025-26	1,349.08	31,070.92	95.84
कर्नाटक	5,100 (22,165)*	2015-16 से 2025-26	2,947	2,153.00	42.22
केरल	22,960	2015-16 से 2025-26	7,926.85	15,033.15	65.48
मध्य प्रदेश	3,40,700	2017-18 से 2025-26	26,939	3,13,761.00	92.09
महाराष्ट्र	6,975.40	2017-18 से 2025-26	3,586.76	3,388.64	48.58
मिजोरम	29,893	2015-16 से 2025-26	19,642.94	10,250.06	34.29
ओडिशा	13,251 (96,212)* (2,198.56)**	2015-16 से 2025-26	17,761.56	-4,510.56	0
पंजाब	18,994	2015-16 से 2025-26	7,168	11,826.00	62.26
सिक्किम	16,698 (2,01,768.45)*	2017-18 से 2026-27	6,611.85	10,086.15	60.40

राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार लक्ष्य (हेक्टेयर में)	परिप्रेक्ष्य योजना की अवधि	राज्यों द्वारा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक रोपण कार्य की उपलब्धि (हेक्टेयर में)	कमी (हेक्टेयर में)	कमी का प्रतिशत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5) = (2)-(4)**	**(6) = (5)/(2)*100**
उत्तराखंड	1,23,973	2015-16 से 2025-26	13,438	1,10,535.00	89.16
पश्चिम बंगाल	37,450	2019-20 से 2025-26	2,605.70	34,844.30	93.04
कुल	**8,22,253.40**		**1,47,925.63**	**6,74,327.77**	**82.01**

** एन.ई.सी. द्वारा अनुमोदित लक्ष्य*

*** राज्य द्वारा प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार लक्ष्य*

अनुलग्नक XXIII
(पैरा 4.4.1.1(i) देखें)
भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आई.एस.एफ.आर) के अनुसार झाड़ीदार भूमि के अंतर्गत उपलब्ध क्षेत्र

क्रम संख्या	राज्य का नाम	झाड़ीदार भूमि का क्षेत्रफल (कि.मी.^{2} में)
1.	आंध्र प्रदेश	आई.एस.एफ.आर 2011 के अनुसार 10,768 कि.मी.^{2}
2.	अरुणाचल प्रदेश	आई.एस.एफ.आर 2011 के अनुसार 122 कि.मी.^{2}
3.	हरियाणा	आई.एस.एफ.आर 2015 के अनुसार 151 कि.मी.^{2}
4.	कर्नाटक	आई.एस.एफ.आर 2011 के अनुसार 3175 कि.मी.^{2}
5.	केरल	आई.एस.एफ.आर 2011 के अनुसार 58 कि.मी.^{2}
6.	मध्य प्रदेश	आई.एस.एफ.आर 2015 के अनुसार 6383 कि.मी.^{2}
7.	सिक्किम	आई.एस.एफ.आर 2015 के अनुसार 311 कि.मी.^{2}
8.	पश्चिम बंगाल	आई.एस.एफ.आर 2015 के अनुसार 133 कि.मी.^{2}
	कुल	**21,100 कि.मी.^{2} (2.11 एम.एच.ए.)**

अनुलग्नक XXIV
(पैरा 4.4.1.3 देखें)

भारत के बंजर भूमि एटलस 2010 के अनुसार खड्डों के अंतर्गत उपलब्ध क्षेत्र

क्रम संख्या	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	खड्डों का क्षेत्रफल (कि.मी.^{2} में)
1.	आंध्र प्रदेश	408.37
2.	छत्तीसगढ़	142.90
3.	हिमाचल प्रदेश	174.75
4.	जम्मू और कश्मीर	976.38
5.	मध्य प्रदेश	1502.06
6.	महाराष्ट्र	547.03
7.	पंजाब	82.12
	कुल	**3,833.61 कि.मी.^{2} (0.38 एम.एच.ए.)**

अनुलग्नक XXV
(पैरा 4.4.1.4(i) देखें)
राज्यों में परित्यक्त खनन स्थलों का विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खदान का नाम	परित्यक्त खनन स्थलों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	बोर्रा कैल्साइट खदान, बुदारयावलसा चूना कांकेर खदान, दसारी रामानायडू वालासा-I चूना कांकेर खदान, दसारी रामानायडू वालासा-II चूना कांकेर खदान, कोरलम I क्वार्ट्ज खदान, कुंचगुमादम चूना कांकेर खदान, माउटूर फेल्डस्पार खदान, पलाकंदयूर चूना कांकेर खदान, पेदाबंटुपल्ली चूना कांकेर खदान, पुल्लाजीपेटा क्वार्ट्ज खदान, रेगती वी.यू चूना कांकेर खदान और श्री रामचन्द्र मैंगनीज खदान	12
2.	महाराष्ट्र	नवरगांव II कायनाइट खदान, पिटिचुआ क्रोमाइट खदान	2
3.	ओडिशा	बंकियामुंडा क्वार्ट्ज खदान, दोमुहानी मैंगनीज खदान, नौपारा II क्वार्ट्जाइट खदान और सरगीपल्ली पीबी-जेडएन-सीयू खदान	4
4.	उत्तराखंड	दुरमाला रॉक फॉस्फेट खदान, मालदेओटा रॉक फॉस्फेट खदान और मल्ला चूना पत्थर खदान	3
		कुल	**21**

अनुलग्नक XXVI
(पैरा 4.6 देखें)
राज्यों में एफ.डी.ए. द्वारा संधारित वृक्षारोपण पत्रिकाओं की स्थिति

क्रम संख्या	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	वृक्षारोपण स्थलों की संख्या जिनके लिए वृक्षारोपण पत्रिकाएं बनाए रखी जानी चाहिए	रखी गई वृक्षारोपण पत्रिकाओं की संख्या	रोपित प्रजातियों का प्रकार दर्ज नहीं किया गया	स्थान के निर्देशांक दर्ज नहीं किए गए	पौधों का जीवित प्रतिशत दर्ज नहीं किया गया	वृक्षारोपण क्षेत्र में मिट्टी का प्रकार दर्ज नहीं किया गया	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां दर्ज नहीं की गईं	पौधों के बीच की दूरी दर्ज नहीं की गई	उन पत्रिकाओं की अधिकतम संख्या जहां कमी देखी गई
1.	आंध्र प्रदेश	24	24	-	-	12	24	18	-	24
2.	अरुणाचल प्रदेश	59	51	-	-	51	-	-	-	51
3.	छत्तीसगढ़	46	32	-	-	6	-	-	2	6
4.	हरियाणा	49	0	वृक्षारोपण पत्रिका नहीं बनाई						
5.	हिमाचल प्रदेश	46	46	-	-	-	-	38	-	38
6.	जम्मू और कश्मीर	30	26	-	-	20	-	-	-	20
7.	कर्नाटक	30	27	3	2	26	-	17	-	26
8.	केरल	23	6	वृक्षारोपण पत्रिकाएं अद्यतन नहीं हैं						6
9.	मध्य प्रदेश	58	58	वृक्षारोपण पत्रिकाएं अद्यतन नहीं हैं						58
10.	महाराष्ट्र	35	21	-	-	10	-	-	-	10
11.	मिजोरम	40	40	-	11	-	40	23	40	40
12.	ओडिशा	48	42	6	-	-	-	42	-	42
13.	पंजाब	56	56	2	22	56	56	50	-	56
14.	सिक्किम	36	35	-	4	8	2	-	-	8
15.	उत्तराखंड	51	50	-	-	-	-	27	-	27
16.	पश्चिम बंगाल	42	42	-	-	19	-	-	-	19
	कुल	**673**	**556**	**11**	**39**	**208**	**122**	**215**	**42**	**431**

अनुलग्नक XXVII
(पैरा 4.7 देखें)
जी.आई.एम. वृक्षारोपण के जीविता प्रतिशत की सीमा

क्रम संख्या	राज्य का नाम/ के.शा.प्र.	कुल वृक्षारोपण स्थल जहाँ जीविता प्रतिशत का निर्धारण किया जा सका	जीविता प्रतिशत की सीमा		
			0 से 40 प्रतिशत	41 से 70 प्रतिशत से कम	70 और उससे अधिक
1.	आंध्र प्रदेश	24	13	4	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	55	1	16	38
3.	छत्तीसगढ़	37	1	1	35
4.	हरियाणा	5	3	1	1
5.	हिमाचल प्रदेश	43	4	16	23
6.	जम्मू और कश्मीर	27	4	12	11
7.	कर्नाटक	26	1	4	21
8.	केरल	11	5	0	6
9.	मध्य प्रदेश	51	5	10	36
10.	महाराष्ट्र	35	18	15	2
11.	मिजोरम	36	5	7	24
12.	ओडिशा	39	6	16	17
13.	पंजाब	45	7	23	15
14.	सिक्किम	34	1	17	16
15.	उत्तराखंड	49	17	28	4
16.	पश्चिम बंगाल	42	4	10	28
	कुल	**559**	**95**	**180**	**284**

अनुलग्नक XXVIII
(पैरा 4.8.1 देखें)
मृदा नमी संरक्षण गतिविधियाँ

क्रम संख्या	राज्य का नाम/के.शा.प्र.	एस.एम.सी. योग्य जे.पी.वी. के कुल स्थल	एस.एम.सी. कार्य जिन साइटों में नहीं किया गया
1	आंध्र प्रदेश	24	12
2	अरुणाचल प्रदेश	59	59
3	छत्तीसगढ़	46	42
4	हिमाचल प्रदेश	46	36
5	जम्मू और कश्मीर	30	23
6	कर्नाटक	22	18
7	केरल	23	14
8	महाराष्ट्र	35	35
9	ओडिशा	38	18
10	पंजाब	56	54
11	उत्तराखंड	51	23
12	पश्चिम बंगाल	42	11
	कुल	**472**	**345**

अनुलग्नक XXIX
(पैरा 4.8.3 देखें)
आजीविका गतिविधियों पर रिपोर्ट किया गया व्यय

क्रम संख्या	राज्य का नाम/के.शा.प्र.	रिपोर्ट किया गया व्यय *(₹ करोड़ में)*	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	0.02	लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध नहीं कराई गई
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.14	
3.	छत्तीसगढ़	1.06	
4.	केरल	2.75	
5.	मध्य प्रदेश	5.31	
6.	महाराष्ट्र	1.03	
7.	सिक्किम	0.82	
8.	पश्चिम बंगाल	0	इस घटक के अंतर्गत कोई व्यय रिपोर्ट नहीं किया गया।
9.	मिजोरम	0	कम धनराशि के कारण कोई गतिविधि नहीं की गई।
10.	हरियाणा	0.08	शून्य
11.	हिमाचल प्रदेश	0.52	शून्य
12.	जम्मू और कश्मीर	2.76	1218
13.	कर्नाटक	2.98	75
14.	ओडिशा	3.95	शून्य
15.	पंजाब	1.78	2084
16.	उत्तराखंड	9.27	3572
	कुल	**34.47**	**6949**

अनुलग्नक XXX

(पैरा 4.10.1 देखें)

केरल में कार्यों का गलत वर्गीकरण

क्रम संख्या	एल2 परिदृश्य	एल3 परिदृश्य	वृक्षारोपण स्थल	वर्ष	एस.एम. संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कार्य जिसके लिए निधियों का उपयोग किया गया	कार्य का प्रकार जिसके तहत वर्गीकृत किया जाना है
क. एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए. द्वारा गलत तरीके से 'अग्रिम कार्य' के रूप में वर्गीकृत किए गए कुल मामले (11 मामले)								
1	मरयूर	मेलाडी	मेलाडी	2018-19	एस.एम-1	12	इस स्थल पर 2000 विविध पौधे लगाए गए ताकि रिक्त स्थानों को भरा जा सके।	रोपण
2	मलयट्टूर	कप्पयम	कप्पयम	2016-17	एस.एम-1	15	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
3	मलयट्टूर	वेल्लारामकुथु	वेल्लारामकुथु	2020-21	एस.एम-1	15.83	एस.एम-सी कार्य एवं अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
4	मनकुलम	पांडियनकुडी	थैंकप्पनशेड, वट्टाकुलमथोडु	2016-17	एस.एम-1	20	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
5	मरयूर	कम्मलान कुडी	कम्मलान कुडी	2016-17	एस.एम-2	150	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
6	मरयूर	कवक्कुडी	कवक्कुडी	2016-17	एस.एम-2	50	12.5 हेक्टेयर क्षेत्र में अवांछनीय खरपतवारों को उखाड़ा गया और 250 क्रम बद्ध खाइयों का निर्माण किया गया।	रख-रखाव

क्रम संख्या	एल2 परिदृश्य	एल3 परिदृश्य	वृक्षारोपण स्थल	वर्ष	एस.एम. संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कार्य जिसके लिए निधियों का उपयोग किया गया	कार्य का प्रकार जिसके तहत वर्गीकृत किया जाना है
क. एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए. द्वारा गलत तरीके से 'अग्रिम कार्य' के रूप में वर्गीकृत किए गए कुल मामले (11 मामले)								
7	मरयूर	कुथुकल्लू कुडी	कुथुकल्लू कुडी	2016-17	एस.एम--2	44.5	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
8	मरयूर	पेरिया कुडी	पेरिया कुडी	2016-17	एस.एम--2	48.5	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
9	मरयूर	पुरवायल कुडी	पुरवायल कुडी	2016-17	एस.एम-4	50	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
10	रन्नी	वेलनप्लावु	वेलनप्लावु	2016-17	एस.एम-1	5	चूरल बागान का रखरखाव कार्य	रख-रखाव
11	नीलांबुर दक्षिण	पुंचा	पुंचा	2018-19	एस.एम--5	100	10 व्यक्तियों को गैस कनेक्शन की आपूर्ति	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना
ख. एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए. द्वारा गलत तरीके से 'रोपण कार्य' के रूप में वर्गीकृत कुल मामले (51 मामले)								
1	मलयट्टूर	वेल्लारामकुथु	बोरिंग कवला प्लॉट 1 और 2	2017-18	एस.एम-1	15.83	बोरिंग कवला-2 में सीमा रेखाओं को साफ़ करना, जीपीएस से सर्वेक्षण करना, सीमा पत्थर लगाना, लैंटाना उखाड़ना आदि।	अग्रिम कार्य
2	तिरुवनंतपुरम	नजरानेली	नजरानेली	2017-18	एस.एम-1	15	उपचार योजना तैयार करना	अग्रिम कार्य
3	कोननी	थलमानम	नलुमुक्कु	2016-17	एस.एम-1	10	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
4	कोननी	थलमानम	नलुमुक्कु	2017-18	एस.एम-1	10	एस.एम. सी कार्य और अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
5	कोननी	थलमानम	नलुमुक्कु	2019-20	एस.एम-1	10	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव

क्रम संख्या	एल2 परिदृश्य	एल3 परिदृश्य	वृक्षारोपण स्थल	वर्ष	एस.एम. संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कार्य जिसके लिए निधियों का उपयोग किया गया	कार्य का प्रकार जिसके तहत वर्गीकृत किया जाना है
ख. एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए. द्वारा गलत तरीके से 'रोपण कार्य' के रूप में वर्गीकृत कुल मामले (51 मामले)								
6	कोननी	थलमानम	नलुमुक्कु	2022-23	एस.एम-1	10	एस.एम.सी. कार्य एवं अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
7	मरयूर	बाबू नगर	बाबू नगर	2017-18	एस.एम-1	12	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
8	मरयूर	बाबू नगर	बाबू नगर	2020-21	एस.एम-1	40	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
9	मरयूर	चेरुकुलम	चेरुकुलम	2020-21	एस.एम-1	40	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
10	मरयूर	इंदिरा नगर	इंदिरा नगर	2020-21	एस.एम--2	40	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
11	मरयूर	करसनदु	करसनदु	2020-21	एस.एम--2	75	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
12	मरयूर	कवक्कुडी	कवक्कुडी	2020-21	एस.एम--2	40	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
13	मरयूर	कुथुकल्लू कुडी	कुथुकल्लू कुडी	2020-21	एस.एम--4	40	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
14	मरयूर	मेलाडी	मेलाडी	2020-21	एस.एम--2	40	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
15	मरयूर	पल्लानाडु	पल्लानाडु	2020-21	एस.एम--2	40	7.5 हेक्टेयर क्षेत्र में उगने वाले अवांछनीय खरपतवार को उखाड़ने और 150 क्रमबद्ध खड्डो का निर्माण किया गया।	रख-रखाव
16	मरयूर	पेरिया कुडी	पेरिया कुडी	2020-21	एस.एम--2	40	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
17	मरयूर	पुरावायल कुडी	पुरावायल कुडी	2020-21	एस.एम–2	40	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव

क्रम संख्या	एल2 परिदृश्य	एल3 परिदृश्य	वृक्षारोपण स्थल	वर्ष	एस.एम. संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कार्य जिसके लिए निधियों का उपयोग किया गया	कार्य का प्रकार जिसके तहत वर्गीकृत किया जाना है
ख. एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए. द्वारा गलत तरीके से 'रोपण कार्य' के रूप में वर्गीकृत कुल मामले (51 मामले)								
18	मरयूर	तीर्थमाला	तीर्थमाला	2020-21	एस.एम–2	10	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
19	नीलांबुर उत्तर	पोथुकल हरिथा वीएसएस	पोथुकल हरिथा	2016-17	एस.एम–1	300	अग्नि सुरक्षा एवं चेक डैम की डिसिल्टिंग	रख-रखाव
20	पेरियार (पूर्व)	मन्नाकुडी II ईडीसी	मन्नाकुडी II ईडीसी	2022-23	एस.एम–3	1	स्कूल बोर्ड, शटर आदि का निर्माण।	जी.आई.एम. से संबंधित नहीं
21	पेरियार (पूर्व)	पलियाकुडी	पलियाकुडी	2022-23	एस.एम-4	2.73	सूखे मलबे की चिनाई का उपयोग करके खाई के लिए 39.37 घन मीटर की रिटेनिंग दीवार का निर्माण	रख-रखाव
22	पेरियार (पूर्व)	वल्लाक्कदावु वी ईडीसी	पचक्कनम से 10वां मील	2019-20	एस.एम-1	2.7	विभिन्न घरों में 350 जलकुंडों का निर्माण	अग्रिम
23	पेरियार (पूर्व)	वंचिवयाल कॉलोनी	वंचिवयाल कॉलोनी	2022-23	एस.एम-1	4.7	विदेशी खरपतवारों का उन्मूलन	रख-रखाव
24	रन्नी	वेलनप्लावु	वेलनप्लावु	2019-20	एस.एम-1	5	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
25	रन्नी	वेलनप्लावु	वेलनप्लावु	2022-23	एस.एम-1	10	10 हेक्टेयर में सीमा रेखा साफ़ करना, सीमा पत्थर लगाना और अग्निशमन दल को शामिल करना।	अग्रिम

क्रम संख्या	एल2 परिदृश्य	एल3 परिदृश्य	वृक्षारोपण स्थल	वर्ष	एस.एम. संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कार्य जिसके लिए निधियों का उपयोग किया गया	कार्य का प्रकार जिसके तहत वर्गीकृत किया जाना है
ख. एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए. द्वारा गलत तरीके से 'रोपण कार्य' के रूप में वर्गीकृत कुल मामले (51 मामले)								
26	थेणमाला	उरुकुन्नू मालवेदर कॉलोनी वी.एस.एस.	उरुकुन्नू	2016-17	एस.एम-1	10	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
27	थेणमाला	उरुकुन्नू मालवेदर कॉलोनी वी.एस.एस.	उरुकुन्नू	2017-18	एस.एम-1	10	एस.एम.सी. कार्य और अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
28	थेणमाला	उरुकुन्नू मालवेदर कॉलोनी वीएसएस	उरुकुन्नू	2021-22	एस.एम-1	10	एस.एम.सी. कार्य एवं अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
29	थेणमाला	उरुकुन्नू मालवेदर कॉलोनी वीएसएस	उरुकुन्नू	2022-23	एस.एम-1	10	एस.एम.सी. कार्य एवं अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
30	तिरुवनंतपुरम	नजरानेली	नजरानेली	2016-17	एस.एम-1	5	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
31	तिरुवनंतपुरम	नजरानेली	नजरानेली	2019-20	एस.एम-1	10	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
32	तिरुवनंतपुरम	नजरानेली	कालना	2022-23	एस.एम-1	10	अग्नि सुरक्षा	रख-रखाव
33	कोननी	थलमानम	नलुमुक्कु	2021-22	एस.एम-1	10	वी.एस.एस. के स्थानीय क्षेत्र के परिवार और स्कूली बच्चों के लिए प्रावधान करना	स्थानीय स्तर की संस्थाओं को मजबूत बनाना

क्रम संख्या	एल2 परिदृश्य	एल3 परिदृश्य	वृक्षारोपण स्थल	वर्ष	एस.एम. संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कार्य जिसके लिए निधियों का उपयोग किया गया	कार्य का प्रकार जिसके तहत वर्गीकृत किया जाना है
ख. एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए. द्वारा गलत तरीके से 'रोपण कार्य' के रूप में वर्गीकृत कुल मामले (51 मामले)								
34	मनकुलम	विरिपारा	विरिपारा	2022-23	एस.एम-4	1	स्थानीय स्तर की संस्थाओं को सहायता देने की योजना के तहत आंगनवाड़ी को फर्नीचर का वितरण।	स्थानीय स्तर की संस्थाओं को मजबूत बनाना
35	मनकुलम	सेवलकुडी	सेवलकुडी	2022-23	एस.एम-4	1	स्थानीय स्तर की संस्थाओं को सहायता देने की योजना के तहत आंगनवाड़ी को फर्नीचर का वितरण।	स्थानीय स्तर की संस्थाओं को मजबूत बनाना
36	पलक्कड़	वेलंचेरी	वेलंचेरी	2017-18	एस.एम-6	15	गैस कनेक्शन की आपूर्ति	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना
37	पेरियार (पूर्व)	मन्नाकुडी II ईडीसी	मन्नाकुडी II ईडीसी	2022-23	एस.एम-4	4.73	सौर ऊर्जा लाइटों का वितरण	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना
38	पेरियार (पूर्व)	पलियाकुडी	पलियाकुडी	2022-23	एस.एम-5	3	वी.डी.वी.के. को मजबूत बनाना	स्थानीय स्तर की संस्थाओं को मजबूत बनाना
39	पेरियार (पूर्व)	वल्लक्कडावु वी ईडीसी	वल्लक्कडावु वी ईडीसी	2022-23	एस.एम--5	2	पारिस्थितिकी विकास समिति का सुदृढ़ीकरण	स्थानीय स्तर की संस्थाओं को मजबूत बनाना

क्रम संख्या	एल2 परिदृश्य	एल3 परिदृश्य	वृक्षारोपण स्थल	वर्ष	एस.एम. संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कार्य जिसके लिए निधियों का उपयोग किया गया	कार्य का प्रकार जिसके तहत वर्गीकृत किया जाना है
ख. एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए. द्वारा गलत तरीके से 'रोपण कार्य' के रूप में वर्गीकृत कुल मामले (51 मामले)								
40	थेणमाला	उरुकुन्नू मालवेदर कॉलोनी वीएसएस	उरुकुन्नू	2019-20	एस.एम-1	10	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना
41	मरयूर	चेरुकुलम	चेरुकुलम	2017-18	एस.एम-1	52	2017-18 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
42	मरयूर	कम्मनलन कुडी	कम्मनलन कुडी	2017-18	एस.एम-1	12	2017-18 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
43	मरयूर	कम्मनलन कुडी	कम्मनलन कुडी	2020-21	एस.एम-1	40	2020-21 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
44	मरयूर	करसानडु	करसानडु	2017-18	एस.एम-1	108	2017-18 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
45	मरयूर	कवक्कुडी	कवक्कुडी	2017-18	एस.एम-1	12	2017-18 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
46	मरयूर	कुथुकल्लू कुडी	कुथुकल्लू कुडी	2017-18	एस.एम-1	12	2017-18 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
47	मरयूर	मेलाडी	मेलाडी	2017-18	एस.एम-1	12	2017-18 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
48	मरयूर	मेलाडी	मेलाडी	2017-18	एस.एम-1	50	2017-18 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
49	मरयूर	पेरिया कुडी	पेरिया कुडी	2017-18	एस.एम-1	12	2017-18 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ

क्रम संख्या	एल2 परिदृश्य	एल3 परिदृश्य	वृक्षारोपण स्थल	वर्ष	एस.एम. संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कार्य जिसके लिए निधियों का उपयोग किया गया	कार्य का प्रकार जिसके तहत वर्गीकृत किया जाना है
ख. एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए. द्वारा गलत तरीके से 'रोपण कार्य' के रूप में वर्गीकृत कुल मामले (51 मामले)								
50	मरयूर	पुरावायल कुडी	पुरावायल कुडी	2017-18	एस.एम-1	10	2017-18 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
51	मरयूर	तीर्थमाला	तीर्थमाला	2017-18	एस.एम-1	100	2017-18 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
ग. एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए. द्वारा गलत तरीके से 'रखरखाव कार्य' के रूप में वर्गीकृत कुल मामले (11 मामले)								
1	मनकुलम	कोझिआला कुडी	कोझिआला ब्लॉक	2020-21	एस.एम-1		2020-21 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
2	थेणमाला	उरुकुन्नू मालवेदार कॉलोनी वीएसएस	उरुकुन्नू	2020-21	एस.एम-1		2020-21 के दौरान कोई काम नहीं	कोई काम नहीं हुआ
3	पलक्कड़	वेलंचेरी	अय्यप्पनमाला	2017-18	एस.एम--3		खाली स्थानों को भरने के लिए 1500 विविध पौधे लगाए गए।	रोपण
4	मनकुलम	कोझिआला कुडी	कोझिआला ब्लॉक	2021-22	एस.एम-1		18 लाभार्थियों के बीच 100 शहद के बक्से वितरित किए गए	परिवारों को आजीविका सहायता
5	पेरियार (पूर्व)	मन्नाकुडी इल ईडीसी	मन्नाकुडी	2018-19	एस.एम-6		थर्मल कुकर की आपूर्ति	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना

क्रम संख्या	एल2 परिदृश्य	एल3 परिदृश्य	वृक्षारोपण स्थल	वर्ष	एस.एम. संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कार्य जिसके लिए निधियों का उपयोग किया गया	कार्य का प्रकार जिसके तहत वर्गीकृत किया जाना है
ग. एफ.डी.ए./एस.एफ.डी.ए. द्वारा गलत तरीके से 'रखरखाव कार्य' के रूप में वर्गीकृत कुल मामले (11 मामले)								
6	पेरियार (पूर्व)	पलियाकुडी	पलियाकुडी	2018-19	एस.एम-6		थर्मल कुकर की आपूर्ति	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना
7	पेरियार (पूर्व)	पलियाकुडी	पलियाकुडी	2022-23	एस.एम-6		प्रेशर कुकर की आपूर्ति	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना
8	पेरियार (पूर्व)	वल्लक्कडावु वी ईडीसी	वल्लक्कदवु	2018-19	एस.एम-6		थर्मल कुकर की आपूर्ति	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना
9	पेरियार (पूर्व)	वल्लक्कडावु वी ईडीसी	वल्लक्कडावु वी ईडीसी	2022-23	एस.एम-6		थर्मल कुकर की आपूर्ति	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना
10	पेरियार (पूर्व)	वंचिवयाल कॉलोनी	वंचिवयाल कॉलोनी	2018-19	एस.एम-6		गैस कनेक्शन की आपूर्ति	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना
11	पेरियार (पूर्व)	वंचिवयाल कॉलोनी	वंचिवयाल कॉलोनी	2022-23	एस.एम-6		चावल कुकर की आपूर्ति	वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना

अनुलग्नक XXXI
(पैरा 5.6 देखें)
जे.एफ.एम.सी. द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करना

क्रम संख्या	राज्य का नाम/के.शा.प्र.	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	आंध्र प्रदेश	एफ.डी.ए. पडेरू के 12 चयनित जे.एफ.एम.सी. ने 2015-16 से 2024-25 के दौरान तिमाही लेखा विवरण और कार्यों की प्रगति प्रस्तुत नहीं की थी।
2.	अरुणाचल प्रदेश	सभी पाँच चयनित एफ.डी.ए. में, जे.एफ.एम.सी. ने अपने एफ.डी.ए. को कार्यों की एल3 स्तर की तिमाही प्रगति की रिपोर्ट नहीं दी।
3.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ के छः[152] प्रभागों ने बताया कि जे.एफ.एम.सी. ने अपने द्वारा किए गए कार्यों की तिमाही लेखा विवरण और प्रगति प्रस्तुत की थी। हालाँकि, इससे संबंधित रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अलावा, चार[153] प्रभागों ने बताया कि उनके जे.एफ.एम.सी. ने अपने द्वारा किए गए कार्यों की तिमाही लेखा विवरण और प्रगति प्रस्तुत नहीं की।
4.	हरियाणा	हरियाणा के एस.एफ.डी.ए. ने कहा कि जे.एफ.एम.सी. और एफ.डी.ए. के स्तर पर कार्य की तिमाही प्रगति की ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई थी।
5.	हिमाचल प्रदेश	ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं थे जो यह प्रकट कर सकें कि सभी चयनित एफ.डी.ए./जे.एफ.एम.सी. ने 2015-16 से 2024-25 के दौरान तिमाही लेखा विवरण और कार्यों की प्रगति तैयार और प्रस्तुत की थी।
6.	जम्मू और कश्मीर	छः[154] एफ.डी.ए. ने बताया कि उन्होंने त्रैमासिक लेखा विवरण और प्रगति रिपोर्ट एस.एफ.डी.ए. को प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन लेखापरीक्षा को रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई और दो[155] एफ.डी.ए. ने कहा कि उन्होंने ऐसी तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
7.	कर्नाटक	त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें जे.एफ.एम.सी. की भागीदारी के बिना एफ.डी.ए. स्तर पर तैयार की गईं।
8.	केरल	आठ[156] चयनित एफ.डी.ए. में, किसी भी जे.एफ.एम.सी. ने एल3 स्तर के परिदृश्यों में किए गए कार्यों के लिए त्रैमासिक लेखा विवरण और प्रगति रिपोर्ट अपने एफ.डी.ए. को प्रस्तुत नहीं कीं। हालाँकि, एफ.डी.ए. अपने जे.एफ.एम.सी. में किए गए कार्यों पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और उन्हें एस.एफ.डी.ए. को प्रस्तुत कर रहे थे।

---

[152] *कवर्धा, गरियाबंद, बलरामपुर, मरवाही, बिलासपुर और कोंडागाँव।*

[153] *कटघोरा, सरगुजा, सूरजपुर और बस्तर।*

[154] *रामनगर, पुंछ, डोडा, मुख्यालय धर्मारी, बिलावर और बसोही।*

[155] *राजौरी और भद्रवाह।*

[156] *तिरुवनंतपुरम, तेनमला, रन्नी, कोट्टायम, मलयाट्टूर, मनकुलम, मरायूर और निलांबुर उत्तर।*

क्रम संख्या	राज्य का नाम/के.शा.प्र.	लेखापरीक्षा अवलोकन
9.	मध्य प्रदेश	12 वन प्रभागों[157] के जे.एफ.एम.सी. ने एल3 परिदृश्यों पर त्रैमासिक लेखा विवरण और प्रगति रिपोर्ट तैयार नहीं कीं।
10.	मिजोरम	21 नमूना[158] जे.एफ.एम.सी. में से, किसी ने भी 2016-17 से 2024-25 के दौरान एफ.डी.ए. को एल3 स्तर के परिदृश्य की वित्तीय प्रगति की सूचना नहीं दी थी।
11.	पंजाब	पंजाब के नमूनाकृत एफ.डी.ए., 2015-16 से 2024-25 के दौरान अपने जे.एफ.एम.सी. से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके।
12.	उत्तराखंड	एल3 स्तर द्वारा, एल2 स्तर को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बजाय, एल2 स्तर ने रेंज कार्यालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और आवश्यकतानुसार नोडल कार्यालय (एस.एफ.डी.ए.) को भेज दी।
13.	सिक्किम	एल3 स्तर द्वारा, एल2 स्तर को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। हालाँकि, एफ.डी.ए. तिमाही रिपोर्ट एस.एफ.डी.ए. को प्रस्तुत कर रहे थे।
14.	महाराष्ट्र	नौ[159] चयनित एफ.डी.ए. में, किसी भी जे.एफ.एम.सी. ने एल3 स्तर के परिदृश्यों में किए गए कार्यों के लिए खातों का त्रैमासिक विवरण और प्रगति रिपोर्ट अपने एफ.डी.ए. को प्रस्तुत नहीं की।

[157] *बड़वानी, बालाघाट दक्षिण, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर दक्षिण, सतना, सीहोर, सेंधवा, सिवनी दक्षिण, शिवपुरी और उमरिया।*

[158] *त्लुंगवेल, सिहफिर वेंग्लुन, एन. लुंगलेंग, लामछिप, बक्तावंग चुआंथाट, डर्टलांग नॉर्थ, डर्टलांग, पावलरंग, वानचेंगपुई, कावल्कुल, चावंगत्लाई, दिलजाऊ, न्यू डायक्कॉन, थिंगडावल, मीदुम, बुआलपुई, बुकपुई, थेंटलांग, बुहबान, खावरुहलियन और ह्मुन्नघक।*

[159] *दहानू, अलीबाग, सिरोंचा, वडसा, धुले, नंदुरबार, पश्चिम नासिक, पुणे और भोर।*

अनुलग्नक XXXII
(पैरा 5.7.3.2 देखें)
गतिविधि क्षेत्र में वृक्ष आवरण में सुधार के लिए राज्यवार विश्लेषण

राज्य	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	गतिविधि क्षेत्र (हेक्टेयर) (टी 1)	गतिविधि के दौरान वृक्ष आवरण (हेक्टेयर) (टी 2)	2024 में वृक्ष आवरण (हेक्टेयर) (टी 3)	2030 में संभावित वृक्ष आवरण (हेक्टेयर) (टी 4)	% गतिविधि	गतिविधि के समय % वृक्ष आवरण	2024 में % वृक्ष आवरण	2030 में संभावित वृक्ष आवरण %	2024 तक वृक्ष आवरण में % सुधार	2030 में पेड़ों के आवरण में % सुधार की संभावना
						(टी1/टी) × 100	(टी2/टी) × 100	(टी3/टी) × 100	(टी4/टी) × 100	(टी3-टी2)/टी) × 100	(टी4-टी2)/टी) × 100
आंध्र प्रदेश	51.2	इन राज्यों के लिए वृक्ष आवरण के संबंध में गणना नहीं की गई है, क्योंकि के.एम.एल. के जी.आई.एस. विश्लेषण से वनस्पति में कोई परिवर्तन नहीं दिखा।									
कर्नाटक	22.78										
केरल	11.29										
पंजाब	114.41										
उत्तराखंड	361.02										
सिक्किम	9.99										
छत्तीसगढ	71.73	13.59	4.63	6.85	6.88	18.95	6.45	9.55	9.59	3.09	3.14
मध्य प्रदेश	35.03	7.85	0.13	0.52	1.20	22.41	0.37	1.48	3.43	1.11	3.05
ओडिशा	1129.56	157.99	48.18	90.10	102.09	13.99	4.27	7.98	9.04	3.71	4.77
कुल	**1807.01**	**179.43**	**52.94**	**97.47**	**110.17**	**9.93**	**2.93**	**5.39**	**6.10**	**2.46**	**3.17**

अनुलग्नक XXXIII
(पैरा 5.7.3.4 देखें)

विखंडन मेट्रिक्स का उपयोग करते हुए वृक्षावरण (गतिविधियों के कारण) की स्थिति/गुणवत्ता का सारांश

राज्य	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) (टी)	गतिविधि क्षेत्र (हेक्टेयर) (टी1)	गतिविधि वर्ष						2024					
			गैर वृक्ष आवरण/ खुला	पैबंद	संक्रमणकालीन	किनारा	छिद्रित	अखंड	गैर वृक्ष आवरण/ खुला	पैबंद	संक्रमणकालीन	किनारा	छिद्रित	अखंड
आंध्र प्रदेश	51.2	0	इन राज्यों के लिए विखंडन विश्लेषण नहीं किया गया है, क्योंकि के.एम.एल. के जी.आई.एस. विश्लेषण से वनस्पति में कोई परिवर्तन नहीं दिखा।											
कर्नाटक	22.78	0												
केरल	11.29	0												
पंजाब	114.41	0												
उत्तराखंड	361.02	0												
सिक्किम	9.99	0												
छत्तीसगढ	71.73	13.59	8.93	0.47	1.28	0.13	2.01	0.74	6.7	0.51	1.12	0.19	2.5	2.54
मध्य प्रदेश	35.03	7.85	7.64	0.08	0.05	0	0	0	7.35	0.15	0.11	0.02	0.17	0.07
ओडिशा	1129.56	157.99	108.13	1.83	5.81	2.27	12.84	25.44	68.26	1.62	5.52	2.7	16.79	61.45
कुल	**1807.01**	**179.43**	**124.7**	**2.38**	**7.14**	**2.40**	**14.85**	**26.18**	**82.31**	**2.28**	**6.75**	**2.91**	**19.46**	**64.06**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in